त्रयोदश माला, खंड 17, अंक 4

गुरुवार, 26 जुलाई, 2001
4 श्रावण, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ....52..........
Date.........8/4/2002..........

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 4, गुरुवार, 26 जुलाई, 2001/4 श्रावण, 1921 (शक)

विषय	कालम
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80	2–37
अतरांकित प्रश्न संख्या 597 से 826	37–346

लोक सभा

गुरुवार, 26 जुलाई, 2001/4 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सभा हमारी एक सम्मानित सहयोगी श्रीमती फूलन देवी के दुखद और आकस्मिक निधन से अवगत है।

श्रीमती फूलन देवी लोक सभा की वर्तमान सदस्य थीं और वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।

वह 1996-97 के दौरान ग्यारहवीं लोक सभा की सदस्य थीं और उन्होंने इसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

वह खाद्य और नागरिक पूर्ति तथा श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी संसदीय समितियों की सदस्य थीं।

श्रीमती फूलन देवी का जीवन समकालीन सामाजिक-राजनैतिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता था। उन्होंने समाज के गरीब, शोषित, दलित और कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष किया।

25 जुलाई, 2001 को 38 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में उनके निवास पर उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई।

हिंसा के इस उन्माद और कार्यरतापूर्ण कार्य को जितनी भी निन्दा की जाए कम है क्योंकि इससे एक उभरते हुए राजनैतिक जीवन का अंत हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोक-संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कीटनाशकों के उपयोग के लिए विश्व व्यापार संगठन की शर्तें

*61. **श्री ए. कृष्णमैया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कीटनाशकों के उपयोग के संबंध में विश्व व्यापार संगठन की विभिन्न स्वास्थ्यपरक, पादप स्वास्थ्यपरक शर्तों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कीटनाशकों के उपयोग करने वालों को इन शर्तों के बारे में अवगत कराया है और ऐसे कीटनाशकों का उपयोग कम कराने का प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) कीटनाशकों के उपयोग के संबंध में विश्व व्यापार संगठन ने कोई विशिष्ट शर्त निर्धारित नहीं की है। किन्तु स्वच्छता और पादप स्वच्छता समझौते के अधीन क्रियान्वयन पद्धति/मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जिस पर खाद्य सुरक्षा, पशु और पादप स्वास्थ्य से संबंधित खतरा मूल्यांकन और स्वच्छता और पादप स्वच्छता के उचित स्तरों के निर्धारण हेतु विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयोगकर्त्ताओं के बीच विश्व व्यापार संगठन और स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता समझौते के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मेलनों/कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों में मामले पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/कृषि मंत्रियों/वरिष्ठ अधिकारियों/गैर-सरकारी संगठनों/कृषक संगठनों आदि को आमंत्रित किया गया।

देश में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न कीटनाशकों के उपयोग के प्रभावों की समीक्षा करती रही है। परिणामस्वरूप देश में उपयोग के लिए 37 कीटनाशकों पर पहले ही रोक/प्रतिबंध लगा दिया गया है। कीटनाशकों के उपयोग को सीमित करने के लिए सरकार ने समेकित कीट प्रबंध

को पादप रक्षण के मुख्य घोषणा-पत्र के रूप में अपनाया है। समेकित कीट प्रबंध में विभिन्न पद्धतियों जैसे संवर्धनात्मक, यांत्रिक, जैविक प्रणालियां तथा किसानों के बीच सुरक्षित रासायनिक कीटनाशकों/जैव कीटनाशकों का आवश्यकता आधारित उपयोग शामिल है। वर्ष 1994 से अब तक चावल, कपास, तिलहन, दलहन, सब्जियों आदि में 33 मौसम पर्यन्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 6,733 कृषक क्षेत्रीय विद्यालयों के जरिये समेकित कीट प्रबंध पर 1072 निष्णात प्रशिक्षकों, 28,459 कृषि विस्तार अधिकारियों और 2,03,032 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया है। ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप कृषि में कीटनाशकों के उपयोग में कमी आई है। वर्ष 1994-95 के दौरान इनका उपयोग 61,357 मीटरी टन (टेकनिकल ग्रेड) था जो कि 1999-2000 के दौरान घटकर 46,195 मीटरी टन (टेकनिकल ग्रेड) रह गया।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग

***62. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन, इसके प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी सरकार की है, और ग्रामीणों तथा किसानों के साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क होने के कारण इसकी जिम्मेदारी विशेष रूप से उनके मंत्रालय की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय अपना कार्य, अनुसंधान और हिन्दी में साहित्यिक पुस्तकों के प्रकाशन का काम कर रहा है और राजभाषा अधिनियम के अनुसार इसके पुस्तकालय में 50 प्रतिशत हिन्दी पुस्तकें रखी जाती हैं;

(ग) क्या हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पर्यवेक्षकों के रूप में नाम निर्देशित किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो तीस वर्षों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु एक वर्षीय वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं, जिनके कारण उसी कार्यक्रम को बार-बार दोहराया जाता है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) कृषि मंत्रालय, राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों एवं उनके कार्यान्वयन के बारे में सचेत है।

(ख) कृषि मंत्रालय के चार विभाग अर्थात कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग समय-समय पर हिन्दी में अपने प्रकाशन जारी करते रहते हैं। हिन्दी पुस्तकों की खरीद भी की जा रही है परन्तु अभी 50% का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

(ग) राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन जारी किए गए नियमों और आदेशों के क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय के चार विभागों में से प्रत्येक ने अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया है। कृषि और सहकारिता विभाग ने 16.3.2001 को एक हिन्दी सलाहकार समिति का भी गठन किया है। कृषि मंत्रालय के लिए एक संयुक्त सलाहकार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार हिन्दी सलाहकार समिति के किसी गैर-सरकारी सदस्य को राजभाषा कार्यान्वयन समिति में प्रेक्षक के रूप में नामित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सभी अनुभागों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की जाती है और राजभाषा अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा समय-समय पर विभिन्न अनुभागों एवं विभागों के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का मौके पर निरीक्षण भी किया जाता है।

[अनुवाद]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का निरसन

***63. श्री दिलीप संघाणी :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के स्थान पर एक नया निकाय बनाने के लिए प्रतिस्पर्द्धा विधेयक पुर:स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नया निकाय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग से किस तरह भिन्न होगा; और

(घ) उक्त विधेयक को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(घ) सरकार का विचार प्रस्तावित विधेयक को मानसून सत्र, 2001 में पुर:स्थापित करने का है।

विवरण

प्रस्तावित प्रतिस्पर्द्धा विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. विधेयक मुख्यतया निम्नलिखित पहलुओं को कवर करता है-

(1) प्रतिस्पर्द्धा विरोधी करारों का निषेध;

(2) प्रशासन के दुरूपयोग का निषेध;

(3) सम्मेलनों का नियमन (कतिपय आकार के अधिग्रहण, का विलयन तथा समामेलन)

(4) भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सी.सी.आई.) की स्थापना

(5) सी.सी.आई. के कार्य व शक्तियां।

2. विधेयक के उद्देश्य प्रतिस्पर्द्धा पर विपरीत प्रभाव वाले व्यवहारों को रोकने, भारत में बाजार में प्रतिस्पर्द्धा के संवर्द्धन व प्रोत्साहन, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा भारत में बाजार में भागीदारों द्वारा किए जा रहे व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए आयोग की स्थापना करना है:-

3. प्रस्तावित कानून इन पर लागू नहीं होगा:

(1) अधिपति कार्य करने वाले सरकारी विभाग तथा लोक उद्यम

(2) सरकारी क्रियाकलापों के नीति परक पहलु (केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा निर्णय लेना)/स्थानीय निकाय जैसे एस.एस.आई. के लिए आरक्षण, एस.एस.आई. यूनिटों/पी.एस.यू. से प्राप्ति में प्रमुखता/तथा ऐसी ही नीतियां।

(3) प्रस्तावित कानून विशिष्ट अधिसूचनाओं के द्वारा अधिनियम के लागू होने से लोक उद्यमों तथा अन्तर्राष्ट्रीय करारों की कतिपय श्रेणियों की छूट के लिए प्रावधान करेगा।

4. कानून उन प्रथाओं को हटाएगा जिसका प्रतिस्पर्द्धा पर विपरीत प्रभाव होगा। प्रस्तावित कानून ऐसे तीन रास्ते को प्रस्तुत करता है जिसमें ऐसे निम्न व्यवहार हो सकते हैं:

(क) प्रतिस्पर्द्धा विरोधी करार (क्षैतिज करार, शीर्षवृत्त करार) की सी.सी.आई. द्वारा पूछताछ हो सकती है जो अपराध के लिए पिछले 3 वर्षों में औसतन व्यापारावर्त्त के 10% तक की राशि का दण्ड दे सकती है।

(ख) प्रधानता के पद का दुरूपयोग (प्रधानता के पद को निश्चित करने की शर्त एम.आर.टी.पी. अधिनियम में दी गई से विस्तृत है) प्रधानता के पद पर कार्य करना अपराध नहीं होगा बल्कि इसका दुरूपयोग एक अपराध होगा।

(ग) अधिग्रहण, समामेलन या विलयन के माध्यम से प्राप्त बाजार के प्रतिस्पर्द्धी को हटाना/कम करना प्रस्तावित कानून प्रत्येक अधिग्रहण, विलयन या समामेलन के विरुद्ध नहीं है बल्कि इसका आशय केवल उन अधिग्रहणों, विलयनों तथा समामेलनों से है जो एक कतिपय निर्धारित आकार के हैं - आकार (क)

परिसम्पत्तियों या (ख) व्यापारावर्त्त की शर्तों में अधिग्रहण, विलयन या समामेलन 'सम्मिश्रण' बनेगा जब:-

सम्मिश्रण की प्रकृति	समूह स्तर	कसौटी		कीमत
(क) उद्यमों द्वारा अधिग्रहण	कोई समूह नहीं	परिसम्पत्तियां	भारत में	> 1,000 करोड़ रु.
			विश्व में	> यू एस डालर 500 मिलियन
(ख) व्यक्तियों द्वारा अधिग्रहण		व्यापारावर्त्त	भारत में	> 3,000 करोड़ रु.
			विश्व में	> यू एस डालर 1500 मिलियन
(ग) विलयन/समामेलन	समूह	परिसम्पत्तियां	भारत में	> 4,000 करोड़ रु.
			विश्व में	> यू एस डालर 2 बिलियन
		व्यापारावर्त्त	भारत में	> 12,000 करोड़ रु.
			विश्व में	> यू एस डालर 6 बिलियन

5. प्रस्तावित कानून भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सी.सी.आई.) की स्थापना करने के द्वारा एक न्याय निर्णय राहत मशीनरी का प्रावधान करता है जो कि एक अर्द्धन्यायिक निकाय होगा। सी.सी.आई. का एक अध्यक्ष होगा और दो से अधिक तथा दस अन्य सदस्यों से अनाधिक सदस्य होंगे जैसा कि केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।

6. सी.सी.आई. की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

- ''रद्द एवं रोकना'' आदेश जारी करना
- ऐसी अंतरिम राहत देना जो प्रत्येक मामले में आवश्यक हो
- मुआवजा देना
- चूककर्त्ता पर जुर्माना लगाना
- प्रधान उपक्रम के बंटवारे का आदेश करना
- गैर-विलयन का आदेश करने की शक्ति
- निरर्थक शिकायतों के लिए लागत का आदेश करने की शक्ति।

अधिनिर्णय कार्य के अतिरिक्त, सी.सी.आई. के पास वकालत, जांच, अभियोजन तथा विलयन/नियंत्रण की भी भूमिका होगी।

7. सांविधिक नियामक प्राधिकारी सलाह के लिए सी.सी.आई. के संदर्भ भेज सकती है।

8. प्रस्तावित कानून प्रतिस्पर्द्धा आयोग को इसकी जांचों में सहायता करने के लिए महानिदेशक के पद का प्रावधान करता है (और विभिन्न स्थानों पर उसके सहायकों के आतिथेयी) एम.आर.टी.पी. अधिनियम के विपरीत महानिदेशक को स्वयं प्रेरणा से जांच करने की शक्तियां नहीं होंगी।

9. एम.आर.टी.पी. अधिनियम को हटाने के कारण:

नियंत्रण एकाधिकार के संवर्द्धन प्रतिस्पर्द्धा के नीति स्थानान्तरण को देखते हुए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता है। इसलिए लाए जाने वाले प्रस्तावित प्रतिस्पर्द्धा कानून का उद्देश्य कठोर संरचित एम.आर.टी.पी. अधिनियम को हटाना है। प्रस्तावित प्रतिस्पर्द्धा कानून लोचशील तथा व्यवहारिक है। अन्य कारण निम्न हैं:

(क) एम.आर.टी.पी. अधिनियम पूर्व सुधार परिस्थिति पर आधारित है जबकि नया कानून सुधारोत्तर परिस्थिति पर आधारित होगा।

(ख) एम.आर.टी.पी. अधिनियम तथ्य रूप में आकार पर आधारित है, जबकि नया कानून तथ्य रूप में संगठन पर आधारित होगा।

(ग) एम.आर.टी.पी. अधिनियम के 14 स्वभाव: अपराध थे जिसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है जबकि कानून के 4 स्वभावत: अपराध हैं, बाकी सभी कारण की नियम के तहत हैं।

(घ) एम.आर.टी.पी. अधिनियम करारों के आवश्यक रूप में पंजीकरण का प्रावधान करता है जबकि नए कानून में करारों के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) नए कानून के अंतर्गत प्रभुत्व स्वभावत: खराब नहीं है बल्कि केवल प्रधानता के दुरूपयोग को खराब माना गया है जबकि एम.आर.टी.पी. कानून के अन्तर्गत प्रधानता अपने में ही खराब है।

(च) विधेयक में उल्लिखित समामेलन नियमन सुनिश्चित करता है कि प्रतिस्पर्द्धा को कम नहीं किया गया है। समामेलन एम.आर.टी.पी. अधिनियम द्वारा नियमित नहीं किए जाते।

(छ) एम.आर.टी.पी. अधिनियम को केवल "रद्द एवं रोकना" आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और रोकने या दण्ड देने की कोई अन्य शक्ति नहीं है जबकि प्रतिस्पर्द्धा कानून में दण्डात्मक उपबन्ध है।

(ज) एम.आर.टी.पी. अधिनियम एम.आर.टी.पी. आयोग में प्रत्यक्ष तरीके से विदेशी मूल के कारटेल्स की जांच करने की शक्ति नहीं देता। प्रस्तावित प्रतिस्पर्द्धा कानून उनको नियमित करता है।

(झ) एम.आर.टी.पी. अधिनियम के अन्तर्गत "ग्रुप" के विचार व्यापक अर्थ था और अकार्य था जबकि प्रस्तावित कानून में इसे सरल किया गया है।

10. प्रस्तावित कानून एक प्रतिस्पर्द्धा फंड का प्रावधान करता है जिसका अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धा वकालत के संवर्द्धन, प्रतिस्पर्द्धा विषयों तथा नियमों जो निर्धारित किए जाएं के अनुसार प्रशिक्षण के बारे में जागृति लाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

11. विक्रय खरीद में नियंत्रण करने के संबंध में अतिरिक्त अनुचित व्यापार प्रथा से संबंधित लम्बित मामले या धारा 36क की उपधारा (1) के खंड (10) के अन्तर्गत आने वाले मामले, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 निरसित अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय आयोग को स्थानान्तरित माने जाएंगे।

मंगलोर-चेन्नई मेल का पटरी से उतरना

***64. श्री रमेश चेन्नितला :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई जाने वाली मंगलौर-चेन्नई मेल 22 जून, 2001 को केरल में कोझीकोड के निकट काडालुंडी रेल पुल पर पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गए तथा कितने घायल हुए;

(घ) इस दुर्घटना में मारे गए एवं घायल हुए व्यक्तियों के संबंधियों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) सरकार द्वारा भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) से (ग) 22.6.2001 को जब 6602 मंगलोर-मद्रास मेल काडालुंडी स्टेशन से गुजर रही थी तब 10 सवारी डिब्बे काडालुंडी पुल पर पटरी से उतर गए जिनमें से पांच सवारी डिब्बे नदी में जा गिरे। इनमें से कुछ सवारी डिब्बे अंशत: पानी में डूबे हुए थे, जबकि दो पूर्णत: नदी में डूबे हुए थे। यह दुर्घटना दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल में हुई थी। इस दुर्घटना के फलस्वरूप 52 यात्रियों की जानें गईं और 314 जख्मी हुए।

(घ) गाड़ी दुर्घटनाओं के मुआवजा दावों का फैसला रेल दावा अधिकरण की पीठों द्वारा किया जाता है। अभी तक कोई दावा दायर नहीं किया गया है। रेल द्वारा अधिकरण, एर्णाकुलम जिसके क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई है, द्वारा दावा मुकदमों की डिक्री दिए जाने के पश्चात् मुआवजों का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। बहरहाल, अब तक रेल मंत्री द्वारा घोषित 92.47 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान मृतकों के निकट संबंधी और जख्मी यात्रियों को कर दिया गया है।

(ङ) और (च) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने, जो नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं, उस दुर्घटना की सांविधिक जांच आरंभ कर दी है। दुर्घटना के कारणों संबंधी उनकी अंतिम रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

(छ) भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं:

(1) पुराने और घिसे-पिटे पुलों के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई है।

(2) रेलों को जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, गति प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है।

(3) पुलों के जलगत और भूमिगत निरीक्षण करने की व्यवस्था का विश्व बाजार में पता लगाया जा रहा है।

(4) रेलपथ ज्यामितीय और चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी कारों, दोलन कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(5) अनेक डिपुओं में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और अपग्रेड किया गया है।

[हिन्दी]

बाढ़ प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल

*65. **कुंवर अखिलेश सिंह :**
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण अनुमानत: कितने मूल्य की फसलों की क्षति होती है;

(ख) क्या सरकार को बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर कितनी राशि व्यय की जाती है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई और बाढ़ को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) बाढ़ निश्चित रूप से फसल सहित सम्पत्ति को विभिन्न परिमाण में नुकसान पहुंचाती है। राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2000-2001 के दौरान वर्षा/बाढ़ से 34.79 लाख हैक्टेयर फसली क्षेत्र को नुकसान पहुंचा।

(ख) बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर आवश्यक राहत और बचाव उपाय शुरू करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। ऐसे उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के पास आपदा राहत कोष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस कोष में 3:1 के अनुपात में अंशदान करती हैं। राज्यों को वर्ष 2001-2002 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। छत्तीसगढ़, केरल और उड़ीसा सरकारों ने बाढ़ की वजह से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार आठवीं योजना के अंत तक बाढ़ प्रबंध कार्यों (केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र) पर 5032.13 करोड़ रु. खर्च किए गए तथा मार्च 2001 तक 8236.22 करोड़ रु. का खर्च प्रत्याशित है, जैसा कि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और योजना आयोग द्वारा दसवीं योजना प्रस्तावों के आधार पर आंकड़े संकलित किए गए हैं। इसके अलावा, आ.रा.को. और रा.आ.आ.को., जैसी भी स्थिति हो, से प्रदत्त सहायता का उपयोग बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए किया जाता है।

(घ) केन्द्रीय जल आयोग ने उल्लेख किया है कि योजना आयोग के अनुसार वर्ष 2000-01 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र सहित बाढ़ नियंत्रण उप क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों को 798.76 करोड़ रु. की कुल धनराशि आवंटित की गई।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आपदा राहत कोष से निर्मुक्त केन्द्रीय अंश
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7798.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	473.50
3.	असम	3996.00
4.	बिहार	–
5.	छत्तीसगढ़	2163.00
6.	गोवा	–
7.	गुजरात	11701.49
8.	हरियाणा	–
9.	हिमाचल प्रदेश	3424.00

1	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	–
11.	झारखंड	–
12.	कर्नाटक	2936.00
13.	केरल	5956.11
14.	मध्य प्रदेश	4932.00
15.	महाराष्ट्र	12380.00
16.	मणिपुर	–
17.	मेघालय	–
18.	मिजोरम	–
19.	नागालैंड	–
20.	उड़ीसा	6465.75
21.	पंजाब	–
22.	राजस्थान	12225.75
23.	सिक्किम	495.34
24.	तमिलनाडु	–
25.	त्रिपुरा	–
26.	उत्तर प्रदेश	13521.06
27.	उत्तरांचल	–
28.	पश्चिम बंगाल	–
	कुल	88468.50

विद्युत उत्पादन हेतु लंबित पड़ी विद्युत परियोजनाएं

*66. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत उत्पादन हेतु लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्य में कितनी कमी आई है;

(ग) क्या हरियाणा के यमुना नगर जिले में ताप विद्युत संयंत्र शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) वर्तमान में 21 ताप विद्युत परियोजनाएं देश में निर्माणाधीन हैं, जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 3, राज्य क्षेत्र में 8 और निजी क्षेत्र में 10 परियोजनाएं शामिल हैं। इसी प्रकार 35 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 12 परियोजनाएं, राज्य क्षेत्र में 20 परियोजनाएं और निजी क्षेत्र में 3 परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) नौवीं योजना हेतु निर्धारित क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्यों और संभावित उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विद्युत उत्पादन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में, वार्षिक आधार पर किया जाता है। नौवीं योजना के प्रथम चार वर्षों और पांचवें वर्ष (जून, 2001 तक) के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियां निम्नवत हैं:-

(बि.यू. में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां	%उपलब्धि
1997-98	429.000	420.622	98.0
1998-99	450.000	448.380	99.6
1999-2000	469.000	480.011	102.3
2000-2001	500.700	499.450	99.8
2001-02 (जून, 2001 तक)	129.984*	124.923	96.1

*वर्ष 2001-02 हेतु 530 बिलियन यूनिट का लक्ष्य

(ग) और (घ) हरियाणा यमुनानगर ताप विद्युत परियोजना पर कार्रवाई कर रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार परियोजना हेतु अब 1107 एकड़ भूमि अर्जित कर ली गयी है और अधिकतर सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गयी हैं। परियोजना को दो चरणों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण के लिए आर.एफ.क्यू. पहले ही आमंत्रित किए जा चुके थे लेकिन हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) से स्वीकृति की प्रतीक्षा में आर.एफ.पी. लम्बित है। यह चरण कोयला पर आधारित है और इसे निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

द्वितीय चरण में हरियाणा सरकार मूल ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने का प्रस्ताव रखती है जिसके लिए प्राकृतिक गैस के आवंटन हेतु पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

के साथ मामले पर कार्रवाई की जा रही है। इस चरण का निर्माण नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन.टी.पी.सी.) द्वारा किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

विवरण

नौवीं योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य

(मेगावाट में)

	केन्द्रीय क्षेत्र	निजी क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	जोड़
थर्मल	7574	17038.5	4933.0	29545.5
हाइड्रो	3455	550	5814.7	9819.7
न्यूक्लीयर	880	0.0	0.0	880.0
जोड़	11909	17588.5	10747.7	40245.2

नौवीं योजना में संभावित उपलब्धियां

(मेगावाट में)

	केन्द्रीय क्षेत्र	निजी क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	जोड़
थर्मल	3294	6497	5030.47	14821.47
हाइड्रो	540	86.0	4092.20	4718.20
न्यूक्लीयर	880	0.0	0.0	880.00
जोड़	4714	6583	9122.67	20419.67

[अनुवाद]

प्रयोग हो सकने वाली वस्तुओं को रद्दी माल के भाव बेचना

*67. **श्री जी. गंगा रेड्डी :**
श्री के. येरननायडू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई स्थानों में रद्दी माल खरीदने वाला माफिया रेल अधिकारियों पर प्रयोग हो सकने वाली वस्तुओं को रद्दी माल के भाव बेचने के लिए दबाव डालते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा माफिया और कर्मचारियों के बीच सांठ-गांठ रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) कुछ सतर्कता जांचें आयोजित की गई हैं। माफिया के दबाव में रेलों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का रद्दी के भाव बेचने संबंधी कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गहन सतर्कता जांचें आयोजित की गई हैं तथा उनकी मॉनीटरिंग की गई है।

पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन रद्द करना

*68. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जातियों आदि के उद्यमियों को विशेष श्रेणी के अंतर्गत पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन रद्द कर दिया है, जिससे वे इस लाभ से वंचित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन वर्गों के लिए एजेंसियों का आबंटन बहाल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) जी नहीं। वर्तमान नीति के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आरक्षण निम्नानुसार हैं:

1. अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां (अ.जा./अ.ज.जा.)	25 प्रतिशत
2. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (शा.रू.वि.व्य.)	5 प्रतिशत
3. रक्षा श्रेणी (र.श्रे.)	8 प्रतिशत

4. अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक (अ.पु.स.का.)	8 प्रतिशत
5. स्वतंत्रता सेनानी (स्व. से.)	2 प्रतिशत
6. उत्कृष्ट खिलाड़ी (उ.खि.)	2 प्रतिशत
7. सामान्य (सामा.)	50 प्रतिशत

उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में 33 प्रतिशत डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उस श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों सहित डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन जारी है।

पूंजी बाजार घोटाले के बारे में प्रारंभिक रिपोर्ट

***69. श्री किरीट सोमैया : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी कार्य विभाग ने पूंजी बाजार घोटाले पर 'सेबी' की प्रारंभिक जांच का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने पूंजी बाजार घोटाले पर सेबी की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट का संज्ञान लिया है और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के उपबंधों के तहत 94 कम्पनियों की लेखा पुस्तकों व अन्य अभिलेखों की जांच का आदेश दे दिया है। जांच प्रगति पर है। जांच रिपोर्टों की प्राप्ति पर आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

सूखा प्रभावित राज्य

***70. श्री अनन्त नायक :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने जिले सूखे से प्रभावित हुए;

(ख) सरकार द्वारा देश में सूखा प्रभावित किसानों को मुआवजा देने और इन राज्यों को राहत पहुंचाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) फसलों, पशुधन और जान-माल की अनुमानत: कितनी-कितनी क्षति हुई;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भूख के कारण कोई मौत/आत्महत्या या वहां से पलायन हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सूखे से निरन्तर प्रभावित होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं, और सूखा राहत कार्यों के लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई और कितनी-कितनी सहायता दी गई;

(छ) क्या स्थिति का आकलन करने के लिए प्रभावित राज्यों का दौरा करने हेतु एक केन्द्रीय दल का गठन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उसके आधार पर कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ भाग सूखा जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। उत्तरांचल में एक जिला जल की कमी की स्थितियों का सामना कर रहा है। सूखाग्रस्त जिलों की संख्या मानव और पशु संख्या और प्रभावित फसली क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

सूखे सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर आवश्यक राहत और बचाव उपाय करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ऐसे उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के पास आपदा राहत कोष के अंतर्गत निधियां उपलब्ध हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस कोष में 3:1 के अनुपात में अंशदान करती हैं। इसके अतिरिक्त सूखे की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता मुहैया कराई गई है। राज्यों को वर्ष 2001-2002 के दौरान आ.रा.को. की केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति और रा.आ.आ.को. से मुहैया कराई गई सहायता दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण II में है। निचले स्तर पर राहत के वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है।

(घ) और (ङ) सूखे की स्थिति में कुछ श्रमिकों का पलायन निश्चित रूप से होता है। भूख से हुई मौतों के संबंध में सूखा प्रभावित राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) से (ज) राजस्थान सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान सूखे जैसी स्थिति होने और गुजरात तथा मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सरकारों ने पिछले दो वर्षों के दौरान सूखे जैसी स्थिति होने की सूचना दी थी। केन्द्रीय दलों ने इन राज्यों का दौरा किया और वर्ष 2000-2001 के दौरान रा.आ.आ.को. से मांगी गई और इन राज्यों को प्रदत्त सहायता नीचे दर्शाई गई है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	मांगी गई सहायता	प्रदत्त सहायता
1.	गुजरात	1974.23	85.00
2.	छत्तीसगढ़	495.64	40.00
3.	मध्य प्रदेश	795.42*	35.00
4.	राजस्थान	2367.80	85.00

*इसमें मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की मांग शामिल है।

विवरण-I

राज्य	प्रभावित जिले (सं.)	प्रभावित मनुष्य (लाख में)	संख्या पशु (लाख में)	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख है.)
छत्तीसगढ़	12	94.08	32.40	11.36
गुजरात	23	291.00	107.00	13.50
हिमाचल प्रदेश	12	46.64	प्रा.न	0.88
जम्मू व कश्मीर	15	प्रा.न	37.98	4.00
कर्नाटक	18	55.01	28.71	16.22
मध्य प्रदेश	32	127.10	85.78	39.52
महाराष्ट्र	26	454.99	2.58	45.00
उड़ीसा	28	119.50	65.54	11.00
राजस्थान	31	330.41	399.69	89.47

प्रा.न. - प्राप्त नहीं।

विवरण-II

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त आपदा राहत कोष का केन्द्रीय अंश	रा.आ.आ.को. से मुहैया कराई गई सहायता
1	2	3	4
1.	छत्तीसगढ़	2163.00	4000.00
2.	गुजरात	11701.49	8500.00
3.	हिमाचल प्रदेश	3424.00	1898.00
4.	जम्मू व कश्मीर	-	2320.00
5.	कर्नाटक	2936.00	-
6.	मध्य प्रदेश	4932.00	3500.00
7.	महाराष्ट्र	12380.00	-
8.	उड़ीसा	6465.75	3500.00
9.	राजस्थान	12225.75	8500.00
10.	उत्तरांचल	-	-
	कुल	56227.99	32218.00

टिप्पणी : इसके अतिरिक्त इन राज्यों को एन.सी.सी.एफ. से निर्मुक्त किए जाने के लिए गुजरात के लिए 2700.00 लाख रु., छत्तीसगढ़ के लिए 1894.00 लाख रु., मध्य प्रदेश के लिए 2272.00 लाख रु., उड़ीसा के लिए 1462.00 लाख रुपये तथा राजस्थान के लिए 2897.00 लाख रु. का अनुमोदन किया गया है।

कृषि के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के प्रभाव के बारे में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

***71. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि और खाद्य प्रबंधन के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनर्थकारी प्रभाव पर चर्चा करने हेतु दिल्ली में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) कृषि और सहकारिता विभाग ने कृषि और खाद्य प्रबंध पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्ली में 21 मई, 2001 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मेलन में अन्य राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अलावा 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय कृषि, वित्त, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रियों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भाग लिया ।

निम्नलिखित कार्यसूची-मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

- कृषि उत्पादन कार्यनीतियां : विविधीकरण, कटाई पश्चात् हस्तक्षेप और मूल्यवर्धन,
- खाद्य पदार्थों और कृ षि उत्पादों का स्टाक रखने और उसके आवागमन से प्रतिबंध हटाना,
- खाद्य और कृषि उत्पाद के लिए यथा लागू आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन,
- खरीद और वितरण का विकेन्द्रीकरण,
- भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव।

इस सम्मेलन ने विचारों के मुक्त आदान-प्रदान तथा चिन्ताओं और सुझावों पर मिलजुल कर विचार करने का मौका दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने समापन भाषण के दौरान जागरूकता लाने संबंधी उपायों पर जोर दिया ताकि विश्व व्यापार संगठन से संबंधित भ्रांतियों को दूर किया जा सके। उन्होंने कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते की स्थिति में कृषि कार्यनीतियों, खाद्य प्रबंध तथा कृषि निर्यातों के प्रवर्धन से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों की स्थायी समिति के गठन की घोषणा की।

खाद्य प्रबंध और कृषि निर्यातों पर केन्द्रीय मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों की स्थायी समिति की प्रथम बैठक 6 जुलाई, 2001 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यसूची-मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

(1) राज्यों की विकेन्द्रीकृत और सक्रिय सहभागिता से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की खरीद क्षमता में वृद्धि करना तथा वितरण लागत कम करना।

(2) काम के बदले अनाज और ग्रेन बैंक स्कीम का क्रियान्वयन।

(3) मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा नियंत्रण आदेशों का पुनरीक्षण करना।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम और ग्रेन बैंक स्कीम की क्रियान्वयन पद्धति तय करने के लिए स्थायी समिति द्वारा एक अंत: मंत्रालयिक दल का गठन किया गया है। इस दल से 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। खाद्यान्नों की खरीद प्रणाली की पुन: संरचना के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार राज्यों के परामर्श से एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगी। इस बात पर आम सहमति थी कि खाद्यान्नों के आवागमन से प्रतिबंध हटाने की जरूरत के साथ-साथ खाद्यान्नों के व्यापार पर नियंत्रण की समीक्षा भी की जानी चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मामलों पर जागरूकता सृजन के संबंध में राज्य स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला की योजना बनायी गयी है जिसमें से दो बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

फसलों के समर्थन मूल्य

***72. श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष मई के महीने में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस तथ्य की ओर ध्यान दिया गया था कि समर्थन मूल्य प्रणाली और फसलों की खरीद केवल चावल और गेहूं की दो फसलों तक ही सीमित रहती है और मोटे अनाज, दालों और खाद्य तेलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन फसलों के समर्थन मूल्य और खरीद प्रणाली के विविधीकरण के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) 21 मई, 2001 को सम्पन्न मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कुछ राज्य सरकारों ने मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत मोटे अनाज, दलहन आदि की खरीद की आवश्यकता का उल्लेख किया। तथापि, वर्तमान में कुल 25 मुख्य कृषि जिंसों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है और इन सभी जिंसों के लिए खरीद तंत्र पहले से ही विद्यमान है। इन जिन्सों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर संबंधित जिन्सों के लिए अभिनामित शीर्षस्थ अभिकरणों से मंडी हस्तक्षेप और खरीद शुरू करने की अपेक्षा की जाती है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप वर्ष 2000-01 के दौरान उनके मूल्यों में गिरावट की स्थिति में गेहूं और चावल के अलावा बहुत बड़ी मात्रा में तिलहन, कोपरा और मोटे अनाजों की खरीद की गई। सार्वजनिक खरीद अभिकरणों नामत: भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खरीद बहुत बड़ी मात्रा में की गई क्योंकि इन जिंसों की खरीद न केवल मूल्य स्थायित्व हेतु की जाती है अपितु बफर स्टॉक बनाए रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भी की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधीन कवर होने वाली अन्य जिंसों के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है।

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में संशोधन

***73. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:**
श्री सुकदेव पासवान:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में अवमानना संबंधी मामलों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्याय प्रशासन में पारदर्शिता लाने और अवमानना संबंधी मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वर्तमान न्यायालय अवमानना अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में अवमान के लंबित मामले संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने समय-समय पर मामलों के जिसमें अवमानना के ममले भी सम्मिलित हैं, त्वरित निपटान करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को लिखा है।

(ख) और (ग) प्रशासनिक विधियों के पुनर्विलोकन के लिए सरकार द्वारा गठित पी.सी. जैन आयोग के सुझाव के अनुसरण में सरकार द्वारा न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अनेक उपबंधों का पुनर्विलोकन किया गया था और यह विनिश्चय किया गया था कि फिलहाल न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 को संशोधित न किया जाए।

विवरण

उच्च न्यायालयों में अवमान के लंबित मामले

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निम्नलिखित तारीख को	सिविल	दांडिक	योग
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद	31.12.2000	0	31981	31981
2.	आंध्र प्रदेश	31.12.2000	1857	0	1857
3.	बंबई	30.6.2000	230	78	308

1	2	3	4	5	6
4.	कलकत्ता	30.6.2000	2707	0	2707
5.	दिल्ली	31.12.2000	2209	186	2395
6.	गुवाहाटी	30.6.1999	1533	22	1555
7.	गुजरात	31.3.2000	6287	101	6388
8.	हिमाचल प्रदेश	30.9.2000	38	2	40
9.	जम्मू-कश्मीर	30.6.2000	3576	39	3615
10.	कर्नाटक	31.12.2000	1941	40	1981
11.	केरल	31.12.2000	652	0	652
12.	मध्य प्रदेश	31.12.2000	898	52	950
13.	मद्रास	30.9.2000	899	0	899
14.	उड़ीसा	31.12.2000	2303	0	2303
15.	पटना	31.12.2000	5756	130	5886
16.	पंजाब और हरियाणा	31.12.2000	2812	63	2875
17.	राजस्थान	30.9.2000	1212	19	1231
18.	सिक्किम	31.12.2000	1	2	3
	कुल योग		34911	32715	67626

जर्मनी में निर्मित सवारी डिब्बों को हटाना

***74. श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने जर्मनी से सवारी डिब्बों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जर्मनी में निर्मित इन सवारी डिब्बों को दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में लगाने के एक माह के अंदर ही हटा दिया गया है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसके लिए कौन-से कारक उत्तरदायी हैं;

(छ) सरकार द्वारा इन डिब्बों को उपयोग में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या रेलवे ने इस मामले को जर्मन फर्म के साथ उठाया है; और

(झ) यदि हां, तो इस पर जर्मन फर्म की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां।

(ख) 19 वातानुकूलित कुर्सीयान, 2 एक्जिक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान और 3 पावर कारों सहित कुल 24 सवारी डिब्बे मै. एलस्टॉम एल.एच.बी., जर्मनी से आपूर्ति ठेके के तहत आयात किए गए थे।

(ग) जी नहीं। जर्मनी में निर्मित नए सवारी डिब्बों वाले शताब्दी रेक को केवल अस्थायी रूप से ही हटाया गया है।

(घ) इन नए सवारी डिब्बों को शुरू करने के बाद उनके चालन के दौरान कपलिंग खुलने के चार मामलों के कारण अत्यधिक एहतियाती उपाय के रूप में इन्हें हटा लिया गया था।

(ङ) जी हां। सवारी डिब्बों के निर्माता और कपलर सप्लायर के प्रतिनिधियों के सहयोग से रेलवे द्वारा एक जांच की गई थी।

(च) इन आरंभिक जांचों से सेंटर बफर कपलर की बनावट में कुछ कमी का पता चला है। सही कारणों का पता लगाने और उनके निर्धारण के लिए रेलवे और सप्लायरों के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।

(छ) यह मामला सप्लायरों के साथ उठाया गया था, जो ठेके की शर्तों के अनुसार दोषपूर्ण पुर्जों की वारंटी के तहत बदलने के लिए बाध्य हैं। कमियों का पता लगाने और उसमें संतोषजनक तरीके से सुधार करने के बाद ही इन सवारी डिब्बों को पुन: काम में वापिस लाया जाएगा।

(ज) जी हां।

(झ) फर्म ने तत्परता से कार्रवाई की है और ऑरीजिनल इक्विपमेंट मैन्यूफैक्चर्स के विशेषज्ञों का एक दल इस समय नई दिल्ली में ठहरा हुआ है। वे पाई गई कमियों को दूर करने और इन सवारी डिब्बों को पुन: चलाने के लिए जांच कर रहे हैं।

गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता

*75. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु वर्तमान सीमा को बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) वर्ष 2001-2002 के दौरान न्यायालयोन्मुखी कानूनी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998, 1999 और 2000 के दौरान नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 विधिक सेवाएं दिए जाने के लिए मानदंड विहित करती है। निम्नलिखित व्यक्ति विधिक सहायता/विधिक सेवाओं के हकदार हैं:-

(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;

(2) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार;

(3) स्त्री या बालक;

(4) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा नि:शक्त व्यक्ति;

(5) अनर्ह अभाव की दशाओं के अधीन व्यक्ति, जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट का शिकार; या

(6) औद्योगिक कर्मकार; या

(7) जो अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षणगृह में या किशोर न्यास अधिनियम, 1986 की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थ में किसी किशोर गृह में या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी मन: चिकित्सीय अस्पताल या मन:चिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा भी है; या

(8) जो, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो नौ हजार रुपए से कम या ऐसी अन्य उच्चतर रकम, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो बारह हजार रुपए से कम या ऐसी अन्य उच्चतर रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।

(घ) और (ङ) अधिनियम के अधीन स्थापित राज्य प्राधिकरणों के पहले वार्षिक अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया था कि यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो अधिनियम के अधीन मूल रूप से यथाउपाबंधित आय की अधिकतम सीमा को राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा 9,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया जाए। केंद्रीय सरकार ने अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है।

(च) अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात्, 1998, 1999 और 2000 के लिए न्यायालयोन्मुख कार्यक्रमों के माध्यम से फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या			कुल योग (स्तंभ सं. 3 से 5)
		1998	1999	2000	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1623	1584	1268	4475
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	50	–	50
3.	असम	–	–	–	–
4.	बिहार	1680	1457	558	3695
5.	गोवा	–	–	93	93
6.	गुजरात	1393	2306	2252	5951
7.	हरियाणा	332	1054	1519	2905
8.	हिमाचल प्रदेश	178	303	232	713
9.	जम्मू-कश्मीर	371	935	1563	2869
10.	कर्नाटक	1050	1778	1814	4642
11.	केरल	717	701	604	2022
12.	मध्य प्रदेश	26298	31738	33722	91758
13.	महाराष्ट्र	5204	4873	3258	13335
14.	मणिपुर	–	2	–	2
15.	मेघालय	–	–	–	–
16.	मिजोरम	1376	926	1942	4244
17.	नागालैंड	–	1610	1262	2872
18.	उड़ीसा	1023	1923	1610	4556

1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब	1591	1824	1707	5122
20.	राजस्थान	1999	2465	2747	7211
21.	सिक्किम	4	46	247	297
22.	तमिलनाडु	39705	43823	70080	153608
23.	त्रिपुरा	23	18	45	86
24.	उत्तर प्रदेश	2217	454617	447204	904038
25.	पश्चिम बंगाल	2600	1700	1554	5844
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	29	103	229	361
27.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	258	685	1031	1974
28.	दादर और नागर हवेली	–	3	5	8
29.	दमन और दीव	–	–	–	–
30.	दिल्ली	4855	4421	3970	13246
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	928	802	1121	2851
33.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	343	603	345	1291
	योग	95797	562350	581972	1240119

बुनकरों द्वारा आत्महत्या

*76. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में बुनकरों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की और इसके क्या-क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने स्थिति के आंकलन के लिए प्रभावित राज्यों में कोई दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो दल के सदस्य कौन-कौन हैं, उन्होंने राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों का दौरा किया और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में बुनकर समुदाय के लोगों की सहायता के लिए राज्यवार कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 2 वर्षों से अधिक की अवधि में आंध्र प्रदेश के करीम नगर जिले के शीरसीला में तथा उसके आस-पास

लगभग पावरलूम के 30 बुनकरों द्वारा आत्महत्या के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं:-

(1) उच्च ऋण की घटनाएं।

(2) उच्च विद्युत शुल्क तथा बिना बाधा विद्युत आपूर्ति की कमी।

(3) बीमारी की व्यापकता।

(4) उत्पादों अर्थात अपेक्षित निम्न प्रौद्योगिकी करघों के कारण निम्न विपणता।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश में शीरसीला तथा हैदराबाद में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के 2 उच्च स्तरीय दलों ने निरीक्षण किया। पहले दल का गठन निम्न प्रकार से था:-

(1) वस्त्र राज्य मंत्री, भारत सरकार।

(2) गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार।

(3) शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार।

(4) विकास आयुक्त हथकरघा।

(5) संयुक्त विकास आयुक्त हथकरघा भारत सरकार।

(6) अपर वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार।

(7) निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद।

दूसरा दल सिफारिशों पर कृत कार्रवाई हेतु भेजा गया था तथा इसमें संयुक्त सचिव तथा अपर वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार, की मुख्य सिफारिशें सम्मिलित की गई:-

(1) समूह करघों का प्रौद्योगिकी उन्नयन करना।

(2) यार्न वसूली के लिए लिंकेज का प्रावधान, उत्पाद विकास तथा विपणन निर्यात सहित।

(3) प्रशिक्षण तथा उन्नयन के लिए अन्य विस्तार सहायता का प्रावधान।

(4) अधिक समर्थ योग्य दरों पर यार्न का प्रावधान।

कृत कार्रवाई जो इस मंत्रालय द्वारा की जानी है अर्थात:-

(1) आंतरिक उपाय के रूप में एन.टी.सी. के माध्यम से शीरसीला में यार्न की आपूर्ति करना।

(2) हैदराबाद पावरलूम सेवा केन्द्र में शीरसीला में विस्तार काऊंटरों हेतु स्टाफ नियुक्त किया गया है।

(3) विस्तार काउंटरों के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु दक्षिण भारतीय वस्त्र अनुसंधान संस्थान (सीटरा) द्वारा एक दल भेजा गया है।

(4) पावरलूम निर्यात विकास परिषद् (मेडिएसील) ने शीरसीला में एक पावरलूम केन्द्र विकास समिति (पी.सी.डी.सी.) स्थापित करने हेतु सदस्यों की भर्ती के लिए कृत कार्रवाई की गई है।

सुरक्षा कोष का सृजन

*77. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खन्ना समिति रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि देश में रेल यात्रा को दुर्घटनामुक्त बनाने हेतु 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पुराने रेलपथ, पुलों, चल स्टॉक और सिगनल प्रणाली को बदलने के लिए व्यपगत न होने वाले रेल सुरक्षा कोष का सृजन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त कोष का सृजन किन स्रोतों से किए जाने की संभावना है; और

(च) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि प्रदान किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एच.आर. खन्ना की अध्यक्षता में रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट के प्रथम भाग में उल्लेख किया है कि रेलों की गतायु परिसंपत्तियों की मौजूदा सूची के हिसाब से 15,000 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं। समिति ने सिफारिश की है कि संरक्षा के हित में केंद्रीय सरकार को रेलों के लिए एकबारगी अनुदान प्रदान करना चाहिए ताकि रेलपथ, पुलों, चल स्टॉक और सिगनल उपस्करों के नवीकरण के बकाया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके। समिति की सिफारिश रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है,

जिसका कार्यान्वयन धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। रेल संरक्षा समीक्षा समिति रिपोर्ट का भाग-1 संसद के दोनों सदनों में सभापटल पर रख दिया गया है।

(ग) से (च) गैर-व्यपगत संरक्षा निधि की स्थापना और जिन संसाधनों से धन जुटाया जाना है, चालू वर्ष के दौरान मुहैया कराई जाने वाली राशि आदि जैसे संबंधित पहलुओं पर सरकार ध्यान दे रही है।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास के संबंध में भारत और नेपाल के बीच समझौता

***78. श्री पदमसेन चौधरी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और नेपाल ने धार्मिक स्थलों पर पर्यटन के संवर्धन हेतु संयुक्त प्रयास के रूप में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटन के संवर्धन के लिए नेपाल के साथ द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संवर्ग

***79. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संवर्ग के बारे में 3 अगस्त, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संवर्ग गठित करने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवा संवर्ग का कब तक सृजन किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा काडर के सृजन से संबंधित मामला अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

तीन नए राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों और तीन नए उच्च न्यायालयों के भी सृजन के परिणामस्वरूप इस संबंध में उनसे आवश्यक परामर्श किए जा रहे हैं।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई दस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाना और इसके पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन संसद् द्वारा उपयुक्त अधिनियम बनाना अपेक्षित होगा। अत: कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

सी.एन.जी. की ऊर्जा क्षमता

***80. श्री कमल नाथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल की तुलना में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की ऊर्जा क्षमता कम है और आने वाले समय में सी.एन.जी. एक महंगा वाहन ईंधन साबित होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सभी वाहनों को डीजल से सी.एन.जी. मोड में बदलने में सबसे बड़ा अवरोध तेल और प्राकृतिक गैस निगम के कुओं से प्राकृतिक गैस की निकासी में आई कमी है;

(ग) क्या राजमार्गों पर और उन स्थानों में जहां पाइप लाइन नेटवर्क मौजूद नहीं है, सी.एन.जी. की आपूर्ति में भारी अवरोध है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में परिवहन प्रणाली के लिए वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने संबंधी निर्णय लेने का है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अंतिम समय सीमा तेजी से निकट आती जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) के

अनुसंधान और विकास केन्द्र द्वारा आयोजित अध्ययन दर्शाते हैं कि सी.एन.जी. की ऊर्जा कुशलता डीजल की तुलना में कम है। जहां तक दीर्घकाल में सी.एन.जी. के अपेक्षाकृत महंगा विकल्प होने का संबंध है, यह उसकी उपलब्धता, सम्भलाई, और ढांचा लागत, करों/राजसहायताओं और मुक्त बाजार परिदृश्य में पारंपरिक ईंधनों के मूल्य जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करेगा।

(ख) ओ.एन.जी.सी. के कूपों से प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी दिल्ली शहर को सी.एन.जी. की आपूर्ति के प्रयोजन के लिए आई.जी.एल. को प्राकृतिक गैस के आबंटन को प्रभावित करेगी।

(ग) राजमार्गों के आसपास कास्केड लगे हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एल.सी.वी.) के माध्यम से सी.एन.जी. की आपूर्ति करना तकनीकी रूप से संभव है। तथापि, यह बहुत सुविधाजनक नहीं है और कास्केड के माध्यम से सी.एन.जी. उपलब्ध कराने की लागत लाइन पर बने केन्द्रों के माध्यम से आपर्ति सी.एन.जी. की तुलना में अधिक होती है।

(घ) और (ङ) सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, दिल्ली को 0.05 प्रतिशत गंधक की मात्रा वाले डीजल की आपूर्ति 1.7.2001 से आरम्भ कर दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय से यह याचना भी की गई है कि 0.05 प्रतिशत गंधक मात्रा वाले डीजल को ''स्वच्छ ईंधन'' माना जाए।

वस्त्र क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान दौरा

597. श्री अबुल हसनत खां : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय के प्रतिनधिमंडल ने यूरोपियन संघ द्वारा चलाई गई मुहिम के विरुद्ध वस्त्र क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करने के लिए तंत्र तैयार करने हेतु हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रायोजित किसी भी प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

598. डा. रामचन्द्र डोम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विभिन्न कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए अपनाई गई मूल्य नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सभी कृषि और बागवानी उत्पादों का मद-वार वर्तमान समर्थन मूल्य संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन लागत को निकाल पाने के लिए प्रत्येक मद का समर्थन मूल्य पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को पर्याप्त रूप से निर्धारित करने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय स्तर पर किसी असंतोष का पता चला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (च) कृषि उत्पादों के संबंध में सरकार की मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य अधिक निवेश तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उत्पादकों को अपने उत्पाद या लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना तथा समुचित दरों पर इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। मूल्य नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के सन्दर्भ में एक सन्तुलित तथा समेकित मूल्य संरचना तैयार की जाती है। इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं और सार्वजनिक तथा सहकारी एजेन्सियों, जैसे भारतीय खाद्य निगम (धान, गेहूं तथा मोटा अनाज), भारतीय पटसन निगम (पटसन), भारतीय कपास निगम (कपास), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (दलहन व तिलहन) तथा तम्बाकू बोर्ड (तम्बाकू) एवं राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेन्सियों के माध्यम से खरीद प्रचालन किए जाते हैं। हाल ही के वर्षों में प्रमुख कृषि जिन्सों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों एवं अन्य संबंधित कारकों, जो

सरकार की राय में न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, पर विचार करने के पश्चात् सरकार द्वारा विभिन्न कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्यों के बारे में निर्णय लिया जाता है। मूल्य नीति के बारे में अपनी सिफारिशों के निरूपण के समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिनमें उत्पादन लागत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। उत्पादन लागत में न केवल प्रदत्त लागत अपितु भूमि तथा परिवारिक मजदूरी सहित स्वामित्वपरक परिसम्पत्तियों का परिकलित मूल्य भी शामिल होता है जिसके लिए किसान कोई नकद व्यय नहीं करते।

कभी-कभी कुछ राज्य सरकारें कृषि लागत और मूल्य आयोग की मूल्य संबंधी सिफारिशों से सहमत नहीं होतीं और खासतौर से महाराष्ट्र सरकार ने लागत अनुमान संबंधी विधि पर विचार-विमर्श हेतु राज्यों तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बैठक कराने का सुझाव दिया है। इसकी जांच की जा रही है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(फसल वर्ष के अनुसार)

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिन्स	किस्म	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	धान	सामान्य	380	415	440	490	510	
		फाइन	395	–	–	–	–	
		सुपरफाइन	415	–	–	–	–	
		ग्रेड "ए"	–	445**	470	520	540	
2.	मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा तथा रागी)		310	360	390	415	445	
3.	मक्का		320	360	390	415	445	
4.	गेहूं		475@	510	550	580	610	
5.	जौ		305	350	385	430	500	
6.	चना		740	815	895	1015	1100	
7.	अरहर		840	900	860	1105	1200	
8.	मूंग		840	900	960	1105	1200	
9.	उड़द		840	900	960	1105	1200	
10.	मसूर	–	–	–	–	–	1200	
11.	गन्ना*		45.90	49.45	52.70	56.10	59.50	
12.	कपास	एफ-414/एच-777	1180	1330	1440++	1575++	1625++	
		एच-4	1380	1530	1650	1775	1825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	छिलके सहित मूंगफली		920	980	1040	1155	1220	
14.	पटसन		510	570	650	750	785	810
15.	रेपसीड/सरसों		890	940	1000	1100	1200	
16.	सूरजमुखी		960	1000	1060	1155	1170	
17.	सोयाबीन	काली	620	670	705	755	775	
		पीली	700	750	795	845	865	
18.	कुसुम		830	910	990	1100	1200	
19.	तोरिया		855	905	965	1065	1165	
	तम्बाकू (वीएफसी)	काली मृदा (एफ-2 ग्रेड)	19.00	20.50	22.50	25.00	26.00	
20.	(रुपये प्रति क्विंटल)	हल्की मृदा (एल-ग्रेड)	22.00	23.50	25.50	27.00	28.00	
	खोपरा	मिलिंग	25.00	27.00	29.00	31.00	32.00	3300
21.	(कैलेण्डर वर्ष)	गोला	2725	2925	3125	3325	35.00	3535
22.	तिल		870	950	1060	1205	1300	
23.	रामतिल		720	800	850	915	1025	

*सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली तथा इस स्तर से वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिए अनुपातिक प्रीमियम से सम्बद्ध है।
**न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रयोजनार्थ इसे मौजूदा तीन किस्मों के स्थान पर 1997-98 के खरीफ मौसम से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
*30 जून, 1997 तक भुगतान योग्य 60.00 रुपये प्रति क्विंटल के केन्द्रीय बोनस सहित।
+1.4.98 से 30.6.98 तक भुगतान योग्य 55.00 रुपये प्रति क्विंटल के केन्द्रीय बोनस सहित।
++जे-34 किस्म के लिए भी मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2000-2001 से निर्धारित किया गया है।

मांस तथा मांस उत्पादों का आयात

599. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशुपालन विभाग ने पशुओं में हो रही खुरपका और मुंहपका की बीमारी पर ध्यान दिया है और इस संबंध में विधि मंत्रालय को सूचित किया है कि चूंकि मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के बाद मांस और मांस से बने उत्पादों का मुफ्त रूप से आयात किया गया है; इसिलए खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार के आयात से कोई रोग देश में न आए, मांस और मांस से बने उत्पादों के आयात को तत्काल विनियमित किए जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विधि मंत्रालय द्वारा दिए गए सुणवों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) असंख्य पशु उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के मद्देनजर, भारत सरकार ने उचित उपायों को अपनाकर मानव और पशु स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता को महसूस किया है। चूंकि पशुधन आयात अधिनियम 1898 से केन्द्र सरकार उन पशु उत्पादों के आयात को विनियमित नहीं कर सकी है जो देश में रोग को लाते हैं और मानव तथा पशु स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं इसलिए भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। चूंकि यह मामला तत्काल प्रवृत्ति का था और संसद का सत्र चालू नहीं था अत: विधि, न्याय

और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा एक अध्यादेश तैयार किया गया जिसे उचित प्रक्रिया को अपनाने के बाद 5.7.2001 को लागू किया गया।

[हिन्दी]

कपास के बीजों का वितरण

600. श्री रामदास आठवले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र के आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में कुल कितनी मात्रा में बिनोलों का वितरण किया गया;

(ख) देश में कितने किस्म के बिनालों को उगाया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ था; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कपास उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या सहायता और तकनीकी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आदिवासी तथा अनुसूचित जाति के किसानों सहित सभी किसानों की प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के लिए वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान कुल आवश्यकता क्रमश: 2.87, 2.61 तथा 2.66 लाख क्विंटल थी। इन वर्षों के दौरान प्रत्येक बुवाई मौसम के संबंध में क्षेत्रीय बीज संवीक्षा बैठकों के समय महाराष्ट्र राज्य सरकार सहित राज्यों द्वारा सूचित राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ख) देश में उगाये जा रहे बिलौलों की किस्मों/संकर का ब्यौरा विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान देश में कपास की प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की क्रमश: 10851.4, 12287.1 एवं 11643.7 हजार गांठों का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र में वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान कपास का उत्पादन क्रमश: 1753.1, 2618.9 तथा 3099.2 हजार गांठ है।

(घ) कपास का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए महाराष्ट्र सहित 13 कपास उत्पादक राज्यों में "कपास विकास कार्यक्रम" पर संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम लागू की जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत सरकार निम्नलिखित घटकों के लिए 75:25 की भागीदारी पर केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है:-

(1) प्रजनक, आधारी एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन।

(2) प्रमाणित बीजों का वितरण एवं डिलिटिंग मशीनों की स्थापना।

(3) उत्पादन प्रौद्योगिकी इत्यादि का प्रदर्शन।

(4) समेकित कीट प्रबंध प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण एवं संबंधित कार्यकलाप।

(5) पौध संरक्षण उपकरण का प्रदर्शन तथा जैव-कारक प्रयोगशालाओं की स्थापना।

(6) किसानों को प्रशिक्षण।

(7) छिड़काव/ड्रप्सन जैसे जल संचयन तंत्र।

(8) मानीटरन हेतु आकिस्मक व्यय।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001-2002 के दौरान महाराष्ट्र को भारत सरकार के अंशदान के रूप में 829.88 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

विवरण-I

प्रमाणित/गुणवत्ता बिनौलों का वितरण

(मात्रा लाख क्विंटल में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	0.19	0.22	0.22
गुजरात	0.45	0.48	0.63
हरियाणा	0.45	0.51	0.34
कर्नाटक	0.10	0.09	0.07
मध्य प्रदेश	0.06	0.05	0.04
महाराष्ट्र	0.84	0.76	0.78
उड़ीसा	0.01	0.01	0.01
पंजाब	0.16	0.03	0.08
राजस्थान	0.56	0.42	0.44
तमिलनाडु	0.04	0.04	0.04
उत्तर प्रदेश	0.01	नगण्य	0.01
कुल	2.87	2.61	2.66

विवरण-II

बिनौलों की किस्मों/संकर का विवरण

क्र.सं.	किस्म/संकर	राज्य
1	2	3
1.	अभादिया	कर्नाटक
2.	एकेए-081	महाराष्ट्र
3.	एकेए-5	महाराष्ट्र
4.	एकेए-8401	महाराष्ट्र
5.	एकेए-84635	महाराष्ट्र
6.	एकेएच-4	महाराष्ट्र
7.	एकेएच-7	महाराष्ट्र
8.	अंजलि	मध्य प्रदेश
9.	बीमानेरी नेरमा	राजस्थान
10.	काटन-6669	राजस्थान
11.	डीसीएच-32	कर्नाटक
12.	धवल	महाराष्ट्र
13.	डीएचवाई-286	महाराष्ट्र
14.	दिग्विजय	गुजरात
15.	एफ-1054	राजस्थान
16.	एफ-1378	पंजाब
17.	एफ-414	हरियाणा
18.	एफ-505	हरियाणा, राजस्थान
19.	एफ-846	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
20.	जी-अगेती	राजस्थान
21.	जी.काट. 13	गुजरात
22.	जी.काट. 21	गुजरात
23.	एच-1098	हरियाणा, राजस्थान
24.	एच-1098 (1)	राजस्थान
25.	एच-117	हरियाणा
26.	एच-777	हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
27.	एच-974	हरियाणा, राजस्थान
28.	एचडी-107	हरियाणा, पंजाब
29.	एचडी-123	हरियाणा, राजस्थान
30.	एचएचएच-81	हरियाणा
31.	एचएस-6	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान
32.	जेकेसीएच-44	राजस्थान
33.	जेकेसीएच-666	राजस्थान
34.	जेकेसीएच-9	राजस्थान
35.	जेकेसीएच-99	राजस्थान
36.	के-2	मध्य प्रदेश
37.	एल-604	आन्ध्र प्रदेश
38.	एलडी-327	पंजाब
39.	एलएच-1556	पंजाब, राजस्थान
40.	एल-900	पंजाब, राजस्थान
41.	एलएचएच-144	पंजाब
42.	एलआरए-5166	कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु
43.	एलआरके-516	महाराष्ट्र
44.	मालझिरी	मध्य प्रदेश
45.	एमसीयू-5	कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु
46.	नरसिंहा	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
47.	एनएच-452	महाराष्ट्र
48.	एनएचएच-44	आन्ध्र प्रदेश
49.	पीए-183	महाराष्ट्र
50.	पीए-32	महाराष्ट्र
51.	आरजी-8	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश

1	2	3
52.	आरएस-875	राजस्थान, उत्तर प्रदेश
53.	आरएसटी-9	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
54.	सविथा	आन्ध्र प्रदेश
55.	शार्ट स्टेपल	मेघालय
56.	तात्पी	मध्य प्रदेश
57.	वी-797	गुजरात
58.	वारालक्ष्मी	कर्नाटक
59.	विक्रम	मध्य प्रदेश
60.	वाई-1	महाराष्ट्र
	कपास संकर	
1.	सीएएचएच-8	महाराष्ट्र
2.	डीसीएच-32	महाराष्ट्र
3.	एच-10	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
4.	एच-4	गुजरात
5.	एच-6	गुजरात, महाराष्ट्र
6.	एच-8	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
7.	जेकेएचवाई-1	मध्य प्रदेश
8.	जेकेएचवाई-2	मध्य प्रदेश
9.	एमबीसीआरएच-104	महाराष्ट्र
10.	एमबीसीआरएच-106	महाराष्ट्र
11.	एमबीसीआरएच-2	महाराष्ट्र
12.	एनबीएचबी-11	मध्य प्रदेश
13.	एनएचएच-44	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
14.	पीएच-316	महाराष्ट्र
15.	पीकेवीएचवाई-2	महाराष्ट्र
16.	पीकेवीएचवाई-3	महाराष्ट्र
17.	रिसर्च	गुजरात, महाराष्ट्र
18.	सविता	उड़ीसा

यात्री सुविधायें

601. श्री अरूण कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 2001 को ''हिन्दुस्तान'' के पटना संस्करण में ''यात्री सुविधाओं से वंचित प्रदेश में दौड़ रही पैसेंजर ट्रेन्स'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कमियों को समाप्त करने और यात्रियों को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) पटना क्षेत्र में चलने वाली यात्री गाड़ियों की बेस डिपो में नियमित रूप से सफाई व अनुरक्षा की जाती है। इस क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा सवारी डिब्बों की तोड़-फोड़ और चोरी के बावजूद रेलवे यात्री सुविधाओं को अच्छी स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से निवेश करती रहती है। पटना क्षेत्र में यात्री सुविधाओं में सुधार करने के लिए रेलों द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

1. नियमित अनुरक्षण के अलावा अतिरिक्त डिब्बों की आन्तरिक सज्जा अच्छी स्थिति में रखने के लिए अप्रैल 2001 से 12 में से 11 यात्री रेकों का नवीकरण किया गया है।
2. अधिक यात्री क्षमता मुहैया कराने के लिए कुल 47 सवारी डिब्बों द्वारा 6 रेकों की वृद्धि।
3. यात्रियों की सुविधा के लिए हाल ही में पटना, दानापुर, पटना साहिब स्टेशनों पर संकेतों में सुधार किए गए हैं।
4. पटना जं. में पानी ठण्डा करने की मशीनें लगाई गई हैं।
5. पटना-गया लाइन पर पुनपुन स्टेशन को सुधारा गया है।
6. चुराई गई एल्यूमीनियम फिटिंग्स की वसूली के लिए रे.सु.ब. द्वारा पटना के आसपास के क्षेत्रों में छापे मारे गए हैं।

[अनुवाद]

कुओं से तेल का निकाला जाना

602. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से कुओं से तेल नहीं निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कुओं से तेल निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) किसी तेल क्षेत्र में किसी दिए हुए समय पर कुछ तेल कूपों के मुख्य रूप से डाउनहोल समस्याओं, रिजर्वायर दशाओं, सतह सुविधा स्थिति, रख-रखाव आदि जैसे कारणों की वजह से उत्पाद नहीं निकलेगा। उत्पादन सम्भाव्यता के अनुमानित पुन:आरम्भ के आधार पर रुग्ण कूपों पर प्राथमिकतावार "वर्क ओवर" प्रचालन किए जाते हैं।

(ग) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर इन कूपों को पुन:आरम्भ करने के लिए वर्कओवर कार्य किए जा रहे हैं या इनकी योजना बनाई जा रही है। अनुत्पादक तेल कूपों की सर्विसिंग, मरम्मत और जीर्णोद्धार एक सतत प्रक्रिया है।

राज्य बिजली बोर्डों पर बकाया देय धनराशि

603. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य बिजली बोर्डों पर उनके संयंत्रों तक कोयले की ढुलाई के लिये रेलवे की कुल 3,000 करोड़ रुपये की 80% राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा राज्य बिजली बोर्डों से इस विशाल बकाया धनराशि को वसूलने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या कुछ विद्युत घरों ने बकाया धनराशि के अलावा वर्तमान भुगतान को देने से इन्कार कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। 2001 के अंत तक राज्य बिजली बोर्ड और बिजली घरों पर रेलवे का कुल 1785.35 करोड़ रुपए बकाया था जो कुल 2703.81 करोड़ रुपए का 66% है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों और बिजलीघरों से बकाया राशि वसूल करने के लिए रेलों द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

1. राज्य बिजली बोर्ड और बिजलीघरों की "मालभाड़े के पूर्व भुगतान" की शर्त पूरा करने और चालू मालभाड़े का भी भुगतान करने में विफल रहते हैं, पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है और राज्य बिजली बोर्ड और बिजलीघरों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

2. 7.2.1997 के सरकार के निर्णय के अनुसार 31.12.1996 को राज्य बिजली बोर्डों/बिजलीघरों पर बकाया का समायोजन कतिपय सीमा तक राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजना सहायता से किया जाएगा और 31.3.2001 तक रेलों द्वारा 134.80 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई है।

3. कर्षण बिल से राज्य बिजली बोर्डों पर बकाया का समायोजन।

4. बकाया की वसूली के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए रेल मंत्रालय ने रेल मंत्री सहित ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ विभिन्न स्तरों पर मामले को उठाया गया है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। बहरहाल कुछ बिजलीघरों ने गंभीर वित्तीय तंगी के कारण अपने चालू भुगतान करने में अपने असमर्थता जताई है।

विवरण

उन राज्य बिजली बोर्डों/बिजलीगरों के नाम जिनसे बकाया की वसूली की जानी है

(करोड़ रुपए में)

	राज्य बिजली बोर्ड/बिजलीघरों के नाम	31.5.2001 को बकाया धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	23.21
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	1.90
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	3.43
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	139.35
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	178.35
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	34.62
7.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	0.31
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	21.87
9.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	7.66
10.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	207.95
11	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	75.49
12.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	17.80
13.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	22.75
14.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	26.10
15.	बदरपुर ताप बिजली घर	975.62
16.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम	46.19
17.	दामोदर घाटी निगम	2.20
18.	निजी बिजली घर-साबरमती	0.55
	जोड़	1785.35

किराए का ''टैलीस्कोपिक'' लाभ

604. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कालका-हावड़ा मेल (2312) और पश्चिम एक्सप्रेस की विभिन्न श्रेणियों में कुल कितनी बर्थ/सीटें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या इन दोनों रेलगाड़ियों में चंडीगढ़ अथवा रास्ते में अन्य किसी स्टेशन से हावड़ा और मुम्बई के लिए चढ़ने वाले यात्रियों को किराए का ''टैलीस्कोपिक'' लाभ उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन दोनों रेलगाड़ियों में चंडीगढ़ और कालका के लिए क्रमश: कितनी बर्थ/सीटें आरक्षित/निर्धारित हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (घ) 2312 कालका-हावड़ा मेल में कालका और चंडीगढ़ से और 2926 अमृतसर-मुंबई पश्चिम एक्सप्रेस में चंडीगढ़ से विभिन्न श्रेणियों और अलग-अलग गंतव्यों के लिए कुल उपलब्ध बर्थों/सीटों की संख्या निम्नलिखित है:-

गाड़ी	1 ए.सी.	2 ए.सी.	3 ए.सी.	शयनयान
2312 कालका मेल	10	158	64	576
2926 पश्चिम एक्सप्रेस	-	-	64	216

इनमें सो जो बर्थें कालका और चंडीगढ़ के लिए उपलब्ध हैं, नीचे दी गई हैं:-

गाड़ी सं.	1 ए.सी.	2 ए.सी.	3 ए.सी.	शयनयान
2312 कालका-हावड़ा मेल				
कालका	8	112	50	432
चंडीगढ़	2	46	14	144
2926 पश्चिम एक्सप्रेस				
कालका/चंडीगढ़	-	-	64	216

(ख) इन दोनों गाड़ियों में चंडीगढ़ अथवा रास्ते में किसी अन्य स्टेशन से क्रमश: हवड़ा और मुंबई के लिए चढ़ने वाले यात्रियों को किराए में टेलीस्कोपिक लाभ उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइन के निर्माण हेतु आबंटन

605. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में नई रेल लाइनों के निर्माण हेतु कितना आबंटन किया गया

और प्रत्येक नई रेल लाइन जोनवार किन-किन राज्यों से संबंधित है;

(ख) प्रत्येक नई रेल लाइन पर वास्तव में कितना खर्च हुआ;

(ग) प्रत्येक नई रेल लाइन से अनुमानित कितनी आय होगी;

(घ) क्या किसी नई रेल लाइन का निर्माण रोक दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो यह निर्माण कार्य किस तारीख को रोक दिया गया था और इसके क्या कारण हैं; और

(च) निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्मारकों/संग्रहालयों का संरक्षण

606. **श्री राजो सिंह : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थान-वार किन-किन संग्रहालयों का संरक्षण किया जाता है;

(ख) क्या इन स्मारकों/संग्रहालयों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा रखरखाव संतोषजनक है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन स्मारकों/संग्रहालयों का रखरखाव कार्य कब तक पूरा लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और 2001-2002 के दौरान प्रत्येक स्मारक और संग्रहालय के रखरखाव पर क्रमश: राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई/खर्च किए जाने हेतु प्रस्तावित है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 33 स्थल संग्रहालयों का रखरखाव कर रहा है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उपलब्ध संसाधनों एवं अवसंरचना के अन्तर्गत अपने संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों का सर्वोत्तम संभव तरीके से रखरखाव करता है। स्मारकों/संग्रहालयों का रखरखाव एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विशेष जरूरतों के अनुसार कार्य किए जाते हैं बशर्ते कुल मिलाकर धन उपलब्ध हो।

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दायित्व देश में 3600 से भी अधिक स्मारकों का रखरखाव करना है। जबकि अधिकांश स्मारकों के सामान्य रखरखाव पर प्रतिवर्ष ध्यान दिया जाता है, किन्तु कुछ सैकड़ा स्मारक विशेष मरम्मतों के लिए चुने जाते हैं। इन कार्यों के लिए पिछले तीन वर्षों में आबंटित तथा 2001-2002 के लिए प्रस्तावित धनराशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	संग्रहालय	राज्य	व्यय (लाख रुपये में) 1998-99	व्यय (लाख रुपये में) 1999-2000	व्यय (लाख रुपये में) 2000-2001	प्रस्तावित व्यय 2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	एहोल संग्रहालय	कर्नाटक	1.00	1.00	1.75	6.00
2.	अमरावती संग्रहालय	आंध्र प्रदेश	3.53	5.30	6.50	5.00
3.	पुरातत्व संग्रहालय, लाल किला	दिल्ली	4.24	5.04	3.78	15.00
4.	बादामी संग्रहालय	कर्नाटक	2.20	2.00	6.00	7.00
5.	बीजापुर संग्रहालय	कर्नाटक	0.90	2.50	4.10	7.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	बोध गया संग्रहालय	बिहार	1.50	2.50	4.50	5.00
7.	चन्देरी संग्रहालय	मध्य प्रदेश	2.15	1.00	2.00	3.00
8.	चन्द्रगिरि संग्रहालय	आन्ध्र प्रदेश	2.95	–	4.00	5.00
9.	किला संग्रहालय, चेन्नई	तमिलनाडु	5.01	5.90	7.50	9.00
10.	गोआ संग्रहालय	गोआ	3.50	6.20	5.00	8.00
11.	ग्वालियर संग्रहालय	मध्य प्रदेश	6.05	7.00	4.55	5.00
12.	हेलेबिड संग्रहालय	कर्नाटक	0.41	0.54	1.00	4.00
13.	हम्पी संग्रहालय	कर्नाटक	1.22	3.00	4.00	8.00
14.	हजारद्वारी संग्रहालय	प. बंगाल	7.50	11.00	11.98	15.00
15.	आई.डब्ल्यू. स्मारक संग्रहालय	दिल्ली	3.58	2.21	6.80	20.00
16.	कालीबंगन संग्रहालय	राजस्थान	5.00	6.40	5.99	15.00
17.	खजुराहो संग्रहालय	मध्य प्रदेश	2.85	1.88	2.00	4.00
18.	कोर्णाक संग्रहालय	उड़ीसा	3.15	6.30	4.00	8.00
19.	कोंडापुर संग्रहालय	आंध्र प्रदेश	1.00	1.50	2.50	2.00
20.	लोथल संग्रहालय	गुजरात	2.50	2.00	1.46	12.00
21.	मत्तनचेरी संग्रहालय	केरल	2.35	3.00	1.10	5.00
22.	नागार्जुनकोंडा संग्रहालय	आंध्र प्रदेश	9.45	13.00	16.50	15.00
23.	नालंदा संग्रहालय	बिहार	5.75	8.00	20.00	15.00
24.	पुराना किला संग्रहालय	दिल्ली	6.17	3.36	3.96	6.00
25.	रत्नागिरि संग्रहालय	उड़ीसा	2.00	2.00	4.00	7.00
26.	रोपड़ संग्रहालय	पंजाब	4.75	2.50	3.50	7.00
27.	एस.एस. संग्रहालय, लाल किला	दिल्ली	15.10	8.43	17.74	15.00
28.	सलीमगढ़ संग्रहालय	दिल्ली	–	1.05	2.15	5.00
29.	सांची संग्रहालय	मध्य प्रदेश	0.80	2.50	8.00	8.00
30.	सारनाथ संग्रहालय	उत्तर प्रदेश	12.35	15.35	14.40	15.00
31.	ताज संग्रहालय, आगरा	उत्तर प्रदेश	0.99	0.96	2.88	9.00
32.	टीपू सुलतान संग्रहालय	कर्नाटक	3.80	11.53	7.00	8.00
33.	वैशीली संग्रहालय	बिहार	2.48	1.50	3.30	7.00

विवरण-II

क्र.सं.	मंडल	व्यय 1998-99	व्यय 1999-2000	व्यय 2000-2001	व्यय आज तक स्वीकृत
1.	आगरा	341.98	181.80	171.57	155.00
2.	औरंगाबाद	153.01	127.00	145.70	295.00
3.	गोवा (लघु मंडल)	24.70	43.99	39.77	50.00
4.	बंगलौर	102.13	135.53	141.32	120.00
5.	भोपाल	157.30	189.00	172.00	105.00
6.	भुवनेश्वर	54.66	79.06	80.00	95.00
7.	कलकत्ता	69.99	102.80	100.77	85.00
8.	चंडीगढ़	192.49	179.09	163.00	100.00
9.	चेन्नई	96.17	112.37	125.80	110.00
10.	दिल्ली	341.98	320.50	219.96	130.00
11.	धारवाड़	68.99	88.40	106.74	105.00
12.	गुवाहाटी	91.03	100.42	137.68	125.00
13.	हैदराबाद	84.84	107.38	136.29	125.00
14.	जयपुर	122.00	166.00	174.69	105.00
15.	लखनऊ	124.00	121.47	125.54	95.00
16.	पटना	112.00	120.20	134.01	105.00
17.	श्रीनगर	78.00	95.91	112.60	80.00
18.	त्रिशूर	54.00	65.12	79.50	70.00
19.	बड़ोदरा	88.88	99.88	115.67	145.00

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र के लिए विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा

607. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मल्टी फाइबर समझौते को समाप्त करने के सापेक्ष में हथकरघा क्षेत्र के लिए विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1999-2000 की तुलना में 2000-2001 के दौरान हथकरघे से बने सूती कपड़े के निर्यात में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000 का उद्देश्य

विश्व बाजार प्राप्त करने हेतु केवल हथकरघा उत्पादों के विकास, उद्योग समुदाय को दीर्घकालिक संयुक्त उद्यम संबंधों को बनाए रखने में सहायता, मूल्य बढ़ाने वाली मदों के उत्पादन हेतु हथकरघा उद्योग को सुदृढ़ तथा प्रोत्साहिन करना है। निर्यात को बढ़ावा देने एवं विश्व बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रयत्न किए जाएंगे जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेले/प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें, कार्यशाल एवं सेमिनार, विदेश प्रचार, विपणन माध्यम, बुनकरों के आने-जाने पर जोर दिया जाएगा। हथकरघा कपड़े को विदेशों में बेचने के लिए जो भी बाजार एवं खरीददार हैं उनके संबंध को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) जी हां। सूती हथकरघा कपड़े के निर्यात में कमी के मुख्य कारण कम इकाई मूल्य वसूली के कपड़े का बनाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट उत्पादों के लिए मात्रा में गिरावट।

(ङ) निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ निम्नलिखित सुधारात्मक सुझाव दिये गये हैं:-

(1) अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों/आई.टी.पी.ओ. तथा ई.पी.सी. के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों एवं क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना।

(2) विदेशी प्रतिनिधि मंडल/क्रेताओं के उत्पादकों/निर्यातकों के हस्तक्षेप तथा उत्पादन से संबंधित आधारभूत सुविधाओं से अवगत कराना।

(3) नये बाजार क्षेत्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन, गुणवत्ता के बारे में उनको शिक्षित करने हेतु निर्यातकों के साथ हस्तक्षेप तथा लगातार सेमीनार करना।

(4) रंग प्रवाह एवं डिजाइन आदि के बारे में वेबसाईट द्वारा सूचना का प्रसार करना।

(5) पारम्परिक हथकरघा मदों को विभिन्न निर्यात योग्य मदों में बदलना।

अत्यधिक कम सल्फर वाला डीजल

608. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अत्यधिक कम सल्फर वाला डीजल सी.एन.जी. के मुकाबले अधिक अच्छा है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में उपलब्ध डीजल यूरोप तथा यूरोपीय देशों में उपयोग में लाए जाने वाले डीजल से कहीं अधिक स्वच्छ है लेकिन अब डीजल में सल्फर की मात्रा को 0.005 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है जिसे अत्यधिक कम सल्फर वाला डीजल कहा गया है जबकि दिल्ली में इसमें 0.05 प्रतिशत तक कमी की गई है और इसे कम सल्फर वाला डीजल न कि अत्यधिक कम सल्फर वाला डीजल कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पेट्रोल, डीजल, सी.एन.जी. जैसे किसी आटो ईंधन की उपयुक्तता वाहन की किस्म इसकी इंजन प्रौद्योगिकी तथा परिरूप, रख-रखाव संबंधी जरूरतों, कार्य निष्पादन, विश्वसनीयता, लागतों, स्थानीय परिस्थितियों इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है।

(ख) और (ग) दिल्ली में डीजल विनिर्देश भारत स्टेज-2 मानको (यूरो-2 मानकों के बराबर) के अनुसार हैं, जिनमें गंधक अंश अधिकतम 0.05 प्रतिशत है। यूरोप में ईंधन विनिर्देश यूरो-3 मानकों (गंधक अंश अधिकतम 0.035 प्रतिशत) के अनुसार हैं। ऐसी इंजन प्रौद्योगिकियों, जिनके लिए अधिकतम 0.05 प्रतिशत से कम गंधक अंश वाले डीजल की आवश्यकता होती है, का देश में विकास/परीक्षण होना अभी शेष है और इसलिए अत्यधिक कम गंधक अंश वाले डीजल की इस समय जरूरत नहीं है।

कम्पनियों का निरीक्षण.

609. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पंजीकृत कम्पनियों का निरीक्षण कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209ए के अंतर्गत किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निरीक्षण नियमित आधार पर किए जाते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने जी.एच.एफ.सी.एल. डी.एस.क्यू और के.पी. फर्म्स ब्रक्स का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) निरीक्षण के क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) कम्पनी अधिनियम की धारा 209क कम्पनी रजिस्ट्रार और केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया प्राधिकृत सरकार के किसी अन्य अधिकारी को कम्पनियों की लेखा बहियों और अन्य रिकार्डों का निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदान करती है। कम्पनियों के निरीक्षण के आदेश समाचार-पत्र की रिपोर्टों, अन्य सरकारी विभागों से प्राप्त सन्दर्भों, कम्पनियों द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास दायर दस्तावेजों की छंटनी के बाद कम्पनी कार्य विभाग (डी.सी.ए.) के क्षेत्रीय संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों, निवेशकों से प्राप्त शिकायतों, संबंधित कम्पनियों के निदेशकों के आधार पर तथा निरीक्षण रिपोर्टों में दिए गए सुझावों के आधार पर भी दिए जाते हैं।

(ङ) से (छ) जी हां, कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत जी. एच.एफ.सी.एल., डी.एस.क्यू. और काफी के पी फर्मों के लेखा-बहियों और अन्य रिकार्डों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं उन कम्पनियों का निरीक्षण प्रगति पर है। आगे की कार्रवाई निरीक्षण रिपोर्टों के प्राप्त होने पर की जाएगी।

स्थानान्तरण समिति

610. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल :**
श्री दिलीप संघाणी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न जोनों में आरक्षण एवं पूछताछ लिपिक के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए कोई स्थानान्तरण नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। संवेदनशील पदों पर तैनात रेल कर्मचारियों और जो बहुधा जनता और/या ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं के सम्पर्क में आते हैं, का प्रत्येक चौथे वर्ष स्थानांतरण किया जाना अपेक्षित होता है। पूछताछ एवं आरक्षण क्लर्क की कोटि संवेदनशील कोटियों में शामिल है। कर्मचारियों की भारी संख्या में विस्थापन से बचने के लिए संबंधित कर्मचारी का निवास स्थान स्थल बदले बिना यथा संभव आवधिक स्थानांतरण किए जाते हैं। ताकि ऐसे स्थानान्तरणों का मूल उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों को उसी स्टेशन के भिन्न स्थानों या उसी शहरी क्षेत्र के भिन्न स्टेशन पर स्थानांतरित करके प्राप्त किया जा सकता है।

बहरहाल, कदाचार में लिप्त पाए गए या सतर्कता मामलों के आरोप में सिद्ध करार दिए गए कर्मचारियों का अंत:मंडल/अंत: रेलवे में स्थानांतरण किया जाना अपेक्षित होता है।

रेशम प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना

611. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से योजना रणनीति के लिए रेशम प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने तथा कार्यक्रमों की निगरानी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार रेशम के धागे की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने कोकून की गुणवत्ता में सुधारने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने राज्य में द्विफसलीय रेशम उत्पादन का विस्तार करने और रेशम उत्पादन उद्योग का समग्र विकास करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा हाल ही के वर्षों में विकसित की गई अनेक प्रौद्योगिकियां शामिल हैं और इसका उद्देश्य रेशम यार्न उत्पादन के सभी चरणों में उत्पादकता में विशेष वृद्धि करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय कोटि के रेशन यार्न का उत्पादन करना है। उत्पादकता के एक चरण में कोयो का भार और उसकी गुणवत्ता शामिल है।

मंत्रालय द्वारा रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए तैयार की गई 10वीं योजना के अनुमानों को कर्नाटक सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है और इन्हें राज्यों के परामर्श से प्रक्षेपित किया गया है।

आई.टी.डी.सी. में कन्सोलिडेटर्स की नियुक्ति

612. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आई.टी.डी.सी. के होटलों में अतिरिक्त कारोबार बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर कन्सोलिडेटर्स की नियुक्ति करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने कन्सोलिडेटर्स कार्यरत हैं, और कितने अतिरिक्त कन्सोलिडेटर्स की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है और उनकी नियुक्ति किन-किन स्थानों पर की जाएगी तथा उनकी नियुक्ति का मानदण्ड क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) सरकार भारत पर्यटन विकास निगम के लिए कन्सोलिडेटर्स नियुक्त नहीं करती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परीक्षा के लिए अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण

613. **डा. जसवंतसिंह यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित रेल कर्मचारियों को समूह ''ख'' परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए समूह ''ख'' के पदों की पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण केवल अ.जा. एवं अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को मुहैया कराया जाता है। पदोन्नति से पूर्व आवश्यक कोचिंग केवल अ.जा. एवं अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को मुहैया करायी जाती है।

[अनुवाद]

कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन का क्रियान्वयन

614. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत मिनी मिशन (एम.एम.-3 और 4) को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत अब तक, राज्य-वार कितने नए/उन्नत बाजार याड्र्स की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) कपास के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत एम.एम. 3 और 4 के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु कौन-कौन से नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है? -

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) वस्त्र मंत्रालय, बाजार अध्यसंरचना में सुधार संबंधित मिनी मिशन 3 और जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण से संबंधित मिनी मिशन 4 का क्रियान्वयन कर रहा है।

(ख) योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत बाजार यार्डों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है:

राज्य	नए	सुधार	क्रियाशीलता	कुल
1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	1	4	1	6
राजस्थान	0	6	0	6
गुजरात	1	7	7	15
आंध्र प्रदेश	2	2	4	8

1	2	3	4	5
हरियाणा	0	4	1	5
कर्नाटक	0	4	1	5
तमिलनाडु	1	2	0	3
उड़ीसा	1	1	1	3
कुल	6	30	15	51

(ग) राज्य सरकारों, संबंधित बाजार यार्ड प्राधिकारियों और जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियों के मालिकों से, बाजार यार्ड के विकास और जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण को समय पर पूरा करने के लिए आग्रह किया गया है। इसके अलावा, कपास उत्पादक राज्यों में आम जागरूकता बैठकें आयोजित की जाती है जहां कपास ऊपजकर्त्ताओं, जिनर्स, बाजार यार्ड प्राधिकारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों से मिशन की आशानुरूप सफलता प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को समय पर तथा प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

नेफेड द्वारा आन्ध्र प्रदेश से पाम ऑयल की खरीद

615. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और सहकारिता विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) से बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश से 70,000 मीटरिक टन पाम ऑयल की और खरीद करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो 2000 और 2001 के दौरान अब तक आन्ध्र प्रदेश से नेफेड द्वारा कुल कितना पॉम ऑयल खरीदा गया;

(ग) "नेफेड" अन्य किन-किन राज्यों से पाम ऑयल की खरीद करता रहा है;

(घ) क्या इसकी खरीद में हुई हानि को केन्द्र और राज्य दोनों द्वारा बराबर-बराबर बांटने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भारत ने पॉम ऑयल के उत्पादन में किस सीमा तक आत्मनिर्भरता हासिल की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के तहत 2000 मौसम तथा 2001 मौसम के दौरान क्रमश: 65,000 मीटरी टन तथा 1,05,000 मी. टन मात्रा अनुमोदित की। वर्ष 2000 मौसम के लिए मात्रा की खरीद पहले ही कर ली गई है और 2001 मौसम के लिए खरीद चल रही है। अब तक 39,301 मी. टन मात्रा की खरीद की जा चुकी है।

(ग) केवल कर्नाटक।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत में ऑयल पॉम पौध रोपण अभी भी प्रारम्भिक चरण में है और इसमें पूरी परिपक्वता प्राप्त नहीं हुई है। खाद्य तेलों के भारी मात्रा में आयात के कारण क्षेत्र विस्तार में भी कमी आयी है। अत: पॉम ऑयल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना संभव नहीं हो सका है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन

616. **श्री जय प्रकाश** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 2001 में नई दिल्ली में हुए राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई;

(ख) सम्मेलन में किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सम्मेलन में सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्तावों पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए 18.5.2001 को नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) मंत्रियों के समूह के द्वारा अन्तिम रूप दिये गए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर सम्मेलन में विचार किया गया। सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से नीति को स्वीकार किया। कुछ राज्यों ने नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए एक कार्य बल गठित करने का सुझाव दिया।

(ग) नीति कार्यान्वयन हेतु एक विस्तृत कार्य योजना सुझाने हेतु केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित किया गया है। कार्य बल मंत्रिमंडल द्वारा नीति के अनुमोदन के पश्चात् कार्य करेगा।

खानपान कर्मचारियों द्वारा सामान का अवैध परिवहन

617. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में ठेकेदारों के खानपान कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान/पार्सलों के अवैध परिवहन में लगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) गाड़ी अधीक्षक/टिकट जांचकर्ता स्टॉफ द्वारा दैनिक जांच के अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलवे अधिकारी विभिन्न स्तर पर राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में आवधिक आकस्मिक जांच करते हैं। बहरहाल, अभी तक ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

रेल परियोजनाएं

618. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और चालू वर्ष में शुरू की गई/शुरू की जाने वाली नई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है और परियोजनावार इनकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के निर्धारित समय में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जम्मू और कश्मीर में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई नई रेल परियोजना शुरू नहीं की गई है। चालू वर्ष के दौरान कोई नई परियोजना शुरू किए जाने की संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र संबंधी बजट

619. श्री भीम दाहाल : क्या **कृषि-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में पूरी अनुमानित बजट निधि जारी कर दी गयी थी;

(ख) यदि नहीं, तो बजट में दिये गये आंकड़ों की तुलना में जारी की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय में तैनात वित्तीय सलाहकारों की क्या भूमिका है;

(घ) क्या कृषि मंत्रालय के विभिन्न सलाहकारों ने इस संबंध में सरकार को उचित सलाह नहीं दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो कृषि क्षेत्र के सहायतार्थ वित्तीय प्रणाली को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गयी अथवा करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारतीय कृषि अुसंधान परिषद और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग से संबंधित पिछले तीन वर्षों के बजट आकलन, संशोधित आकलन और वास्तविक व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वित्तीय सलाहकारों की भूमिकाओं के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

विभाग	वर्ष	बजट आकलन			संशोधित आकलन			वास्तविक व्यय		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
कृषि एवं	1998-99	1956.00	3066.57	5022.57	1378.41	3863.93	5242.34	1358.88	3863.46	5222.34
सहकारिता	1999-2000	1956.00	4580.85	6536.85	1492.00	4585.84	6077.84	1471.90	4579.12	6051.02
विभाग	2000-2001	1965.00	4190.97	6155.97	1692.00	4447.81	6138.81	1666.07*	4441.81*	6107.88
पशुपालन एवं	1998-99	381.90	144.39	526.29	210.60	188.03	398.63	170.24	186.18	356.42
डेयरी विभाग	1999-2000	381.90	106.89	488.79	225.00	200.88	425.88	207.30	197.81	405.11
	2000-2001	300.00	111.50	411.50	230.00	158.72	388.72	213.40*	155.37*	368.77*
भारतीय कृषि	1998-99	530.67	450.77	981.44	444.50	532.16	976.66	444.50	532.16	976.66
अनुसंधान परिषद	1999-2000	573.00	608.79	1181.79	503.50	794.38	1297.88	503.50	794.38	1297.88
	2000-2001	628.95	765.29	1394.24	549.50	760.73	1310.23	549.50*	760.73*	1310.23*
खाद्य प्रसंस्करण	1998-99	44.10	4.72	48.62	30.80	4.46	35.26	30.00	4.19	34.19
उद्योग विभाग	1999-2000	47.00	4.66	51.66	40.00	4.46	44.46	34.89	5.50	40.39
	2000-2001	50.00	5.00	55.00	50.00	15.70	65.70	50.00*	14.86*	64.88*

*अनंतिम

विवरण-II

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार आन्तरिक वित्त अनुभाग के अतिरिक्त बजट एवं लेखा अनुभाग के सम्पूर्ण प्रभारी होंगे। उनकी ड्यूटी होगी:-

(1) यह सुनिश्चित करना कि बजट तैयार करने के लिए अनुसूची का मंत्रालय द्वारा पालन किया जाता है और वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बजट तैयार किया जाता है;

(2) बजट प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय में भेजने से पूर्व पूरी तरह से उनकी संवीक्षा करना;

(3) यह देखने के लिए कि सम्पूर्ण विभागीय लेखे सामान्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षानुसार अनुरक्षित किए गए हैं। विशेषतौर पर यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय न केवल अपने द्वारा सीधे ही नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों की तुलना में व्यय लेखे अनुरक्षित करता है बल्कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हुए व्यय के आंकड़े भी प्राप्त करे ताकि मंत्रालय के पास अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हुए हर माह के सम्पूर्ण व्यय का पूर्ण विवरण उपलब्ध हो;

(4) आवश्यक नियंत्रण पंजीकाओं के अनुरक्षण के माध्यम से स्वीकृत अनुदानों की तुलना में व्यय की प्रगति की

निगरानी रखना और संवीक्षा करना तथा नियंत्रण प्राधिकारियों को जहां व्यय की प्रगति ठीक नहीं है समय पर चेतावनियां जारी करना;

(5) बजट आकलनों की वास्तविक तैयारी, बही व्यकलनों की निगरानी और प्रत्याशित बचतों की समय पर सुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाने के लिए सामान्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित दायित्वों और वचनबद्धताओं की पंजिका का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(6) अनुदानों की पूरक मांगों के लिए प्रस्तावों की जांच करना;

(7) मंत्रालय के लिए विदेशी मुद्रा बजट का प्रतिपादन करना और समय-समय पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विदेशी मुद्रा की निर्मुक्ति के लिए पृथक-पृथक मामलों की प्रक्रिया चलाना;

(8) प्रशासनिक मंत्रालय को उन सभी मामलों पर जो प्रदत्त शक्तियों के क्षेत्र में आते हैं, परामर्श देना। इसमें मंत्रालय को कार्यालय प्रमुख होने की हैसियत से मिली हुई शक्तियों के अलावा मिली हुई सभी शक्तियां शामिल हैं। आई.एफ.ए. द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी संस्वीकृति में स्पष्ट दर्शाया जाए कि इसे आई.एफ.ए. के परामर्श के पश्चात् जारी किया गया है।

(9) विशेषतौर पर पदों के सृजन के मामले में विशिष्ट बचतों को पहचानना और इस हेतु पंजिका बनाना;

(10) अधीनस्थ प्राधिकरणों को शक्तियों के पुन: प्रत्यायोजन के लिए प्रस्तावों की जांच करना;

(11) स्कीमों के प्रतिपादन और उनके प्राथमिक स्तरों से महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों के साथ स्वयं ही अधिक से अधिक सम्पर्क रखे;

(12) परियोजनाओं और अन्य चल रही योजनाओं के मामले में प्रगति/निष्पादन के मूल्यांकन में स्वयं ही सम्पर्क रखे और यह देखे कि ऐसे मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों का बजट प्रतिपादन में ध्यान रखा जाए;

(13) लेखा परीक्षण आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, मसौदा लेखा-परीक्षण पैरों इत्यादि के परिशोधन की निगरानी रखना;

(14) लेखा परीक्षण रिपोर्टों और विनियोजन लेखों, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों संबंधी समिति की रिपोर्टों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना;

(15) वित्त मंत्रालय को सहमति अथवा टिप्पणियों के लिए जाने वाली अपेक्षित सभी व्यय प्रस्तावों की जांच करना; और

(16) वित्त द्वारा अपेक्षित तिमाही स्टाक विवरणियों और अन्य रिपोर्टों तथा विवरणियों को वित्त मंत्रालय को नियमित व समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना।

फसल बीमा योजना

620. श्री भर्तृहरि महताब : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में फसल बीमा योजना को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में विलंब के कारण किसान प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी हानि के समय अपनी फसल का लाभकारी मूल्य और बीमा का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां। उड़ीसा राज्य ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) को इसके प्रारंभ अर्थात रबी 1999-2000 मौसम से ही कार्यान्वित किया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है क्योंकि स्कीम निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्यान्वित की गयी है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उपज गारंटी स्कीम है और इस प्रकार मूल्य जोखिम से इसका कोई संबंध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए उपज आंकड़ों के आधार पर यदि मौसम के दौरान निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए बीमित फसल का प्रति हेक्टेयर वास्तविक औसत उपज निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम होता है तो निर्दिष्ट

क्षेत्र में उस फसल को उगाने वाले सभी किसान अपनी उपज में कमी से प्रभावित माने जाते हैं तथा दावों के भुगतान के पात्र हो जाते हैं।

रिवाड़ी-रतनगढ़-डिगाना यात्री रेलगाड़ी का दिल्ली तक विस्तार

621. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री मेल ट्रेन की मांग के बारे में 20.11.1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डिगाना, रतनगढ़ और रिवाड़ी से होते हुए जोधपुर और दिल्ली के बीच चार दशकों से चल रही मीटर गेज जोधपुर-दिल्ली मेल का मार्ग 1994 में पहली बार बदला गया था और बाद में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसी समय से आम जनता सहित सभी ओर से यह जोरदार मांग रही है कि जोधपुर मेल के स्थान पर रिवाड़ी और रतनगढ़ होते हुए दिल्ली और डिगाना के बीच एक मीटर गेज मेल ट्रेन चलायी जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तर्क पर इन मांगों की उपेक्षा कर दी है कि ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आई.आर.आर.डी.2 आर.आर.डी. रिवाड़ी-रतनगढ़ डिगाना यात्री रेलगाड़ी का विस्तार दिल्ली सराय रोहिल्ला तक करने का है क्योंकि रिवाड़ी और डिगाना के बीच आमान परिवर्तन का कार्य जरा भी आगे नहीं बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका कब तक विस्तार कर दिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) रेवाड़ी और रतनगढ़ के रास्ते दिल्ली तक डेगाना के बीच नई मी.ला. गाड़ी चलाना अथवा 1 आर.आर.डी./2 आर.आर.डी. सभी गाड़ियों का दिल्ली सराय रोहिल्ला तक विस्तार परिचालनिक तथा संसाधन तंगियों के कारण व्यवहार्य नहीं है। बहरहाल, डेगाना-रेवाडी के दिल्ली जाने के इच्छुक यात्रियों के लिए 4 डी.आर./4710-4709/1 डी.आर. गाड़ियों में दिल्ली सराय रोहिल्ला तथा डेगाना के बीच एक शयनयान श्रेणी का स्लिप कोच चल रहा है।

[हिन्दी]

जैव विविधता को क्षति

622. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जैव-विविधता को भारी क्षति हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) पिछले अनेक वर्षों से भारत का स्थान विश्वव्यापी जैव-विविधता में कुल मिलाकर अपरिवर्तित रहा है। तथापि जैव-विविधता की कुछ क्षति उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रसार, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण आदि में वृद्धि होने के कारण हुई थी। जलीय जैव-विविधता के मामले में कुछ क्षति ज्यादा मछली पकड़ने, मछली पकड़ने के गैर-कानूनी तरीकों का प्रयोग करने तथा विभिन्न औद्योगिक एवं शहरी गतिविधियों से जल प्रदूषण के कारण हुई थी।

(ख) और (ग) सरकार ने जैव-विविधता की होने वाली क्षति को रोकने या कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कृषि में बाह्य स्थाने (एक्स-सीटू) संरक्षण के प्रयास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तत्वावधान में पौधों, पशुओं, मत्स्य और कृषि संबंधी महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के संबंध में किए हैं और अभी भी किए जा रहे हैं। संकटापन्न जातियों की बाह्य स्थाने संरक्षण गतिविधियों पर विशेष बल देते हुए सर्वेक्षण और संग्रहण शुरू करने के अधिदेश के साथ राष्ट्रीय पादप, पशु, मत्स्य और कृषि सबंधी महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के ब्यूरो की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली बाह्य स्थाने संरक्षण जैसी सुविधा रखने वाला विश्व में सबसे बड़े संस्थानों में से एक है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अन्तर्गत पादप जैव-विविधता के संग्रहण एवं संरक्षण पर राष्ट्रीय जय विज्ञान मिशन के तहत पौधों, पशुओं और मत्स्य के संग्रहण एवं संरक्षण पर मिशन मोड

कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के माध्यम से भी बल दिया जा रहा है। अन्य सभी जैव-विविधता वाले मामलों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तत्वावधान में स्व:स्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण के प्रयास किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राकृतिक रबर का वर्गीकरण

623. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व संगठन समझौते में प्राकृतिक रबर का वर्गीकरण एवं औद्योगिक उत्पाद के रूप में किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्राकृतिक रबर को पुन: कृषि उत्पाद की श्रेणी में डालने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि पर समझौते के अधीन शासनादिष्ट वार्ता हेतु विश्व व्यापार संगठन को प्रस्तुत अपने प्रारंभिक वार्ता प्रस्तावों में भारत ने रबर जैसे प्राथमिक कृषि जिंसों को शामिल करते हुए समझौते के उत्पाद कवरेज को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उक्त शासनादिष्ट वार्ता चल रही है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों द्वारा कृषि परियोजनाओं का वित्त पोषण

624. श्री भान सिंह भौरा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब के विशेष संदर्भ में ऐसी कृषि परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका वित्तपोषण अन्य देशों द्वारा किया जा रहा है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) पंजाब में जारी कृषि परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार से विदेशी सहायता की मांग करने वाली नयी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बारासात-हसनाबाद रेल खंड का विद्युतीकरण

625. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सियालदह डिविजन के अंतर्गत बारासात-हसनाबाद खंड के विद्युतीकरण के कार्य को मार्च, 2001 तक पूरा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) इस कार्य को मार्च, 2002 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इस समय इसकी प्रगति संतोषजनक है।

मैनागुड़ी-मथभंगा-न्यू कूचबिहार जोगीघोपा रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

626. श्री अमर राय प्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैनागुड़ी-मथभंगा-न्यू कूचबिहार से धुबड़ी से होते हुए जोगीघोपा तक नयी रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) क्या यह कार्य आरंभ हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ कर दिये जाने की संभावना है और इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) न्यू मैनागुड़ी-मथभंगा-न्यू कूचबिहार-गोलकगंज गौरीपुर-जोगीघोपा तक रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। यह संरेक्षण धुबढी के निकट गोरीपुर से गुजरता है।

(ख) और (ग) जी हां, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। 2001-02 के दौरान इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि ऋण स्थिरता कोष को सुदृढ़ करना

627. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों में कृषि ऋण स्थिरता कोष को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) केन्द्रीय आबंटन का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत विशेषकर कर्नाटक के संदर्भ में राज्य सहकारी बैंकों के उपयोग के लिए कृषि स्थिरता निधि के लिए वस्तुत: कितना धन जारी किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) राज्य सहकारी बैंक स्तर पर अनुरक्षित कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकारों को कोष के अनुकूलतम स्तर के अंतर को पाटने के लिए 75% अनुदान एवं 25% ऋण के अनुपात में केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती है।

(ख) कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष स्कीम के अंतर्गत कोष का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। निधियां राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का विवरण संलग्न है। अब इस स्कीम को वर्ष 2000-2001 से वृहत प्रबंध पद्धति में मिला दिया गया है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि इस स्कीम के अंतर्गत निधियां निर्मुक्त करने के लिए इस घटक को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करें।

विवरण

कृषि ऋण स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	1997-98	1998-99	19990-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.00	200.00	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	–	–	–
4.	बिहार	–	–	36.50
5.	दिल्ली	–	–	–
6.	गोवा	–	–	–
7.	गुजरात	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	226.00

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–
11.	कर्नाटक	–	60.00	–
12.	केरल	10.00	40.00	40.00
13.	मध्य प्रदेश	200.00	–	–
14.	महाराष्ट्र	–	–	–
15.	मणिपुर	–	10.00	–
16.	मेघालय	–	10.00	7.50
17.	मिजोरम	–	–	–
18.	नागालैण्ड	–	–	–
19.	उड़ीसा	–	–	–
20.	पंजाब	50.00	60.00	200.00
21.	राजस्थान	60.00	40.00	40.00
22.	सिक्किम	–	–	–
23.	तमिलनाडु	–	–	–
24.	त्रिपुरा	–	20.00	50.00
25.	उत्तर प्रदेश	40.00	60.00	100.00
26.	पश्चिम बंगाल	–	–	–
	कुल	400.00	500.00	700.00

एम.एस. और एच.एस.डी. के भंडार में हानि

628. श्री नरेश पुगलिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में पम्पवार रेजीडेन्ट आफीसरों द्वारा प्रत्येक जुबली और कोको पम्पों में एम.एस. और एच.एस.डी. के भंडार में वास्तविक हानि का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या ऐसे बाहरी पेट्रोल पम्पों के आपरेटर ठेकेदारों को वास्तविक धनादेश/ड्राफ्ट शुल्क का भुगतान किया जा रहा है;

(ग) क्या तेल निगमों द्वारा ऐसे पम्पों पर भंडार नकदी आदि का बीमा कराया जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो आग और लूटपाट के कारण होने वाली क्षति के लिए क्या उत्तरदायित्व तय किया गया है;

(ङ) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत वेतन की लागत और पारिश्रमिक को शामिल करने के लिए आपरेटरों को मिलने वाला पारिश्रमिक पर्याप्त है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जुबिली तथा कंपनी के स्वामित्व वाले कंपनी प्रचालित पंपों

से संबंधित रखरखाव एवं संभाल संविदा नीति के अनुसार मोटर स्पिरिट में 0.59 प्रतिशत तथा हाई स्पीड डीजल में 0.15 प्रतिशत तक हानियां कंपनी द्वारा वहन की जाती हैं तथा इन सीमाओं से अधिक हानियां संविदाकारों से वसूल की जा रही हैं। मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल की पंप-वार स्टाक हानि के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और यह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां।

क्विलोन-कुट्टीपुरम राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जलमार्ग का निर्माण

629. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्विलोन-कुट्टीपुरम राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जलमार्ग का निर्माण करने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अभी तक इस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) केरल में उद्योग मंडल और चम्पाकारा नहरों के साथ-साथ पश्चिमी तटीय नहर का कोल्लम से कोट्टापुरम खंड एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। चम्पाकारा नहर उद्योग मंडल नहर और पश्चिमी तटीय नहर के कोच्चि-इडापल्लीकोटा खंड को इस समय यंत्रीकृत जलयानों के नौचालन के लिए उपयोग किया जा रहा है। कोल्लम से कोट्टापुरम तक के राष्ट्रीय जलमार्ग का रख-रखाव निकर्षण करके दिवा नौचालन सहायता उपलब्ध कराकर और जलरागिक सर्वेक्षण करके, लाकों की मरम्मत और आशोधन करके जलमार्ग के तंग खंडों को चौड़ा करके किया जा रहा है। 11 स्थानों पर भूमि अधिग्रहण करने और टर्मिनलों का निर्माण करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कोच्चि-अलापूझा खंड में निकर्षण पूरा हो गया है। एक सर्वेक्षण लांच का निर्माण किया जा चुका है और इसे सर्वेक्षण करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तथा 24 घंटे नौचालन सुविधा का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग-3 पर मार्च, 2001 तक लगभग 41.15 करोड़ रु. खर्च हो चुका है।

(ग) अनुमोदित बढ़े कार्य 10वीं योजना अवधि के दौरान पूरे हो जाने की संभावना है।

सस्ती दरों पर उर्वरक की आपूर्ति

630. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और सीमांत किसानों को विशेषकर बिहार में सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सरकार यूरिया जो एकमात्र नियंत्रिक उर्वरक है, का खेतों पर पहुंच मूल्य नियत करती है और अनियंत्रित उर्वरकों तथा डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.), पोटाश के मूरियेट (एम.ओ.पी.) और मिश्रित उर्वरकों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य निर्दिष्ट करती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) के मामले में सांकेतिक अधिकतम खुदरा मूल्य संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियत किये जाते हैं।

सरकार द्वारा घोषित मूल्यों पर उर्वरकों के विक्रय हेतु यूरिया के मामले में धारित मूल्य सह राजसहायता स्कीम के अधीन राजसहायता दी जाती है जबकि फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी. एण्ड के.) उर्वरकों के मामले में, अनियंत्रित पी. एण्ड के. उर्वरकों के विक्रय पर छूट स्कीम के अधीन छूट प्रदान की जाती है। उर्वरकों के राजसहायता प्राप्त मूल्यों का लाभ बिहार एवं देश के अन्य भागों के छोटे एवं सीमान्त कृषकों सहित सभी किसानों को उपलब्ध है।

रानीगंज कोयला पट्टी क्षेत्र में मिथेन गैस

631. श्री सुनील खां : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रानीगंज कोयला पट्टी क्षेत्र में मिथेन गैस की खोज हेतु पश्चिम बंगाल सरकार और ओ.एन.जी.सी. के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, उत्तरी रानीगंज क्षेत्र में कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) के अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) को पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी.ई.एल.) प्रदान किया गया है। तदनुसार, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने प्राथमिक भूभौतिकीय जांच-पड़ताल की है तथा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस क्षेत्र के अंतर्गत कोल बेड मीथेन संभाव्यता के आरंभिक मूल्यांकन के लिए चार लागत-प्रभावी स्लिम होल्स का वेधन किया है।

[हिन्दी]

डा. राजेन्द्र प्रसाद के आवास को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलना

632. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक निवास को राष्ट्रीय स्मारक/संग्रहालय में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जिला सीवान (बिहार) में जीरादई में स्थित भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद के पैतृक घर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक पहले ही घोषित कर दिया गया है और पुरातत्वीय मानदण्डों के अनुसार उसका रख-रखाव किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चक्रवात संबंधी प्रतिवेदन

633. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा में सितम्बर और अक्टूबर, 1999 में आए चक्रवात के संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई प्रतिवेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो राहत कार्यों, पुनर्वास पैकेज, पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या राज्य में पुनर्निर्माण गतिविधियों के समन्वय हेतु एक वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक उड़ीसा चक्रवात पुनर्निर्माण प्राधिकरण का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक कितनी धनराशि आबंटित/व्यय की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) उड़ीसा सरकार ने अक्तूबर, 1999 में आए महाचक्रवात के कारण हुई जानमाल की हानि से संबंधित रिपोर्ट भेजी थी।

(ख) प्राकृतिक आपदाएं आने पर आवश्यक राहत उपायों के लिए उक्त राज्य को वर्ष 1999-2000 में आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की 42.50 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई थी। इसके अलावा, महाचक्रवात सहित बाढ़ तथा चक्रवात के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से उक्त राज्य को 828.15 करोड़ रुपये की सहायता भी जारी की गई थी।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों के समन्वयन हेतु उड़ीसा राज्य आपदा शमन प्राधिकरण का गठन किया है। उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।

तमिलनाडु में स्मारकों का संरक्षण

634. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चेन्नई सर्किल के विभिन्न उप-सर्किलों में निष्पादित किए गए संरक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण हेतु प्रतिवर्ष आबंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में ऐतिहासिक महत्व की प्राचीन पुरातात्विक इमारतों के संरक्षण और उनकी मरम्मत हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार और चेन्नई निगम से कुछ प्रसिद्ध प्राचीन इमारतों और किलों के संरक्षण के संबंध में कोई निवेदन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चेन्नई मण्डल के विभिन्न उपमण्डलों द्वारा किए गए संरक्षण कार्यों, आवंटित निधियों और उन पर हुए व्यय का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वर्ष	स्मारकों की संख्या	आवंटन रुपये	व्यय रुपये
1998-99	52	53.90 लाख	63,71,646/-
1999-2000	52	69,82,000/-	65,83,661/-
2000-2001	52	65,00,000/-	76,04,948/-

(ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को चेन्नई नगर निगम आयुक्त से निगम के कार्यालय भवन (रिपोन भवन के नाम से भी मशहूर) की मरम्मत एक निक्षेप कार्य के रूप में करने के लिए कुछ वर्षों पहले एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी स्वयं की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर कार्य लेने में अपनी असमर्थता सूचित की थी।

कलकत्ता पत्तन द्वारा कार्गों की संभलाई

635. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक कलकत्ता पत्तन से कितने कार्गो की आवाजाही हुई;

(ख) क्या यह सत्य है कि कलकत्ता पत्तन की क्षमता में कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा कलकत्ता पत्तन के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार कार्गो संभलाई क्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बर्थ बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) कोलकाता पत्तन (कोलकाता गोदी प्रणाली) द्वारा वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और जून 2001 तक चालू वर्ष के दौरान हैंडल किए गए कार्गो की मात्रा इस प्रकार हैं:-

(मिलियन टन)

1999-2000	10.31
2000-2001	7.16
2001-2002 (अप्रैल-जून)	1.03

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं। कोलकाता पत्तन (कोलकाता गोदी प्रणाली) में अतिरिक्त बर्थों का सृजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई में विरार के बीच उपनगरीय रेल सेवा शुरू करना

636. श्री चिंतामन वनगा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई और विरार स्टेशनों के बीच ए.सी./डी.सी. करंट पर उपनगरीय रेल सेवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी रेल को मुम्बई से दाहानू सड़क तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक दाहानू सड़क तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) 25.5.2001 से चर्च गेट और विरार के बीच एसी/डीसी कर्षण पर उपनगरीय गाड़ियां चला दी गई हैं। वर्तमान में ऐसे दो रेक सेवा में हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) ई.एम.यू. सेवाएं विरार से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि विरार से दहानू रोड के बीच खंड ई.एम.यू. चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। बहरहाल, विरार-दहानू रोड खंड पर ई एम यू सेवाओं के चालन के लिए सुविधाओं के विकास और दहानू रोड में टर्मिनल सुविधाओं की परियोजना 25.48 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृत कर दी गई है बशर्ते कि आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएं।

बहरहाल, चर्च गेट और विरार के बीच डी.सी. से ए.सी. में बदलाव कार्य पूरा होने पर सीमित मीमू सेवाएं दहानू रोड से चर्च गेट तक बढ़ाई जा सकती हैं।

(ङ) विरार से आगे ई.एम.यू. सेवाओं के विस्तार पर उपरोक्त परियोजना के स्वीकृत होने और चर्च गेट से विरार के बीज डीसी से एसी में बदलाव होने पर ही विचार किया जा सकता है।

आई.आर.एफ.सी. द्वारा विदेशी ऋण

637. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल वित्त निगम ने विदेशी वित्तीय संस्थानों से ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2001 तक विदेशों से कुल कितना ऋण लिया गया; और

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान ब्याज दर सहित भारतीय रेल वित्त निगम ने इस राशि पर ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेलवे वित्त निगम लि. ने मार्च 2001 के अंत तक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन कनाडा से 42.4 मिलियन अमरीकी डालर का एक्सपोर्ट क्रेडिट, विदेशी वित्तीय संस्थानों के संघों से 8.85 बिलियन जापानी येन को सिंडिकेट ऋण तथा क्रेडिटैटस्टाल्ट कर वोडरैफबू (के.एफ.डब्ल्यू.) जर्मनी से 19.5 मिलियन यूरो का एक्सपोर्ट क्रेडिट जुटाया है।

(ग) भा.रे.वि.नि. द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा ब्याज की दर निम्नलिखित है:

वर्ष	भुगतान किये गये ब्याज की राशि (करोड़ रु. में)	वार्षिक ब्याज दर
1998-99	1.18	3.08% (येन ऋण) 5.3% (ई.डी.सी. क्रेडिट)
1999-2000	15.21	3.08% (येन ऋण) 5.3% से 6.43% (ई.डी.सी. क्रेडिट)
2000-01	19.75	3.08% (येन ऋण) 5.55% से 7.1% (ई.डी.सी. क्रेडिट) 5.43% से 5.5% (के.एफ.डब्ल्यू. क्रेडिट)

येन वाला ऋण जिसे शुरूआत में 5.3% की ब्याज की दर से जुटाया गया था, ब्याज की दरों में गिरावट का फायदा उठाते हुए इस ऋण को 1998 के अन्त में 3.08% की दर से पुन: जुटाया गया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय संग्रहालय से कलाकृतियों की चोरी

638. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री रामशकल :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का ध्यान 31 मई, 2001 के 'राष्ट्रीय सहारा' में राष्ट्रीय संग्रहालय से कलाकृतियों की चोरी के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय संग्रहालय से चोरी की गई कलाकृतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार को उक्त कलाकृतियों की चोरी की सूचना कब मिली;

(ग) किन व्यक्तियों को इन कलाकृतियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार कलाकृतियों की चोरी की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) पहले प्राप्त इसी तरह से शिकायतों के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय की कला वस्तुओं के भौतिक एवं वैज्ञानिक सत्यापन के लिए 1996 में भौतिक सत्यापन समिति गठित की थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 1997 में दायर जनहित याचिका के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने निदेश दिया था कि इस समिति की रिपोर्टें मोहरबंद लिफाफे में नियमित रूप से उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएं। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय इस पहलू पर कड़ी और नियमित रूप से निगरानी रख रहा है। भौतिक सत्यापन समिति की रिपोर्टों को नियमित रूप से माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जा रहा है और वास्तव में, हाल ही में दिसंबर, 2000 में माननीय न्यायालय ने समिति को यह निदेश देते हुए इस याचिका का निपटान कर दिया कि समिति अपनी रिपोर्टें नियमित रूप से न्यायालय को प्रस्तुत करे।

खांडवा-रतलाम-अजमेर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

639. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खांडवा-अजमेर बरास्ता रतलाम रेल लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खांडवा-अजमेर रेल लाइन का आमान परिवर्तन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अजमेर-चित्तौड़गढ़ और नीमच-रतलाम खण्ड का आमान परिवर्तन पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। ये कार्य संसाधनों की उपलब्धता और लाइनों को परिचालनिक प्राथमिकता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरे किये जाएंगे।

रतलाम-खंडवा खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया गया है और क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श के साथ सर्वेक्षण रिपोर्ट को जांच की जा रही है। सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही इस परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

चित्तौड़गढ़ और नीमच के बीच पहले से एक बड़ी लाइन विद्यमान है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीविकोपार्जन के लिए प्रायोगिक परियोजना

640. श्री भीम दाहाल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के जीविकोपार्जन के प्रमुख साधन के रूप में पशुधन के विकास हेतु प्रायोगिक परियोजना के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

निजी एजेंसियों द्वारा रेल टिकटों की बिक्री

641. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री मोहन रावले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल आरक्षण का अधिकार निजी एजेंसियों को देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या नियम और शर्तें हैं;

(ग) क्या वर्तमान आरक्षण प्रबंध और टिकट खिड़कियां यात्रियों की मांग के अनुसार पर्याप्त नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रबंध किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या कार्य घंटों के दौरान काउंटर क्लर्क द्वारा आरक्षण और टिकटों की बिक्री के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) एक पायलेट परियोजना के रूप में मुम्बई (मध्य रेलवे) और चैन्ने (दक्षिण रेलवे) में प्रत्येक के लिए रेल यात्री सेवा एजेन्ट और रेल पर्यटक एजेन्ट योजनाओं के अंतर्गत यात्री एजेंटों को कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली टर्मिनल मुहैया कराने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) मौजूदा आरक्षण व्यवस्था और टिकट काउंटरों की संख्या सामान्य और कम भीड़ की अवधियों में सामान्यत: पर्याप्त है। यह केवल व्यस्त अवधि यथा ग्रीष्मकालीन भीड़, गर्मी की छुट्टियों, पूजा की छुट्टियों और क्रिसमस अवकाशों के दौरान आरक्षित टिकट प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा समय में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। व्यस्त मौसम के दौरान ऐसी भारी मांगों को सम्हालने के लिए मौजूदा आरक्षण केन्द्रों पर अतिरिक्त काउंटरों की व्यवस्था कर दी जाती है।

(ङ) और (च) आपरेटर द्वारा सम्हाले गए कामकाज की मात्रा उस काउंटर पर सम्हाले जा रहे कामकाज की प्रकृति यथा साधारण टिकटों, क्रेडिट कार्डों के बदले टिकट जारी करने, ब्लैंक पेपर टिकटों, ग्रुप टिकटों मिलिट्री वारंटों आदि के मामलों पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्रत्येक काउंटर पर मांग-पत्रों की ऐसी कोई न्यूनतम संख्या की सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

डी.पी.सी. द्वारा एन.टी.पी.सी. को विद्युत खरीदने का प्रस्ताव

642. **श्री सी. श्रीनिवासन :**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाभोल पावर कारपोरेशन ने एन.टी.पी.सी. को उससे विद्युत खरीदने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो एन.टी.पी.सी. को किस दर पर विद्युत बेचने का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) क्या प्रस्तावित दर बहुत अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना के चरण-2 द्वारा उत्पादित की जाने वाली विद्युत के अवशोषण में असमर्थता प्रकट की है। उन्होंने भारत सरकार से चरण-2 को अपने अधिकार में लेने तथा अपने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के द्वारा अन्य विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत की बिक्री की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई दर उद्धृत नहीं की गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रेलवे पुलों का बदला जाना

643. **श्री के. मुरलीधरन :**
श्री जी.जे. जावीया :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री बाबूभाई के. कटारा :
श्री अरूण कुमार :
श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री जी.एम. बनातवाला :
श्री ए.के. प्रेमाजम :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री टी. गोविन्दन :
श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :
श्री विक्रम केशरी देव :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी :
श्री जयप्रकाश :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने 12 वर्ष पूर्व सिफारिश की थी कि केरल में काड़ालुण्डी रेल पुल खतरे में है और उसकी बड़े पैमाने पर मरम्मत करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का पालन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या खन्ना समिति ने भी सिफारिश की है कि लगभग 262 पुल खराब स्थिति में हैं और उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए?

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति ने रिपोर्ट का उल्लंघन करके इन पुलों का इस्तेमाल किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच कराई गई है:

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और ऐसी गलतियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(छ) विभिन्न जोनों में विशेषज्ञों ने देश के मंडल-वार कितने रेल पुलों और पुलियाओं को खतरनाक घोषित किया है; और

(ज) सरकार द्वारा इन पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इन पर कितना व्यय होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। हालांकि 1.4.1999 को खन्ना समिति की रिपोर्ट में 262 संकटग्रस्त पुलों का उल्लेख किया है तथापि उन्होंने उनकी जांच और 5 वर्ष की समयावधि में उनके पुनर्स्थापन की सिफारिश की है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) किसी क्षेत्रीय रेलवे की किसी भी विशेषज्ञ समिति ने किसी पुल/पुलिया को खतरनाक घोषित नहीं किया है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों में छुट्टियां

644. **श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक वर्ष में दिल्ली के न्यायालयों में कितनी छुट्टियां होती हैं;

(ख) क्या इतनी बड़ी संख्या में छुट्टियां होने के कारण मुकदमें में शामिल सभी पक्ष पीड़ित होते हैं और न्यायालयों में मुकदमें बड़ी संख्या में लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार और न्यायपालिका द्वारा न्यायालयों की छुट्टियों में कमी करने पर विचार करने की कोई संभावना है जिससे कि मुकदमें में शामिल सभी पक्षों की पीड़ा कम हो सके; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) दिल्ली उच्च न्यायालय गीष्म दीर्घावकाश के दौरान 5 सप्ताह के लिए और शीत दीर्घावकाश के दौरान 5 दिन के लिए बंद रहता है तथा इन दीर्घावकाशों की अवधि के दौरान दीर्घावकाश न्यायपीठें अत्यावश्यक मामलों में कार्रवाई करने के लिए अधिविष्ठ होती हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक वर्ष में 210 कार्यदिवस होते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक वर्ष में 255 कार्यदिवस हैं। सिविल अधीनस्थ न्यायालय ग्रीष्मऋतु में लगभग 4 सप्ताह के लिए और शीतऋतु में 5 दिन के लिए बंद रहता है। तथापि, दांडिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ग्रीष्मऋतु में केवल 10 दिन के लिए बंद रहते हैं।

(ख) से (घ) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) संबंधी प्राक्कलन समिति (8वीं लोक सभा) ने उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में कार्य दिवसों के पुनर्विलोकन की वांछा की थी। परीक्षा करने पर यह पता चला कि सभी उच्च न्यायालयों में सामान्यत: वर्ष में 210 कार्य दिवस होते हैं। तत्पश्चात्, कार्य दिवसों के प्रश्न की विभिन्न अंतरालों पर परीक्षा की गई थी। मामले को तारीख 25.6.86 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को भी निर्दिष्ट किया गया था। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने सूचित किया था कि उच्चतम न्यायालय पहले ही 220 दिन कार्य कर रहा है, किंतु पूर्ण न्यायालय ने दो और कार्य दिवस जोड़े जाने का विनिश्चय किया था। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के विचार उच्च न्यायालयों को संसूचित कर दिए गए थे। अधिकांश मुख्य न्यायमूर्तियों का यह विचार था कि 210 कार्य दिवस बिल्कुल ठीक हैं और इसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश

अपने चैम्बरों या अपने निवास स्थान में अतिरिक्त कार्य करते हैं। वर्ष 1987 में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में भी यह संकल्प किया गया था।

न्याय विभाग ने हाल ही में सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे उच्च न्यायालयों में वार्षिक छुट्टियों और कार्य दिवसों की पुन: परीक्षा करें। जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य दिवस उच्च न्यायालयों द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा बढ़ते जा रहे बकाया मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक अन्य उपाय भी किए गए हैं। इनमें न्यायाधीशों की रिक्तियों का भरा जाना, विधि आयोग, मलिमथ समिति, आदि जैसे विशेषज्ञ निकायों की सलाह और सिफारिशों के आधार पर नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण सम्मिलित है। सरकार ने विचारणाधीन व्यक्तियों के मामलों के पूर्विकता पर शीघ्र निपटारे के लिए 1734 त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए 502.90 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है।

[हिन्दी]

पशुपालन केन्द्रों की स्थापना

645. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने हेतु देश के सभी भागों में पशुपालन के वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पशुपालन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें राज्यवार क्या-क्या कठिनाइयां आने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना का अनुमोदन किया है जिसका उद्देश्य सभी प्रजनन योग्य गोपशु तथा भैंसों को दस वर्षों में संगठित प्रजनन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाना है और किसान के दरवाजे पर गुणवत्ता प्रजनन आदानों को प्रदान करना है।

2000-2001 के दौरान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश तथा मणिपुर राज्यों ने परियोजना में भाग लिया। विभाग में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तरांचल, सिक्किम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इनकी जांच की जा रही है ताकि सहायता की राशि वर्ष की दूसरी तिमाही में जारी की जा सके। अन्य राज्यों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव भेजें।

संभावित अड़चनों में शामिल हैं- किसानों में कृत्रिम गर्भाधान की कम स्वीकार्यता, राज्यों द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के सृजन में कठिनाईयां तथा राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को परिसम्पत्तियों और मानव क्षमता का स्थानान्तरण, पण्यों एवं सेवाओं के लिए लागत वसूली से संबंधित समस्याएं आदि। परियोजना में संबंधित राज्यों के सहयोग से इन अड़चनों को दूर करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों की क्षमता

646. श्री राजनारायण पासी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल शोधक कारखानों की लाइसेंस शुदा क्षमता सहित उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन तेलशोधक कारखानों ने अपनी क्षमता की तुलना में कारखाने-वार कितने तेल/पेट्रोल/मिट्टी के तेल का शोधन किया; और

(ग) तेल कंपनियों की वर्षवार उत्पादन लागत कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियों के संबंध में सूचना क्रमश: विवरण I और II में दी गई है।

(ग) 1 अप्रैल, 1998 से शोधन क्षेत्र प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) के तहत नहीं है तथा नियंत्रित उत्पादों के लिए रिफाइनरियों को आयात समता पर आधारित मूल्य का भुगतान किया जा रहा है। जून, 2001 माह के लिए प्रशुल्क समायोजित आयात समता मूल्य डीजल के लिए 10939.19 रुपए प्रति किलोलीटर, पेट्रोल के लिए 8319.71 रुपए प्रति किलो लीटर तथा मिट्टी तेल के लिए 9542.98 रुपए प्रति किलो लीटर नियत किए गए हैं।

विवरण-I

आज की स्थिति के अनुसार देश में नीचे निर्दिष्ट 17 प्रचालनरत रिफाइनरियां हैं

नाम	रिफाइनरियों की संख्या	1 अप्रैल, 2001 को स्थापित क्षमता (एम.एम.टी. में)	रिफाइनरियों का स्थान
इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.)	7	36.10	डिग्बोई, गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत और कोयाली
चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (सी.पी.सी.एल.) (आई.ओ.सी.एल. की सहायक)	2	7.00	चेन्नई और नारीमनम
बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बीआरपीएल) (आई.ओ.सी.एल. की सहायक)	1	2.35	बोंगाईगांव
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.)	1	6.90	मुंबई
कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड (बी.पी.सी.एल. की सहायक)	1	7.50	कोच्चि
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एन.आर.एल.) (बी.पी.सी.एल. की सहायक)	1	3.00	नुमालीगढ़
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.)	2	13.00	मुंबई और विशाख
मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.)	1	9.67	मंगलौर
रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड	1	27.00	जामनगर

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के दौरान शोधित कच्चे तेल की मात्रा तथा पेट्रोल/मिट्टी तेल के उत्पादन की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

रिफाइनरियां	1998-99			1999-2000			2000-2001		
	शोधित क्रूड	पेट्रोल	मिट्टी तेल	शोधित क्रूड	पेट्रोल	मिट्टी तेल	शोधित क्रूड	पेट्रोल	मिट्टी तेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आई ओ सी एल	30.36	2.337	2.319	32.42	2.592	2.180	33.23	2.813	2.827
एच पी सी एल	9.07	0.518	.524	10.56	.657	.611	11.98	0.858	1.042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बी पी सी एल	8.87	.939	.664	8.90	.791	.571	8.66	.844	.717
सी पी सी एल	6.75	.315	.620	7.01	.284	.483	6.63	.310	.610
के आर एल	7.77	.708	.533	7.83	.699	.508	7.52	.732	.740
बी आर पी एल	1.66	0.49	.147	1.91	0.41	.165	1.49	.068	.111
एन आर एल	-	-	-	0.21	-	0.02	1.45	-	.216

वस्त्र निर्यात में कमी

647. **श्री साहिब सिंह :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2001 की शुरूआत से अलग-अलग प्रकार के वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्पाद-वार इसके कमी के क्या कारण हैं;

(ग) किन देशों के साथ वस्त्र का निर्यात लक्षित निर्यात से कम हो गया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) डी.जी.सी.आई. एंड एस. के पास उपलब्ध अप्रैल, 2001 तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-अप्रैल, 2001 की अवधि के दौरान 3589.7 मिलियन अमरीकी डालर के वस्त्रों के निर्यात हुए जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2000 की इसी अवधि के दौरान ये निर्यात 3238.5 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के हुए थे। इस प्रकार इनमें 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

(ग) वस्त्रों के निर्यात लक्ष्य देशवार निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) सरकार वस्त्रों के निर्यात को सुदृढ़ बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिले-सिलाये परिधान के वूवन क्षेत्र का आरक्षण हटा दिया है।

(2) उत्कृष्ट समूह का सृजन करने अर्थात् परिधानों के उत्पादन और निर्यात के लिए अपैरल पार्क बाने के लिए वर्ष 2001-2002 के बजट में 10 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने के लिए योजना को 15 करोड़ रु. भी प्रदान किए गए हैं।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई है ताकि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। टीयूएफएस के अंतर्गत सहायता संबंधित मामलों का निवारण करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। टीयूएफएस के अंतर्गत शामिल की गई बुनाई, संसाधन और परिधान मशीनों को 50 प्रतिशत की दर से बढ़े हुए मूल्य ह्रास की सुविधा प्रदान की गई है।

(4) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट, उसकी छः शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र, वस्त्र उद्योग की, विशेषकर अपैरल की डिजाइन, व्यापारीकरण और विपणन के क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहा है।

(5) 5 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क पर अनेक परिधान मशीनों के आयात की अनुमति दी गई है।

(6) पश्चगामी एकीकरण को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से शटल-रहित करघों पर सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(7) कुछ अपवाद स्वरूप वस्त्र क्षेत्र में स्वचल मार्ग से 100 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी सहभागिता की अनुमति देना।

(8) पारि-अनुकूल प्रयोगशालाओं की सुविधाएं प्रदान करके आयातक देशों की पारिस्थिति की अनुकूल आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे वस्त्र और परिधान उद्योग को सक्षम तथा सुसाध्य बनाना।

(9) सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। मिशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मौजूदा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों को उन्नत/आधुनिक बना कर कपास प्रसंस्करण सुविधाओं में सुधार लाना है।

(10) हाल ही में घोषित राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 में सुसंगत तरीके से वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित व निरंतर विकास व उन्नति को नीतिगत दिशा प्रदान करने और वस्त्र निर्यात पर थ्रस्ट देने की व्यवस्था है।

(11) दिनांक 10.4.2001 को वस्त्र प्रभारी, राज्य मंत्रियों और सचिवों के अधिवेशन में वस्त्र निर्यात में निवेश को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है।

''रॉलिंग स्टाक'' की खरीद

648. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेल बजट में वर्ष 2001-2002 के दौरान 23,000 ''रॉलिंग स्टाक'' की खरीद का प्रावधान था:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की किसी वैगन निर्माता कम्पनी को वैगनों के निर्माण के लिए आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) चौपहिया इकाइयों के हिसाब से 23000 मालडिब्बों के बजटीय प्रावधान में से 17000 मालडिब्बे स्वयं रेलों के संसाधन से खरीदे जाने थे और शेष 6000 मालडिब्बे अपने मालडिब्बे के मालिक बने (ओवाईडब्ल्यूएस)/निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-स्थानांतरण (बोल्ट) योजनाओं के अंतर्गत खरीदे जाने थे। 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार सभी मालडिब्बा विनिर्माण इकाइयों के पास लगभग 10000 चौपहिया इकाइयों का मालडिब्बा क्रयादेश बकाया था जिसमें संलग्न विवरण के अनुसार निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों की इकाइयों को 2000-01 की संविदाओं के अंतर्गत +30% विकल्प खंड के तहत क्रयादेशित चौपहिया इकाइयों के हिसाब से 2460 मालडिब्बे शामिल हैं। अन्य 2000 चौपहिया इकाइयों का क्रयादेश रेल कारखानों को दिया गया है। इस प्रकार 2001-2002 की आवश्यकता के लिए कुल व्यवस्था लगभग 12000 चौपहिया इकाई है।

(घ) प्रारंभ में उन मालडिब्बों पर जहां यह पाया गया था कि विनिर्माता ने रेलों द्वारा मालडिब्बा विनिर्माताओं को नि:शुल्क मद के रूप में आपूर्ति किए जा रहे कोर्टन इस्पात के स्थान पर अपेक्षाकृत सस्ते मृदु इस्पात का इस्तेमाल किया है, कतिपय सतर्कता जांचें की गई थीं। अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान दो और मालडिब्बा विनिर्माताओं के कारखाना परिसरों में कोर्टन इस्पात के स्थान पर मृदु इस्पात के इस्तेमाल का पता लगा था। हाल ही सतर्कता जांचें दर्शाती हैं कि कुछ और मालडिब्बा विनिर्माता मालडिब्बों के विनिर्माण में निर्दिष्ट कोर्टन इस्पात के स्थान पर मृदु इस्पात का उपयोग करते पाए गए हैं। अत: और क्रयादेश जारी किए जाने से पहले इस समस्या का गंभीरता से आकलन करने के उद्देश्य से सभी मालडिब्बा विनिर्माताओं की और अधिक संयुक्त जांच करना आवश्यक हो गया है। अ.अ.मा.सं. से शीघ्रतापूर्वक छानबीन पूरा करने के लिए कहा गया है।

विवरण

1.4.2001 की स्थिति के अनुसार मालडिब्बे विनिर्माण फर्मों के पास बकाया क्रयादेश

(आंकड़े चौपहिया इकाइयों में)

क्र.सं.	फर्म का नाम	1.4.2001 को बकाया क्रयादेश	पहले ही निष्पादित 30% वैकल्पिक मात्रा	1.4.2001 को कुल कार्यभार
1.	भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि., मुजफ्फरपुर	287.5	435	722.5
2.	भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि., मोकामा	565	217.5	782.5
3.	ब्रैथवैट एंड कं. लि., कोलकाता	585	0	585
4.	बर्न स्टैंडर्ड कं. लि., बर्नपुर	0	440	440
5.	बर्न स्टैंडर्ड कं. लि., हवड़ा	1075	297.5	1372.5
6.	जेसप्प एंड कं. लि., कोलकाता	277.5	120	397.5
7.	सदर्न स्ट्रक्चरल्स लि., चेन्नै	405	0	405
8.	ब्रिज एंड रूफ, कोलकाता	150	37.5	187.5
	सार्वजनिक क्षेत्र का जोड़	3345	1547.5	4892.5
9.	टैक्समैको लि., कोलकाता	0	150	150
10.	मॉडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद	242.5	187.5	430
11.	हिंदुस्तान डेवेलेपमेंट कार्पोरेशन, कोलकाता	2457.5	0	2457.5
12.	बेस्को लि., कोलकाता	960	420	1380
13.	टीटागढ़ स्टील्स लि., कोलकाता	730	155	885
14.	बिन्नी इंजीनियरिंग लि., चेन्नै	2.5	0	2.5
	निजी क्षेत्र का जोड़	4392.5	912.5	5305
	उद्योग का जोड़	7737.5	2460	10197.5
	विकासात्मक क्रयादेश	135	0	135
	अपने मालडिब्बे के मालिक बने योजना (बीटीपीजीएलएन)	45	0	45
	उद्योग का जोड़	7917.5	2460	10377.5

लंबित मामले

649. श्री जी.जे. जावीया :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न न्यायालयों में मामलों के विलंबन हेतु मुख्य रूप से कार्यपालिका को उत्तरदायी माना है; और

(ख) यदि हां, तो मामलों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से क्रियाविधि को सरल और तीव्र बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के लिए कार्यपालिका को मुख्य रूप से उत्तरदायी कभी नहीं ठहराया है। तथापि, माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने 26 नवंबर, 1999 को हुए उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के समारोह में विधि दिवस के भाषण में यह उल्लेख किया कि भारी संख्या में बकाया मामलों के लिए एकमात्र सबसे बड़ा कारण पूरे देश में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या का होना है और इस देश की एक बिलियन जनसंख्या के लिए निचले स्तर से उच्चतम न्यायालय तक केवल लगभग 13 हजार की कुल संख्या में न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हैं।

29 अगस्त, 1999 को राजस्थान उच्च न्यायालय के स्वर्ण जयन्ती समारोह में माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा दिये गए उद्घाटन भाषण में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा था:

''.....यद्यपि यह एक तथ्य है कि बकाया मामले बढ़ गए हैं और न्यायपालिका आलोचना से बच नहीं सकती है, किन्तु कार्यपालिका भी इसके लिए भागत: उत्तरदायी है। कार्यपालिका रिक्तियों को भरने के लिए अपना समय लेने के साथ-साथ कार्यपालिका को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराने में सदैव असफल रही है।.....''

(ख) सिविल और दांडिक दोनों मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायधीशों/न्यायिक अधिकारियों की पद संख्या में वृद्धि, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना करना और माध्यस्थम और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान के ढंगों को अपनाया जाना सम्मिलित है। लोक अदालतों को विवादों के समाधान के लिए अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार दिया गया है।

प्रक्रिया संबंधी विधि का संशोधन एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। एक विधेयक अर्थात् सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000, 22 दिसंबर, 2000 को संसद में पुर:स्थापित किया गया है, जो संसद में विचार और पारित किए जाने के लिए लंबित है। इस समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संबंध है, भारत के विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का व्यापक रूप से पुनर्विलोकन किया है। सरकार ने हाल ही में दाण्डिक न्याय प्रणाली को नया रूप देने के लिए न्यायमूर्ति, श्री वी.एस. मलिमथ की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की है।

सरकार ने लंबे समय से लंबित सेशन मामलों और विचारणाधीन व्यक्तियों के मामलों में पूर्विकता पर शीघ्र निपटान के लिए 1734 त्वरित निपटान न्यायालयों के सृजन के लिए एक स्कीम मंजूर की है जिसमें 502.90 करोड़ रुपए की रकम अंतर्वलित है।

दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई चार महानगरों में सभी न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग के लिए वर्ष 2001-2002 में एक प्रारम्भिक परियोजना तैयार की जा रही है, जो देश के अन्य न्यायालयों के लिए आदर्श के रूप में कार्य करेगी। न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग से देश में न्यायालयों की क्षमता में वृद्धि होगी और मामलों के निपटान में शीघ्रता आएगी।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में जगेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार

650. श्री जयप्रकाश : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तरांचल के अलमोड़ा जिले में जगेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और 2001-2002 के लिए प्रस्तावित इस शीर्ष पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक जगेश्वर मंदिर का रखरखाव एवं संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। सामान्य रखरखाव के अलावा, स्मारक की वास्तविक जरूरतों के मुताबिक संरचनागत संरक्षण कार्य किए जाते हैं।

पिछले 3 वर्षों के दौरान मंदिर के रखरखाव एवं संरक्षण पर किया गया व्यय निम्न प्रकार है:-

1998-99	-	50,000 रुपये
1999-2000	-	95,926 रुपये
2000-2001	-	1,29,321 रुपये

चालू वित्तीय वर्ष में इस स्मारक के लिए 3.15 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

भारतीय कृषि उत्पादों को प्रोत्साहन

651. **श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि उत्पाद प्रदूषणकारी होते हैं;

(ख) क्या भारतीय कृषि इसके परिणामस्वरूप बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय कृषि उत्पादों के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सामान्यत: तथा खासतौर से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने अनेक कारगर उपाय किए हैं; जैसे अच्छी गुणवत्ता की रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु छोटी तथा बड़ी नर्सरियां बनाने के लिए सहायता देना, ग्रेडिंग/प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना तथा गुणवत्ता परीक्षण उपकरणों के लिए सरल ऋण देना, गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रदूषण तथा जीवाणुओं तथा फफूंद से मुक्ति के लिए उत्पादों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहायता देना, विशेष परिवहन यूनिटों की खरीद, प्रिकूलिंग/शीत भण्डार सुविधाओं की स्थापना, समेकित फसलोपरान्त रख-रखाव प्रणाली (पैक हाऊस) जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों को वित्तीय सहायता देना।

दीर्घावधिक निर्यात नीति में कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है। इस नीति में भौगोलिक रूप से निकटस्थ क्षेत्र में विशिष्ट उत्पादों के निर्यात के समग्र विकास के लिए कृषि निर्यात क्षेत्रों के सृजन की परिकल्पना की गई है। ये क्षेत्र सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात किए जाएंगे, जो सेवाओं का एक व्यापक पैकेज तैयार करेंगे, जैसे कटाई पूर्व/पश्चात् उपचार एवं प्रचालन का प्रावधान, पौध संरक्षण, प्रसंस्करण, भण्डारण तथा संबद्ध अनुसंधान एवं विकास। कृषि क्षेत्र निर्यात-आयात नीति स्कीम जैसे शुल्क छूट स्कीम तथा निर्यात पूंजी माल स्कीम का भी लाभ उठाएगा। सरकार द्वारा हाल ही में 31 मार्च, 2001 को घोषित निर्यात-आयात नीति में कृषि निर्यातकों को अन्य माल के निर्यात के लिए निर्धारित सीमा का एक तिहाई प्राप्त कर लेने पर एक्सपोर्ट हाऊस/ट्रेडिंग हाऊस/स्टार ट्रेडिंग हाऊस/सुपर स्टार ट्रेडिंग हाऊस के रूप में मान्यता प्रदान करने की पात्रता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

कृषि उत्पाद विपणन समितियों का पुनरुद्धार

652. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि उत्पाद विपणन समितियों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के पुनरुद्धार के संबंध में महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) कृषि उत्पाद मण्डियों के विकास हेतु तत्कालीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिशों पर 1.4.1992 से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया गया था, को फिर से चालू करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।.

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में नारियल उद्योग संकट में

653. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** :
श्री आर.एस. पाटिल :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि कुछ राज्यों में विशेषकर कर्नाटक में नारियल कुटकी के कारण नारियल उत्पादक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान कुटकी के खतरे के कारण कर्नाटक में नारियल और सुपारी की फसलों को अनुमानित कितना नुकसान हुआ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा इस खतरनाक बीमारी पर नियंत्रण करने और इस संबंध में उत्पादकों को मुआवजा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) इस पेस्ट पर नियंत्रण करने के लिए कितनी मात्रा में केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है और इन राज्यों को कितनी सहायता दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 1998 में कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में नारियल एरियोफाइड कुटकी से ग्रस्त नारियल पाम।

(ख) जैसाकि कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है कर्नाटक में लगभग 80 लाख नारियल पाम नारियल एरियोफाइड कुटकी से प्रभावित हैं। कोई तीव्र प्रभाव सूचित नहीं किया गया है।

(ग) एरियोफाइड कुटकी का नियंत्रण करने के लिए संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:-

(1) नारियल विकास बोर्ड ने जैवीय उपायों के माध्यम से कुटकी के नियंत्रण के लिए जैव-धारकों का विकास करने के लिए जैवीय नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर के माध्यम से 3.00 लाख रुपए की लागत की अनुसंधान परियोजना प्रायोजित की। "माइकोहिट" नामक जैव-कारक का विकास किया गया है।

(2) नारियल विकास बोर्ड द्वारा केन्द्रीय पौध रोपण फसल अनुसंधान संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर किसानों के मध्य जागृति अभियान/सेमीनार/समूह चर्चाएं आयोजित की गई;

(3) नारियल विकास बोर्ड विभागीय स्टाफ और किसानों के लिए प्रशिक्षण संचालित किए और नौट पर कुटकी की सूचना देने के लिए वैबसाइट विकसित की;

(4) नारियल कुटकी पर अनुसंधान कार्य के लिए राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना (एन.ए.टी.पी.) के तहत 142.45 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है जिसमें कर्नाटक के दो केन्द्र शामिल हैं यथा कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ और जैवीय नियंत्रण परियोजना निदेशालय, बंगलौर।

(5) नारियल कुटकी के प्रबंधन पर उपयुक्त नियंत्रण उपायों का विकास करने के लिए समन्वित प्रयास करने और पुनरीक्षा करने के लिए संचालन समिति का गठन किया गया था। समिति ने रसायनों, पारिस्थितकी के अनुकूल कीटनाशियों, माइक्रोबियल कीटनाशियों और अभिज्ञात प्रीडेटस की सिफारिश की है।

(घ) इन राज्यों को नारियल कुटकी से नियंत्रण के लिए नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से मांगी गई केन्द्रीय सहायता और दी गई सहायता की प्रमात्रा नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

राज्य	मांगी गई सहायता	दी गई सहायता
1. केरल	100.00	30.04
2. कर्नाटक	336.37	8.90
3. तमिलनाडु	31.10	10.54
3. आंध्र प्रदेश	12.24	3.70

शीतागारों का निर्माण

654. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री नवल किशोर राय :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री सुबोध राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उपजों के उत्पादन के बाद के होने वाले नुकसान को रोकने के लिए शीतागारों के निर्माण/विस्तार को प्रोत्साहन देने हेतु किसी योजना की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना किस तारीख को शुरू की गई थी और इस योजना के तहत राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई थी;

(ग) योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ष शीतागारों के निर्माण द्वारा कितनी भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है; और

(घ) अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार देश में शीतागारों की राज्यवार कुल भंडारण क्षमता कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अप्रैल, 1999 को मार्च, 2002 तक 175.00 करोड़ रु. के परिव्यय से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के जरिए "बागवानी उत्पादों हेतु शीतागारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम" नामक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है।

(ख) इस स्कीम का 13.12.99 को अनुमोदन दिया गया। इस स्कीम के अंतर्गत राज्यवार कोई बजटीय आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह मांग आधारित है।

(ग) इस स्कीम के अधीन, उन परियोजनाओं के मामले में जिसमें ऋण सन्निहित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के माध्यम से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा परियोजना लागत के 25% एवं प्रति परियोजना 25.00 लाख रु. से अधिक नहीं तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 60.00 लाख रु. प्रति परियोजना की सीमा तक परियोजना लागत का 33.33% की दर से पार्श्वान्त पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान की जाती है। उद्यमियों द्वारा अपने संस्थानों से पूर्णत: वित्तपोषित परियोजनाओं के मामले में राजसहायता राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा सीधे दी जाती है। इस स्कीम के प्रारंभ होने से अब तक 15.26 लाख मीटरी टन की क्षमता वाली 312 शीतागारों को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर दिया दिया है।

(घ) देश में 31 दिसम्बर, 2000 को राज्य-वार, शीतागारों की कुल क्षमता का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

1999-2000 से 29.6.2001 तक के दौरान "शीतागारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण तथा बागवानी उत्पाद के भंडार के लिए पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम" के अधीन प्रगति का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की कुल सं.	कुल क्षमता (मीटरी टन)
1.	गुजरात	35	90653
2.	उड़ीसा	6	26500
3.	मध्य प्रदेश	32	164188
4.	आंध्र प्रदेश	19	113530
5.	महाराष्ट्र	11	47707
6.	पंजाब	22	67811
7.	हरियाणा	14	52373
8.	तमिलनाडु	15	42534
9.	असम	2	10000
10.	राजस्थान	24	108388
11.	उत्तर प्रदेश	110	713022.86
12.	कर्नाटक	9	28900
13.	बिहार	4	21200
14.	प. बंगाल	7	35200
15.	दिल्ली	1	1600
16.	त्रिपुरा	1	3000
	कुल	312	1526586.86

विवरण-II

31.12.2000 को क्षेत्र-वार शीतागारों का वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	निजी क्षेत्र		सहकारी क्षेत्र		सार्वजनिक क्षेत्र		कुल सं.	क्षमता मीटरी
		सं.	क्षमता	सं.	क्षमता	सं.	क्षमता	(3+4+5)	टन में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप (सं. शा. क्षेत्र)	1	164	0	0	1	39	2	203
2.	आंध्र प्रदेश	177	369511	6	901	19	6373	202	376785
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	असम	3	8652	0	0	16	5708	19	14360
5.	बिहार	188	592785	11	35672	1	2243	200	630700
6.	चण्डीगढ़ (सं. शा. क्षेत्र)	6	13630	0	0	0	0	6	13630
7.	दिल्ली	79	102260	1	2701	16	17681	96	122642
8.	गुजरात	290	682690	16	16872	8	8184	314	707746
9.	गोवा	21	1960	0	0	2	281	23	2241
10.	हरियाणा*	192	262424	9	13821	0	0	201	276245
11.	हिमाचल प्रदेश	7	9141	2	767	7	6195	16	16103
12.	जम्मू और कश्मीर	14	35369	3	2134	1	46	18	37549
13.	केरल	138	26420	6	1080	12	1880	156	29380
14.	कर्नाटक	79	44952	18	7456	13	2739	110	55147
15.	लक्षद्वीप (सं. शा. क्षेत्र)	0	0	0	0	1	36	1	36
16.	महाराष्ट्र	297	291973	52	19789	29	7851	368	319613
17.	मध्य प्रदेश	147	662364	21	60164	6	2760	174	645288
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	नागालैण्ड	0	0	1	1149	0	0	1	1149
22.	उड़ीसा	59	156010	10	14000	2	1630	71	171640
23.	पांडिचेरी (सं. शा. क्षेत्र)	3	53	1	130	1	17	5	200
24.	पंजाब**	258	1016000	8	18824	3	14440	390	1049264
25.	राजस्थान	75	336561	9	3832	1	14	85	240407
26.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	तमिलनाडु	74	64585	13	9284	7	4587	94	78456
28.	त्रिपुरा	1	2000	1	2000	1	1000	3	5000
29.	उत्तर प्रदेश**	1046	5464000	80	238000	3	8000	1129	5710000
30.	पश्चिम बंगाल	325	3581800	36	172000	0	0	361	3753800
	कुल	3591	13525304	304	640576	150	91704	4045	14257584

*18.5.1999 को आंकड़े

**31.12.1999 को आंकड़े

[हिन्दी]

नई रेल गाड़ियां चलाना

655. श्री रामशकल :
श्री खारबेल स्वाइं :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा चालू वर्ष के रेलवे बजट में घोषित सभी नई रेल गाड़ियां चलना शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) रेलवे बजट 2001-2002 में 24 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी सेवाओं की घोषणा की गई है। इनमें से 11 जोड़ी गाड़ियां शुरू की गई हैं। शेष प्रस्तावित 13 जोड़ी गाड़ियों को आवश्यक प्रबंध किए जाने के बाद चालू वित्त वर्ष में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु मानदंड

656. श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी तंत्र द्वारा राज्य-वार चलाए जा रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी और गैर-सरकारी तंत्र द्वारा चलाए जा रहे कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रगति रिपोर्टों की तुलनात्मक रूप से समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(च) इन पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(छ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य-वार और स्थान-वार खोले जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जहां तक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के मानदण्डों का सवाल है इसमें यह उल्लेख किया जाता है कि जहां तक संभव हो इसका स्थान जिले के मध्य भाग में हो जिसमें भूमि और नगर सुविधाओं की उपलब्धता, संगठन की क्षमता तथा एक कृषि विज्ञान केन्द्र की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध हो।

(ख) 261 कृषि विज्ञान केन्द्रों में से 71 गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जाते हैं। शेष 190 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया।

(ग) और (घ) कार्यान्वयन एजेंसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्रों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है और यह समीक्षा प्रौद्योगिकियों की स्थान विशिष्टता, उस क्षेत्र की आवश्यकताओं तथा क्षेत्र के किसानों जहां कृषि विज्ञान केन्द्र स्थित है, के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ङ) से (छ) विभिन्न राज्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु 66 नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने के लिए करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्यवार तथा स्थानवार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

विवरण-I

मेजबान संस्थानवार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य कृषि विश्वविद्यालय	भा.कृ.अ.प.	गैर-सरकारी संगठन	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	राज्य सरकार	केन्द्रीय विश्व-विद्यालय/अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–	1
2.	आंध्र प्रदेश	6	2	8	–	–	–	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	1	–	–	–	–	1
4.	असम	4	–	–	–	–	–	4
5.	बिहार	10	–	4	2	–	–	16
6.	छत्तीसगढ़	4	–	–	–	–	–	4
7.	दिल्ली	–	–	–	1	–	–	1
8.	गोवा	–	1	–	–	–	–	1
9.	गुजरात	4	–	4	–	2	–	10
10.	हरियाणा	8	2	2	–	–	–	12
11.	हिमाचल प्रदेश	8	–	–	–	–	–	8
12.	जम्मू एवं कश्मीर	3	–	1	–	–	–	4
13.	झारखण्ड	1	–	3	1	–	–	5
14.	कर्नाटक	6	1	4	–	–	–	11
15.	केरल	3	3	3	–	–	–	9
16.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	1	–	1
17.	मध्य प्रदेश	11	1	4	–	–	–	16
18.	महाराष्ट्र	5	1	16	–	–	1	23
19.	मणिपुर	–	1	–	–	–	–	1
20.	मेघालय	–	1	–	–	–	–	1
21.	मिजोरम	–	–	–	–	–	2	2
22.	नागालैंड	–	1	–	–	–	–	1
23.	उड़ीसा	8	4	–	–	–	–	12
24.	पाण्डिचेरी	–	–	–	–	2	–	2
25.	पंजाब	9	1	–	–	–	–	10
26.	राजस्थान	23	2	5	–	–	1	31
27.	सिक्किम	–	1	–	–	–	–	1
28.	तमिलनाडु	5	–	9	–	–	2	16
29.	त्रिपुरा	–	1	1	–	–	–	2
30.	उत्तर प्रदेश	19	2	4	–	–	3	28
31.	उत्तरांचल	2	–	–	–	–	–	2
32.	पश्चिम बंगाल	2	1	3	2	–	1	9
	कुल	141	28	71	6	5	10	261

विवरण-II

नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए पता लगाये गये जिलों की सूची

राज्य	जिले		
1	2		
असम	1. डिब्रूगढ़	2. बरपेटा	3. नलबड़ी
	4. शिवसागर	5. वोबगांव	6. उत्तरी कछार की पहाड़ियों
आंध्र प्रदेश	7. कृष्णा		
अरूणाचल प्रदेश	8. लोअर सवनसिरी	9. पश्चिम कमांग	10. लोहित
	11. टिराप		
बिहार	12. मधेपुरा	13. सारण	14. गोपालगंज
	15. रोहतास	16. खगडिया	
छत्तीसगढ़	17 कवारदाह	18. जसपुर	
दादर तथा नागर हवेली	19. सिलावासा		
हरियाणा	20. सिरसा	21. भिवानी	22. महेन्द्रगढ़
	23. रोहतक	24. पंचकुला	25. झज्जर
	26. फतेहाबाद		
हिमाचल प्रदेश	27. कांगड़ा		
जम्मू व कश्मीर	28. बुड़गांव	29. श्रीनगर	30. राजोरी
	31. डोडा		
झारखण्ड	32. पलामू		
मध्य प्रदेश	33. बेतुल	34. धार	35. पन्ना
	36. सिहोर	37. नीमच	38. नरसिंहपुर
महाराष्ट्र	39. हिंगोली	40. नन्दुरबार	41. भण्डारा
मणिपुर	42. विष्णुपुर	43. सेनापति	
मेघालय	44. पश्चिम खासी पहाड़ियां	45. पूर्वी खासी पहाड़ियां	46. पूर्वी गारो हिल्स
	47. जयनतिया पहाड़ियां	48. रिभुई	
मिजोरम	49. चिमतुईपुई		
नागालैंड	50. फेक	51. मोकोकचुंग	

1	2		
उड़ीसा	52. जासुघडा	53. देवघर	54. जाजपुर
सिक्किम	55. उत्तर	56. दक्षिण	57. पश्चिम
तमिलनाडु	58. पेरम्बलूर	59. तिरूवरूर	
त्रिपुरा	60. उत्तरी त्रिपुरा	61. ढलाई	
उत्तर प्रदेश	62. बागपत	63. बुलन्दशहर	64. मणिपुर
	65. प्रतापगढ़	66. उन्नाव	

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों की यात्रा हेतु लक्ष्य

657. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन की बढ़ती दर में बढ़ोत्तरी का लक्ष्य बनाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दसवीं योजना में ऐसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए विशेष धनराशि प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर अधिक जोर देने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो दसवीं योजना में पर्यटन क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्मिक रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के लक्ष्यों, विशेष निधिकरण के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण और प्रशिक्षित जनशक्ति मुहैया कराने के लिए मानव संसाधन के विकास के मुद्दों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पहले से ही गठित पर्यटन पर कार्यसमूह तथा संचालन समिति में चर्चा के बाद विचार-विमर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों में चोरी

658. डा. बलिराम :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे स्टेशनों पर पचास हजार रुपए से अधिक रुपए की चोरी होने के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने मामलों में चोर गिरफ्तार किए गए और धन वसूल किया गया और कितने मामले अभी हल किए जाने हैं और ये मामले कब से बिना निपटान के पड़े हैं;

(ग) इन चोरियों में कितने रेलवे कर्मचारी लिप्त पाए गए; और

(घ) प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) चूंकि पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए चलती गाड़ियों और रेल परिसरों में यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबद्ध राज्य सरकार की है जिसका निर्वाह वे अपनी रेलवे पुलिस (रा.रे.पु.) द्वारा करती है। चूंकि रेलों पर अपराध के मामलों की रिपोर्ट राजकीय रेलवे पुलिस को सूचित की जाती है तथा रा.रे. पुलिस द्वारा उन्हें दर्ज एवं जांच की जाती है, अत: प्रश्न में मांगी गई सूचना इस मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

देश में नई विद्युत परियोजनाएं

659. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **विद्युत मंत्री** देश और राज्य में नई विद्युत परियोजनाओं के बारे में 22.2.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या-227 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त सूचना के कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

कच्चे तेल के आयात और उपयोग के बीच अंतराल

660. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कुल श्रृंखला की बिक्री मात्रा क्रमश: 90.1 और 90.2 मीट्रिक टन थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल की आयातित मात्रा के बीच बड़ा अन्तराल था;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ङ) उन वर्षों में कच्चे तेल की दर क्या रही?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा (मिलियन मीट्रिक टनों में)
1999-2000	97.1
2000-2001	96.8*

(ग) से (ङ) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल के आयात के बारे में सूचना नीचे दी गई है:-

वर्ष	मात्रा (मिलियन मीट्रिक टन)	औसत प्रकाशित प्लैट्स मूल्य	
		दुबई के लिए (अमरीकी डालर प्रति बैरल)	ब्रैंट के लिए (अमरीकी डालर प्रति बैरल)
1999-2000	44.989**	20.54	21.77
2000-2001	74.119**	25.98	28.13

*अनंतिम आंकड़े

**संयुक्त उद्यम कंपनी/निजी पक्षकारों द्वारा आयातित क्रूड शामिल नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

661. प्रो. दुखा भगत : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कितनी खाद्य प्रसस्करण इकाइयां हैं; और

(ख) सरकार किस ढंग से इन उद्योगों को बढ़ावा देती है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंकरण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के बारे में सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती। वैसे, वर्ष 1997-98 के लिए उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार फैक्टरी क्षेत्र में 31415 खाद्य प्रंस्करण फैक्टरियां थी।

(ख) विभाग अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के वास्ते ऋण या सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुकर बनाने हेतु सहायता

662. श्री सवशीभाई मकवाना :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कितनी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण में समग्र विकास को सुकर बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) सरकार ने देश में प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के वास्ते विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग की योजना स्कीमों के अंतर्गत, जोकि परियोजना विशेष हैं न कि राज्य विशेष, इस क्षेत्र के विकास के लि गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी उद्योगों, मानव संसाधन विकास एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों पर लगने वाले 16% उत्पाद शुल्क को वर्ष 2001-2002 के बजट में घटाकर शून्य कर दिया गया है। निजी क्षेत्र के उपक्रमों को अब तक दिए जाने वाले आसान शर्तों पर ऋण के स्थान पर अनुदान देने के वास्ते योजना स्कीमों में संशोधन किए गए हैं।

बिहार में ग्रामीण शिल्प मेले

663. श्री अरूण कुमार : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए बिहार में ग्रामीण शिल्प मेलों का आयोजन करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार के पास वर्ष 2001-2002 के दौरान बिहार में कटिहार, किशनगंज में पटसन उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के तहत संगोष्ठी का आयोजन करने हेतु कोई कार्यक्रम है: और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का आयात/निर्यात

664. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री उत्तमराव पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत कृषि सामानों/उत्पादों के आयात और निर्यात के संबंध में दीर्घकालीन नीति बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यापक ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) कृषि जिंसों से संबंधित दीर्घावधिक आयात नीति की विशेषताएं निम्नवत हैं:-

* गेहूं, चावल, मक्का, अन्य मोटे अनाज, खोपरा, नारियल तेल जैसे कृषि उत्पादों का आयात राज्य व्यापार की श्रेणी में रखा गया है। नामित राज्य व्यापार उद्यम इन जिंसों का आयात पूर्ण रूप से वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार करेंगे।

* घरेलू उत्पादकों की तुलना में आयातकों को समान अवसर सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया है। गैट के "राष्ट्रीय व्यवहार सिद्धांत" के अनुरूप आयात को

निम्नलिखित घरेलू विनियमों के अधीन लाया गया है:-

- सभी खाद्य उत्पादों का आयात, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन होगा।

- मांस तथा कुक्कुट उत्पादों का आयात मांस खाद्य उत्पाद आदेश के सभी प्रावधानों के अनुपालन के अध्यधीन होगा।

- चाय अवशिष्ट का आयात चाय अवशिष्ट (नियंत्रण आदेश) के अनुपालन के अध्यधीन होगा।

- प्रतिबंधित रंग जैसे एजो डाई के इस्तेमाल वाली वस्त्र सामग्री के आयात की अनुमति नहीं होगी। इस परियोजनार्थ लदान पूर्व परीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

* यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषि उत्पादों के आयात से देश में विदेशी रोगों तथा कीटों की अवांछित घुसपैठ न हो, पौध तथा पशु मूल के प्राथमिक उत्पादों का आयात ''जैव सुरक्षा एवं स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता परमिट'' के अधीन लाने का निर्णय लिया गया है जो कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी यह परमिट स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग संबंधी विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार वैज्ञानिक सिद्धांतों पर किए जाने वाले उत्पाद के आयात जोखिम विश्लेषण पर आधारित होगा।

(ग) नई निर्यात आयात नीति में परिकल्पित सुरक्षा के अलावा कृषि जिंसों के अंधाधुंध आयात को विनियमित करने के लिए कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन के समझौते में बंधित दरों के अंतर्गत अनुप्रयुक्त दरों के समुचित निर्धारण का पहले ही प्रावधान किया गया है तथा एण्टी डम्पिंग कार्रवाई, समान कार्रवाई अथवा समझौते में प्रदत्त विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सुरक्षा कार्रवाई सहित व्यापार सुधार उपाय, शुरू करने का प्रावधान है। भारत ने अपने विचार-विमर्श प्रस्ताव में विकसित देशों द्वारा निर्यात राजसहायता हटाने तथा देश में राजसहायता प्राप्त तथा कृषि जिंसों के अंधाधुंध आयात से घरेलू किसानों की रक्षा के लिए अलग से सुरक्षा मुहैया करने की मांग की है।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से अतिरिक्त विद्युत का लक्ष्य

665. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले 10 वर्ष के दौरान पहले निर्धारित किए गए 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत के लक्ष्य को बढ़ाकर 20,000 मेगावाट कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाएं शुरू करने में सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को बराबर की निधियां उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी नहीं। मसौदा अक्षय ऊर्जा नीति विवरण के अनुसार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य, देश में वर्ष 2012 तक स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता का 10%, अथवा 10,000 मेवा. है। इस नीति विवरण का मसौदा सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) अपारंपरिक स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता निजी निवेशों के माध्यम से स्थापित वाणिज्यिक परियोजनाओं से प्राप्त की जाएगी, वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओं और बैंकों, तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन तंत्र से किया जाएगा। विद्युत उत्पादन हेतु अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय और राज्य योजनाओं में बजटीय आवंटनों की भी परिकल्पना है।

साक्ष्य अधिनियम में संशोधन

666. डा. वी. सरोजा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 155 में संशोधन करने पर विचार कर रही है ताकि यौन उत्पीड़न या बलात्कार की पीड़ित महिला के पिछले यौन व्यवहार संबंधी ब्यौरे के उपबंध को समाप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) भारत के विधि आयोग ने बलात्संग संबंधी विधियों के पुनर्विलोकन पर अपनी 172वीं रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 155 की उपधारा (4) को हटाए जाने की सिफारिश की है। सरकार विधि आयोग की सिफारिशों की राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके समीक्षा कर रही है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अधीन आता है।

[हिन्दी]

अकाल की परिस्थिति से बचने के लिए योजना

667. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बार-बार आ रही अकाल की परिस्थिति से बचने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कितनी निधियां आबंटित की गई हैं और इस योजना के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता है तथा अकाल की परिस्थिति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा तथा राजस्थान को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वितरण के लिए गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की दरों पर खाद्यान्न आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सूखा प्रभावित राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 15 लाख मी. टन मुफ्त खाद्यान्न आबंटित किया गया है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा ताजमहल का रखरखाव

668. डा. नीतिश सेनगुप्ता :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताजमहल के संरक्षण और सुविधाओं के उन्नयन का काम एक निजी कम्पनी को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके नियम और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या यह कार्य प्रतिस्पर्धा बोलियों के बाद दिया गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या दोनों पक्षों के बीच किए गए समझौते में पारदर्शिता अपनाई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या स्मारक के रखरखाव का वास्तविक प्राधिकार अभी भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास है;

(ज) यदि नहीं, तो क्या जिस कम्पनी को ताजमहल के रख-रखाव का काम सौंपा गया है उसके पास आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता है;

(झ) यदि नहीं, तो इसे यह जिम्मेदारी दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ञ) इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ञ) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इण्डियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड के साथ राष्ट्रीय संस्कृति निधि के तत्वावधान में एक समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया है जो उन स्मारकों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं के निधियन के लिए निजी व्यक्तियों, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र/कारपोरेटों को अनुमति देती है जिनका कार्यान्वयन केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के आस-पास पर्यटकों संबंधी सुविधाओं को बनाने और पर्यावरण में सुधार लाने संबंधी कार्य को इन अभिकरणों द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित सुनिश्चित निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

हिम्मतनगर-चित्तौड़गढ़ रेलमार्ग का आमान-परिवर्तन

669. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदयपुर के रास्ते हिम्मतनगर-चित्तौड़गढ़ रेलमार्ग के आमान परिवर्तन हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) आमान-परिवर्तन का काम कब तक शुरू हो और पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी नहीं। हिम्मतनगर-उदयपुर के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। उदयपुर-चित्तौड़गढ़ मी.ला. को ब.ला. में आमान परिवर्तन करने से संबंधित पहले ही प्रगति पर है और परिचालनिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट के पूरा होने पर समग्र लाइन के आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत का पता चल पाएगा।

[अनुवाद]

डी.एम.एस. को घाटा

670. **श्री सईदुज्जमा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.एम.एस. (दिल्ली दुग्ध योजना) को गत तीन वर्ष के दौरान भारी घाटा हुआ है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डी.एम.एस. का व्यवसायीकरण कर उपरि-व्यय को कम करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार तरल दूध के अतिरिक्त सभी उत्पादों का विनिर्माण बंद करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमश: 57.7 करोड़ रुपए तथा 55.7 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के मूल्य में वृद्धि के बाद 2000-01 के दौरान 7.8 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

(ग) और (घ) जी, हां, दिल्ली दुग्ध योजना विपणन, दुलाई तथा संयंत्र संचालन जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तिरुवनंतपुरम में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना

671. **श्री वी.एस. शिवकुमार** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरुवनंतपुरम, केरल में केरल उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (घ) तिरुवनंतपुरम में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए केरल सरकार से केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए केंद्रीय सरकार के लिए इस विषय में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

नए बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना

672. **डा. रमेश चंद तोमर** :
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का विचार देश में और अधिक बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो बाटलिंग संयंत्रों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) इन बाटलिंग संयंत्रों का कार्य पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है और इनकी क्षमताएं कितनी-कितनी होगी; और

(घ) विभिन्न बाटलिंग संयंत्रों की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) एल.पी.जी. भरण संयंत्र पैक्ड एल.पी.जी. की मांग संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। अधिकतम परिवहन शिकायतें प्राप्त करने के लिए एल.पी.जी. भरण संयंत्र खपत केन्द्रों के पास स्थापित किए जाते हैं। आगामी पैक्ड एल.पी.जी. मांग को पूरा करने के उद्देश्य से तेल उद्योग द्वारा देश में एल.पी.जी. भरण क्षमता 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार 5595 टी.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर नौवीं योजना (2001-2002) के अन्त तक 8070 टी.एम.टी.पी.ए. करने के लिए योजना बनाई है। भरण संयंत्र को चालू करने के लिए आमतौर पर भूमि लेने के बाद लगभग 24 महीने लगते हैं। भरण संयंत्र की लागत भूमि की लागत और अन्य सहायक घटकों के आधार पर प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग होती है।

देश में बिजली संकट

673. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश का विद्युत क्षेत्र खस्ता हाल में है और पूर्ण संकट से बचने के लिए इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या विद्युत क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए कौन-कौन से अन्य कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र की मुख्य समस्याएं है-राज्य सरकार विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति, विद्युत की चोरी, अधिक पारेषण एवं वितरण हानियां अविवेकपूर्ण टैरिफ ढांचा, अपर्याप्त वितरण नेटवर्क आदि, सरकार के विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए एहतियाती भूमिका निभाई है। कुछ मुख्य पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्थानों में विनियामक आयोगों की स्थापना का रास्ता साफ करने के लिए सरकार ने अप्रैल, 1998 में विद्युत विनियामक आयोग अध्यादेश पारित किया।

(2) विद्युत मंत्रालय ने राज्य को प्रदान की जाने वाली विशेष रियायतों के स्थान पर विद्युत क्षेत्र सुधार आरंभ करने के लिए गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड, प. बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(3) 3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकारे गए मुख्य प्रस्तावों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- अगले 6 माह के भीतर सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रभावी करना और स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी तय करना।
- सभी उपभोक्ताओं की पूर्णत: मीटरिंग का लक्ष्य दिसम्बर, 2001 तक पूरा करने का बनाया गया है। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
- वितरण का निजीकरण करके स्थानीय निकायों को स्थानीय वितरण हस्तांतरित करके पूर्ण जिम्मेवारी के साथ लाभ केंद्रों का सृजन करके 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जानी है।
- विद्युत क्षेत्र में वितरण में निजी निवेश आमंत्रित करने में राज्यों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता होगी।
- वितरण में चालू प्रचालन कार्यों द्वारा 2 वर्ष में ब्रेकईवन पर पहुंचने और तत्पश्चात् सकारात्मक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- अगले 6 माह में राज्य विद्युत विनियामक आयोग कार्य आरंभ कर देंगे और ये टैरिफ निर्धारित करेंगे। के.वि. आयोग और रा.वि.वि. आयोग द्वारा

जारी टैरिफ आदेशों को पूर्णत: कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है, जब तक कि न्यायालय आदेश द्वारा इन पर रोक न लगे।

- राज्य सरकार को बजट प्रावधानों के जरिए आर्थिक सहायता उस सीमा तक प्रदान की जाएगी, जहां तक कि वे आर्थिक सहायता को भुगतान करने की क्षमता रखते हों।

- केन्द्र और राज्यों द्वारा 10वीं योजना के परिव्ययों में वृद्धि के संबंध में उपयुक्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होगी। निवेश हेतु प्राथमिकता उन स्थानों को दी जाएगी, जो विशेषत: जल विद्युत परियोजनाओं और पिटहैड के विद्युत उत्पादन हेतु सस्ती से सस्ती विद्युत उत्पादित करते हों। के.वि.प्रा. ने सन् 2012 तक 10,0000 मे.वा. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

- विद्युत के अन्त:क्षेत्रीय अंतरण हेतु एक राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण प्राथमिकता आधार पर करने की आवश्यकता है।

(घ) वर्ष 2000-01 के दौरान देश में ऊर्जा कमी 7.8% थी, जबकि व्यस्ततम कालीन कमी 13% थी। विद्युत की उपलब्धता और विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार लाने तथा देश में उपलब्ध विद्युत संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का शीघ्र क्रियान्वयन।
2. मांग पक्ष प्रबंधन हेतु उपायों का संवर्द्धन।
3. विद्यमान पुरानी विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।
4. अंतर्राज्यीय और अंतर्क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को बढ़ावा देना।
5. क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली में हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर और गैस टरबाइन विद्युत स्टेशनों का समन्वित परिचालन।
6. वोल्टता में सुधार लाने के लिए शंट कैपेसिटरों की स्थापना और विद्युत प्रणाली में पारेषण, रूपांतरण क्षमता की अभिवृद्धि।

निरपलानी मंदिर का जीर्णोद्धार

674. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई सर्किल में पुडुकोट्टई के निकट निरपलानी मंदिर के सामने वाले मंडप का जीर्णोद्धार किसी अन्य पुराने, और अन्य काल से संबंधित टूटे-फूटे मंदिर के स्तम्भों, पत्थरों से किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मंदिर में किए गए संरक्षण और जीर्णोद्धार कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संरक्षण और जीर्णोद्धार के कार्य की निदेशक (संरक्षण) द्वारा जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई विभागीय जांच की गई थी;

(च) यदि हां, तो उस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(छ) क्या सरकार ने विभिन्न सर्किलों में हुए संरक्षण और जीर्णोद्धार के कार्य की निगरानी और जांच हेतु एक संरक्षण समीक्षा समिति का गठन किया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पुडुकोट्टई के निकट समग्र निरपलानी मंदिर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन संरचना की मूल सामग्री का प्रयोग करके किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मंडल कार्यालयों में निष्पादित कार्यों की जांच, जब कभी सम्भव होती है सरसरी तौर पर की जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) जी नहीं। पुरातत्वीय संरक्षण कार्यों का निष्पादन तथा उनकी मॉनीटरिंग वर्तमान मानदंडों के अनुसार की जाती है। विभिन्न मंडलों में किए गए संरक्षण कार्यों की जांच के लिए यहां पर्याप्त अंतर्निर्मित व्यवस्थाएं हैं।

[हिन्दी]

गेहूं और चावल की उत्पादन दर

675. डा. सुशील कुमार इन्दौरा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं और चावल की उत्पादन दर अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त खाद्यान्नों की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन दर कितनी है और अधिकतम और न्यूनतम उत्पादन दर वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार ने कम उत्पादन दर वाले क्षेत्रों में उत्पादन दर बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं और इन क्षेत्रों में अधिकतम उत्पादन दर कितनी होने की संभावना है और इन क्षेत्रों में सरकार की कौन सी योजना लागू है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, हां। गेहूं और चावल की उत्पादकता अथवा उत्पादन दरें देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न हैं। फसलों की उत्पादकता कई घटकों पर निर्भर करती है जैसे कृषि जलवायुवीय स्थितियां, खेत का आकार, आदानों का प्रयोग, निवेश का स्तर और प्रबंधन का कौशल। चूंकि ये घटक एक राज्य से दूसरे राज्य में अत्यधिक भिन्न होते हैं, इसीलिए उत्पादकता भी भिन्न होती है। वर्ष 1999-2000 में चावल और गेहूं की अधिकतम और न्यूनतम उत्पादकता संगत राज्यों के नामों सहित नीचे दी गई है:-

(कि.ग्रा./हैक्टेयर)

फसल	अधिकतम	न्यूनतम
चावल	3278 (तमिलनाडु)	822 (दिल्ली)
गेहूं	4696 (पंजाब)	805 (कर्नाटक)

(ग) और (घ) चावल और गेहूं जैसी भिन्न फसलों की उत्पादकता और उपज बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें, अन्य के साथ-साथ शामिल, चावल/गेहूं आधारित फसल पद्धति क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 1994-95 से लागू किया जा रहा था। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गेहूं उत्पादक राज्यों में 425 खंड और चावल उत्पादक राज्यों में 1200 खंडों को चिन्हित किया गया था। ये चिन्हित खंड वे थे जहां इन फसलों की उत्पादकता दरें संबंधित राज्यों के औसतों से काफी कम थी। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किसानों को उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों के आयोजन और प्रशिक्षण के द्वारा प्रमाणित बीजों, प्रयुक्त उपकरणों और तकनीकी दक्षताओं के उन्नयन के संबंध में प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, नई-नई विकसित किस्मों/संकर किस्मों को लोकप्रिय बनाने के विचार से चावल और गेहूं से संबंधित बीज मिनीकिट कार्यक्रम और नई प्रौद्योगिकी का प्रसारण कार्यान्वयन में है।

तदनन्तर सरकार ने 27 स्कीमों को शामिल किया था जिसमें से उपरिलिखित में से एक कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अपेक्षा के लिए कृषि की बृहत प्रबंधन स्कीम में शामिल है जो राज्यों को उनकी कृषि-जलवायुवीय स्थितियों के लिए उपयुक्त फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने, उनके द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्याओं का पता लगाने, विभिन्न स्कीमों की विषयवस्तु में परस्पर व्यापी से बचने और कृषि के चहुं-तरफा विकास के लक्ष्य हेतु राज्यों को लचीलापन प्रदान करती है। इस स्कीम के कार्यान्वयन से कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। तथापि उत्पादकता भिन्नता कृषि जलवायुवीय स्थितियों, खेत आकार, आदानों का प्रयोग, निवेश का स्तर और प्रबंधन दक्षताओं जैसे घटक भिन्न-भिन्न रहेंगे।

[अनुवाद]

वाहनों में एल.पी.जी./सी.एन.जी. का प्रयोग

676. श्री खारबेल स्वाइं : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी प्रकार के वाहनों में एल.पी.जी. और सी.एन.जी. के प्रयोग की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वाहनों में प्रयुक्त होने वाले एल.पी.जी. सिलिन्डरों पर राज्य सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने स्थिर ईंधन टैंक वाले 4 पहियों के वाहनों के लिए आटोमोटिव ईंधन के रूप में एल.पी.जी. के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय

के निर्णय के अनुसार तिपहिया आटोरिक्शा सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए परिवहन ईंधन के रूप में सी.एन.जी. की अनुमति दे दी गई है।

(ग) और (घ) आटो एल.पी.जी. का मूल्य बाजार निर्धारित मूल्यों पर होगा।

देश के सूखा प्रभावित लोगों को सहायता

677. **श्री दलपत सिंह परस्ते :**
श्री बिक्रम केशरी देव:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में सूखे से प्रभावित गांवों/जिलों में और लोगों की संख्या के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में सूखे के कारण पशुधन को हुए नुकसान का भी कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन राज्यों में सूखा प्रभावित लोगों को काम देने के लिए कोई योजना शुरू की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) जिन राज्यों में पेयजल की कमी/धान की फसल की क्षति हुई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन राज्यों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार राजसहायता के रूप में और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अलग-अलग कितनी सहायता प्रदान की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान सूखे के कारण प्रभावित जिलों, जनसंख्या तथा पशुओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ङ) और (च) सूखे से प्रभावित राज्यों में रोजगार सृजन कार्य हेतु के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया है और इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 15 लाख मीटरी टन अनाज का नि:शुल्क आबंटन किया गया है।

(छ) छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान के कुछ भाग सूखे जैसी स्थिति एवं पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं। उत्तरांचल के एक जिलों में पानी की किल्लत है।

(ज) सूखे सहित प्राकृतिक आपदाएं आने पर आवश्यक उपाय करने के लिए राज्यों को प्रति वर्ष आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की राशि जारी की जाती है। इसके अलावा सूखा पड़ने पर राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से भी सहायता दी गई। विगत तीन वर्षों के दौरान सूखा प्रभावित राज्यों को आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से जारी सहायता का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। राहत सहायता की मद एवं मानदण्डों में छोटे तथा सीमान्त किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों के लिए आदान राजसहायता दिए जाने का प्रावधान है। राज्यों द्वारा प्रदत्त सहायता का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान सूखे के कारण प्रभावित जिलों, जनसंख्या तथा पशुओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	प्रभावित जिले (सं.)	प्रभावित संख्या (लाख में)	
			मनुष्य	पशु
1		2	3	4
1998-99				
1.	केरल	14	सूचित नहीं	सूचित नहीं
2.	मध्य प्रदेश	7	43.75	43.84

1	2	3	4
3. उड़ीसा	19	12.33	सूचित नहीं
4. राजस्थान	17	199.86	281.73
5. पश्चिम बंगाल	10	25.24	सूचित नहीं
1999-2000			
1. आंध्र प्रदेश	18	413.00	125.00
2. गुजरात	17	250.00	71.33
3. हिमाचल प्रदेश	12	सूचित नहीं	सूचित नहीं
4. जम्मू व कश्मीर	6	सूचित नहीं	सूचित नहीं
5. कर्नाटक	21	220.00	49.52
6. मध्य प्रदेश	7	26.64	34.28
7. मणिपुर	5	सूचित नहीं	सूचित नहीं
8. मिजोरम	3	सूचित नहीं	सूचित नहीं
9. राजस्थान	26	262.00	345.60
10. त्रिपुरा	4	सूचित नहीं	सूचित नहीं
11. पश्चिम बंगाल	10	सूचित नहीं	सूचित नहीं
2000-2001			
1. छत्तीसगढ़	12	94.08	32.40
2. गुजरात	23	291.00	107.00
3. हिमाचल प्रदेश	12	460.64	सूचित नहीं
4. जम्मू व कश्मीर	15	सूचित नहीं	37.98
5. मध्य प्रदेश	32	127.10	85.78
6. महाराष्ट्र	26	454.99	2.58
7. उड़ीसा	28	119.50	65.54
8. राजस्थान	31	330.00	399.69
कुल	375	2916.13	1682.27

उत्तरांचल का एक जिला पानी की कमी का सामना कर रहा है।

विवरण-II

प्रभावित राज्यों को वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान आपदा राहत कोष से जारी केन्द्रीय अंश तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से जारी सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	आपदा राहत कोष से जारी केन्द्रीय अंश			एन.एफ.सी.आर./एन.सी.सी.एफ. से प्रदत्त सहायता		
		1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99 (एन.एफ.सी.आर.)	1999-2000 (एन.एफ.सी.आर.)	2000-01 (एन.सी.सी.एफ.)
1.	आंध्र प्रदेश	103.30	107.69	148.54	–	75.36	–
2.	छत्तीसगढ़	–	–	20.60	–	–	40.00
3.	गुजरात	116.12	121.05	131.14	–	54.58	85.00
4.	हिमाचल प्रदेश	22.42	23.37	32.61	–	–	–
5.	जम्मू व कश्मीर	16.39	17.09	26.18	–	73.42	–
6.	कर्नाटक	34.81	36.29	55.93	–	17.09*	–
7.	केरल	46.08	48.04	17.34	–	–	–
8.	मध्य प्रदेश	42.49	44.29	46.98	–	38.86*	35.00
9.	महाराष्ट्र	56.73	44.36	117.90	–	–	–
10.	मणिपुर	2.06	1.61	1.56	–	4.93	–
11.	मिजोरम	1.05	1.10	1.12	–	6.00	–
12.	उड़ीसा	40.77	42.50	103.65	–	–	35.00
13.	राजस्थान	148.92	155.25	196.00	21.98	102.93	85.00
14.	त्रिपुरा	3.74	3.90	1.41	–	5.34	–
15.	उत्तरांचल	–	–	7.10	–	–	–
16.	पश्चिम बंगाल	42.69	44.50	75.83	–	–	–

*सूखे तथा बाढ़ हेतु

[हिन्दी]

इटारसी जंक्शन-कटनी जंक्शन रेलमार्ग का विद्युतीकरण

678. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटारसी जंक्शन और कटनी जंक्शन के बीच विद्युतीकरण का कार्य अधूरा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) धन की कमी और अन्य उच्च घनत्व के यातायात वाले मार्गों की सापेक्ष प्राथमिकता को ध्यान में रखने के कारण इस खंड के विद्युतीकरण पर विचार नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं

679. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2000 से आज तक निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को जल विद्युत परियोजनाओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए निधियां प्रदान की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि. के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं:-

1. बेलका (3 मेगावाट)

2. बबाली (3 मेगावाट)

3. शीतला (3.6 मेगावाट)

जहां बेलका और बबाली को पूरा कर लिया गया है और इन्हें 31.8.2001 से वाणिज्यिक भार पर आरंभ किए जाने की संभावना है। वहीं शीतला पर कार्य को मार्च, 2003 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन

680. श्री तूफानी सरोज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितने कनेक्शन जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों के माध्यम से वर्तमान कलेण्डर वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में 1.3 करोड़ नए एन.पी.जी. कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है।

गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र का विकास

681. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास के लिए कोई दीर्घ-कालिक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन क्षेत्रों का विकास किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इस प्रयोजन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष को शामिल करके गठित किए गए एक मंत्री दल द्वारा ''भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025'' शीर्षक का एक दीर्घावधि विजन प्रलेख तैयार किया गया है। भारत हाईड्रोकार्बन झलक-2025 में अन्वेषण, परिशोधन, विपणन ढांचे, गैस और हाईड्रोकार्बन क्षेत्र के सभी अन्य संबंधित मामलों के लिए सरकार की दीर्घावधि नीति समाहित है और यह अगले 25 वर्षों के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विकास के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी।

[अनुवाद]

''गेल'' के नौवें योजना परिव्यय में कमी

682. डा. जसवन्तसिंह यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लि. के लिए स्वीकृत नौवें योजना परिव्यय में कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कमी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) गेल के लिए नौवीं योजना में 6417.95 करोड़ रुपए के अनुमोदित योजना परिव्यय के मुकाबले मध्य अवधि मूल्यांकन के अनुसार अनुमान और वर्तमान अनुमान क्रमश: 5149 करोड़ रुपए और 5146.71 करोड़ रुपए हैं। परिव्यय में लगभग 1302 करोड़ रुपए को कभी मुख्य रूप से प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों के चालू न होने और संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूर्तिकरण में विलम्ब और दहेज में पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड के एल.एन.जी. टर्मिनल के पूर्णता कार्यक्रम में संशोधन के कारण हैं।

(ग) योजना परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय की सावधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

विद्युत करघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण

683. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात कोटा व्यवस्था को वर्ष 2005 तक चरणबद्ध ढंग से समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के उद्देश्य से विद्युत करघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत करघा क्षेत्र के लगभग 16.5 लाख करघों में से केवल 50,000 ही स्वचालित शटल वाले करघे हैं और 10,000 से कम शटल रहित करघे और शेष साधारण करघे हैं;

(ग) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चला है कि यदि भारतीय वस्त्र उद्योग ने अन्त: औद्योगिक सहयोगों को सुदृढ़ करने पर अधिक ध्यान देते हुए अपने आप को पुनर्गठित न किया तो उसे गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) विद्युतकरघा क्षेत्र की प्रौद्योगिकीय अप्रचलितता, कम उत्पादकता और घटिया कोटि के उत्पाद प्रमुख तथा इन खामियों को दूर करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा, विशेषकर एम.एफ.ए. व्यवस्था के बाद में, का सामना करने के लिए इसे सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिनमें महत्वपूर्ण कदम हैं:-

(1) 1.4.1999 से प्रारंभ की गयी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत विद्युतकरघा मशीनरी को शामिल करना।

(2) 'टेक्सटाइल पैकेज' जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युतकरघा क्षेत्र में 2.5 लाख अर्द्ध-स्वचालित/स्वचालित करघों और 50,000 शटलरहित करघों को शामिल कर आधुनिकीकरण की परिकल्पना है की घोषणा; और

(3) विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण, वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन और चयनित विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों में कंप्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना कर विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए सहायता ढांचों को मजबूत करना।

(ग) और (घ) जी हां। राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वृहत ढांचागत संतुलन द्वारा उत्पादकता में और अधिक कार्यक्षमता की आवश्यकता पर बल देती है तथा इस उद्देश्य से मूल्य वर्द्धन श्रृंखला के साथ वित्तीय शुल्क ढांचे का पुनर्गठन और विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन सहित विभिन्न उपायों का प्रस्ताव करती है।

[हिन्दी]

पिल्खी कृषि विज्ञान केन्द्र, उ.प्र. में अनियमितताएं

684. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय कृषि विज्ञान केन्द्रों, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पिल्खी कृषि विज्ञान केन्द्र में व्याप्त अनियमितताओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन केन्द्रों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों, विशेषतौर पर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में पिल्खी कृषि विज्ञान केन्द्र में व्याप्त अनियमितताओं की जांच नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के लेखा-नियंत्रक द्वारा की जा रही है। लेखा-नियंत्रक ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है जिसमें प्रशासनिक सुधारों का सुझाव दिया गया है।

(ग) सुधार के उपायों से प्रबंधन तथा अनुदेशात्मक फार्म सहित डेरी तथा मात्स्यिकी की प्रदर्शन यूनिटों के निष्पादन और आवासीय भवनों के उपयोग में सुधार हुआ है।

'किसान विद्यापीठ' की स्थापना

685. श्री राम टहल चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा रांची में 'किसान विद्यापीठ' की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विद्यापीठ की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) से (ग) रांची में 'किसान विद्यापीठ' स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1977 के दौरान रांची में रामकृष्ण मिशन आश्रम के संचालन में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया है। कृषि विज्ञान केन्द्र के क्रियाकलापों में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा खेत-परीक्षण द्वारा इसके प्रभाव का आकलन और अग्रपंक्ति प्रदर्शन किसानों के प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शामिल हैं।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में एल.पी.जी. एजेंसियां

686. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कम्पनीवार और स्थानवार कितनी एल.पी.जी. एजेंसियां और पेट्रोल पम्प कार्य कर रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों की एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप	खुदरा बिक्री केन्द्र
आई.ओ.सी.	185	389
बी.पी.सी.	74	218
एच.पी.सी.	84	198
आई.बी.पी.	0	38
योग	343	843

रेल टेल का वित्तीय नियंत्रण

687. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के समूह ने भारतीय रेल को रेल टेल का वित्तीय नियंत्रण अपने पास रखने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेल टेल द्वारा महाराष्ट्र में उपलब्ध कराए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल रूट का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेल टेल महाराष्ट्र में और अधिक रूट उपलब्ध कराने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए जिन रूटों की पहचान की गई है, उनके सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल टेल निगम लिमिटेड में रेलवे की इक्विटी 51% रखते हुए संयुक्त उद्यम साझीदारों को शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) रेल टेल ने अभी तक महाराष्ट्र में अथवा अन्य क्षेत्र में कोई भी आप्टिकल फाइबर केबल मुहैया नहीं करायी है।

(घ) और (ङ) रेलों ने महाराष्ट्र सहित मार्गों पर आप्टिकल फाइबर केबल का कार्य स्वीकृत कर दिया है। इन मार्गों पर रेलें अथवा रेल टेल आप्टिकल फाइबर केबल मुहैया कराएंगी। महाराष्ट्र

राज्य में निम्नलिखित मार्गों पर प्रथम चरण में आप्टिकल फाइबर केबल की व्यवस्था करने की योजना है:-

(1) मुंबई-बोड़ोदरा

(2) मुंबई-भुसावल

(3) मुंबई-पुणे-वाडी

(4) मुंबई-पनवेल

निम्नलिखित मार्गों पर आगामी चरणों में आप्टिकल फाइबर केबल की व्यवस्था करने की योजना है:-

(1) भुसावल-वर्धा-नागपुर

(2) पुणे-मिराज-कोल्हापुर

(3) मनमाड़ जालना

(4) मनमाड-अहमदनगर

(5) चालिसगांव-धूले

(6) जलगांव-नंदूरबार

(7) विकाराबाद-परभनी-मुदखेड

(8) मुदखेड-आदिलाबाद

(9) मिरज-लोंडा।

उड़ीसा में हिरमा विद्युत परियोजना को कोयले की आपूर्ति

688. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की कम मात्रा में आपूर्ति किए जाने के कारण उड़ीसा में हिरसा विद्युत परियोजनाओं का कार्य धीमा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना को समय से पूरा किए जाने के उद्देश्य से कोयले की निर्बाध आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड से बातचीत करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) कोयला मंत्रालय की स्थायी सम्पर्क समिति (दीर्घावधिक) ने 15 दिसम्बर, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में कुल्डा तथा गरजनबहल कोलफील्डस् ऑफ महानदी कोल लि. (एमसीएल) से उड़ीसा में 6×660 मेगावाट हिरमा ताप विद्युत परियोजना, जिसे मैसर्स मिरन्त एशिया पैसेफिक लि. (जिसे पहले मै. सदर्न एनर्जी एशिया पैसेफिक लि. (एसईएपी) के नाम से जाना जाता था) हांगकांग तथा रिलायंस पावर लि. द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा है, के लिए प्रति वर्ष 22.4 मिलियन कोल लिंकेज का अनुमोदन किया। कुल्डा माइन्स के लिए वन संबंधी स्वीकृति निरस्त हो जाने के कारण परियोजना के लिए ईंधन आपूर्ति करार समझौता में कुछ चूक हो गयी। अब परियोजना के प्रवर्तक एमसीएल के साथ समझौता वार्ता कर रहे हैं ताकि खनन परियोजना का तेजी से क्रियान्वयन किया जा सके।

[हिन्दी]

अधिकारियों को जर्मनी में प्रशिक्षित किया जाना

689. श्री पी. आर. खूंटे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जर्मनी से आयात की गई रेलगाड़ी की बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए इस रेल के समुचित प्रचालन हेतु रेलवे बोर्ड और उत्तर रेल के अधिकारियों का एक दल प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण पर कितना व्यय हुआ और इससे भारतीय रेल को क्या लाभ होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जर्मनी सवारी डिब्बों के समान प्रौद्योगिकी के लिए अपनायी जा रही अनुरक्षण प्रणालियों को समझने तथा अनुरक्षण प्रक्रियाओं पर विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलाकर लगभग 20 रेलवे कर्मचारी हाल ही में स्विटजरलैंड तथा जर्मनी के लिए प्रतिनियुक्त किए गये थे।

(ख) इन 20 अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अनुमानित खर्च लगभग 34. लाख रु. है। प्रशिक्षण से नए सवारी डिब्बा प्रौद्योगिकी पर आधुनिक अनुरक्षण प्रणालियों से जुड़े अनुरक्षण तथा परिचालनिक कर्मचारियों को उचित जानकारी हासिल करने में सहायता मिली है। उपरोक्त प्रशिक्षण से महत्वपूर्ण उप सज्जीकरण तथा प्रणालियां, जो भारतीय रेल सवारी डिब्बों में पहली बार इस्तेमाल की गई है, के लिए विशिष्ट अनुरक्षण प्रक्रियाओं में भी जानकारी हासिल करने में सहायता मिली है यह प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। नए सवारी डिब्बा प्रौद्योगिकी से न केवल यात्रा और अधिक आरामदायक होगी वरन यह ऊर्जा कुशल होने के साथ इसकी अतिरिक्त संरक्षा विशेषताएं भी होगी।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा देय बकाया राशि

690. श्री मोहन रावले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से बड़ी मात्रा में बकाया राशियों की वसूली के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इन राज्यों से अक्षम ताप विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो ये राज्य विद्युत बोर्ड कौन-कौन से हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) व्यवहार्यता के तहत एनटीपीसी अपनी बकाया राशियों की वसूली के लिए रा.वि.बो. के कुछ विद्यमान ताप विद्युत संयंत्रों को अपने अधिकार में लेने का इच्छुक होगा। एनटीपीसी ने पहले ही पुरानी बकाया राशियों के समायोजन हेतु उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के रा.वि.बो. के तीन विद्युत केन्द्रों को अपने अधिकार में ले लिया है। विगत में एनटीपीसी द्वारा नियंत्रण में लिए गए ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा निम्नवत है:

विद्युत केन्द्र का नाम	क्षमता	नियंत्रण में लेने की तिथि	जिससे लिया गया
तालचर थर्मल पावर स्टेशन (460 मे.वा.)	460 मे.वा.	3.6.1995	उड़ीसा
तान्डा थर्मल पावर स्टेशन (440 मे.वा.)	440 मे.वा.	14.1.2000	यू.पी.
उत्तरांचल थर्मल पावर स्टेशन (420 मे.वा.)	420 मे.वा.	13.2.1992	यू.पी.

इस समय कोई और प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

यात्रियों की सुरक्षा

691. श्री रघुनाथ झा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल के पुलों, पटरियों के समुचित रख-रखाव सहित चलती गाड़ियों में डकैती, लूटपाट और अन्य प्रकार के अपराधों के कारण यात्रियों की सुरक्षा को अनदेखी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ठोस कदम उठाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे टिकट परीक्षक पैसे लेकर ऐसे यात्रियों को आरक्षित बोगियों में यात्रा करने की अनुमति दे देते हैं जिन्होंने आरक्षण नहीं कराया; और

(घ) यदि हां, तो आरक्षित टिकट धारक यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और भ्रष्ट चल-टिकट परीक्षकों और उनकी गतिविधियों को न रोकने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) वाणिज्य और सतर्कता विभागों के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा कर्मचारियों के कार्य की नियमित जांचे की जाती हैं। अनियमितताओं में लिप्त पाए गए चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

गांवों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति

692. श्री पुन्नू लाल मोहले:
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में तत्काल सौर ऊर्जा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 मई, 2001 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए नियत की गई राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (घ) सरकार एक देशव्यापी सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसके अंतर्गत एस पी वी प्रणाली जैसे सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियां, सड़क रोशनी प्रणालियां, जल पंपन प्रणालियां, और स्टैंड एलोन ग्राम स्तरीय विद्युत संयंत्रों का संवर्द्धन किया जा रहा है। ऐसी प्रणालियां सम्पूर्ण देश में बड़ी संख्या में गांवों में लगाई गई हैं। राज्यवार ऐसे गांवों/झुरमुटों, जहां पर कम से कम 50% घरों को सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं अथवा एक विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, की संख्या विवरण में दी गई है।

सौर ऊर्जा सहित स्थानीय रूप से उपलब्ध अक्षय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से देश के दूरदराज और कठिन क्षेत्रों में अनुमानित 18000 बिजली रहित गांवों के विद्युतीकरण के लिए मंत्रालय द्वारा एक नए कार्यक्रम को भी आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ किए जाने और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत अर्थात् 2012 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। राज्यवार लक्ष्यों और निधियों के आवंटन का अभी तक आकलन नहीं किया गया है।

विवरण

राज्यवार तालिका, जिसमें ऐसे गांवों/झुरमुटों की संख्या दर्शाई गई है जहां पर कम-से कम 50% घरों को सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं अथवा विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	50
3.	असम	28
4.	गुजरात	14
5.	हरियाणा	6
6.	हिमाचल प्रदेश	3
7.	जम्मू व कश्मीर	18
8.	कर्नाटक	2
9.	केरल	134
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	मणिपुर	8
12.	मेघालय	25
13.	मिजोरम	33
14.	राजस्थान	1210
15.	सिक्किम	4
16.	त्रिपुरा	30
17.	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल सहित	403
18.	पश्चिम बंगाल	437
19.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	21
20.	लक्षद्वीप	3
	कुल	2,434

उत्तर प्रदेश में बड़े बागीचों के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सहायता

693. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़े बागीचों के विकास और संवर्धन के लिए सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए हैं और इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन सी योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है; और

(ख) उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिलों के लिए इस प्रयोजन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और अन्य किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) सरकार फलों के समेकित विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के जरिए फलों की खेती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार

सहित राज्य सरकारों को सहायता देती रही है। इस स्कीम को अक्तूबर, 2000 से वृहत् कृषि प्रबंधन-कार्य योजनाओं के जरिए राज्य के प्रयासों में मदद/सहायता नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में मिला दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारें अपने कार्यकलापों की प्राथमिकता तय कर सकती हैं तथा कार्य योजनाओं में क्षमता और आवश्यकता के अनुसार निधियां आबंटित कर सकती हैं इसके अलावा, उत्पादन और कटाई पश्चात प्रबंध के जरिए वाणिज्यिक बागवानी के विकास पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से उसकी स्कीम के अधीन सहायता उपलब्ध है।

(ख) भारत सरकार निधियां राज्य सरकार को निर्मुक्त करती है जो जिलों को आबंटन करती है। नौवीं योजना के दौरान, वर्ष 2000-01 तक ''फल'' स्कीम के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार को 176.10 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता दी गई है। उन जिलों की सूची जहां वर्ष 2000-01 के दौरान ''फल'' स्कीम क्रियान्वित की गई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के जिलों जहां वर्ष 2000-01 के दौरान फलों के समेकित विकास पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित की गई थी, की सूची

1. इलाहाबाद
2. अम्बेडकरनगर
3. आगरा
4. अलीगढ़
5. आजमगढ़
6. बदायूं
7. बागपत
8. बहराइच
9. बलिया
10. बाराबांकी
11. बहडोही
12. बुलंदशहर
13. चित्रकूट
14. देवरिया
15. फैजाबाद
16. फतेहपुर
17. फिरोजाबाद
18. गाजियाबाद
19. गाजीपुर
20. गौंडा
21. गोरखपुर
22. हरदोई
23. हाथरस
24. जालौन
25. झांसी
26. कानपुर नगर
27. कन्नौज
28. कौशाम्बी
29. कुशीनगर
30. लखनऊ
31. मऊ
32. मथुरा
33. मेरठ
34. मैनपुरी
35. मिरजापुर
36. मुरादाबाद
37. मुजफ्फरनगर
38. पीलीभीत
39. रामपुर
40. रायबरेली
41. सहारनपुर
42. श्रावस्ती
43. सिद्धार्थ नगर
44. सीतापुर
45. सुलतानपुर
46. उन्नाव
47. वाराणसी

[अनुवाद]

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट खंडपीठ

694. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट खंडपीठ के बारे में में 22 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 198 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट खंडपीठ की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस खंडपीठ को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव में संसदीय विधान अंतर्वलित है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के कोटे के अधीन रिक्तियों को भरा जाना

695. श्री भालचन्द्र यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा प्रावधान किए जाने के बावजूद पिछले कुछ वर्षों से खिलाड़ियों के कोटे के अधीन पदों को विशेष तौर से उत्तर-पूर्व रेलवे गोरखपुर में नहीं भरा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खिलाड़ियों के कोटे वाली रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी नहीं, क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा उनको आबंटित कोटे से खेलकूद कोटा के तहत आवश्यकतानुसार नियमित रूप से भर्ती की जा रही है। बहरहाल, पूर्वोत्तर रेलवे खेलकूद कोटा का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकी क्योंकि उपलब्ध रिक्तियों पर सरप्लस स्टाफ को पुनर्नियोजित किया जाना तात्कालिक आवश्यकता थी।

[अनुवाद]

कपड़ा क्षेत्र पर लगाए गए उत्पाद शुल्क की समीक्षा

696. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ब्रांड वाले वस्त्रों पर लगाए गए 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की समीक्षा करने के लिए कपड़ा क्षेत्र की शिकायतों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कपड़ा क्षेत्र की चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार कौन-से उपचारात्मक कदम उठा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) सिलेसिलाए परिधानों पर 16% का उत्पाद शुल्क लगाना शुरू करने के परिणामस्वरूप सरकार ने उद्योग की शिकायत पर विचार किया और परिधान क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। नए उपायों में लघु उद्योग क्षेत्र को मिलने वाली उत्पाद शुल्क की छूट सिलेसिलाए परिधान क्षेत्र को भी दी गई है। एक करोड़ रुपए तक की देशज खपत को उत्पाद शुल्क की छूट दी गई है। ऐसे एकक जो अपने उत्पाद के पर्याप्त अंश का निर्यात करते हैं और जिनकी देशज खपत की क्लीयरेंस 1 करोड रु. की पूरी उत्पाद शुल्क की छूट से अधिक नहीं होती है, उन्हें निर्यात की सरलीकृत प्रक्रिया का लाभ दिया गया है। रैनकोट, अंडरगारमेंट्स और रूमाल, शाल, मफलर, मंटीला, वेल्स, टाईयों, बो टाईयों, करेवेट्टस और दस्तानों जैसी क्लोदिंग सामग्री को भी उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। निवेश पर अदा किए गए शुल्क के लिए परिधान पर उत्पाद शुल्क के 20% की दर से माने गए ऋण की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

भू-तापीय विद्युत संयंत्र

697. श्री महेश्वर सिंह: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सदस्य ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मणिकर्ण में स्थित 'भू-तापीय विद्युत संयंत्र' जो जर्जर अवस्था में है, को हटाए जाने और इस स्थल को गांव की पंचायत को सौंपे जाने के लिए विभाग से अनुरोध किया है;

(ख) क्या संयंत्र स्थल को मणिकर्ण ग्राम पंचायत को सौंपे जाने के लिए निदेशक (प्रौद्योगिकी प्रभाग) की अध्यक्षता में कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में कितने अधिकारियों ने भाग लिया और इस बैठक के आयोजन के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) उक्त स्थल को ग्राम पंचायत को कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) मणिकर्ण ग्राम पंचायत को परियोजना स्थल सौंपे जाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा कोई अलग से बैठक नहीं आयोजित की गई। तथापि, परियोजना के जीर्णोद्धार की स्थिति और संभावना तथा आगे और अनुसंधान करने के लिए इसे किसी अनुसंधान संस्थान को हस्तांतरित करने अथवा विकल्पत: इस परियोजना को बंद करने और इस भूमि को इसके वास्तविक स्वामी को सौंपने संबंधी विभिन्न मामलों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। संगठनों से पांच अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के आयोजन करने में यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान पर 4,675/रु. की राशि खर्च की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विशेषज्ञों के एक समूह ने इस स्थल का दौरा किया और परियोजना को बंद करने तथा जमीन को इसके वास्तविक स्वामी को सौंपने की सिफारिश की।

(घ) परियोजना को बंद करने तथा इस भूमि को इसके वास्तविक स्वामी को सौंपने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है और इस संबंध में लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

698. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 24 जुलाई, 2001 को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 175 रिक्तियां (जिसके अंतर्गत 49 नए पद भी हैं) थीं।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच परामर्शदात्री प्रक्रिया है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए, सभी प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या पदोन्नति के कारण रिक्तियां बढ़ती रहती हैं।

कुक्कुट उत्पाद का आयात

699. श्री मंजय लाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों से आयात किए जाने वाले कुक्कुट उत्पाद और मुर्गे की टांग, सोया और मक्का जैसे जैव संवर्धित भोजन पर पाले गए कुक्कुटों से तैयार किए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बत की भी जानकारी है कि इन देशों में कुक्कुटों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें चर्बी खिलाई जाती है;

(ग) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान कुक्कुट उत्पादों और मुर्गे की टांग के आयात में काफी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना इस बात को अनिवार्य बनाने की है कि इन उत्पादों के साथ इन कुक्कुटों को दिए गए चारे का ब्यौरा दर्शाते हुए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी दिया जाए;

(ङ) क्या जैव संवर्धित चारे वाले कुक्कुट उत्पाद मानव उपयोग के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं; और

(च) यदि हां, तो देश में ऐसे हानिकारक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जहां तक सरकार को जानकारी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, आनुवंशिक रूप से संवर्धित सोया तथा मक्के का उत्पादन कर रहा है। तथापि, कुक्कुट के लिए आहार के रूप में उपयोग किए जाने के अलावा मक्का के अनेक उपयोग हैं। अत: यह कहना संभव नहीं है कि आयात किए जाने वाले उत्पाद आनुवंशिक रूप से संवर्धित आहार संबंधी चूजों के आहार से होंगे। आनुवंशिक

रूप से संबंधित आहार के साथ चूजों को खिलाया जाने वाला आहार अथवा चर्बी और गैर-आनुवंशिक रूप से संवर्धित आहार अथवा चर्बी के साथ न खिलाए गए आहार के साथ चूजों को खिलाए जाने वाले आहार से भिन्न नहीं होंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चल सके कि आनुवंशिक रूप से संवर्धित संबंधी चूजा आहार मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं।

(च) उक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि वस्तुओं का आयात

700. **श्री आर.एल. जालप्पा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष अब तक वस्तुवार कितनी मात्रा में कृषि वस्तुओं का आयात किया गया और यह आयात किन-किन देशों से किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान देश में इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ; और

(ग) कृषि वस्तुओं के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) 1997-98 से 2000-2001 (फरवरी तक) की अवधि के दौरान आयातित मुख्य कृषि जिंसों के देश-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मुख्य कृषि जिंसों के उत्पादन के संलग्न विवरण-II दिए गए हैं।

(ग) कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के अनुक्रम में सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है ताकि कृषि जिंसों के उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया बनाया जा सके। अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु वृहद प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है।

विवरण-I

1997-98 से 2000-01 (फरवरी, 2001 तक) की अवधि के दौरान प्रमुख कृषि उत्पादों का आयात दिखाने वाला विवरण

(मात्रा: 000 मी. टन, मूल्य: करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मद	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01 (फरवरी, 01 तक)		मुख्य देश जहां से आयात किये गये
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	
1.	गेहूं	1485.78	986.98	1803.7	1164.78	690.4	412.23	4.22	2.87	आस्ट्रलिया, फ्रांस, बुल्गारिया,
2.	चावल	0.05	0.06	6.65	5.4	27.6	24.59	13.2	17.79	पाकिस्तान, नीदरलैंड, चाइना, अमरीका
3.	मोटे अनाज	1.12	0.34	2.02	1.07	181.16	11462	30.29	15.54	अर्जेंटीना, म्यांमार, आस्ट्रेलिया,
4.	दलहन	1008.16	1194.64	563.6	708.81	203.99	273.77	245.28	366.42	कनाडा, सोमालिया,
5.	तिलहन		2.47		8.62		13.39		6.79	नेपाल, मलेशिया, इण्डोनेशिया,
6.	वनस्पति खाद्य तेल	1265.75	2764.67	2621.85	7588.93	41.96	7983.87	3727.13	5611.31	अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया द. अफ्रीका,
7.	कच्चा और बेकार कपास	9.97	80.65	57.4	381.11	236.14	1226.76	204.26	1131.66	आईवरीकास्ट, बांगलादेश
8.	कच्चा जूट	45.54	50.54	99.46	86.38	140.84	143.81	63.69	78.97	

साधन:, डी.जी.सी.आई. और एस. कलकत्ता तथा ई.एस.ए., कृ एवं सहकारिता।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों में देश में मुख्य कृषि जिंसों के उत्पादन का विवरण

(मिलियन मी. टन)

जिंस	1997-98	1998-99	1999-2000
चावल	82.54	86.08	89.48
गेहूं	66.35	71.29	75.57
मोटे अनाज	30.40	31.33	30.47
अनाज	179.29	188.70	195.52
दलहन	12.97	14.91	13.35
कुल खाद्यान्न	192.26	203.61	208.87
तिलहन	21.32	24.75	20.87
वनस्पति खाद्य तेल	6.20	7.26	6.50
कपास*	108.50	122.90	116.40
जूट**	99.60	88.40	94.20

*170 कि.ग्रा. प्रत्येक के लाख गांठ।
**180 कि.ग्रा. प्रत्येक के लाख गांठ।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

701. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में विद्युत की वर्तमान मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों को पूरी आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन राज्यों में विद्युत की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) अप्रैल-जून-2001 की अवधि के दौरान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत है:-

ऊर्जा (मि.यू.)
अप्रैल-जून, 2001

राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
पंजाब	7135	67711	364	5.1
हरियाणा	4070	4031	39	1.0
उत्तर प्रदेश	11505	10297	1208	10.5
दिल्ली	4980	4807	173	3.5

(ख) इन राज्यों में विद्युत उपलब्धता को बढ़ाने और इस प्रकार से विद्युत की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(1) उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों (अधिष्ठापित क्षमता के 15%) की अनावंटित विद्युत में से आवंटन-

पंजाब	-	9%
हरियाणा	-	22%
उत्तर प्रदेश	-	14%
दिल्ली	-	15%

उपरोक्त के अलावा अनाबंटित कोटे में से 100 मेगावाट विद्युत प्रथम प्रभार आधार पर 1800 बजे से 2300 बजे तक दिल्ली को तथा 2300 बजे से 0600 बजे तक पंजाब को आबंटित की गई है।

(2) पड़ोसी क्षेत्र से उत्तरी क्षेत्र की विद्युत के आयात में से निम्नलिखित आवंटन किए गए हैं-

हरियाणा (100 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश (100 मेगावाट)

दिल्ली (100 मेगावाट)

(3) राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र (आरएपीपी) यूनिट सं. 3 से आबंटन:-

पंजाब 15% (33 मेगावाट)

(4) राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र (आरएपीपी) यूनिट सं. 4 से आबंटन:-

	19-23 घंटे		दिन के अन्य घंटे	
	मे.वा.	%	मे.वा.	%
पंजाब	14	6.4	28	12.7
हरियाणा	14.5	6.5	29	13.1
दिल्ली	110	50.0	शून्य	शून्य

(ग) विद्युत यूटिलिटियों को समय-समय पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर अपना ध्यान आकर्षित करने की सलाह दी जा रही है ताकि ऊर्जा की चोरी की रोकथाम की जा सके।

(1) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(3) एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर विद्युत चोरी में कमी तथा अंततः उसका समापन।

उपरोक्त के अलावा, ऊर्जा की चोरी को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा-39 के संशोधत प्रावधान के अंतर्गत एक संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है। भारत सरकार विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के उन्नयन हेतु त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

विद्युत उत्पादन में इक्विटी भागीदारी

702. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी करने पर विचार कर रही थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी भागीदारी की रूपरेखा तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव की विधिक व्यवहार्यता का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) रेलवे उचित दरों पर बिजली प्राप्त करने के लिए नेशनल थर्मल पावल कार्पोरेशन और अन्य सार्वजनिक/निजी बिजली उत्पादकों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं की खोज कर रही है। ऐसी भागीदारी के तौर-तरीके अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं।

नेशनल लीगल ऑथोरिटी सर्विस एक्ट में संशोधन

703. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व मुकदमेबाजी मंचों (प्री लिटीगेशन फोर्म्स) का सृजन करने के लिए 'नेशनल लीगल ऑथोरिटी एक्ट' में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित लोक अदालतों के आयोजन की विद्यमान स्कीम में एक गंभीर कमी पाई गई है। विद्यमान कानूनी उपबंधों के अनुसार लोक अदालत की प्रणाली अनन्य रूप से समझौता या सुलह पर आधारित है। और यदि पक्षकार किसी समझौते या निपटारे पर पहुंचने में समर्थ नहीं होते हैं तो मामले को लोक अदालत द्वारा संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार निर्णय के लिए वापस कर दिया

जाता है या पक्षकारों को न्यायालय में विधिक उपचार पाने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार लोक अदालत द्वारा सुलह के लिए जो समय लिया जाता है, इससे और विलंब हो जाता है। यदि लोक अदालत को पक्षकारों द्वार निपटारे या समझौते पर पहुंचने में असफलता की दशा में मामलों को गुणागुण के आधार पर विनिश्चित करने की शक्ति दी जाती है तो इस समस्या को अत्यधिक सीमा में निपटाया जा सकता है। ऐसे मामलों का, जो लोक उपयोगिता सेवाएं देने वाले कुछ विभागों में उद्‌भूत होते हैं शीघ्रता से समाधान करने की आवश्यकता होती है जिससे कि लोगों को मुकदमा पूर्व प्रक्रम पर भी समय से न्याय मिल सके। यदि इन मामलों का समाधान मुकदमा पूर्व प्रक्रम पर किया जाता है तो अधिकांश छोटे मामलों का जिन्हें नियमित न्यायालयों में नहीं ले जाया जाना चाहिए, मुकदमा पूर्व प्रक्रम पर ही समाधान कर दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप नियमित न्यायालयों के कार्यभार में अत्यधिक कमी हो जाएगी। इसलिए यह प्रस्ताव है क कुछ क्षेत्रों में जो लोक उपयोगिता सेवाओं के अंतर्गत आते हैं संबंधित प्रधिकारियों के साथ परामर्श करके सुलह और समझौता के लिए अनिवार्य मुकदमा पूर्व तंत्र का उपबंध करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का उपयुक्त संशोधन किया जाए।

(ग) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संशोधन करने के लिए एक विधेयक यथासंभव शीघ्र संसद् में पुर:स्थापित किया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन की नई इकाईयां

704. **श्री रामानंद सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेष छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद मध्य प्रदेश में बढ़ते विद्युत संकट के मद्देनजर राज्य में विद्युत उत्पादन की नई इकाईयों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश सरकार को विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) मध्य प्रदेश में उमरिया जिला में बिरसिंहपुर संजय गांधी टीपीएस विस्तार (500 मे.वा.) के संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है।

नर्मदा जल विद्युत विकास निगम (एनएचडीसी), जो एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, को निर्माणाधीन इंदिरा सागर परियोजना (1000 मे.वा.) को पूरा करने तथा ओमकारेश्वर परियोजना (520 मे.वा.) का विकास करने का कार्य सौंपा गया है। इन दोनों स्कीमों को पहले के.वि.प्रा. द्वारा राज्य क्षेत्र परियोजनाओं के रूप में स्वीकृत किया गया था।

(ख) और (ग) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में पुरानी विद्युत परियोजनाओं के आर एंड एम तथा वितरण सुधारों के लिए 49.55 करोड़ रुपये की राशि (50% अनुदान तथा 50% ऋण) अनुमोदित की गई है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ी सेवाओं को बंद करना

705. **श्रीमती हेमा गमांग:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ एक्सप्रेस और यात्री रेलगाड़ियों को प्रचालन 1 जुलाई, 2001 से बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके रेलगाड़ी-वार कारण क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

टैंकरों में गैस का आयात

706. **श्री राममोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ.आई.सी.सी. ने भूमि के ऊपर से पाइपलाइनों के माध्यम की बजाय टैंकरों में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के रूप में गैस का आयात करने का केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालडिब्बों की खरीद आदेश पर रोक

707. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पहले से आपूर्ति किए गए मालडिब्बों के निर्माण में घटिया और सस्ते इस्पात के प्रयोग का पता लग जाने के बाद मालडिब्बों की खरीद के लिए दिए गए आदेश रोक दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे को घटिया डिब्बों की आपूर्ति करने वाली कंपनियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) इसके फलस्वरूप रेलवे को कितना घाटा उठाना पड़ा है; और

(घ) दोषी कंपनियों और इसमें संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां।

(ख) आरम्भ में माल डिब्बों पर कतिपय सतर्कता जांचे की गई थी और यह पाया गया था कि एक विनिर्माणकर्ता रेलवे द्वारा माल डिब्बा निर्माताओं को फ्री सप्लाई मद के रूप में सप्लाई की जा रही कार्टन स्टील के बजाय सस्ते कच्चे इस्पात का उपयोग किया था। यह फर्म मै. हिन्दुस्तान डेवलपमेट कार्पोरेशन है मै. अ.आ.मा. सं. के निरीक्षण के दौरान मै. बर्न स्टेंडर्ड/हावड़ा और मै. टैक्समैको के कारखाना परिसरों में कार्टन स्टील के स्थान पर कच्चे इस्पात का उपयोग पाया गया था। हाल ही की सतर्कता कि जांचों ने दर्शाया है कुछ और विनिर्माणकर्ताओं ने भी माल डिब्बों के विनिर्माण में निर्दिष्ट कार्टन स्टील के स्थान पर कच्चे इस्पात का उपयोग किया है ये फार्म मै. टैक्समैको मै. बर्न स्टेंडर्ड/ बर्नपुर मै. बर्न स्टैडर्ड/हावड़ा। मै. भारत वैगन एवं इंजी. लि./मुजफ्फरपुर और मै. बैस्की हैं। अत: अगले क्रयादेशों के जारी होने से समस्या की गंभीरता का आकलन करने के उद्देश्य से सभी मालडिब्बा निर्माताओं पर संयुक्त रूप से और अधिक गहन जांच करना आवश्यक हो गया है। अ.अं.मा.सं. के जांचों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कहा गया है।

(ग) जांच के पूरा होने के बाद की हानि की मात्रा का पता चल सकता है।

(घ) मैसर्स हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पोरेशन को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है। अन्य फर्मों की जांचे की जा रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कम्प्यूटर घोटाला

708. **श्री बालकृष्ण चौहान:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च-अप्रैल, 2001 के दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों के 50 से अधिक संसद सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री को यह अनुरोध करते हुए लिखा था कि जनवरी, 2001 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कम्प्यूटर घोटाले का खुलासा होने पर हटाये गए कुछ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पदाधिकारियों को पुन: बहाल किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) माननीय संसद सदस्यों को इस मामले में तथ्यों से अवगत कराते हुए भेजे गए उत्तर के अधीन उचित कार्रवाई पहले ही कर ली गई है।

जम्मू और कश्मीर को वित्तीय सहायता

709. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर सरकार को जम्मू शहर में बांग-ए-बाहू (गार्डेन) को राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु तथा अन्य पर्यटन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार को अब तक कितनी धनराशि निर्गत की गई है तथा उसने कितनी धनराशि का उपयोग किया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जम्मू स्थिति बाग-ए-बहू के विस्तार और सुन्दरीकरण के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। अब तक इस परियोजना के लिए 40 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2000-2001 के दौरान बाग-ए-बहू में ही संगीतमय फव्वारे लगाने के लिए 30 लाख रुपये की राशि भी मंजूर की गयी थी। इसमें से 9 लाख रुपये जारी भी कर दिए गए हैं।

जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए विगत 3 वर्षों के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा चालू वित्त वर्ष हेतु प्राथमिकता के लिए निर्धारित परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि (लाख रुपयों में)	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1998-99	6	192.85	108.00	28.50
1999-2000	16	306.43	176.38	124.35
2000-2001	11	419.93	161.86	85.98
2001-2002	15	541.29 (प्राथमिकता प्रदत्त)	-	-

फसल बीमा

710. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यों में ''फसल बीमा योजना'' के लिए अनिवार्य रूप से किसानों से बैंकों और संबंधित अभिकरणों द्वारा प्रीमियम लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अकाल (सूखा)/प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में इन योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले इन बीमा दावों को किसानों को नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने प्रीमियम को बढ़ा दिया है और जोखिम स्तर को कम कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी हां। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों हेतु ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है, के प्रावधानों के अनुसार बैंक उनसे अनिवार्य रूप से प्रीमियम वसूल करते हैं।

(ख) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत कवर किये किसान और वसूल किए गए प्रीमियम का ब्यौरा इस प्रकार है:-

ब्यौरा	रबी (1999-2000)	खरीफ (2000)
कवर किए गए किसान	554954	8216948
वसूल किया गया प्रीमियम (करोड़ रु. में)	5.10	203.41

(ग) और (घ) जी, नहीं। अकाल (सूखा)/प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में कमी आने पर बीमित किसानों को बीमा दावों का भुगतान किया जाता है।

रबी 1999-2000 और खरीफ 2000 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भुगतान किए गए/भुगतान किए जाने वाले दावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी नहीं, योजना के प्रारंभ से ही प्रीमियम दरे और जोखिम (क्षतिपूर्ति) स्तर एक समान रहे हैं।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	दावे (100%)	
		रबी 1999-2000	खरीफ 2000
1.	आंध्र प्रदेश	-	2601.78
2.	असम	0.50	0.75
3.	बिहार	-	481.25
4.	छत्तीसगढ़	-	8174.58
5.	गोवा	0.10	0.08
6.	गुजरात	218.02	59152.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.01	-
8.	केरल	29.54	242.88
9.	कर्नाटक	-	213.02
10.	मध्य प्रदेश	11.33	5551.32
11.	महाराष्ट्र	73.09	10242.78
12.	मेघालय	-	0.14
13.	उड़ीसा	0.17	-
14.	उत्तर प्रदेश	-	363.83
15.	अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र समूह	-	0.36
16.	पाण्डिचेरी	1.27	-

वर्षा सिंचित कृषि को प्रोत्साहन

711. **श्री विजय हान्दिक:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असिंचित/अर्द्धसिंचित क्षेत्रों में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार प्रभावी विस्तार सेवा के साथ वर्षा सिंचित कृषि को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) देश में असिंचित/अर्द्ध-सिंचित क्षेत्रों में कृषि पूर्णतया वर्षा पर निर्भर करती है और अत: वर्षा सिंचित कृषि के समतुल्य है। यह निम्न स्तर की उत्पादकता एवं आदानों के निम्न उपयोग द्वारा लक्षित की जाती है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसल उत्पादन वर्ष दर वर्ष परिवर्तित होता रहता है। केन्द्र सरकार ने वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में कृषि के संवर्धन हेतु, पनधारा पहुंच के माध्यम से इस क्षेत्र के समग्र एवं दीर्घकालिक विकास को बहुत उच्च प्राथमिकता दी है। वर्षा-सिंचित क्षेत्र में बहुत सी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है। इसमें शामिल है वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं एवं बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्र में मृदा संरक्षण, झूम कृषि क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना और पनधारा विकास पर बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें। ये स्कीमें नवम्बर, 2000 तक स्वतंत्र केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में कार्यान्वित की जाती थी, जिसके बाद इन्हें वृहद प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन के अधीन मिला दिया गया है। वे फिर भी, वृहद प्रबंधन के घटक के रूप में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। किसानों/पनधारा समुदायों के क्षमता निर्माण तथा पनधारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन कर्ताओ के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना उपलब्ध है। पनधारा विकास के तकनीकी एवं प्रबंध पहलुओं पर नियमित प्रशिक्षण राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों यथा केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में आयोजित किये जाते हैं।

चालू उत्पादकता वृद्धि स्कीमों और पनधारा विकास कार्यक्रमों के बीच समरूपता सुनिश्चित करने हेतु पनधारा दिशा-निर्देशों में प्रावधान भी बनाए गये हैं।

सौर ऊर्जा का प्रयोग

712. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अत्यधिक संभावना का पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बेहतर सौर सस्ती और ऊर्जा के चूल्हे भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) देश में तापीय और प्रकाशवोल्टीय दोनों ही विधियों के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करने के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास कार्य पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से चल रहा है। इस कार्य में बड़ी संख्या में अनुंसधान संस्थान, विश्वविद्यालय और औद्योगिक संगठन लगे हुए हैं। अब तक किए गए प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कई युक्तियां और प्रणालियों का विकास और निर्माण किया गया है। इनमें सौर जल तापक, और कुकर, सौर शुष्कक, निथरन, यूनिटें, सौर रोशनी प्रणालियां, पम्प, विद्युत संयंत्र आदि शामिल हैं। ये प्रणालियां देश भर में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित की जा रही हैं।

यह मंत्रालय प्रौद्योगिकी में सुधार करने और ऊर्जा उत्पादों की लागतों को कम करने की दृष्टि से देश की विभिन्न संस्थाओं में अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता देना भी जारी रखे हुए है। अध्ययन किए जा रहे प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:-

(1) अमोरफस सिलिकॉन और अन्य सामग्रियों पर आधारित थिन फिल्म सौर सैलों का विकास

(2) प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों का विकास

(3) ऊर्जा कुशल भवनों का डिजाईन

(4) नए प्रकार के सौर कुकरों और कुकिंग प्रणालियों का विकास

(5) सौर निर्विषीकरण (सोलर डिटॉक्सीफिकेशन)

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 तक कार्यान्वित की गई अपनी सब्सिडी योजना के अंतर्गत केवल एक प्रकार के सौर कुकर नामत: बॉक्स कुकर के प्रसार को सहायता दी जाती थी। इस योजना को बंद कर दिए जाने तथा इस कार्यक्रम को बाजार विन्यास का रूप दिए जाने के पश्चात् देश में इलैक्ट्रिकल बैकअप वाले सौर कुकरों और कंसट्रेटिंग टाईप सौर कुकरों सहित अन्य प्रकार के कुकर उपलब्ध हैं। मंत्रालय की एक प्रदर्शन योजना के तहत कुछ नए डिजाइनों को समर्थन दिया जा रहा है। उनमें तेजी से खाना पकाने अथवा बड़ी मात्रा में खाना पकाने के लाभ मौजूद हैं। कम लागत के कार्ड बोर्ड सोलर कुकर को भी अभी हाल ही में शुरू किया गया है।

लम्बित रेलवे परियोजनाएं

713. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वित्त मंत्रालय, योजना आयोग और विदेशी वित्तपोषी अभिकरणों के समन्वय से चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का है;

(ग) यदि हां, तो विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रेल सेवाओं अथवा परियोजनाओं की योजना राष्ट्रीय संदर्भ और यातायात की मांगों के साथ-साथ प्रणाली की आवश्यकताओं के एकीकृत विचार को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। विनिवेश से संबंधित निर्णय लेने के लिए राज्य की भौगोलिक सीमाएं मानदंड नहीं होती है, पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1.	बिलासपुर-उरकुरा	तीसरी लाइन
2.	अकलतारा-चम्पा	तीसरी लाइन
3.	उरकुरा-रायपुर-सरोना	दोहरीकरण
4.	रामगंज मंडी-भोपाल	नई लाइन
5.	खंडवा से दाहोद	नई लाइन
6.	जबलपुर-गोंदिया-बालाघाट-कटंगी सहित	आमान परिवर्तन

7.	तालचेर-गोपालपुर	नई लाइन
8.	तालचेर-विमलगढ़	नई लाइन
9.	गोपालपुर-रायगढ़	नई लाइन
10.	मनमाड-मालेगांव-धुले-नरदाना-शिरपुर एवं इंदौर	नई लाइन
11.	वीड-पर्ली-अहमदनगर	नई लाइन
12.	बारामती-पढंरपुर	नई लाइन
13.	कल्याण-मुरबाद 'बरास्ता मलशेजघाट से अहमदनगर	नई लाइन
14.	पनवेल-करजत	दोहरीकरण
15.	बांद्रा-कुर्ला	रेल लिंक
16.	नरकटियांगंज-भीथरवा आश्रम	आमान परिवर्तन
17.	क्यूल-नवादा	नई लाइन
18.	फाजिलका-अबोहर	नई लाइन
19.	लुधियाना-अमृतसर	विद्युतीकरण
20.	जीरीबाम-इम्फाल	नई लाइन
21.	हालेम-इटानगर	नई लाइन
22.	रेल लिंक-सिक्किम तक	
23.	ऋषिकेष-देहरादून	नई लाइन
24.	लखनऊ में उपनगरीय सेवाएं की शुरूआत	
25.	हैदराबाद और सिकंदराबाद के लिए मल्टी मॉडल उपनगरीय परिवहन प्रणाली	
26.	मदचल-सिकंदराबाद, सिकंदराबाद-शामशाबाद	विद्युतीकरण
27.	सनतनगर-विकराबाद	विद्युतीकरण
28.	एर्णाकुलम-त्रिवेंद्रम	विद्युतीकरण
29.	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	विद्युतीकरण
30.	आलंग-भावनगर-तारापुर के बीच रेल लाइन का निर्माण	
31.	गांधीनगर-मोतीअदराज-कलोल	नई लाइन
32.	जामनगर-बेदीपोर्ट-रोसी पायर	नई लाइन
33.	पोरबंदर-पोरबंदर पोर्ट	नई लाइन
34.	वेरावल-सोमनाथ	नई लाइन
35.	विंड मिल-बेदीपोर्ट	नई लाइन

36.	विंज मिल-बेदीपोर्ट और रेमीपायर	नई लाइन
37.	मैसूर-मंगलौर और मैसूर-तेल्लीचेरी	नई लाइन
38.	मेदीकेरी-चनार्यपटना बरास्ता होलेनरसीपुर अराकलगोड और कुशालनगर चनार्यपटना बरास्ता कौनूर-नई दिल्ली	
39.	थालासेरी मैसूर, कोट्टायम-पालानूर-सबरीमाला	नई लाइन
40.	द्रुत परिवहन प्रणाली चरण-II का विस्तार फिलहाल थिरुमलाई और वालाचेरी से सेंट थामस माउंट के बीच कार्य किया जा रहा है।	
41.	अवाड़ी-श्री पेरम्बदूर	नई लाइन
42.	कांचीपुरम-टिंडीवानम्	नई लाइन
43.	पलानी-सत्यमंगलम	नई लाइन
44.	ऋषिकेश-देहरादून	नई लाइन
45.	सर्कुलर रेलवे का मजेरहाट तक विस्तार इसका दोहरीकरण	
46.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस हवाई अड्डे से. मेट्रो लिंक	
47.	मेट्रो रेलवे-टॉलीगंज से गरिया तक विस्तार	
48.	दमदम और बैरकपोर के बीच मेट्रो लाइन	
49.	गुजरिया-गजोल	नई लाइन
50.	तारकेश्वर-आरामबाग-विश्नुपुर	नई लाइन
51.	राणाघाट-गेडे एवं राणाघाट-बोनगांव खंडों का विद्युतीकरण	
52.	बारामात-हसनाबाद	विद्युतीकरण
53.	कृष्णानगर-लालगोला	विद्युतीकरण
54.	कटवा-अजीमगंज	विद्युतीकरण
55.	अंडाल-सेंथिया	विद्युतीकरण

(ख) और (ग) राज्य सरकारों और शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर रेलों द्वारा उचित रूप से विचार किया जाता है। इन प्रस्तावों की जांच की जाती है और यदि व्यावहारिक एवं आवश्यक पाए जाते हैं, तो उन्हें शुरू किया जाता है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। ऐसे बहुत से प्रस्ताव समय-समय पर रेलवे बजट में पहले ही शामिल कर लिए गए हैं। चालू वर्ष में शुरू की जाने वाली नई परियोजनाएं 2001-2002 के बजट में पहले ही शामिल कर ली गई है। जहां कहीं अपेक्षित होता है अगली स्वीकृति प्राप्त से पूर्व प्रस्ताव का योजना आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

रेलें वित्त मंत्रालय के परामर्श से भी विशिष्ट परियोजनाओं के लिए बहुपक्षीय और द्वीपक्षीय सहायता एजेंसियों से संसाधन सृजित करने के प्रयास करती हैं।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रेलवे परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है। पर्ली-बीड-अहमदनगर-नई लाइन एक स्वीकृत कार्य है। मनमाड-मालेगांव-धुले-नरदाना-शिरपुर एंड इंदौर-नई लाइन, बारामती-पंदारपुर-नई दिल्ली, कल्याण-मुरबाद बरास्ता मलशेजघाट से अहमदनगर-नई लाइन और पनवेल-करजत खंड का दोहरीकरण इस स्तर पर व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

बांद्रा-कुर्ला रेल लिंक जो मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-II में शामिल एक परियोजना है, पर उपर्युक्त समय में विचार किया जाएगा। बहरहाल, मुंबई रेल विकास निगम द्वारा निष्पादित की जाने वाली मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-II परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप में तेल-शोधक कारखाना

714. श्री के.पी. सिंह देव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार से पारादीप तेलशोधक कारखाने की स्थापना हेतु भूमि, अवसंरचना और कर छूट प्रदान करने को कहा;

(ख) यदि हां, तो आई सी एल द्वारा की गई ऐसी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) तेल शोधक कारखाने की क्षमता और लागत कितनी है; और

(ङ) इसका वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) रिफाइनरी परियोजना के लिए दिसम्बर 1998/ अगस्त, 1999 में उड़ीसा सरकार द्वारा अनुमोदित बिक्री कर रियायतें बाद में फरवरी, 2000 में वापस ले ली गई है थी। इस परियोजना को व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए बिक्री कर, केन्द्रीय बिक्री कर से 30 वर्षों तक छूट, कच्चे तेल प्रवेश शुल्क की छूट और निर्माण अवधि के दौरान कुछ अन्य कर प्रोत्साहनों के बदले उड़ीसा सरकार को इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) द्वारा 5 प्रतिशत वाले सात वर्षीय परिपक्वता के बाण्डों के निर्गम सहित एक प्रोत्साहन पैकेज राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार ने जून, 2001 में इस परियोजना के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज अनुमोदित किया है।

(घ) प्रस्तावित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष वाली रिफाइनरी परियोजना की सरकार द्वारा अनुमोदित लागत 8,270 करोड़ रुपये है।

(ङ) इस रिफाइनरी द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस एजेंसियां

715. श्री निखिल कुमार चौधरी:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री राजो सिंह:
श्रीमती सुशीला सरोज:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अलग-अलग कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं;

(ख) अगले कुछ वर्षों के दौरान इन राज्यों में कितनी रसोई गैस एजेंसियां और पेट्रोल पंप खोले जाने हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पिछले कुछ महीनों में बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों पर अनियमितताएं होने की शिकायतें मिली है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) उक्त रसोई गैस एजेंसियां तथा पेट्रोल पंप इन राज्यों की मांग की पूर्ति कहां तक कर पाते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) फिलहाल बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के 777 खुदरा बिक्री केन्द्र और 159 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 2314 खुदरा बिक्री केन्द्र और 683 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत बिहार राज्य में 282 खुदरा बिक्री केन्द्र और 169 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 362 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 591 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों ने एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों और डीलरों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों

की जांच की है और दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों/डीलरों के विरुद्ध करार/विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार समुचित कार्रवाई की है।

(ङ) आशा है कि सरकार की अनुमोदित विपणन योजना के अनुसार एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/खुदरा बिक्री केन्द्रों के चालू होने के बाद राज्य में एल पी जी एम एस/एच एस डी की मांग पूर्णत: पूरी हो जाएगी।

महाराष्ट्र को अनुदान

716. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-2004 में नासिक के सिंहस्व कुंभ मेले और त्राम्बेकेश्वर मेले के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अनुदान/सहायता दिए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने योजना आयोग से वर्ष 2001-2002 के दौरान तथा 2002-2003 दोनों वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि की विशेष केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(ग) योजना आयोग को इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय देना है।

[अनुवाद]

एक्वाकल्चर ऑथोरिटी बिल में संशोधन

717. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एक्वाकल्चर ऑथोरिटी बिल, 1997 में संशोधन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सदन में इन संशोधनों को कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर राज्यों में खुदरे बिक्रय केन्द्र/ एल. पी. जी. एजेंसियां

718. श्री के.ए. सांगतम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में खुदरे बिक्रय केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में एल पी जी के नए खुदरे बिक्रय केन्द्रों को खोलने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) 1 अप्रैल, 2001 की स्थिति के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रचालनरत खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य	खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की संख्या
असम	369
मेघालय	57
अरूणाचल प्रदेश	33
मिजोरम	14
त्रिपुरा	33
मणिपुर	28
नागालैंड	29

उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न स्थानों पर 157 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू होने के लिए लंबित हैं।

देश के विभिन्न भागों, जिनमें उत्तर-पूर्वी राज्य सम्मिलित हैं, के अंतर्गत एल पी जी डिस्ट्रीब्यूरशिपें स्थापित करने हेतु आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थानों की पहचान करने के लिए तेल उद्योग द्वारा आवधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। सभी ऐसे व्यवहार्य स्थान विपणन योजनाओं में सूचीबद्ध किए जाते है तथा अनुमोदनार्थ सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। तत्पश्चात् सरकार के द्वारा अनुमोदित स्थानों के लिए डीलर चयन प्रक्रिया के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही आरंभ की जाती है।

रेशमी वस्त्रों पर लगने वाले विलासिता/प्रवेश कर को रद्द किया जाना

719. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार से रेशमी वस्त्रों पर लगाये गये 2 प्रतिशत विलासिता 'कर' और रेशम पर लगाए गए प्रवेश कर को समाप्त करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन सुझावों से सहमत है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 को ध्यान में रखते हुए देश में रेशम उत्पादन और रेशम विकास के लिए संशोधित रणनीति बनाई है। यह संशोधित रणनीति उभर रही बाजार की प्रवृत्तियों, प्रतियोगी डब्ल्यू.टी.ओ. परिवेश और रेशम क्षेत्र में प्रौद्यौगिकी में हुए हाल ही के विकास पर आधारित है इस संशोधित रणनीति पर 10.4.2001 को नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय वस्त्र सम्मेलन के दौरान वस्त्र राज्य मंत्रियों और प्रभारी सचिवों के साथ परिचर्चा की गई है। राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कोषों (अन्य के साथ-साथ) और रेशम यार्न के क्षेत्र में उत्पादन के विपणन और निवेश के लिए कर में छूट देने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तथापि, कर्नाटक सरकार द्वारा विलासिता कर लगाने के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समझौते

720. डा. रामचन्द्र डोम: क्या कृषि मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिन समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन समझौतों के अन्तर्गत विदेशों से क्या लाभ और तकनीकी सहयोग प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) इसके अन्तर्गत भारत को कौन-कौन से निबंधन और शर्तें पूरी करनी होंगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में हस्ताक्षरित करारों/समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) द्विपक्षीय करारों/समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य देशों के बीच कृषि विकास के अनुभवों का आदान-प्रदान करना तथा एक दूसरे के विकास के लिए सहयोग तथा परस्पर लाभ उठाना है। वैज्ञानिकों/कृषि कार्मिकों को हार्सिल अनुभव तथा तकनीकी सहयोगी गतिविधियों के दौरान की गई सिफारिशें मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी सृजन नई परियोजनाओं तथा सुविधाओं के विकास में सहायक होती हैं। पौध संगरोध तथा पौध और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए करारों का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा कृषि उत्पादों, पशु उत्पादों, पशु मूल की कच्ची सामग्री तथा पशु आहार में दोनों देशों के बीच हुए व्यापार के समय संगरोध कीटों, पौध रोगों तथा खरपतवार और संक्रामक रोगों की प्रविष्टि और फैलाव को रोकना है। इस प्रकार के करारों से इन देशों के साथ कृषि पशु चिकित्सा उत्पादों के भारतीय व्यापार के विकास को बढ़ावा मिलता है।

(ग) करारों/समझौता ज्ञापनों का कार्यान्वयन वैज्ञानिकों, जर्मप्लाज्म, वैज्ञानिक सूचना/आकड़ों के आदान प्रदान तथा सहयोग परियोजनाओं के माध्यम से किया जाता है। करारों/समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत सहमत गतिविधियां परस्पर स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के संबंधित कार्य योजना के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। ऐसे करारों/समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय हवाई भाड़ा भेजने वाले पक्ष तथा स्थानीय आतिथ्य बुलाने वाले पक्ष द्वारा वहन किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तारीख	समझौता/समझौता सहयोग के क्षेत्र
1	2	3	4
	देश जिनके साथ समझौते/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये	
1.	आस्ट्रेलिया	2.2.1996	भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अम्ब्रेला समझौता में मृदा प्रबंध, पशु-चिकित्सा विज्ञान और भारत और आस्ट्रेलिया में वर्षासिंचित पर्यावरणों में सौरागम के लिए उत्पादन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने जैसे विषयों में कृषि अनुसंधान और सहयोगात्मक परियोजनाओं में सहयोग की व्यवस्था है।
2.	अल्जीरिया	25.1.2001	इस समझौते का लक्ष्य पादप, स्वच्छता, संगरोध और प्राकृतिक वनस्पति संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग है।
		25.1.2001	इस समझौते में पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर विचार किया गया है।
3.	बंगलादेश	15.6.2001	समझौते में कृषि, पशुपालन, शिक्षा, अनुसंधान और पद्धति में इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
		22.1.2000	समझौता ज्ञापन में संयुक्त कार्यकलापों, कार्यक्रमों, वैज्ञानिक सामग्रियों, सूचना और कार्मिक के आदान-प्रदान के जरिए दोनों देशों के बीच कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उत्पादन और कृषि प्रसंस्करण में सहयोग के विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।
4.	ब्राजील	2.7.1997	समझौते में प्लेग और बीमारियों के नियंत्रण, उपचार तकनीकों की प्रणाली, पशु और सब्जी मूल उत्पादों और उप-उत्पादों की साज संभाल और तैयार करने सहित फाईटोजू-सिनेटरी पर तकनीकी और वैधानिक सूचना के आदान प्रदान में सहयोग का प्रस्ताव है।
5.	बुल्गारिया	26.5.1994	पशु चिकित्सा और स्वच्छता समझौते में पशुओं में रोगों के प्रवेश से दोनों देशों को बचाने में पशु चिकित्सा एवं चिकित्सा कार्यकलापों के क्षेत्र में तथा पशु मूल के उत्पादों के आदान प्रदान में सहयोग की व्यवस्था है।
		26.5.1994	संगरोध और पादप रक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता का लक्ष्य संगरोध कृमियों, पादप रोगों और खरपतवारों के प्रवेश और प्रसार से रक्षा करना है।
6.	बेलारूस	22.2.2001	समझौते में एक दूसरे के क्षेत्र में संगरोध कृमियों, खरपतवारों तथा रोगों के प्रसार और प्रवेश को रोकने के लिए संगरोध और पादप-रक्षण के क्षेत्र में सहयोग परिकल्पित है।
7.	चीन	11.4.1992	समझौता ज्ञापन में कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सामग्रियों के आदान प्रदान, जर्मप्लाज्म, बीजों, पौध के आदान-प्रदान तथा वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना आदि के आदान-प्रदान के जरिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक तकनीकी, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

1	2	3	4
8.	क्यूबा	16.9.1988	इस समझौते के अंतर्गत 22 नवम्बर, 1996 को हस्ताक्षरित कार्य योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
9.	साईप्रस	26.3.1992	सहयोग के कार्यक्रम में बागवानी, क्षेत्रीय फसलें, मृदा उर्वरता उर्वरक प्रयोग तथा सिंचाई प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र शामिल हैं।
10.	कम्बोडिया	18.2.2000	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कृषि विज्ञापन और प्रौद्योगिकी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग का विकास करके दोनों देशों के बीच वर्तमान मैत्री संबंधों को और अधिक विकसित करना है।
11.	इरीट्रिया	31.3.1998	निवेश खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में इरीट्रिया को तकनीकी सहायता देने के लिए तथा खाद्य एवं कृषि संगठन की दक्षिण-दक्षिण सहयोग पहल के भाग के रूप में 31.3.1998 को भारत सरकार, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा इरीट्रिया के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किये गये। इसमें सिंचाई, मृदा संरक्षण, सस्य विज्ञान, पशु धन (कुक्कुट तथा सुअर उत्पादन), विपणन (कटाई-पश्चात) की शाखा में तकनीकी सहयोग की परिकल्पना की गई है।
		1.12.2000	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कृषि क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित तथा विकसित करना है। इस क्षेत्र में बागवानी में कृषि अनुसंधान, फसल विज्ञान मात्स्यिकी तथा पशुपालन आदि शामिल है।
12.	फ्रांस	6.2.1994	इस समझौते में कृषि, मात्स्यिकी, वानिकी ग्रामीण विकास और कृषि-खाद्य उद्योग क्षेत्रों में सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
13.	ग्रीस	5.2.2001	समझौता ज्ञापन का लक्ष्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं के आदान-प्रदान, कृषि हेतु प्रशिक्षण प्रबंध और सलाहकार सेवाओं के विकास, विशेषज्ञों एवं परामर्शदाताओं के आदान-प्रदान, संयुक्त उद्यमों आदि के जरिए कृषि के क्षेत्र में आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग का विकास करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है।
14.	इन्डोनेशिया	20.2.1992	समझौता ज्ञापन में खाद्य-फसलों, गौण-फसलों, वर्षा सिंचित कृषि, संकर चावल, मात्स्यिकी, पशुधन आदि सहित कृषि में सहयोग के विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।
15.	ईरान	11.11.1991	समझौता ज्ञापन में कृषि अनुसंधान शिक्षा, ग्रामीण विकास, पशुपालन, पशु-चिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी, वानिकी, जल-प्रबंध आदि के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
		5.10.1997	समझौता ज्ञापन में पशु स्वास्थ्य, अनुसंधान और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में सामान्य आयोगों, विचार गोष्ठियों, सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन के जरिए पशु रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन सूचनाओं के आदान प्रदान तथा विशेषज्ञों के आदान-प्रदान में सहयोग की व्यवस्था है।

1	2	3	4
16.	इजरायल	24.12.1993	यह समझौता जल और मृदा प्रबंध, शुष्क और अर्द्ध शुष्क फसल उत्पादन, फल और सब्जी उत्पादन, पशु विज्ञान, पादप रक्षा, कृषि अनुसंधान, कृषि वानिकी आदि के क्षेत्रों को कवर करता है।
		30.12.1996	आशय ज्ञापन छोटे किसानों और निजी क्षेत्र हेतु व्यावहारिक प्रौद्योगिकी पैकेजों के विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के उद्देश्य से पूसा, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान के परिसर पर प्रदर्शन फार्म के प्रथम चरण में स्थापना से संबंधित है।
17.	लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य	2.5.1997	समझौता ज्ञापन में कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इसमें कृषि अनुसंधान, फसल उत्पादन, बागवानी, पौध संरक्षण, पशु विज्ञान, मात्स्यिकी, वनीकरण, कृषि आधारित उद्योग आदि में संयुक्त कार्यकलापों का समावेश है।
18.	मॉरीशस	3.6.1993	समझौता ज्ञापन कृषि विज्ञान एवं तकनीकी, कृषि उत्पादन और कृषि-प्रसंस्करण एवं आर्थिक सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है।
19.	म्यांमार	25.4.1998	समझौता ज्ञापन कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करता है।
20.	मंगोलिया	16.9.1996	समझौते में तकनीकी के आदान-प्रदान, बायो-तकनीकी के आधुनिक तरीकों के विकास, संयुक्त अनुसंधान प्रोजेक्ट निर्माण एवं कार्यान्वयन तथा लघु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि की स्थापना के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।
21.	मोरक्को	27.2.2001	इस समझौते में वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने तथा उसमें सुधार करने के लिए पादप संगरोध और पादप रक्षण, पादप और पादप उत्पादों के आदान-प्रदान और रोगों और कीटों जो पादप प्रजातियों को नष्ट करते हैं, आदि के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
		27.2.2001	इस समझौते में पशु स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
22.	मोजाम्बिक	1.3.2001	खाद्य सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम के अधीन 1.3.2001 को रोम में भारत सरकार, मोजाम्बिक सरकार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
23.	नामीबिया	31.3.1998	नामीबिया और भारत सरकार ने अध्ययन दौरे, प्रशिक्षण और परामर्श के लिए वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान और जर्मप्लाज्म और वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान के जरिए कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में 31 अगस्त, 1998 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
24.	नेपाल	6.12.1991	समझौता ज्ञापन खाद्य और नकदी फसलों, बहुफसलन प्रणालियों फल और सब्जी विकास, डेयरी विकास आदि सहित कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन और कृषि प्रसंस्करण के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है।
25.	न्यूजीलैंड	15.4.1999	तकनीकी सहयोग के ज्ञापन में बाजार पहुंच और जांच, कृमियों को पता लगाने हेतु पादप स्वच्छता उपायों तथा तकनीकी और जैव वैज्ञानिक सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग परिकल्पित है।

1	2	3	4
26.	ओमान	5.10.1996	समझौता ज्ञापन संयुक्त कार्यकलापों सहित कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं कृषि अनुसंधान, बागवानी, डेयरी विकास पशुधन, मृदा संरक्षण, सिंचाई आदि के क्षेत्र में आदान-प्रदान कवर करता है।
		2.4.1997	इस समझौते में कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के विकास और वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के आदान-प्रदान द्वारा उसके उत्पादन तकनीकों और विस्तार कार्यकलापों में सुधार करने जर्मप्लाज्म और प्रजनन सामग्री और वैज्ञानिक साहित्य आदि के आदान-प्रदान की व्यवस्था है।
27.	पाकिस्तान	4.7.1985	इस समझौते में कृषि में अनुसंधान और शिक्षा तथा साथ ही विकास की व्यवस्था है।
28.	पनामा	2.2.2001	इस समझौता ज्ञापन में बागवानी फसल विज्ञानों, मात्स्यिकी, पशु विज्ञानों कृषि विस्तार, कृषि शिक्षा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध आदि के चयनित क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान और शिक्षा तथा सहकारिता के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
29.	पेरू	26.5.1997	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और पेरू के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बीच हुए करार ज्ञापन में प्रशिक्षण वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के आदान-प्रदान, जर्मप्लाज्म और प्रजनन सामग्री के आदान-प्रदान, वैज्ञानिक साहित्य सूचना आदि के आदान-प्रदान के जरिए अनुसंधान और शिक्षा तथा उनकी उत्पादन तकनीकों और विस्तार के सुधार के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था करता है
30.	फिलिपिन्स	29.4.1991	फिलिपिन्स सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन में चावल उत्पादन और प्रसंस्करण बहुफसल प्रणाली, शुष्क भूमि कृषि प्रणालियों, जल प्रबंध, कृषि मशीनरी, बागवानी, डेयरी पशुधन सुधार आदि के क्षेत्र सहित कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल है।
31.	रूस	5.10.1995	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और रशियन एकेडमी ऑफ एग्रिकल्चरल साइंसेज के बीच समझौते में कृषि और संबंधित विषयों के क्षेत्र में सहयोग की व्यवस्था है।
		25.3.1997	समझौता संगरोध पेस्टस्, पौध-रोगों एवं खरपतवार के प्रवेश तथा फैलाव के रोकथाम के उद्देश्य से पौध संगरोध के क्षेत्र में सहयोग तथा कृषि एवं वन फसलों को संरक्षण प्रदान करता है।
		16.4.1999	समझौता पशु चिकित्सा क्षेत्र में पशु रोगों के बचाव एवं विलोपन एवं उनके फैलाव से बचाव के उद्देश्य सहित सहयोग प्रदान करता है।
		3.10.2000	समझौते में कृषि के क्षेत्र में फसल उत्पादन, संगरोध तथा पौध संरक्षण, सिंचाई तथा जल निकास, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण इत्यादि जैसे पारस्परिक कार्य के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, प्रशिक्षुओं की परस्पर यात्रा, वैज्ञानिक विकास विनिमय, इत्यादि के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग की व्यवस्था है।

1	2	3	4
32.	सेनेगल	16.2.1997	समझौता ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा सेनेगल में कृषि विकास परियोजना की स्थापना हेतु सहयोग का प्रावधान है।
33.	सीरिया	4.2.1983	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पौध संरक्षण अनुसंधान, पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य, मृदा तथा जल संसाधन प्रबंध एवं कृषि विस्तार आदि क्षेत्रों में सहयोग करना है।
34.	त्रिनिदाद एवं टोबैगो	24.1.1997	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना है। सहयोग के क्षेत्रों में पशुधन, कृषि उद्देश्यों हेतु जल प्रबंधन, गन्ने की खेती तथा चीनी उद्योग फसल समुन्नति, इत्यादि सम्मिलित हैं।
35.	ट्यूनिशिया	7.10.1996	इण्डो-ट्यूनिशिया संयुक्त आयोग (7.12 अक्तूबर 1996) के पांचवें सत्र के अनुमोदित कार्यवृत के अनुसरण में, भारतीय कृषि अनुसंधान पषिद और ट्यूनिशिया कृषि मंत्रालय के मध्य 7 अक्तूबर, 1996 को एक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए। यह जर्मप्लाज्म एवं विज्ञान सूचना विनिमय, भारत और ट्यूनिशिया के मध्य अदल-बदल यात्राएं/वैज्ञानिक परामर्श विनिमय तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करता है।
		5.4.2000	समझौता ज्ञापन कृषि अनुसंधान, गेहूं व जौ में फसल सुधार, बागवानी, मृदा संरक्षण, दुग्ध-उत्पादन प्रौद्योगिकी, कृत्रिम सेचन, जलजीवशाला, मछली-आनुवांशिकी तथा मछली-प्रसंस्करण, इत्यादि के द्वारा पशुधन सुधार में सहयोग प्रदान करता है।
36.	तुर्की	31.3.2000	समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कृषि विज्ञान व प्रौद्योगिकी में सहयोग के विकास प्रौन्नति कृषि उत्पादन एवं कृषि प्रसंस्करण तथा दोनों देशों के मध्य संयुक्त कार्यकलापों द्वारा तथा परस्पर अनुमोदित प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित व क्रियान्वित किए जाने वाले विनिमय में आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।
37.	संयुक्त राज्य अमेरिका	27.1.1996	समझौता कृषि विज्ञान में सहयोग हेतु महत्वपूर्ण पारस्परिक अभिरुचियों के क्षेत्रों में भारत व संयुक्त राज्य अमरीका के वैज्ञानिकों के मध्य और अधिक सहयोग प्रदान करता है तथा कृषि संबंधी लाभ जैसे सूचना विचार, दक्षता तथा तकनीकी विनिमय, कृषि संबंधी समरूप अभिरुचियों की समस्याओं के हल को खोजने में सहयोग प्रदान करता है।
38.	उजबेकिस्तान	2.5.2000	समझौता ज्ञापन बागवानी में कृषि अनुसंधान, फसल विज्ञान, मछली-पालन, कपास तथा वनस्पति उत्पादन, फसल संरक्षण, पशु विज्ञान, कृषि विस्तार तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इत्यादि वैज्ञानिकों, प्रशिक्षण-परामर्शदाताओं के विनिमय, जर्म-प्लाज्म तथा प्रजनन सामग्री तथा वैज्ञानिक साहित्य तथा सूचना विनिमय के द्वारा सहयोग प्रदान करता है।
39.	यू. ए. आर (मिस्त्र)	19.3.1998	समझौता ज्ञापन में कृषि इंजीनियरी, बागवानी अनुसंधान, पशु विज्ञान, कृषि विस्तार आदि क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है।

1	2	3	4
40.	वियतनाम	31.12.1992	समझौता ज्ञापन कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करता है तथा फसल-विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान, पशु-विज्ञान, डेयरी विकास वैज्ञानिकों का विनिमय, इत्यादि जैसे क्षेत्रों को कवर करता है।
41.	यमन	7.12.1996	समझौता ज्ञापन कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन तथा कृषि-प्रसंस्करण, इत्यादि को कवर करता है।

बंगलौर में रिंग रेल सेवा

721. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **रेल मंत्री** बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना के बारे में 24.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4823 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में रिंग रेलवे और मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक आरंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु हेतु अंत: मॉडल परिवहन प्रणाली परियोजना के राजस्व तथा लागत निहितार्थों के ब्यौरों के आकलन संबंधी अध्ययन की लागत की दो तिहाई भागीदारी की हाल में पुष्टि दी है। अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय को अंतिम रूप देने जैसी अन्य संबंधी औपचारिकताएं प्रगति पर है। परियोजनाओं की स्वीकृति तथा निष्पादन, अध्ययन के निष्कर्षों, राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति, अन्य अपेक्षित क्लीयरेंस तथा संसाधनों की उपलब्धा पर निर्भर करेगा।

कालका-अमृतसर एक्सप्रेस का बंद किया जाना

722. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालका-अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ी (4535) को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेल सेवा को पुन: आरंभ करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पुन: आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां, कालका-अमृतसर एक्सप्रेस लोकप्रिय न होने के कारण बंद कर दी गई है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। कालका-अमृतसर एक्सप्रेस को पुन: चालू करना वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना

723. श्री राजो सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री टीएच. चाओबा सिंह): (क) और (ख) केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। सरकार

के पास बिहार में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला की स्थापना के वास्ते वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) देश में विचारण न्यायालयों द्वारा भेजे गए खाद्य नमूनों की जांच के वास्ते, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत चार केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं जोकि पुनर्विचार निकाय हैं, की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को क्षति

724. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में बे-मौसम की बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से खड़ी फसलें नष्ट हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फसलों को हुई क्षति का मात्रा-वार, फसल-वार और राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों की फसलों को हुई क्षति के लिए राहत उपायों के रूप में कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो किसानों को प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का राज्य-वार और राशि-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) वर्तमान दक्षिण-पश्चिम मानसून (1.6.2000 से आगे) के दौरान देश के विभिन्न भागों में भारी वर्षा हुई जिसके कारण बाढ़ आई तथा उससे फसलों को नुकसान पहुंचा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 0.68 लाख है. में फसल के नुकसान की सूचना दी है. उड़ीसा सरकार ने 7.70 लाख है. में फसल क्षेत्र के नुकसान की सूचना दी है तथा केरल सरकार ने लगभग 158 करोड़ रुपये मूल्य की फसल के नुकसान की सूचना दी है। कर्नाटक सरकार के अपर्याप्त वर्षा के कारण सूखे की स्थिति की सूचना दी है जिसके कारण 16.22 लाख है. फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ।

(ग) और (घ) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। भारत सरकार वित्तीय तथा संभार-तंत्र संबंधी सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। आवश्यक उपाय करने के लिए राज्यों के पास आपदा राहत कोष के अधीन निधियां उपलब्ध हैं। वर्ष 2001-02 के दौरान निर्मुक्त आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राहत सहायता की मदों और प्रतिमान में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को आदान सहायता देने का प्रावधान है।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आपदा राहत कोष से निर्मुक्त केन्द्रीय अंश
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	7798.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	473.50
3.	असम	3996.00
4.	बिहार	-
5.	छत्तीसगढ़	2163.00
6.	गोवा	-
7.	गुजरात	11701.49
8.	हरियाणा	-
9.	हिमाचल प्रदेश	3424.00
10.	जम्मू और कश्मीर	-
11.	झारखंड	-
12.	कर्नाटक	2936.00
13.	केरल	5956.11
14.	मध्य प्रदेश	4932.00
15.	महाराष्ट्र	12380.00
16.	मणिपुर	-
17.	मेघालय	-
18.	मिजोरम	-
19.	नागालैंड	-
20.	उड़ीसा	6465.75
21.	पंजाब	-
22.	राजस्थान	12225.75

1	2	3
23.	सिक्किम	495.34
24.	तमिलनाडु	-
25.	त्रिपुरा	-
26.	उत्तर प्रदेश	13521.06
27.	उत्तरांचल	-
28.	पश्चिम बंगाल	-
	कुल	88468.50

[अनुवाद]

हेलियस निगम लिमिटेड द्वारा जमाराशियों का भुगतान न किया जाना

725. श्री जी. मल्लिकर्जुनप्पा: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** जमा राशियों का भुगतान न किये जाने के संबंध में कंपनी लॉ बोर्ड के निर्णय के बारे में 29.11.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसर्स हेलियस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना ने दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 के कंपनी लॉ बोर्ड के आदेशों के अनुसार जमाकर्त्ताओं को अद्यतन ब्याज सहित 31 अगस्त, 2000 तक देय किश्तों का पुनर्भुगतान कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा चूककर्ता कंपनियों द्वारा जमाकर्ताओं को समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) मैसर्स हेलियस कॉरपोरेशन लि. जमाओं के पुनर्भुगतान से संबंधित कंपनी विधि बोर्ड (सी एल बी) के अनुपालन का कोई शपथ पत्र दायर नहीं किया है। सी एल बी को कंपनी विधि बोर्ड के दिनांक 7 अक्तुबर, 1999 के आदेशानुसार निक्षेपकर्त्ताओं के देय अद्यतन ब्याज सहित अगस्त, 2000 तक की किश्तों के देय पुनर्भुगतान की भी जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 के आदेश में कंपनी विधि बोर्ड ने आर बी आई के महाप्रबंधक, गैर-बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग (वित्तीय कंपनियां), पटना को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा यदि कोई अनुपालन न करने वाली कंपनी है तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी थी।

यद्यपि, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष आर बी आई, पटना की एक याचिका पर माननीय न्यायालय ने मैसर्स हेलियस कॉरपोरेशन लि. के परिसमापन के लिए दिनांक 19 मई, 2000 को एक आदेश पारित किया है, तथा कंपनी के अस्थायी समापक के रूप में शासकीय समापक, उच्च न्यायालय, पटना की नियुक्ति की है।

भारतीय नौवहन निगम का कारोबार

726. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय नौवहन निगम के स्वामित्व में कंटेनर पोतो की संख्या क्या है और बड़े पोतो (बल्क शिप्स) का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निगम का कुल कितना कारोबार रहा;

(ग) क्या निगम का विचार इस तरह के व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए अपने मौजूदा ढांचे और रणनीतियां तैयार करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय नौवहन निगम लि. के पास 4 (चार) कंटेनर पोत और 68 बल्क पोत हैं। भारतीय नौवहन निगम के स्वामित्व में बल्क पोतों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

बल्क पोत की किस्म	यूनिट की संख्या	डी डब्ल्यू टी (लाख)
बल्क कैरियर	24	10.06
क्रूड कैरियर	27	22.93
उत्पाद कैरियर	12	4.42
फास्फोरिक/केमिकल कैरियर	3	0.93
एलपीजी/अमोनिया कैरियर	2	0.35

(ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय नौवहन निगम का कुल कारोबार इस प्रकार रहा है:-

वर्ष	लाख रुपये
1998-99	2,58,227
1999-2000	2,60,798
2000-2001 (अनन्तिम)	3,13,223

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों की बारम्बारता

727. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रेलगाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेलगाड़ियों के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे बजट 2001-2002 के भाषण में निम्नलिखित 9 जोड़ी गाड़ियों की बारंबारता बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था:-

1.	2313/2314	सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
2.	5005/5006	गोरखपुर-देहरादून
3.	1263/1264	जबलपुर-राजकोट एक्सप्रेस
4.	5285/5286	सियालदह-दरभंगा गंगासागर एक्सप्रेस
5.	8517/8518	विशाखापत्तनम-विलासपुर एक्सप्रेस
6.	7017/7018	सिकंदराबाद-राजकोट एक्सप्रेस
7.	2409/2410	निजामुद्दीन-बिलासपुर गौडवाना एक्सप्रेस
8.	9773/9774	इंदौर-जयपुर एक्सप्रेस
9.	6337/6338	एर्णाकुलम-राजकोट-ओखा एक्सप्रेस

उपर्युक्त 8 जोड़ी गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ाई गई है। वर्ष 2001-2002 के दौरान 6337/6338 एर्णाकुलम-राजकोट-ओखा एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाई जाएगी।

गैर-बैंकिंग वित्त-कंपनियों द्वारा जमा की गई राशि का भुगतान न करना

728. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-बैंकिंग वित्त-कंपनियों द्वारा कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के अनुसार छोटे निवेशकों, जमाकर्ताओं को धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो चूककर्त्ता गैर-बैंकिंग वित्त-कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या 'सिएट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड' कंपनी विधि बोर्ड के आदेशों के अनुसार छोटे निवेशकों को धनराशि का भुगतान नहीं कर रही है;

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या कंपनी कार्य विभाग ने इस बात की तहकीकात की है कि 'सिएट फाइनेंशियल सर्विसेज' अपनी परिसम्पत्तियों को निकाल कर अन्य समूह-कंपनियों में डाल रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई विद्युत परियोजनाओं की सुविधा हेतु आपदा प्रबंधन समूह का गठन

729. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई विद्युत परियोजनाओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार का आपदा प्रबंधन समूह गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह नई विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में कहा तक लाभप्रद रहेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) सरकार ने विद्युत परियोजनाओं की "अंतिम" समस्याओं का समाधान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लंबित तकनीकी-आर्थिक रूप से स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं का वित्तीय समापन हो गया है और निर्माण आरंभ हो गया है, के लिए 1 जनवरी, 1999 को विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में एक संकट समाधान दल का गठन किया है। इस दल की अभी तक बारह बैठकें हुई हैं और इसने वित्तीय समापन और विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के शीघ्र प्रारंभ में बाधा उत्पन्न करने वाले कई मुद्दों का समाधान किया है।

विद्युत वित्त निगम द्वारा आंध्र प्रदेश को आस्थगित भुगतान कर देने की गारंटी

730. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने आंध्र प्रदेश विद्युत वित्त निगम को उसके 430 मेगावाट क्षमता वाले रायल सीमा ताप विद्युत केन्द्र के लिए आस्थगित भुगतान कर देने की गारंटी मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गारंटी को मंजूरी देने के पूर्व सभी नियम और शर्तों को पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह निविदा किसी चीनी फर्म को मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विद्युत केन्द्र का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) पीएफसी ने मै. आंध्र प्रदेश जेनरेशन कंपनी लि. (एपीजेनको) को आंध्र प्रदेश में 2×210 मेगावाट वाली रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना चरण-II को स्थापित करने के लिए 261.79 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी ऋण प्राप्त करने हेतु आस्थगित भुगतान गारंटी को मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) मै. एपीजेनको को वित्तीय सहायता की मंजूरी देते समय पीएफसी ने कुछ नियम एवं शर्तें निर्धारित कीं। आवश्यक गारंटी संबंधी दस्तावेजों को क्रियान्वित करने के पूर्व मै. एपीजेनको द्वारा इन नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करना अपेक्षित है। एपीजेनको द्वारा जिन नियमों एवं शर्तों को पूरा किया जाना शेष है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) प्राप्त सूचना के आधार पर उपस्कर प्राप्ति एवं निर्माण हेतु संविदा मै. झेझियांग मशीनरी एंड इक्विपेंट इम्पोर्ट कारपोरेशन एवं चीन के चाइना मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड एक्सपोर्ट को सौंपा गया है। संविदा शर्तों के अनुसार विद्युत संयंत्र को मै. एपीजेनको द्वारा अग्रिम भुगतान करने से 43 महीने के अन्दर चालू किया जाना प्रत्याशित है।

विवरण

वे नियम एवं शर्तें जिनका एजेनको द्वारा अनुपालन किया जाना शेष है:-

1. एपजेनको अपट्रांसको के साथ एक पीपीए पर हस्ताक्षर करेगा, जो पीएफसी को दिए गए पीपीए में निम्नलिखित आशोधन/संशोधन का प्रावधान करेगा।

* विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित सभी ब्याज, ऋण भुगतान एवं गारंटी भुगतान संबंधी सभो प्रकार के विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव निर्धारित टैरिफ के अंश के रूप में वसूली योग्य होंगे।
* इक्विटी पर प्रतिफल दर का निर्धारण 16% के न्यूनतम स्तर पर किया जाएगा।
* गारंटी सुधार एवं अन्य वित्तीय प्रभार टैरिफ के अंतर्गत वसूली के योग्य होंगे।
* फोर्स मैच्योर शर्त के अंतर्गत अपजेनको को 68.5% पी एल एफ तक का कल्पित विद्युत उत्पादन लाभ दिया जाएगा।
* चूक संबंधी शर्तों का संशोधन किया जाएगा ताकि वर्तमान समय सीमा निर्धारण, जिसके अंतर्गत 30 करोड़ रु. के लिए 60 या इससे ज्यादा दिन की अवधि निर्धारित की गई है, के स्थान पर देय किसी भी राशि के लिए 30 या इससे ज्यादा दिनों के लिए किसी भी भुगतान के नहीं होने की स्थिति में एपट्रांस्को को चूककर्ता माना जाएगा।

2. एपजेनको एपीपीसीबी जैसी परियोजना के स्वीकृति एवं चिमनी की ऊंचाई हेतु अनुमोदन को पुन: मान्य कराएगा ताकि परियोजना के संशोधित क्रियान्वयन समय सीमा को दर्शाया जा सके।

3. निर्माण अवधि के दौरान एपजेनको अपने स्रोतों से विदेशी मुद्रा क्रय के लिए डीपीजी से संबद्ध वित्तीय प्रभारों के भुगतान के लिए वित्त संबंधी आवश्यकता को पूरा करेगा।

4. एपजेनको परियोजना के लिए लाभप्रद कोयले की आवश्यकता सुनिश्चित करेगा।

5. एपजेनको नौवीं एवं दसवीं योजना की शेष की अवधि के लिए निवेश योजना को अंतिम रूप देगा एवं परियोजना को इसी में शामिल करेगा।

6. एपजेनको पीएफसी को नियत तारीख तक की सभी बकाया राशियों का भुगतान कर देगा।

7. आंध्र प्रदेश के लिए सुधार को आरएफसी को अंतिम रूप एवं अनुमोदन एपजेनको तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा।

8. पीएफसी के पक्ष में गारंटी के लिए निम्नलिखित साझा पैकेज का सृजन किया जाएगा:-

* पीएफसी की बकाया राशियों के 1.25 गुणा के बराबर एस्क्रो खाता खोलना।
* राज्य सरकार की गारंटी।
* आर.बी.आई. को राज्य सरकार द्वारा पीएफसी को आंध्र प्रदेश के आर.बी.आई. खाते (जिसमें डेवलूशन मनी शामिल है) मे भुगतान करने के लिए तथा आर.बी.आई. द्वारा इस बात की पुष्टि की पीएफसी ने उक्त अनुदेशों को रिकार्ड कर लिया है, एक अपरिवर्तनीय पत्र का निर्गमन

भुवनेश्वर और कुर्ला के बीच नई रेलगाड़ी

731. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने मई, 2001 मे भुवनेश्वर और कुर्ला (मुम्बई) के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की थी:

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेलगाड़ी का चलना शुरू हो गया है:

(ग) यदि नहीं, तो इस रेलगाड़ी को शुरू करने के लिए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक चलाया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) इस संबंध में आवश्यक प्रबंध किये जाने के बाद चालू वित्त वर्ष में उक्त गाड़ी चलाई जाएगी।

अखाद्य खली का निर्यात

732. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरिया, ताइवान इत्यादि देशों को, जैव-खाद के रूप में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में अखाद्य खली का निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या यह खाद मृद-उत्पादकता में सुधार करने, कीटों का हमला कम करने और गुणवता, विशिष्टिता, स्वाद तथा रंग इत्यादि के वर्धन के लाभप्रद सिद्ध हुई है; और

(ग) यदि हां, तो अखाद्य खली को अन्य देशों के निर्यात करने की बजाय, कृषि और उद्यानिकी में उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्तमान में जो कार्यक्रम हैं, उनका ब्यौरा क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कोरिया, चीनी तैपेई और अन्य देशों को अखाद्य खलियों का निर्यात किया गया है।

(ख) नीम, करंज और महुआ आदि अखाद्य खलियां मृदा उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाद्य के रूप में एक अच्छा कार्बनिक स्रोत हो सकती है और कुछ मामलों में कीटनाशकों के आक्रमण को रोकने के लिए भी उपयोग हो सकती है।

(ग) कृषि और बागवानी में अखाद्य खलियों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि सरकार तिलहन की खलियों सहित विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, कार्बनिक खादों के जरिए पादप पोषक तत्वों के समेकित उपयोग को बढ़ावा देती है।

कृषि कामगारों का शोषण

733. **श्री भान सिंह भौरा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि-क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई व्यापक कानून के न होने की वजह से उनका हर तरह से शोषण किया जाता है;

(ख) क्या इस संबंध में एक व्यापक कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक लाया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) श्रीमन, सरकार कृषि श्रमिकों की समस्याओं से अवगत है और उनके लिए रोजगार दिहाड़ी, विवाद निपटान और कल्याणकारी उपायों आदि के विनियमन हेतु एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन चल रहा है और राज्यों के श्रम मंत्रियों की बैठक में और अनेक अन्य मंचों पर इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया है किन्तु इस विषय पर राज्य सरकारों के बीच सर्वसम्मति न होने के कारण कानून नहीं बनाया जा सका।

टिहरी बांध की सुरक्षा

734. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री रामजीवन सिंह
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टिहरी बांध के संदर्भ में न सिर्फ जन सामान्य की ओर से, अपितु वैज्ञानिको और भू-वैज्ञानियों की ओर से दर्ज किए गए विरोधों और गुजरात स्थित कच्छ में हाल ही में आए भूकम्प के मद्देनजर, भूगर्भविज्ञान संबंधी पहलुओं तथा इसकी सुरक्षा के विषय में कोई नवीन अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इसके क्रियान्वयन तथा इसे पूरा करने के संबंध में सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जनवरी, 2001 को आए भुज के भूकम्प के पश्चात् सरकार ने मानव संसाधन विकास तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में 10.4.2001 को एक समिति का गठन किया है ताकि टिहरी बांध की भूकम्पीय सुरक्षा तथा गंगा जल के शुद्धिकरण की गुणवत्ता पर टिहरी बांध के संभावित प्रभाव के संबंध में उठाए गए प्रश्नों की जांच की जा सके। समिति ने व्यापक विचार-विमर्श किए हैं। सरकार ने समिति की अवधि को 14.8.2001 तक बढ़ा दिया है ताकि समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सके। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् सरकार रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को अपनी उच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी।

रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के रूप में जैव-उर्वरक

735. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय मृदा-विज्ञान सोसायटी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों के मतानुसार, रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव-उर्वरकों के उपयोग की प्रभावकारिता के बारे में बड़ी भ्रांति है, चूंकि एकमात्र जैव-उर्वरकों का उपयोग करने भर से उत्पादकता सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता फसल की पोषण आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती और जब कि इनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों के साथ किया जाता है, तभी वे कृषि की पैदावार बढ़ा पाते है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव-उर्वरकों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जैव-उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के संपूरक के रूप में माना जाता है न कि विकल्प के रूप में। जैव-उर्वरक, पादप-पोषकों के सस्ते स्रोत हैं जो पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं।

सरकार रासायनिक उर्वरकों, कार्बनिक खाद एवं जैव-उर्वरकों के जरिए पादप-पोषकों के समेकित उपयोग को बढ़ावा देती है। पोषकों का ऐसा संयोजन दीर्घकालिक मृदा संरक्षण एवं फसल उत्पादकता को सुनिश्चित करता है।

कृषि-उत्पादन में कीटनाशकजन्य संदूषण

736. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कृषि उत्पादन में बड़े स्तर पर कीटनाशकजन्य संदूषण होने की प्रघटना के विषय में जानकारी है;

(ख) क्या इस संबंध में विदेशों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि उत्पाद में कीटनाशकजन्य संदूषण पर निगाह रखने और नियंत्रण करने के लिए किसी एजेंसी को कहा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सामान्यत: सर्वाधिक प्रयुक्त वे कीटनाशक कौन से हैं, जो कृषि उत्पाद में अवशिष्टांश के रूप में बचे रह जाते हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) श्रीमन, यूरोपीय संघ के देशों को निर्यातित अंगूर एवं सं. रा. अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं आस्ट्रेलिया को निर्यात मिर्च की कुछ खेपों में क्वीनलफॉस, इतीयन, क्लॉरपायरीफॉस, ट्रीजोफॉस एवं सायपरमेंथरीन कृमिनाशकों के कुछ अवशेष पाये गये थे।

(घ) से (ङ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के विभिन्न प्रावधानों तथा इसके अधीन बनाये गये नियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिशासित किये जाते हैं। कृषि उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य वस्तुओं में कीटनाशी अवशेषों की उपस्थिति पर नजर रखने व अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकरण उत्तरदायी हैं।

(च) डी.डी.टी., बी.एच.सी., एण्डोसल्फॉन तथा क्लोरोपाइरीफॉस ऐसे सामान्य कीटनाशी हैं जो कृषि उत्पादों में उनके दुरूपयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ मंजूर लेबलों/पर्चियों पर उल्लिखित प्रतीक्षा अवधि पर ध्यान न दिए जाने के कारण पाए गए हैं।

[हिन्दी]

जमालपुर कार्यशाला का विकास

737. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जमालपुर सबसे पुरानी रेल-कार्यशाला है और आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कार्यक्षमता से पूरी तरह सुसज्जित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यशाला में कार्मिकों की संख्या 22 हजार से घटकर 6-7 हजार ही रह गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेल विभाग ने इस कार्यशाला को वैगनों के विनिर्माण-आदेश नहीं दिए, जबकि स्थायी समिति ने इस संबंध में नियम बनाने की सिफारिश की थी;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस कार्यशाला की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां। जमालपुर कारखाना सबसे पुराने रेलवे कारखानों में से एक है जिसकी स्थापना 1862 में हुई थी और मौजूदा कार्यभार को पूरा करने के लिए इस कारखानों में आवश्यक उपस्कर और अवसंरचना विद्यमान है।

(ख) और (ग) 1960 में जमालपुर कारखाने में कर्मचारियों की संख्या लगभग 18,500 थी और अब यह संख्या लगभग 10,500 है, भाप इंजनों की ओवरहॉलिंग गतिविधियों में लगे श्रमिकों को हटाने के कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी हुई है,

(घ) और (ङ) रेल संबंधी स्थायी समिति ने जमालपुर कारखाने में मालडिब्बों के विनिर्माण की संभावनाओं का पता लगाने की इच्छा जाहिर की थी। मालडिब्बों के विनिर्माण की सुविधाओं को स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की गई थी। बहरहाल, देश में मौजूदा अतिरिक्त मालडिब्बा विनिर्माण क्षमता के मद्देनजर जमालपुर कारखाने में मालडिब्बों के विनिर्माण को आवश्यक नहीं पाया गया है।

(च) फिलहाल, इस कारखाने में डीजल इंजनों और मालडिब्बों की आवधिक ओवरहॉलिंग का काम चल रहा है। यह कारखाना 140 टन वाली क्रेनों, टावर मालडिब्बों, ब्रेक ब्लॉकों और व्हाइटिंग जेकों का निर्माण भी कर रहा है। यह कारखाना क्रेनों और टावर मालडिब्बों की आवधिक ओवरहालिंग भी करता है। इस कारखाने की क्षमता का उपयोग रेलों की आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विभिन्न राज्यों को रसोई गैस के कनेक्शन

738. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री कोलूर बसवनागौड:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों को रसोई गैस के कनेक्शनों का आबंटन करने के लिए क्या मापदंड हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को 25 लाख रसोई गैस कनेक्शन देने का निर्णय लिया है, जिन्हें उन महिलाओं को दिया जाएगा जो स्व-सहायता समूहों में भागीदारी कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का यही सुविधा दूसरे राज्यों को भी देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) वर्तमान में एल पी जी कनेक्शन सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के द्वारा देश भर में विद्यमान बाजारों के अंतर्गत मांग पर जारी किए जा रहे हैं और इनका राज्यवार आवंटन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने ''दीपम योजना'' के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 15 लाख अतिरिक्त नए एल पी जी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार से अपेक्षित होगा कि वह प्रतिमाह समनुरूपी मिट्टी तेल कोटा को वापस करे तथा वास्तविक रूप से जारी की गई कनेक्शन संख्या के प्रति लाभार्थियों की ओर से आवश्यकता प्रतिभूति जमा करे। मिट्टी तेल के कोटा को वापस करने के लिए प्रति एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाने की यह सुविधा सभी राज्यों को उपलब्ध है।

[हिन्दी]

केले की खेती के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल

739. कुंवर अखिलेश सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य वार कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती होती है;

(ख) क्या देश से केले का निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है;

(घ) क्या देश में केले की खेती को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) केले की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) उन देशों के नाम जिन्हे केले का निर्यात किया जा रहा है तथा निर्यात मूल्य का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार फलों का समेकित विकास नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से केले की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। अक्टूबर 2000 से इसका विलय कृषि का वृहद प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारें अपनी कार्य योजनाओं की क्षमता एवं आवश्यकतानुसार अपने कार्यकलापों को प्राथमिकता क्रम देकर धनराशि आबंटित कर सकती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा भी अपनी स्कीम उत्पादन तथा फसलोपरान्त प्रबंध द्वारा वाणिज्यिक बागवानी विकास के माध्यम से सहायता दी जा रही है। तिरूचि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र की स्थापना खास तौर से केले संबंधी कार्य के लिए की गई है, जो देश में केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान सहायता प्रदान कर रहा है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान केले की खेती के अंतर्गत राज्य-वार क्षेत्र

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	2
आंध्र प्रदेश	49000
असम	42000
बिहार	29000
गुजरात	34000

1	2
कर्नाटक	61000
केरल	28000
महाराष्ट्र	72000
उड़ीसा	16000
तमिलनाडु	92000
पश्चिम बंगाल	19000
अन्य	50000
कुल	491000

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान जिन देशों को केले का निर्यात किया गया उनकी सूची तथा केले का निर्यात मूल्य

देश	निर्यात मूल्य (रुपये)
1	2
आस्ट्रेलिया	77,696
बहरीन	1,11,29,843
बंगलादेश	4,41,382
बेल्जियम	2,89,898
बुल्गारिया	13,136
कनाड़ा	12,64,335
डेनमार्क	14,438
फ्रांस	2,00,424
जर्मनी	1,24,726
जिब्राल्टर	22,990
इटली	17,065
जोरडन	14,458
कुवैत	67,13,988
मलेशिया	7,24,814
मालदीव	11,00,013
माले	37,901
मालटा	44,306
नीदरलैंड	1,46,50,271
ओमान	66,47,873
पैराग्वे	10,993
कतर	91,86,787
रशिया	17,14,536
रवांडा	12,99,130
सऊदी अरब	1,45,00,999
सिंगापुर	267,801
स्पेन	2,06,600
सूडान	1,90,252
स्वीट्जरलैंड	34,263
थाइलैंड	2,07,264
टोगो	30,660
संयुक्त अरब अमीरात	493,22,644
यूनाइटेड किंगडम	1,15,894
सं.रा. अमरीका	74,08,292
यमन अरब गणराज्य	55,248
कुल	12,80,80,920

[अनुवाद]

स्मारक-स्थलों का संरक्षण

740. श्री अनन्त नायक: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2001-2002 के दौरान दिल्ली और अन्य राज्यों में स्थित कुछ प्राचीन तथा पुरातन महत्व के स्मारक-स्थलों को उनके पुनरुद्धारार्थ तथा संरक्षणार्थ चुना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए स्मारक स्थलवार कितनी राशि निर्धारित की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक मंडलों को, स्मारकों, के संरक्षण के लिए, वार्षिक रूप से धनराशियों का आबंटन किया जाता है जो संबंधित स्थल/स्मारक की विशिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित होता है, तथा संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अधीन होता है। वर्ष 2001-2002 के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रत्येक मंडल को स्मारकों के संरक्षण के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभिन्न मंडलों में स्मारकों के संरक्षण हेतु निधियों का नियतन निम्न प्रकार है

मंडल का नाम	लाख रुपयों में
1	2
1. आगरा	225.00
2. औरंगाबाद	345.00
3. बंगलौर	160.00
4. भोपाल	145.00
5. भुवनेश्वर	145.00
6. चेन्नई	155.00
7. कलकत्ता	115.00
8. चंडीगढ़	185.00
9. दिल्ली	200.00
10. धारवाड़	135.00
11. लघु मंडल गोवा	60.00
12. गुवाहाटी	150.00
13. हैदराबाद	180.00
14. जयपुर	150.00
15. लखनऊ	140.00
16. पटना	155.00
17. श्रीनगर	100.00
18. त्रिसूर	115.00
19. वड़ोदरा	195.00
20. निदेशक (विज्ञान)	200.00
जोड़	3225.00

स्मारक-स्थलों पर जैव-अपकर्ष/जैव-अपस्तरण का प्रभाव

741. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पुरातात्विक स्मारक स्थलों की सर्किल-वार सूची क्या है, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान जैव-अपकर्ष तथा जैव-अपस्तरण की प्रघटनाओं से प्रभावित हुए;

(ख) उक्तावधि के दौरान इन्हें संरक्षित करने के लिए वर्षवार कितनी धनराशि का विनिधान किया गया तथा कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) जैव-अपकर्ष की प्रघटना, नील-जीवाणुओं, काई कबूतरों की बीट तथा ऊंचें पौधों की वजह से चेन्नई सर्किल में जो स्मारक स्थल प्रभावित हुए उनका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई;

(घ) क्या कांचीपुरम स्थित कैलाशनाथ मंदिर आवरण-परत चढ़ने (शुगर-डिसीज) की वजह से प्रभावित है और उसकी बालू-पत्थर निर्मित संरचना की स्थिति तेजी से खराब हो रही है: और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) देश में विद्यमान जलवायु संबंधी स्थितियों को ध्यान में रखकर स्मारकों पर जैव-अपकष का प्रभाव स्पष्टत: व्यापक है। तथापि, ऐसे स्मारकों के विशेष ब्यौरे का परिणाम बताना संभव नहीं होगा।

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रासायनिक उपचार और परिरक्षण हेतु आवंटित निधि/उन पर हुआ व्यय, वर्षवार निम्न प्रकार है:-

	लाख रुपये
1998-1999	104.00
1999-2000	118.00
2000-2001	136.00

चेन्नई मंडल में पिछले तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उपचार तथा परिरक्षण के कार्य के लिए हाथ में लिए जाए स्मारकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1998-99

1. श्री धेमुरीश्वरा मंदिरा की मूर्तियां, मदमवक्कम, चैन्नई-79
2. मुख्य मंदिर, तटीय मंदिर, महाबलीपुरम्
3. शैलकृत विष्णु मंदिर की मूर्तियां, तिरुपयम, जिला पुड्डाकोटा
4. श्री नरसिम्हास्वामी मंदिर की मूर्तियों, नामाक्कई
5. श्री अगास्वरा मंदिर की मूर्तियां, वैल्लनूर, जिला कोट्टा

1999-2000

6. वेदककुन्तन मंदिर के श्रीराम मंदिर की लकड़ी की नक्काशियां और कोष्ठक आकृतियां।
7. तटीय मंदिर, महाबलीपुरम् श्री जलाशयन पेरुमल मंदिर, तटीय मंदिर, महाबलीपुरम्।
8. श्री पट्टावीरमास्वामी मंदिर की मूर्तियां, नरसिम्हारयनपट्टनम विल्लुपुरम।
9. मूर्तियां श्री मुत्तुगंता स्वामी मंदिर, तिरुमुरुनपोंडी।
10. श्री स्वयंभूनाथ स्वामी मंदिर की मूर्तियां, कोपूत्तुर, तिरुवना-मलाई जिला।

2000-2001

11. वेदककुन्तन मंदिर के श्रीराम मंदिर की लकड़ी की नक्काशियां तथा पत्थर की मूर्तियां, त्रिचूर, केरल
12. श्री पार्थ सारथी मंदिर के नीचे विमान तथा दीवारें, पार्थावीपुरम्, जिला कन्याकुमारी।
13. तटीय मंदिर की मूर्तियां, महाबलीपुरम्
14. शैलकृत विष्णु मंदिर की मूर्तियां, तिरुपयम, जिला पड्ककोट्टई।
15. श्री मुत्तुगंतास्वामी मंदिर की मूर्तियां, तिरुमुरुगनपूंडी, जिला कोयम्बटूर।
16. मूर्तियां ब्रह्मीश्वरा मंदिर, तिरुवम्बर, जिला त्रिची।
17. केरलानतक गौपुरम् और दो संयुक्त दीवारें, बृहदेश्वरा मंदिर, तंजावूर।
18. विमान के नीचे दीवारें, बृहदेश्वरा मंदिर, जी.के.सी.पुरम्, जिला पेरुमवटूर।

रेलगाड़ियों में सुविधाएं

742. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाने के स्टालों को बेरोजगार युवाओं को आबंटित करने तथा रेल-प्लेटफार्मों पर यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन तथा नाश्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए कुछ कोटा आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) मौजूदा खानपान नीति के अंतर्गत छोटी खानपान वेंडिंग इकाइयों के आवंटन में लाभ से वंचित विभिन्न श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और रेलकर्मियों की विधवाओं सहित महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किया गया है।

भारत और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन

743. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री खारबेल स्वाइं:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के रास्ते भारत और ईरान के बीच एक गैस-पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं पर अमल करने के संबंध में हो रही बातचीत में संप्रति क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ईरान सरकार ने पाइपलाइन के माध्यम से भारत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए प्राथमिक प्रस्ताव भेजा है। भारत-ईरान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के सभी पहलुओं नामत: ईरान से गैस आयातों के विभिन्न विकल्पों, जिनमें जमीनी अपतटीय तथा एल.एन.जी. विकल्प सम्मिलित हैं, के तकनीकी, आर्थिक एवं राजनैतिक पहुलओं की जांच करने के लिए भारत को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के विषय में भारत-ईरान संयुक्त समिति गठित की गई है, जिसमें ईरान एवं भारत सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित है। यह प्रस्ताव प्राथमिक अवस्था में है।

सुंदरवन क्षेत्र में तेल और गैस की खोज

744. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुंदरवन क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए कुल कितने ब्लाकों की संस्वीकृति दी गई है;

(ख) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसमें कौन-कौन सी कंपनियां लगी हुई हैं, और

(ग) यह खोज कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल और गैस के अन्वेषण के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी-2) के दूसरे दौर के तहत बंगाल बेसिन में सुन्दरवन और समीपवर्ती जमीनी क्षेत्र को समाहित करते हुए डब्ल्यू बी-ओ एन ए-2000/1 नामक एक ब्लाक आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओ एन जी सी) और इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई ओ सी) के परिसंघ को प्रदान किया गया है। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी एस सी) पर 17.7.2001 को हस्ताक्षर किए गए हैं और इसमें दिए गए कार्य संबंधी कार्यक्रम के अनुसार अन्वेषण के सभी तीन चरणों में व्यय 55.67 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उपर्युक्त संविदा के तहत कार्य संबंधी कार्यक्रम 7 वर्ष की अवधि के लिए है जो तीन चरणों में विभाजित है और प्रत्येक चरण के अंत में कार्य छोड़ने का विकल्प उपलब्ध है।

[हिन्दी]

रेल आरक्षण कियास्क का खोला जाना

745. श्री पदमसेन चौधरी:
श्री रामपाल सिंह:
श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न स्थानों पर पी.सी.ओ. केन्द्रों की तरह रेल आरक्षण कियास्क खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) देश में विभिन्न स्थानों पर रेल आरक्षण कियास्क खोलने हेतु प्रस्ताव में विभिन्न जटिल तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों की जांच शामिल होती है। अत: इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए इस स्तर पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

रेलवे स्टेशनों पर प्रदूषित जल की बिक्री

746. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 3 मई, 2001 को ''राष्ट्रीय सहारा'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार

दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मिनरल वाटर के नाम पर प्रदूषित जल बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकला और इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पानी बेचने वाले स्थानीय रेलवे प्रशासन की साठगांठ से नल नष्ट कर देते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) जी नहीं। 3.5.2001 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार ध्यान में आया था और जांच कराई गई थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुछ खराबी के कारण कुछ को छोड़कर अधिकांश पानी की टोटियां सही हालत में पाई गई थीं। बहरहाल पानी की टोटियों को खराब करने में बेंडरों की संलिप्तता का आरोप सिद्ध नहीं हो सका।

इस अवधि के दौरान 21 जांचे नमूना जांचे की गई थीं। कुछ मामलों में, पानी के नमूने मानक के अनुसार नहीं पाए गए जिसके लिए इस मामलों में जुर्माना लगाया गया। रेलवे स्टेशनों पर नकली पानी की बोतलों की बिक्री की रेल प्राधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है। क्षेत्रीय रेलों को रेल परिसरों में आई एस आई मार्क वाले भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित पैक किया हुआ पीने का पानी बेचने की अनुमति देने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

एन.टी.पी.सी. द्वारा बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

747. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. का विचार राज्यों में जहां, निजी क्षेत्र ने अपनी परियोजनाओं को छोड़ दिया है, वहां बड़ी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में भारी बकाये के कारण निजी विद्युत उत्पादकों के लिए विद्युत संयंत्र चलाना कठिन है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन अक्तूबर, 1998 में प्रदान किए गए सरकारी अनुमोदन के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) एनटीपीसी द्वारा प्रस्तावित मेगा विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	परियोजना/राज्य	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति	पूरा करने का वर्ष जैसा कि परिकल्पित है
1	2	3	4	5
1.	अंता सीसीपी चरण-2	650 मेगावाट*	के.वि.प्रा. की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति उपलब्ध है	2005-06
2.	औरैया सीसीपीपी चरण-2, उत्तर प्रदेश	650	परियोजनाओं को केवल तभी आरंभ किया	

1	2	3	4	5
3.	कवास सीसीपीपी चरण-2, गुजरात	650	जाएगा जबकि लाभभोगी राज्य एलएनजी	
4.	झनोर-गांधार सीसीपीपी चरण-2, गुजरात	650	कीमत पर आधारित विद्युत को वहन करने पर राजी हो जायेंगे	
5.	कहलगांव एसटीपीपी चरण-2, बिहार	1320	के.वि.प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है	2007-08
6.	उत्तर करनपुरा, एसटीपीपी झारखंड	1980	-वही-	2008-09
7.	बाढ़ एसटीपीपी, झारखंड	1980	-वही-	2008-09
8.	कोल बांध एचपीपी, हिमाचल प्रदेश	800	अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है	2008-09
9.	चेय्यूर एसटीपीपी, तमिलनाडु	1000**	कोस्टल रेगुलेशन संबंधी स्वीकृति और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जानी है।	2011-12

*मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत अभिज्ञात क्षमता 1300 मेगावाट है जिसे प्रत्येक 650 मेगावाट वाली दो चरणों में क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

**मेगा विद्युत नीति के अंतर्गत अभिज्ञात क्षमता 1500 मेगावाट है। इसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

आवश्यक स्वीकृतियों/वित्तपोषण सुनिश्चितता के अध्याधीन

संकेताक्षर:-

सीसीपीपी कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट
सीइए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस
एसटीपीपी सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एचपीपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
एमओ

(ग) 31 मई, 2001 के अंत में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों पर विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल बकाया राशियां 30000 करोड़ रुपये से अधिक थी। इस प्रकार की स्थिति भावी निजी विद्युत उत्पादकों को भारी बकाया देय राशियों वाले राज्यों में विद्युत संयंत्र की स्थापना करने से रोक सकती है।

(घ) नयी दिल्ली में मार्च, 2001 को आयोजित मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि सीपीएसयू को देय बकाया राशियों में बढ़ोत्तरी की समस्या को देखने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया जाएगा। विशेषज्ञ दल द्वारा की जाने वाली प्रमुख सिफारिशों में से एक सिफारिश बकाया देय राशियों के एकमुश्त भुगतान से संबंधित है। इस संबंध में विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बकाया देय राशियों के एक मुश्त भुगतान की स्कीम की सिफारिश की गयी है जिसमें रा.वि.बो. द्वारा सीपीएसयू को देय राशियों का प्रत्याभूतिकरण और इनका आंशिक परित्याग समेत राज्य सरकारी बॉण्डों में परिवर्तन किया जाना निहित है इसे गैर-अनुपालन के लिए सम्बद्ध दंड समेत वर्तमान देय राशियों के समाधान के लिए रा.वि.बो. द्वारा प्रदान की गयी वचनबद्धता और वसूली हेतु राज्य सरकारी निधियों तथा आश्वस्त पहुंच से लिंक किया गया है। राज्य सरकार भी गैर-अनुपालना के लिए सम्बद्ध दण्ड और कुछ निश्चित परिभाषित कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है। स्कीम के अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहनों की भी व्यवस्था है। एकमुश्त बकाया देय राशियों के एकमुश्त समाधान की स्कीम को व्यवस्था का एक अभिन्न अंग माना जाना चाहिए जो कि भविष्य में इसी प्रकार की चूकों को रोकती है। दल ने यह भी सिफारिश की है कि भागीदार राज्यों से इस संबंध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही स्कीम को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। यह भी महसूस किया गया है कि इस स्कीम की वैधता 31.3.2016 तक बनी रहनी चाहिए।

''रोडसाइड कोटा'' आरक्षण टिकट की पुष्टि

748. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोडसाइड कोटा ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची आरक्षण टिकटों की पुष्टि के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टी.टी.ई. चलती ट्रेनों में मास्टर चार्ट प्रदर्शित नहीं करते हैं और यात्रियों को उन्हें घूस देने के लिए बाध्य होना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रोडसाइड स्टेशनों जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, यात्री कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय जाकर अथवा यदि रोड स्टेशनों पर इंटरएक्टिव वाइस रिस्पांस सिस्टम (आई वी आर एस) उपलब्ध है, के माध्यम से अपनी टिकटों की स्थिति का पता कर सकते हैं।

रोडसाइड स्टेशनों पर जहां बुकिंग हाथ से की जाती है, यात्री आरक्षण काउंटर से अपने टिकटों की स्थिति का पता कर सकते हैं।

(ख) और (ग) आरक्षण चार्ट गाड़ी के आरंभिक स्टेशन के प्लेटफार्म पर सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है और यात्रियों को उनके आरक्षण की स्थिति से अवगत करने के लिए प्रत्येक आरक्षित सवारी डिब्बा पर भी चिपकाया जाता है। इसकी एक प्रति कोच के गाड़ी टिकटोंपरीक्षक (टी टी ई)/गाड़ी अधीक्षक (टी एस) को यात्रा करने वाले सदाशयी यात्रियों की जांच/सत्यापन करने की सुविधा और आर ए सी/सूचीबद्ध यात्रियों के लिए खाली स्थान मुहैया कराने के लिए भी दी जाती है। बहरहाल, आर ए सी/प्रतीक्षा सूची के यात्री पक्का स्थान पाने के उद्देश्य से कोच के टी टी ई से स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। गाड़ी के कर्मियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच करने के लिए गाड़ी में वाणिज्यिक और सतर्कता विभागों द्वारा नियमित जाचें की जाती है, दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

ट्रेन दुर्घटनायें

749. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री बाबूभाई के. कटारा:
श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री दिनशा पटेल:
श्री ए. के. प्रेमाजम:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत महीनों के दौरान जोनवार कितनी रेल दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गये/घायल हुए और कितने मूल्य की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी दुर्घनाओं के कारणों की जांच के लिए कितनी जांच समितियां नियुक्त की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या निकले और उस पर क्या कार्यवाही किया गया है;

(ङ) पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया;

(च) क्या चालू वर्ष के दौरान रेलवे सुरक्षा के लिए जरूरी कोष आवंटित किया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 1.1.2001 से 30.6.2001 तक परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या जोनवार नीचे दर्शायी गई है:-

जोन	परिणामी रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या*
मध्य रेल	23
पूर्व रेल	14
उत्तर रेल	38
पूर्वोत्तर रेल	15
पूर्वोत्तर सीमा रेल	17
दक्षिण रेल	18
दक्षिण मध्य रेल	28
दक्षिण पूर्व रेल	23
पश्चिम रेल	15
कोकण रेल	2
जोड़	193

*आंकड़े अनंतिम हैं.

(ख) उपर्युक्त दुर्घटनाओं में 101 व्यक्ति हताहत हुए थे तथा 439 व्यक्ति घायल हुए थे, 15.46 करोड़ रु. (अनंतिम) का नुकसान हुआ था।

(ग) दुर्घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दुर्घटना की जांच रेल अधिकारियों की एक समिति अथवा रेल संरक्षण आयुक्त द्वारा की गई थी।

(घ) जांच के निष्कर्षों के आधार पर कुल 193 दुर्घटनाओं में से 123 दुर्घटनाएं रेलकर्मियों की विफलता की वजह से, 38 दुर्घटनाएं रेलकर्मियों से इतर व्यक्तियों के कारण, तथा 3 दुर्घटनाएं उपस्कर की विफलता के कारण हुई थी। 15 दुर्घटनाएं तोड़फोड़ के कारण हुई। 13 दुर्घटनाएं आनुषंगिक कारणों से हुई तथा 1 दुर्घटना की जांच चल रही है.

जांच समितियों की निष्कर्षों के तहत जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है और स्वीकृत सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है।

(ङ) रेल दावा अधिकरण से डिगरी प्राप्त होने के बाद मुआवजे का शीघ्र भुगतान किया।

(च) और (छ) 2001-02 वित्तीय वर्ष के लिए संरक्षा से संबंधित योजना शीर्षों में 3621 करोड़ रु. की बजट व्यवस्था की गई है, इसके अलावा, कभी समाप्त न होने वाले संरक्षा निधि स्थापना जिसकी रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट के भाग-1 में सिफारिश की थी तथा संबंधित पहलुओं जैसे जिन स्रोतों से निधि का सृजन किया जाना है, के मामलों पर सरकार ध्यान दे रही है

(ज) भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:-

(1) "ए", "बी", "सी","डी" और "डी" विशेष, जहां गति 75 कि.मी. प.घं. से अधिक है सभी मार्गों पर उल्लंघन चिह्नों से उल्लंघन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है। शेष भागों में कार्य प्रगति पर है।

(2) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(3) मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना मंजूर की गई है, इस संबंध में निविदा आमंत्रित की गई है।

(4) 150 ब्लाक खंडों में धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच आरंभ की गई है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(5) ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच डूप्लेक्स रेडियों संचार मुहैया कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियों संचार को मंजूरी दी गई है।

(6) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं ताकि संप्रेषण तीव्रतर और बेहतर ढंग से हो सके।

(7) ड्राइवर और गार्डों को लैड आधारित इलेक्ट्रोनिक्स प्लैश लैंप मुहैया कराए गए हैं जिनकी दृश्यता परंपरागत मिट्टी के तेल वाले हाथ के सिगनल लैंप की अपेक्षा बेहतर है।

(8) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टेपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। साथ ही, रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(9) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(10) पटिरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है, अब स्वचालित पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

(11) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(12) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोक-थाम की जा सके।

(13) डीजल उपकरों से प्राप्त निधियों का उपयोग समपारों से संबंधित संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा।

(14) चौकीदार रहित समपारों पर सीटों बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क संकेत मुहैया कराए गए हैं

(15) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(16) भारी घनत्व के यातायात वाले समपारों को योजनागत आधार पर सिगनलों के साथ उत्तरोत्तर अंतर्पाशन किया जा रहा है।

(17) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

(18) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की गई है।

(19) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(20) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिसमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है।

(21) कर्मचारियों और सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(22) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए टक्कररोधी उपकरण की पॉयलट परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, प्रोटोटाइप टक्कररोधी उपकरण का परीक्षण आरंभ हो गया है। इस पायलट परियोजना के सफल हो जाने पर भारतीय रेलवे के अन्य मार्गों पर इसके अनुप्रयोग के लिए निर्णय लिया जाएगा।

(23) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्तगी/हटाने की सीमा तक गंभीर दंड दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में चेयरकार सुविधा

750. श्री रामदास आठवले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस से चेयरकार सुविधा हटा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त ट्रेन में चेयरकार सुविधा पुन: शुरू करने का कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) वातानुकूलित कुर्सीयान सवारी डिब्बों में यात्रा कर रहे यात्रियों से पूरी रात की यात्रा तथा लंबी यात्राओं में असुविधा की बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, रेलों ने वाता-3 टियर सवारी डिब्बों का उत्पादन शुरू कर दिया है जिनमें शायिकाओं की लगभग उतनी ही संख्या उपलब्ध है जितनी कुर्सीयान में सीटों की संख्या थी जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बेहतर आराम मिल रहा है।

(ग) से (ङ) यही मामला 7.8.2000 को लोक सभा में ''ध्यानाकर्षण प्रस्ताव'' में श्री रामदास अठावले, संसद सदस्य द्वारा उठाया गया था और 8.8.2000 को लोक सभा सचिवालय में उपयुक्त जवाब भेज दिया गया था।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय जलमार्ग

751. श्री जी.जे. जावीया:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अन्तर्देशीय जलमार्ग शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में खोले जाने वाले प्रस्तावित जलमार्गों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केरल में वेमबंदु झील भी इन जलमार्गों में शामिल है;

(घ) किस लक्षित तिथि तक इन जलमार्गों के शुरू किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस उद्यम में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) बराक नदी, डी.वी.सी. नहर सुन्दरबन जलमार्गों, गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ काकीनाडा-मेरकानुम नहर, ब्राह्मणी नदी प्रणाली के साथ सम्मिलित पूर्वी तटीय नहर को अन्तर्देशीय जल परिवहन की आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्यक्षम पाया गया है।

(ग) वेमबंदू झील कोल्लम से कोट्टापुरम तक के राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 का पहले ही एक हिस्सा है।

(घ) धन की उपलब्धता के अध्यधीन सभी संभावित जलमार्गों का नौवहन और नौचालन के लिए विकास करना सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य होगा।

(ङ) और (च) सरकार ने एक नीति पैकेज तैयार किया है जिसमें भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यमों में शामिल होने, निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण परियोजनाओं में सरकार द्वारा अधिकतम 40% तक इक्विटी की भागीदारी आधारभूत संरचना क्षेत्र में यथा उपलब्ध कर छूट, अन्तर्देशीय जलयानों के लिए मूल्याह्रास दर से समुद्रगामी जलयानों पर लागू दर के समान वृद्धि, भारतीय शिपयार्डों में निर्मित अन्तदेर्शीय जलयानों के लिए जहाज के मालिकों को 30% जहाज निर्माण सब्सिडी और अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए आयातित उपकरणों और मशीनों पर न्यूनतम सीमा शुल्क लगाने की परिकल्पना की गई है।

गोदाम और शीतागारों का निर्माण

752. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल): क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भंडार गोदामों और शीतागारों के निर्माण के लिए निजी पार्टियों को और रियायत दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक में वर्तमान शीतागारों में कितनी मात्रा में खराब होने वाले सामान का भंडारण किया जा सकता है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को किसी तरीके से सहायता कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) फिलहाल, सरकार वर्ष 1999-2000 से राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पुंजी निवेश राजसहायता स्कीम की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत शीतागार के प्रवर्तक 25% राजसहायता के पात्र हैं जो प्रति परियोजना 50 लाख रुपये की सीमा के अधीन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में परियोजना हेतु राजसहायता 33.33 प्रतिशत के उच्च स्तर पर निर्धारित है जो प्रति परियोजना 60 लाख रुपये की सीमा के अधीन है।

(ग) कर्नाटक में वर्तमान शीतागार क्षमता 55147 मीटरी टन है जिसका इस्तेमाल राज्य में जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण के लिए किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) 'बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों और भंडारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम' नामक स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों को सीधे कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। किन्तु राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राज्य निगम, सहकारी समितियां, कृषि उत्पाद विपणन समितियां विपणन बोर्ड/समितियां और कृषि उद्योग निगम इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

रेल उपकरणों का आयात

753. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री रामशकल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रेलवे द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और 30 जून, 2001 तक उपकरण/देशवार किन पुर्जों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और कितनी धनराशि का आयात किया गया;

(ख) इन उपकरणों के आयात के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सौदे में कोई खराब उपकरण पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा सभी रेल उपकरणों के स्वदेश में ही निर्माण के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

फर्जी रसोई गैस सिलिंडर

754. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जरूरी मानक न पूरा करने वाले गैस सिलिंडर बड़ी संख्या में देश में बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न भराई संयंत्रों में ऐसे कितने सिलिंडरों का पता लगा है; और

(ग) इस संबंध में दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के एल पी जी भरण संयंत्रों में पता लगाए गए नकली सिलेंडरों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	सिलेंडरों की संख्या
1998-99	9518
1999-2000	10300
2000-2001	7677

(ग) तेल विपणन कंपनियों ने दोषी डिस्ट्रीब्यूरों/परिवहनकर्ताओं से ऐसे नकली सिलेंडरों के लिए दण्ड दर पर वसूलियां की है।

[अनुवाद]

मेजिया ताप विद्युत स्टेशन द्वारा खरीदा गया कोयला बेल्ट

755. **श्री सुनील खाँ:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.पी.एस. में वर्ष 1990 के दौरान कोयला ढुलाई संयंत्र के लिए कोयला ढुलाई बेल्ट (बेल्ट ऑफ कोल) 3.1 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में मेजिया ताप विद्युत स्टेशन द्वारा 1997 में जब इस बेल्ट का प्रयोग किया गया तो वह पूरी तरह खराब हो गया, और

(ग) यदि हाँ, तो बेल्ट के खरीदे जाने और वर्ष 1990 से 1997 तक इसका प्रयोग न करने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के मेजिया टीपीएस के लिए कोयला प्रबंधन संयंत्र हेतु आपूर्ति, इसके उत्थापन एवं इसे चालू करने के लिए मैसर्स रिहैबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज लि. (आरआईसी) को आदेश जारी किया था, जिन्होंने बाद में 3.1 करोड़ रु. की लागत पर बेल्टों की आपूर्ति हेतु अपने उप आपूर्तिकर्त्ता मैसर्स एन्ड्रयू यूले कं. लि. को आदेश जारी किया। डीवीसी एवं मैसर्स आरआईसी द्वारा अनुमोदित बिलिंग सूची के अनुसार बेल्टों का अधिकांश भाग 1990 से 1991 तक स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है।

(ख) और (ग) बेल्टों में किसी प्रकार की बड़ी क्षति की सूचना नहीं मिली है। बेल्टों के अधिकांश भाग की आपूर्ति 1990-91 तक कर दी गयी ताकि यह मेजिया टीपीएस के लिए कोयला प्रबंधन संयंत्र की प्रारंभिक आरंभन समय सीमा, अर्थात् सितम्बर 1991 के अनुरूप हो जाए। हालांकि परियोजना के क्रियान्वयन में बिलम्ब हुआ एवं मेजिया टीपीएस के 210 मे.वा. वाले तीनों यूनिट क्रमशः 12/97, 3/99 एवं 9/99 में चालू किए गए। बेल्टों को संशोधित आरंभन समय सीमा के अनुरूप बनाने हेतु स्थापित कर दिया गया।

कर्नाटक में आलू उत्पादकों को घाटा

756. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर. एस. पाटिल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दाम के गिरने और आलू की कम बिक्री के कारण कर्नाटक के आलू उत्पादकों को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ आलू उत्पादकों ने बैंकों से लिए ऋण का भुगतान नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक से विपणन हस्तक्षेप योजना की मंजूरी लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्र ने किसानों को कर्ज से बचाने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) जी नहीं। आलू के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई है। कर्नाटक की विभिन्न मंडियों में जुलाई 2001 में आलू के थोक मूल्य 650/750 रु. प्रति क्विंटल रहे जबकि जुलाई 2001 के प्रथम सप्ताह में तुमकुर और हुबली में खुदरा मूल्य 12/10 रु. प्रति किलोग्राम रहे। राष्ट्रीय स्तर पर भी 7.7.2001 की स्थिति के अनुसार आलू का थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 95.5 प्रतिशत अधिक रहा।

(घ) और (ङ) वर्तमान वर्ष 2001-2002 के दौरान मंडी हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत आलू की खरीद के लिए कर्नाटक सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु 28.11.2000 से 5.1.2001 तक पूर्व व्यापित प्रभाव से खरीफ मौसम हेतु आलू की खरीद के लिए कर्नाटक सरकार से दिनांक 6 फरवरी 2001 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना और उसे सूचना दिए बिना अपने आप मंडी हस्तक्षेप स्कीम शुरू की थी अतः इस प्रस्ताव को पूर्व व्यापित प्रभाव से अनुमोदित नहीं किया गया। कर्नाटक सरकार से 10 फरवरी 2001 से 31 मार्च, 2001 तक रबी आलू की खरीद के लिए 22 फरवरी 2001 का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसमें इस संबंध में निर्णय लेने के लिए अपेक्षित ब्यौरा नहीं था। तदनुसार आलू की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन कर्नाटक में नहीं किया जा सका।

(च) और (छ) सरकार द्वारा फसलवार ऋण की आवश्यकता की सूचना नहीं रखी जाती है। किन्तु वर्तमान वर्ष के दौरान, सरकार ने किसानों को 2001 में 53,500 करोड़ रुपये के ऋण को बढ़ाकर 2001-2002 में 64,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।

तमिलनाडु में तेल और गैस खोज

757. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में स्थापित और वास्तविक क्षमता के साथ तेल और गैस की खोज संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में शुरू की जाने वाली खोज योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में कितनी मात्रा के तेल और गैस की उपलब्धता है; और

(घ) भविष्य की खोज के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा तमिलनाडु राज्य में तेल और गैस का अन्वेषण कार्य तीन भूकंपीय सर्वेक्षण पक्षकार और छह वेधन रिग लगाकर किया जा रहा है। उपर्युक्त कार्यों में "अत्याधुनिक" प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षित मानव संसाधन और ओ.एन.जी.सी. के विभिन्न संस्थानों से उद्देश्य आधारित अनुसंधान और विकास सुविधा की मदद प्राप्त है।

(ख) ओ एन जी सी ने तमिलनाडु राज्य में वर्ष 2001-2002 के दौरान 300 ग्राउन्ड लाइन किलोमीटर (जी एल के) द्विआयामी भूकंपीय आंकड़े और 2560 जी एल के त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े प्राप्त करने और 25 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन करने की योजना बनाई है।

(ग) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में उपलब्ध तेल के अंतिम भंडारों (कन्डेनसेट सहित) की मात्रा और गैस की मात्रा क्रमश: 9.90 मिलियन मीट्रिक टन और 23.01 बिलियन घन मीटर होने का अनुमान है।

(घ) ओ एन जी सी ने दसवीं योजनावधि (2002-07) के दौरान तमिलनाडु राज्य में तेल और गैस का अन्वेषण कार्य जारी रखने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के लिए विशेष अनुदान

758. श्री रामशकल:
डा. संजय पासवान:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रकाश सज्जा, भोजन पकाने आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग में निर्धन तबके की सहायता कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार विशेषकर बिहार में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुछ वस्तुओं के लिए विशेष अनुदान दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) निर्धन लोगों तक सभी सुविधाओं के लाभ न पहुंच पाने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (घ) जी, हां। यह मंत्रालय बिहार सहित देश भर में गरीब लोगों की खाना पकाने, तापन, रोशनी और विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा जरूरत की पूर्ति हेतु सौर, पवन, लघु पनबिजली और बायोमास पर आधारित विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों की स्थापना के लिए व्यापक श्रृंखला के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है और केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। ग्रामीण निर्धन लोगों के लाभ हेतु बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर प्रकाशवोल्टीय युक्तियों और बायोमास गैसीफायरों के अंतर्गत अपेक्षाकृत उच्च दर पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अपेक्षाकृत अधिक प्रारंभिक निवेश करना, देश में गरीब लोगों द्वारा उनको उपयोग में लाने की दिशा में एक प्रमुख बाधा है। यह मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के माध्यम से लागत को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है। मंत्रालय भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से केन्द्रीय वित्तीय सहायता और उदार शर्तों पर ऋण भी उपलब्ध करा रहा है। उनके समुचित कार्य-निष्पादन के लिए आवधिक मानीटरिंग और मूल्यांकन सहित इलैक्ट्रोनिक मुद्रण और डाक माध्यम से जनजागरुकता भी पैदा की जाती है।

विवरण

प्रमुख अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वित्तीय प्रोत्साहन

क्रम.सं.	कार्यक्रम का नाम	सब्सिडी के विवरण
1	2	3
1.	**परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र**	सामान्य श्रेणी के लिए 1800 रुपये विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए 2300 रुपये प्रति संयंत्र पहाड़ी और उच्च बल दिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए 3500 रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 11,700 रुपये प्रति संयंत्र
	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित संयंत्र	0.44 लाख रुपये से 8.00 लाख रुपये प्रति संयंत्र .
2.	**उन्नत चूल्हा**	
	-चिमनी वाले टिकाऊ स्थिर चूल्हे	सामान्य श्रेणी के लिए 80 रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 270 रुपये
	-पोर्टेबल चूल्हे	सामान्य श्रेणी के लिए 50 रुपये प्रति चूल्हा द्वीपसमूह, पहाड़ी और मरुस्थली क्षेत्रों के लिए 75 रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 135 रुपये
	-ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए चूल्हें	अन्य राज्यों के लिए अधिकतम 250 रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 450 रुपये
3.	**सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम**	
	-सौर लालटेन	सामान्य श्रेणी के लिए 1300 रुपये प्रति प्रणाली पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 3000 रुपये
	-सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां और सड़क रोशनी प्रणालियां	सामान्य श्रेणी के लिए 5500 रुपये प्रति प्रणाली पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 10,000 रुपये प्रति प्रणाली
	-सौर सड़क रोशनी प्रणालियां	सामान्य श्रेणी के लिए 11000 रुपये प्रति प्रणाली पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 20000 रुपये
	-सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	सामान्य श्रेणी के लिए पीवी ऐरे क्षमता का 1.80 लाख रु./कि.वा. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए पीवी ऐरे क्षमता का 3.50 लाख रु./कि.वा.पी.
4.	**एसपीवी जल पंपन कार्यक्रम**	
	पूंजीगत सब्सिडी	एसपीवी ऐरे का 110 रु./वाट, अधिकतम 2.50 लाख रु./प्रणाली
	ब्याज सब्सिडी	2.5% से 5% अधिकतम 90% प्रणाली लागत

1	2	3
5.	**जल पंपन पवन चक्कियाँ**	20,000 रुपये से 45,000 रुपये प्रति प्रणाली
6.	**लघु एरोजनरेटर और हाइब्रिड प्रणालियां**	2.00 लाख रुपये प्रति कि.वा. अथवा बाहरी कार्य लागत का 50% जो भी कम हो
7.	**बायोमास गैसीफायर**	सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 30% से 60% पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 90% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए सब्सिडी का 10% उच्च दर

मे.वा. मेगावाट, कि.वा.पी. = किलोवाट पीकस कि.वा. = किलोवाट, पीवी = प्रकाशवोल्टीय

[अनुवाद]

द्रुतगामी डिब्बों की खरीद के लिए ऋण

759. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंटेनर निगम को द्रुतगामी डिब्बों की खरीद के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की धनराशि तथा उसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) खरीदे जाने वाले द्रुतगामी डिब्बों की संख्या कितनी हैं;

(घ) वर्तमान में प्रयुक्त होने वाले डिब्बों और द्रुतगामी डिब्बों के बीच विशिष्ट अंतर क्या है; और

(ङ) नई खरीद से देश में कटेनरों की आवाजाही के किस सीमा तक बेहतर होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) खरीदे गए तीव्र गति के मालडिब्बों की सं. 3225 है।

(घ) विवरण-II संलग्न है।

(ङ) कनकोर ने पहले ही 1725 उच्च गति के बोगी कंटेनर फ्लैट मालडिब्बों की खरीद कर ली है तथा इन नए मालडिब्बों मे तुगलकाबाद (दिल्ली के नजदीक) और जवाहर लाल नेहरू पत्तन (मुंबई के नजदीक) के बीच निर्यात आयात कंटेनरों के पारवाहन समय को परंपरागत भारतीय रेलों के मालडिब्बों द्वारा लगने वाले 100 घंटे से भी अधिक का समय कम होकर 48 घंटे ही रह गया है। व्यापार में इन मालडिब्बों की सेवाएं बहुत लोकप्रिय हुई है और दिल्ली और जवाहर लाल नेहरू पत्तन के अलावा लुधियाना और जवाहर लाल नेहरू पत्तन, मुरादाबाद और जवाहर लाल नेहरू पत्तन, साबरमती और जवाहर लाल नेहरू पत्तन तथा कानपुर-आगरा और जवाहर लाल नेहरू पत्तन के बीच भी शुरू की गई है, कंटेनरों में निर्यात-आयात यातायात की मांग को पूरा करने के बाद, इन मालडिब्बों का उपयोग दिल्ली और चेन्नै लंबे मार्गों पर घरेलू माल को ढोने के लिए भी किया जाएगा।

विवरण-I

अगस्त 1994 में ऋण की राशि 94 मिलियन अमेरिकी डालर थी जिसे बाद में मई 2000 में घटाकर 79 मिलियन अमेरिकी डालर कर दिया गया था। सामान्य शर्तें एवं नियम उचित अध्यवसाय तथा कार्यकुशलता से संबंधित है और दिए गए ठेके के तद्धत् सभी सामान खरीद "आई बी आर डी ऋण और आईडीए क्रेडिट के अंतर्गत प्रापण के लिए दिशानिर्देशों" के अनुसार की जाएगी, वित्तीय शर्तों में शामिल है कि लेनदार को:

(1) अपनी वित्तीय विवरणों की सत्यापित प्रतियां विश्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

(2) अपने प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए परिचालित स्थावार परिसंपत्तियों के मौजूदा शुद्ध मूल्य के 17% से अधिक वार्षिक प्रतिफल अर्जित करना होगा.

(3) अपने प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कुल संचालन राजस्व अनुपात से कुल संचालन व्यय का अनुपात 83% से अधिक नहीं होगा।

(4) कोई ऋण वहन नहीं करना होगा यदि ऐसा ऋण वहन करता है तो इक्विटी से ऋण का अनुपात 3:1 से अधिक होगा।

(5) मौजूदा अनुपात 1:1 से कम नहीं होगा।

(6) तब तक कोई ऋण वहन नहीं करेगा जब तक वहन किए जाने वाले ऋण का प्रक्षेपित आतंरिक नगरी सृजन अनुमानित ऋण अदायगी आवश्यकता से न्यूनतम 1.7 गुना हो।

विवरण-II

मौजूदा मालडिब्बों और उच्च गति वाले मालडिब्बों के बीच अंतर मोटे तौर पर निम्नानुसार हैं

(1) भारतीय रेल पर कनकोर के स्वामित्व वाले मालडिब्बों की गति क्षमता सामान्य रेलवे मालडिब्बों की 75 कि.मी. प्र.घं. की तुलना में 100 कि.मी. प्र.घं. है।

(2) इन मालडिब्बों के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात सामान्य रेलवे मालडिब्बों में इस्तेमाल होने वाले आईएस-2062 के साधारण मृदु इस्पात की तुलना में आईएस 8500 के अनुरूप स्ट्रक्चरल इस्पात है।

(3) कनकोर के स्वामित्व वाले उच्च गति वाले मालडिब्बों की प्लेटफार्म ऊंचाई इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल हो रहे सामान्य रेलवे मालडिब्बों की 1269 मिलीमीटर की तुलना में पटरी स्तर से 1009 किलोमीटर अधिक है।

(4) निम्न प्लेटफार्म के कारण उच्च गति वाले मालडिब्बें किसी गति प्रतिबंधों के अर्थात 100 कि.मी. प्र.घं. पर हाई-क्यूब कंटेनरों की ढुलाई कर सकते हैं।

(5) कम प्लेटफार्म ऊंचाई के कारण इन मालडिब्बों को भारतीय रेलों पर इस्तेमाल हो रहे इंजन अथवा ब्रेक वैन के साथ सीधे नहीं लगाया जा सकता है। अत: इंजनों और ब्रेक वैनों के साथ लगाने के लिए मैसर्स की स्टोन, संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित स्लैकलैस ट्रा बॉर किटों के माध्यम से 5 मालडिब्बे अर्ध-स्थाई रूप से एक साथ जोड़े जाते हैं और 5 मालडिब्बों के सेट के अंतिम यानों की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तथा सामान्य सेंट्रल बफर कप्लर मुहैया कराए जाते हैं। ऐसे 5 मालडिब्बों के नौ सेट 45 मालडिब्बों की एक गाड़ी में शामिल होते हैं और यह गाड़ी 90 टीईयू की ढुलाई कर सकती है, इसकी तुलना में साधारण रेलवे मालडिब्बों को स्वतंत्र रूप से जोड़ा जा सकता है और ये अधिकतम 42 मालडिब्बों की लंबाई की गाड़ी बनती है जो 84 टीईयू की ढुलाई कर सकती है।

(6) कनकोर के स्वामित्व वाले उच्च गति के निम्न प्लेटफार्म कंटेनर सपाट मालडिब्बों में मैसर्स हॉलैंड एवं कंपनी, यू.एस.ए. से आयातित स्वचल रिविस्ट लॉक मुहैया कराए गए हैं जो इसे मालडिब्बे पर रखे जाते ही बिना किसी दखलंदाजी के कंटेनर को लॉक कर देते हैं। इसी प्रकार गतव्य पर उतराई के दौरान भरते समय/ खाली करते समय बिना किसी दखलंदाजी के कंटेनरों को हटाया जा सकता है।

इसकी तुलना में साधारण रेलवे मालडिब्बों में हाथ से लॉक करने वाली प्रणाली है जिसका अर्थ है कि गाड़ी से कंटेनरों के लदान और उतराई में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है तथा इससे अधिक जनशक्ति अपेक्षित होती है, साधारण रेलवे मालडिब्बों की एक अन्य कमी यह है कि हाथ से होने वाले लॉक अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जब पहले सेंट्रल लॉक को रिटेक्ट करे बिना मालडिब्बों पर 40 फीट के कंटेनरों का लदान किया जाता है तो अक्षम पाये जाते हैं।

(7) कनकोर के स्वामित्व वाले निम्न प्लेटफार्म उच्च गति मालडिब्बे स्वचल भारत संवेदन उपकरण के साथ दो स्तरीय वातब्रेक प्रणाली से लैस हैं जो मालडिब्बों पर भार के अनुपात में प्रत्येक मालडिब्बे पर ब्रेक बल को विनियमित करती है।

(8) कनकोर के स्वामित्व वाले कंटेनर सपाट मालडिब्बों में भारतीय रेल पर अभी तक इस्तेमाल हो रहे साधारण ढलवां लोहा ब्रेक ब्लाक की तुलना में मैसर्स फ्यूचरिस आस्ट्रेलिया से आयातित कंपोजटि ब्रेक ब्लॉक मुहैया कराए गए हैं।

(9) उच्च गति वाले कंटेनर सपाट मालडिब्बों का पहिया व्यास साधारण रेलवे मालडिब्बे के नए होने पर 960 मिलीमीटर और पूर्णत: घिस जाने पर 870 मिलीमीटर की तुलना में 840 मिलीमीटर और 780 मिलीमीटर है कनकोर के उच्च गति वाले मालडिब्बों में इस्तेमाल किए गए पहिया सेट मैसर्स एससी एसएमआर बाल्स, रोमानिया अथवा मैसर्स डारांग लोकोमोटिव वर्क्स, चीन से आयातित है।

(10) कनकोर के स्वामित्व वाले निम्न प्लेटफार्म उच्च गति वाले कंटेनर सपाट मालडिब्बों में स्प्रिंग लोडिड साइड बेयर्र मुहैया कराया गया है जो 90% टेयर भार को संभालता है, यह विशेषता मालडिब्बों को बेहतर आरोही गुणवत्ता प्रदान करती है जिससे उच्चतर गति पर सामान अधिक सुरक्षिकता से ढोया जा सकता है।

[हिन्दी]

ट्रेनों में खान-पान शुल्क

760. डा. बलिराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ट्रेनों में नियुक्त कुछ खान-पान कर्मचारी खान-पान संबंधी वस्तुओं का मनमाना मूल्य वसूलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खान-पान कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से मूल्य वसूलने को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं। खान-पान की मदें रेलवे द्वारा पूर्व निर्धारित कीमतों पर बेची जाती है। मानक भोजन, नाश्ता, चाय/काफी की दर सूची को प्रेस, रेलवे की समय सारणियों में प्रमुख रूप से विज्ञापित किया जाता है और इन्हें प्रत्येक खान-पान वेंड़िग इकाइयों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाता है। खान-पान कर्मियों को इस आशय के अनुदेश दिये गये हैं कि पैंट्रीकारों में दर सूची लगायी जाए तथा मांगे जाने पर मुसाफिरों को मुद्रित दर सूची तथा मीनू कार्ड मुहैया कराया जाए जब कभी अधिक दाम वसूलने के मसले नजर आते हैं तब संबंधित पार्टियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

रेलवे में अन्य पिछड़ी जातियों की नियुक्ति

761. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न रेल जोनलों और उत्पादन वाली इकाइयों में अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों की भर्ती के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक नियुक्त किए गए अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को कोटिवार संख्या कितनी है;

(घ) अब तक की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों के बैकलॉग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कोटा के कब तक भरे जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलों पर समूह "क", "ख", "ग" और "घ" की सेवा में भर्ती किए गए अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या आरक्षण के लागू होने से अर्थात (8.9.1993 से) 1993 से 2000 तक इस प्रकार है।

वर्ष	भर्ती किए गए अ.पि.व. की संख्या			
	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ"
1993	कुछ नहीं	कुछ नहीं	201	130
1994	कुछ नहीं	कुछ नहीं	347	249
1995	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1982	1571
1996	51	कुछ नहीं	3200	1839
1997	100	कुछ नहीं	2763	2618
1998	173	02	1481	1281
1999	114	02	2148	1520
2000	71	कुछ नहीं	2973	2903
योग	509	04	15095	12111

(घ) 1.1.2001 को अ.पि.व. का बकाया इस प्रकार है:-

1.1.2001 को भरी न गई अ.पि.व. के लिए निर्धारित पदों की संख्या

समूह ''क''	5
समूह ''ख''	2
समूह ''ग''	2324
समूह ''घ''	3007

(ङ) समूह ''क'' में भर्ती केन्द्रीकृत है जो रेलवे बोर्ड द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (यू पी एस सी) के माध्यम से भरी जाती है. चयन किए गए उम्मीदवारों द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर पाने के कारण समूह ''क'' में पद नहीं भर पाए, क्षेत्रीय रेलों/उत्पाद इकाईयों पर सभी समूह ''ख'' के पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अत: इन पदों में अ.पि.व. के लिए कोई आरक्षण नहीं। बहरहाल, समूह ''ख'' में अ.पि.व. में 2 पदों की भर्ती रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में प्रक्रियाधीन है। समूह ''ग'' और समूह ''घ'' में भरी न गई अ.पि.व. के निर्धारित पद अनुवर्ती भर्ती द्वारा भरे जाएंगे जो एक सतत् प्रक्रिया है और उन्हें यथाशीघ्र भरे जाने के प्रयास किये जाते हैं।

पुराने पोतों का अधिग्रहण

762. श्री सुबोध मोहिते:
श्री सुनील खां:
श्री महबूब जहेदी:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पुराने पोतों के अधिग्रहण की नीति को बदलने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बिना लाइसेंस के सभी प्रकार के पोतों और जलयानों के आयात की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं:

(ङ) क्या जलयान के पंजीकरण के आवेदन हेतु पूरे किये जाने वाले कुछ दिशा-निर्देश हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने देश में जरूरी पोत टन भार और उसकी वर्तमान उपलब्धता की समीक्षा की है;

(ज) यदि हां, तो क्या इसमें कोई कमी है; और

(झ) यदि हां, तो इस अंतर को पाटने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जी हां। सरकार ने 31 मार्च, 2001 को वर्ष 2001-02 की ''इग्जिम पॉलिसी'' को संशोधित कर दिया है जिसके अनुसार सभी प्रकार के पोतो/जलयानों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल) के अंतर्गत कर दिया गया है और उनके आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) और (च) जी हां, सरकार ने पोतो/जलयानों के आयात और पंजीकरण इत्यादि के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

(छ) से (झ) सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 9 मिलियन सकल पंजीकृत टनभार (जी आर टी) का नौवहन टनभार लक्ष्य निर्धारित किया है। 1.7.2001 की स्थिति के अनुसार टनभार स्थिति 6.83 मिलियन जी आर टी है जोकि उपर्युक्त लक्ष्य से कम है। भारतीय नौवहन टनभार बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

(1) नौवहन कंपनियों को विदेश में अपने पोतों की बिक्री आय अपने पास रखने की और उनका नए अधिग्रहण के लिए उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है।

(2) नौवहन कंपनियों को अब सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी शिपयार्ड में अपने पोतों की मरम्मत कराने की अनुमति दे दी गई है।

(3) भारतीय नौवहन कंपनियों द्वारा पोतों को टाइम चार्टर पर देने की छूट।

(4) उधारदाता के पास जलयान को गिरवी रखकर विदेश से विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(5) आयकर अधिनियम की धारा 33 ए सी को इसके मूल रूप से पुन: लागू कर दिया गया है जिससे नौवहन कंपनियों द्वारा नए अधिग्रहण के लिए लाभों का पुन: उपयोग किया जा सकता है।

(6) जलयानों के आयात से संबंधित ''इग्जिम पालिसी'' के प्रावधानों को 1.4.2001 से संशोधित कर दिया गया है जिससे सभी श्रेणी के जलयान/पोत ओ जी एल के तहत आ गए हैं तथा इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पोतों के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रही है। अब पोतों का आयात मुक्त रूप से लाइसेस के बिना किया जा सकता है।

(7) 1.4.2001 से पोतो की मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है जिससे टनभार प्रतिस्थापन शीघ्रता से हो सकेगा।

(8) जलयानों के आयात पर लगाया गया 5% सीमा शुल्क हटा दिया गया है। जिसका वर्ष 2001-02 के वित्त विधेयक में पहले प्रस्ताव किया गया था।

(9) नौवहन क्षेत्र में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी गई है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत

763. श्री रामजी लाल सुमन:
डा. सुशील कुमार इंदौरा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि उत्पादनों की उत्पादन लागत में कटौती करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को कम करने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी हां। उत्पादकों और उपभोक्ताओं, दोनों के हित में कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत कम करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी सुधार और बेहतर कृषि प्रबंध ऐसे मुख्य कारक हैं जो कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत में कमी लाते हैं। इस संबंध में नई किस्मों के विकास, फसल गहनता में वृद्धि फसलानुक्रम, अंत: फसलन आदि, सस्ती उत्पादन प्रौद्योगिकी और रक्षण प्रौद्योगिकियों के विकास, कृषि जिंसों की कटाई पश्चात् हानि को कम करने पर प्रशिक्षण एवं विस्तार के लिए अनुसंधान उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

गुजरात को फालतू भूमि की सुपुर्दगी सौंपा जाना

764. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांडला पत्तन न्यास की फालतू भूमि को गुजरात सरकार को सौंपे जाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सरकार को कितने एकड़ भूमि सौंपे जाने की संभावना है; और

(ग) प्रश्नगत भूमि गुजरात सरकार के कब्जे में कब तक दे दी जाएगी?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आपातकालीन आरक्षण कोटा में अनियमितताएं

765. श्री अरुण कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दानापुर डिविजन के कर्मचारियों द्वारा दलालों की सांठगांठ से आपातकालीन आरक्षण कोटे में भारी पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई छानबीन कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) दानापुरमण्डल के वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा आपात कालीन आरक्षण कोटा के आबंटन में दलालों की मिलीभगत से की गई अनियमितताओं के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाएं

766. श्री चन्द्र नाथ सिंह: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन के अधीन पुनः प्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ग) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) उत्तर प्रदेश में राज्य कार्यान्वयनाधीन विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) मंत्रालय के नियमित/चालू कार्यक्रमों के अलावा, उत्तर प्रदेश से तीन प्रमुख परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है। इन प्रस्तावों को तकनीकी व्यवहार्यता, योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों की पूर्ति तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा। इसके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापनाधीन/कार्यान्वयनाधीन विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	परियोजना/कार्यक्रम	स्थिति
1.	वर्ष 2001-02 के दौरान 9500 पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य	स्थापनाधीन कार्यान्वयनाधीन और जिनके 31.3.2002 तक पूरे होने की संभावना है।
2.	वर्ष 2001-02 के दौरान 50 सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य	-यथा-
3.	वर्ष 2001-02 के दौरान 1.5 लाख उन्नत चूल्हों की स्थापना का लक्ष्य	-यथा-
4.	वर्ष 2001-02 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की स्थापना का लक्ष्य	यथा-
	-10,000 सौर लालटेन	
	-5,000 सौर घरेलू प्रणाली/घरेलू रोशनी प्रणालियां	
	-250 सड़क रोशनी प्रणालियां	
5.	2×300 किवा. बायोमास गैसीफायर प्रणालियों की स्थापना	-यथा-
6.	25 किवापी ग्रिड सम्बद्ध सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत परियोजना की स्थापना	-यथा-
7.	बूचड़खाना अपशिष्ट परियोजना से 0.5 मे.वा क्षमता	-यथा-
8.	3 ऊर्जा पार्क परियोजनाओं का कार्यान्वयन	-यथा-

मेवा मेगावाट, किवापी-किलोवाट पीक

विवरण-II

उत्तर प्रदेश में प्राप्त अपारंपरिक ऊर्जा परियोजना प्रस्ताव जो कि मंत्रालय में विचारधीन है, की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना/कार्यक्रम	स्थिति/टिप्पणी
1.	ऊर्जा पार्कों के 4 प्रस्ताव	ये प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं तथा विचार-विमर्श के लिए ऊर्जा पार्क समिति के समक्ष रखे जा रहे हैं।
2.	नगरपालिका अपशिष्टों से एक 5 मेवा. क्षमता परियोजना की स्थापना	इस मामले को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत आयोग के समक्ष रखा गया है।
3.	100 दूरदराज के गांवों में ग्राम विद्युतीकरण परियोजना	ग्राम विद्युतीकरण योजना एक नई योजना है और सरकार द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है जैसे ही सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है इस परियोजनाओं पर ग्राम विद्युतीकरण की तरह विचार किया जाएगा।

मेवा. मेगावाट

रेलवे द्वारा दूरसंचार सुविधाएं

767. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे को विभिन्न प्रकार की दूरसंरचना सेवाओं को समूचे देश में चलाने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि प्रस्तावित दूरसंचार सेवाएं रेल यातायात के कार्यकरण को किसी भी प्रकार से कुप्रभावित नहीं करेंगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात् रेलवे ने भारतीय रेलटेल निगम की स्थापना की है। राष्ट्रव्यापी आप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क पर आधारित यह निगम रेलपथ के साथ-साथ उत्तरोत्तर आप्टिक फाइबर केबल बिछाएगा। ताकि रेलवे की दूरसंचार आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अतिरिक्त दूरसंचार क्षमता का भी वाणिज्यिक दोहन किया जा सके।

(ग) निगम के लिए एक बिजनेस योजना तैयार करने के लिए मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक परामर्शदाता की रिपोर्ट मंजूर कर ली गई है। रिपोर्ट पर आधारित तथा मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत एक विस्तृत परियोजना तैयार की गई थी तथा विस्तारित रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। एक राष्ट्रव्यापी आप्टिकल फाइबर केबल पर आधारित ब्राडबैंड नेटवर्क को सृजित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम सहभागियों को लगाने के लिए जिसमें शुरुआत में दूरसंचार विभाग तथा रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर विचार किया जाएगा, डी पी आर में विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है।

(घ) वास्तव में निगम (आर सी आई एल) से आधुनिकीकरण में तीव्रता लाने तथा रेलवे की दूरसंचार प्रणाली को और अधिक संवर्धित करने में मदद मिलेगी।

परिवार न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र

768. डा. वी. सरोजा: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता और बाल विवाह निषेध अधिनियम के अधीन कतिपय अपराधों को शामिल करने हेतु परिवार न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संशोधन कब तक लाए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) भारतीय दंड संहिता के अधीन कतिपय अपराधों को लाने के लिए कुटुम्ब न्यायालयों की अधिकारिता के विस्तार से संबंधित विषय पर न्याय विभाग ने विचार किया था। यह विनिश्चित किया गया था कि कुटुम्ब न्यायालय जो सिविल न्यायालय होते हैं, भारतीय दंड संहिता के अधीन कतिपय अपराधों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

इसी प्रकार, बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अधीन ऐसा प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

डीलर चयन बोर्ड (डी एस बी) का पुनर्गठन

769. **श्री नरेश पुगलिया**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** डीलर चयन बोर्ड (डी एस बी) के पुनर्गठन के बारे में 13.3.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पहले भंग किए गए डीलर चयन बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बरेली कमिशनरी और इसके आस-पास के क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले स्थानों के लिए निर्धारित रसोई गैस के वितरकों की चयन प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में चयन प्रक्रिया कब से विलंबित है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) बरेली कमिश्नरी में डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूरशिपों की स्थापना के लिए 41 स्थान लंबित हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए प्रस्ताव डिस्ट्रीब्यूटर की चयन की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ स्थानों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन 1999 के आम चुनावों की घोषणा के कारण डीलर चयन बोर्डों (डी एस बीज) के काम न करने और आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन और बाद में इन बोर्डों के भंग कर दिए जाने के कारण नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

कालीन के निर्यात में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा

770. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन**: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कालीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारत्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण कीमत है। सस्ते श्रम एवं सस्ते निर्यात ऋण के कारण चीन कम कीमतें उद्धत करता है। इसके अतिरिक्त, चीन में बेहतर आधारभूत सुविधाओं और उत्पादन प्रक्रिया में अर्धस्वचन के कारण बेहतर गुणवत्ता के कालीन का उत्पादन होता है।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये जा रहे उपचरात्मक कदमों में, उन्नत औजारों एवं प्रौद्योगिकी के प्रावधान की सहायता से बेहतर आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराना, भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, तकनीकी उन्नयन एवं परिसज्जन तकनीकों आदि हेतु राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, शामिल है। अन्य कदमों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के रूप में विपणन कार्यकलाप आरम्भ करना, विदेशों में बिक्री-सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करना और नई दिल्ली में कालीन एक्सपो का वार्षिक आयोजन, शामिल हैं।

[अनुवाद]

तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

771. **डा. जसवंतसिंह यादव**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ विदेशी कंपनियों के तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं में विशेष रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राप्त और अनुमोदित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजनाओं में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे तरलीकृत प्राकृतिक गैस की घरेलू मांग कहां तक पूरी हो सकने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) जी हां। तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी) का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के आधार पर होता है। ऐसी पहलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में संलग्न है जिनमें भारत में पुनः गैसीकृत एल.एन.जी. के विपणन के लिए विभिन्न देशों से भारत मे एल.एन.जी. का आयात करने का प्रस्ताव है और जिन्होंने इस संबंध में विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

विवरण

एल. एन. जी. आयात पहलें

क्र.सं.	कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	प्रस्तावित टर्मिनल का स्थान	टर्मिनल की क्षमता मिलियन टन प्रतिवर्ष	गैस की आपूर्ति निम्नलिखित को	विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्वीकृति	सीसीएफ आई स्वीकृति	एफडीआई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एनरान इंटरनेशनल इंक	एनरान इंटर-नेशनल इंक	दाभोल (महाराष्ट्र)	आरंभ में 2.5 एमटीपीए जिसका विस्तार 5 से 10 एमएमटीपीए तक किया जाएगा।	निजी विद्युत संयंत्र और महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अन्य को	हां	हां	500 अमरीकी डालर
2.	(ब्रिटिश गैस) बीजी पीएलसी	(ब्रिटिश गैस) बीजी पीएलसी	पीपावव (गुजरात)	आरंभ में 2.5 एमएमटीपीए जिसका विस्तार 5 एमएमटीपीए तक किया जाएगा।	गुजरात	हां	हां	140 अमरीकी डालर
3.	इस्पात उद्योग ग्रुप	इस्पात एनर्जी लि.	काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)	आरंभ में 2.5 एमएमटीपीए जिसका विस्तार अविनिर्दिष्ट	आंध्र प्रदेश	हां	हां	175 अमरीकी डालर
4.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीडीआर/एडीआर/ प्राइवेट प्लेसमेंट	जामनगर और हजीरा (गुजरात)	प्रत्येक टर्मिनल पर 5 एमएमटीपीए	गुजरात और अन्य राज्य	हां	हां	1150 करोड़ रुपये
5.	रॉयल डच शैल कंपनियां	रायल उच्चशैल ग्रुप कंपनियां	हजीरा (गुजरात)	आरंभ में 2.7 एमएमटीपीए जिसका विस्तार अविनिर्दिष्ट	एस्सार पावर लि. और एस्सार स्टील लि.	हां	हां	583 करोड़ रुपये
6.	पेट्रोनेट एलएनजी लि. (गाज दी फ्रांस और रासगैस के साथ)	जीडीएफ इंटर-नेशनल पैरिस	दहेज, गुजरात	5 एमएमटीपीए	गुजरात और अन्य राज्य	हां	हां	55 अमरीकी डालर
7.	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	-	कोचीन, केरल	2.5 एमएमटीपीए	केरल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	बीएचपी आस्ट्रेलिया	बीएचपी आस्ट्रेलिया	आम प्रस्ताव	अविनिर्दिष्ट	अविनिर्दिष्ट	हां	हां	-
9.	हार्डी आयल, यूके और नागार्जुन होल्डिंग्स	हार्डी आयल और बीएचपी	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	1एमएमटीपीए जिसका विस्तार 5 एमएमटीपीए तक किया जाएगा।	आंध्र प्रदेश	हां	हां	
10.	ट्रैक्टाबेल बेल्जियम	ट्रैक्टाबेल बेल्जियम	आम प्रस्ताव	अविनिर्दिष्ट	अविनिर्दिष्ट	हां	हां	
11.	दक्षिण भारत ऊर्जा परिसंघ	यूनोकाल वुडसाइड सीमेंस	एन्नोर, तमिलनाडु	2.5 एमएमटीपीए	एन्नोर में निजी विद्युत संयंत्र और तमिलनाडु में अन्य को	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	गेल-टाटा टोटल	टोटलफिना फ्रांस	ट्राम्बे, महाराष्ट्र	आरंभ में 3 एमएमटीपीए जिसका विस्तार 6 एमएमटीपीए तक होगा।	महाराष्ट्र और अन्य राज्य	आवेदन किया हुआ है।	-	-
13.	उर्वरक कंपनियों का परिसंघ	-	किशोरीप्रसाद उड़ीसा	3 एमएमटीपीए जिसका विस्तार 6 एमएमटीपीए तक होगा	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल बिहार, उ.प्र., पंजाब	-		-
14.	अल-मनहाल	अल-मनहाल यूएई	गोपालपुर, उड़ीसा	3 एमएमटीपीए	उड़ीसा और आंध्र प्रदेश	-	-	-
15.	आईओसी/पेट्रोनास	पेट्रोनास (मलेशिया)	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	3-5 एमएमटीपीए	आंध्र प्रदेश	-	-	-

अंगुल में सेटेलाइट लोको शेड की स्थापना

772. **श्री के.पी. सिंह देव**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंगुल में सेटेलाइट लोको शेड और रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशाप की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है और इसमें कितनी लागत अंतर्ग्रस्त है तथा अब तक कितनी उपलब्धि हासिल हुई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, हां। अंगुल में 50 रेल इंजनों को रखने के लिए एक नया डीजल लोको शेड तथा बी ओ एक्स एन/बी.सी एन माल डिब्बों के अनुरक्षण के लिए एक डिपो का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) नयी लाइनों पर रेलगाड़ी का परिचालन शुरू होने से तथा परिचालनिक आवश्यकताओं तथा अनुरक्षण आवश्यकताओं के मद्देनजर अंगुल में डीजल रेल इंजन तथा एअर ब्रेक डिब्बों के अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त एवं संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन जरूरी हो गया था।

(ग) डीजल लोको शेड पर कार्य 31.3.2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा माल डिब्बा डिपो से संबंधित कार्य 31.3.03 तक पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। अंगुल में डीजल शेड का निर्माण 28.21 करोड़ रु. को लागत पर स्वीकृत किया गया था और इसको पूरा करने का लक्ष्य 31.3.01 रखा गया था। कार्य को वास्तविक प्रगति 95% है। बी ओ एक्स एन/बी सी एन माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधा 7.00 करोड़ रु. को लागत पर स्वीकृत की गई थी तथा इसे पूरा 31.3.2001 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। कार्य की वास्तविक प्रगति 55% है।

[हिन्दी]

बिहार को वित्तीय पैकेज

773. **श्री निखिल कुमार चौधरी**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने कृषि परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बिहार को वित्तीय पैकेज प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का विचार लंबित कृषि परियोजनाओं को लागू करने हेतु बिहार को अतिरिक्त वित्तीय पैकेज प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी, हां। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के बंद होने के बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने बिहार के विभिन्न सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों को डेयरी क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) प्रत्येक दुग्ध संघ के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

दुग्ध संघ	शामिल जिले	राशि (लाख रुपये में)
बरौनी	बेगुसराय	1.16
	खगड़िया	
	लखिसराय	
	पटना का भाग	
मिथिला	समस्तीपुर	28.60
	दरभंगा	
	मधुबनी	
पटना	पटना	2.96
	वैशाली	
	नालंदा	
	सारन	
तिरहुत	मुज्जफरपुर	1.00
	सीतामढ़ी	
	शिओहर	
	पूर्वी चम्पारन	
कुल		33.72

(ग) बिहार में सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से परिप्रेक्ष योजना 2005 तैयार की है। दुग्ध संघों द्वारा प्रस्तुत की गई परिप्रेक्ष योजनाओं के आधार पर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दुग्ध संघों को 2000-2001 से 2004-2005 तक की अवधियों के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।

(घ) दुग्ध संघवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

दुग्ध संघ	कुल परिव्यय	(लाख रुपये में) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषण
1	2	3
मिथिला	1269.78	1062.64
शाहाबाद	867.74	724.80
तिरहुत	742.59	607.33
बरौनी	815.75	673.43
पटना	1080.28	882.20
कुल	4776.14	3950.40

नागपुर-बालघाट-जबलपुर रेलमार्ग का आमान परिवर्तन

774. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर-बालाघाट-जबलपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आमान परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) नागपुर से गोंदिया पहले ही बड़ी लाइन द्वारा जुड़ा हुआ है। गोंदिया बालाघाट-जबलपुर (बालाघाट-कटांगी शखा लाइन सहित) का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन एक स्वीकृत परियोजना है और कार्य प्रगति पर है।

(ग) जबलपुर-गोंदिया आमान परिवर्तन परियोजना को पूरा करने की अभी तक तिथि निर्धारित नहीं की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जाएगी और पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

कृषि निकायों में कम्प्यूटर घोटाला

775. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कंप्यूटरों और अन्य उपस्करों की खरीद में अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की सी.बी.आई. द्वारा कोई जांच की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.बी.आई. ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और मामले को शीघ्रता से निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संबंध में इस प्रकार की जांच कर रही है।

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 1995-96 के दौरान एन ए आर पी-II के तहत कम्प्यूटर तथा संबंद्ध उपकरण की खरीद के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों तथा मेसर्स एच सी एल-एच पी लि., नई दिल्ली के विरुद्ध दिनांक 26.4.99 को आर सी संख्या डी-ए-1-2000-ए-0020 के अनुसार एक मामला दर्ज किया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर की खरीद के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के विरुद्ध पी ई 1 (ए)/2001-ए सी यू-6/सी बी आई नई दिल्ली के अधीन मामला दर्ज किया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मांगे गये दोनों मामलों के संबंध में दस्तावेजों/सूचनाओं को समय-समय पर उन्हें भेजा जा रहा है। तथापि एन ए आर पी-II से संबंधित कुछ दस्तावेजों को नहीं भेजा जा सका क्योंकि यह विश्व बैंक के पास है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर की खरीद के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभी तक मांगे गए सभी अपेक्षित दस्तावेजों को उन्हें भेज दिया है।

वैगनों का क्रयादेश दिया जाना

776. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री रूपचंद पाल:
श्री भान सिंह भौरा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने वैगनों का क्रयादेश ऐसी कंपनी को दिया है जिसे रेलवे द्वारा स्वयं पहले ही काली सूची में डाला जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत वैगन विनिर्माता इकाइयों की अनदेखी की है और सरकारी उपक्रमों की इकाइयां रेलवे से क्रयादेश नहीं मिलने के कारण असफल होने के कगार पर हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या अनेक सांसदों ने भी सरकार से वैगनों का क्रयादेश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इकाइयों को देने का अनुरोध किया है; और

(च) सरकार द्वारा समस्या को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) आरंभ में मालडिब्बों पर कतिपय सतर्कता जांच की गई थी और यह पाया गया था कि एक विनिर्माणकर्ता ने रेलवे द्वारा मालडिब्बा निर्माताओं को फ्री सप्लाई मद के रूप में सप्लाई की जा रही कार्टन स्टील के बजाय सस्ते कच्चे इस्पात का उपयोग किया था। अ.अ.मा.सं. ने निरीक्षण के दौरान दो और मालडिब्बा विनिर्माणकर्ताओं के कारखाना परिसर में कार्टन स्टील के स्थान पर कच्चे इस्पात के उपयोग का पता लगाया था। हाल ही की सतर्कता जांचों ने दर्शाया है कि कुछ और विनिर्माणकर्ताओं ने भी माल डिब्बों के विनिर्माण में निर्दिष्ट कार्टन स्टील के स्थान पर कच्चे इस्पात को उपयोग किया है। अत: अगले क्रयादेशों के जारी होने से पूर्व समस्या की गंभीरता का आकलन करने के उद्देश्य से सभी माल डिब्बा निर्माताओं पर संयुक्त रूप से और अधिक गहन जांचे करना आवश्यक हो गया है। अ.अ.मा.सं. को जांचों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कहा गया है।

कृषि और कृषि आधारित उद्यानों में निवेश

777. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में होने वाले निवेश में लगातार आ रही गिरावट के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998,1999, 2000 के दौरान और वर्ष 2001 में अभी तक इस क्षेत्र में कितना निवेश किया गया और गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन हेतु कृषि आधारित उद्योगों में निजी निवेश को आकर्षित करने का है जो शहरों की ओर पलायन को रोक भी सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूजी निर्माण संबंधी अनुमानों का स्रोत है, द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों (जिसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मात्स्यिकी शामिल हैं) तथा विनिर्माण क्षेत्र में 1993-94 के मूल्यों पर सकल पूंजी निर्माण नीचे सारणी में दिया गया है:-

सारणी

वर्ष 1993-94 के मूल्यों पर कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों एवं विनिर्माण क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण	विनिर्माण क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण
1997-98	18305	118011
1998-99	18964	105303
1999-2000	21388	110110

कृषि आधारित उद्योग विनिर्माण क्षेत्र का ही हिस्सा है और कृषि आधारित उद्योगों में पूंजी निर्माण के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अलग से जारी नहीं किए जाते।

सारणी से यह देखा जा सकता है कि कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों अथवा विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निर्माण में कोई गिरावट नहीं आई है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 2000-2001 के अनुमान अभी जारी किए जाने हैं।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के बजट में ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय आवंटन किया गया है । इनमें कृषि के लिए अतिरिक्त ऋण (12,500 करोड़ रुपये), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण (2,500 करोड़ रुपये) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अधिक आवंटन (750 करोड़ रुपये) आदि शामिल है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य नीति के निरूपण हेतु कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश हेतु अनुकूल वातावरण सृजन करने की परिकल्पना की गई एवं इस बारे में विभाग को परामर्श देने के लिए एक कार्य बल गठित किया गया है। हाल ही के वर्षों में कृषि के लिए अनुकूल व्यापार की शर्तों सहित उक्त सभी उपायों से कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों में निजी निवेश को आकर्षित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

तीस्ता जल विद्युत परियोजना

778. श्री भीम दाहाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तीस्ता जल विद्युत परियोजना (चरण-VI) को लेकर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और सिक्किम के लोगों के बीच मतभेद के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इसके कारण सिक्किम के बिगड़ते शांतिपूर्ण माहौल की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) सरकार ने जनवरी, 2000 में 2198.04 करोड़ रु. की लागत से तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना चरण-V (510 मे.वा.) को मंजूरी दी थी। केन्द्रीय क्षेत्र में परियोजना का निष्पादन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) द्वारा किया

जा रहा है। एनएचपीसी तथा सिक्किम के लोगों में कोई मतभेद नहीं है। बृहत् कार्य पैकेजों के ठेके जारी कर दिए गए हैं। और कार्य शिड्यूल के अनुसार प्रगति पर है। स्थानीय ठेकेदारों को 172 ठेके दिए गए हैं। और एनएचपीसी सहवर्ती सांविधिक जरुरतों को पूरा करने पर जोर दे रहा है। एनएचपीसी को सिक्किम नेशनल ट्रांसपोर्ट के कारण भी कठिनाई हो रही है क्योंकि वह सिक्किम में गैर पंजीकृत ट्रकों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है। इससे एनएचपीसी को बार्डर पर ट्रक बदलना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त व्यय होता है, समय भी ज्यादा लगता है साथ ही समान की टूट फूट का जोखिम भी रहता है। बहरहाल एनएचपीसी उपचारात्मक उपाय कर रहा है और कार्य की प्रगति बाधित नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

तूतीकोरिन पत्तन को विशेष पत्तनों की श्रेणी में शामिल किया जाना

779. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अंतर्गत कतिपय वस्तुओं के आयात हेतु तूतीकोरिन पत्तन को विशेष पत्तनों की श्रेणी में शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या तूतीकोरिन पत्तन ने क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादकता वाले पत्तन का दर्जा प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 2.5.2001 को जारी की गई अधिसूचना के तहत कतिपय वस्तुओं का आयात केवल निर्दिष्ट पत्तनों के माध्यम से ही करने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने यह अधिसूचना 8.5.2001 को वापस ले ली। वस्तुओं का आयात अब तूतीकोरिन पत्तन सहित किसी भी पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है।

(ग) और (घ) जी हां। तूतीकोरिन पत्तन द्वारा प्राप्त की गई उत्पादकता के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

बर्थिंग-पूर्व अवरोधन	0.71 दिन
टर्न राउंड समय	4.12 दिन
बर्थ दिवस आउटपुट	
ब्रेक	बल्क 1256 टन
शुष्क बल्क (परंपरागत)	3750 टन

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन

780. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू रबी मौसम के दौरान देश में उत्पादित खाद्यान्नों का राज्यवार कुल प्रमात्रा कितनी है;

(ख) यह पिछले वर्ष की तुलना में कितनी ज्यादा है;

(ग) क्या सरकार ने खरीफ फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार रबी मौसम 2000-2001 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 1999-2000 के दौरान 104.02 मिलियन मीटरी टन के रिकार्ड रबी खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 92.96 मिलियन मी. टन होने का अनुमान है। यद्यपि रबी 2000-01 में अनेक राज्यों में प्रतिकूल कृषि मौसम स्थितियों के कारण उत्पादन कम होने का अनुमान है, तथापि देश में रबी खाद्यान्न उत्पादन में दीर्घावधिक वृद्धि का रूख देखा गया है। रबी 1999-2000 के लिए रबी खाद्यान्न उत्पादन के नवीनतम राज्यवार अन्तिम अनुमान उपलब्ध है। ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उत्पादन बढ़ाने तथा देश के विभिन्न भागों में कृषि के विकास के लिए सरकार ने राज्यों को सहायता देने के लिए स्कीम आधारित परम्परागत दृष्टिकोण के स्थान पर नवम्बर, 2000 से वृहद प्रबंध पद्धति अपनाने का निर्णय लिया है। इस स्कीम में कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद/सहायता करने के लिए 27 स्कीमों को एक स्कीम में समेकित किया है जिसमें राज्यों को पेश आ रही है विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए सुविधा प्रदान करने, विभिन्न स्कीमों की विषय

वस्तुओं के दोहराव से बचने तथा कृषि के बहुमुखी विकास का उद्देश्य रखा गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन से खरीफ फसलों के उत्पादन सहित कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यवार रबी खाद्यान्न उत्पादन

(000 मी. टन)

राज्य	उत्पादन
आंध्र प्रदेश	4413.5
अरुणाचल प्रदेश	6.6
असम	811.0
बिहार	6212.0
गोवा	8.4
गुजरात	1122.6
हरियाणा	9805.0
हिमाचल प्रदेश	515.0
जम्मू और कश्मीर	389.0
कर्नाटक	2927.2
केरल	154.1
मध्य प्रदेश	11774.0
महाराष्ट्र	4362.8
मेघालय	8.8
मिजोरम	3.5
नागालैंड	20.7
उड़ीसा	1006.8
पंजाब	16028.9
राजस्थान	7867.9
सिक्किम	19.7
तमिलनाडु	2110.5
त्रिपुरा	93.5
उत्तर प्रदेश	28599.1
पश्चिम बंगाल	5652.0
अन्य	48.2

[अनुवाद]

पुस्तकालयों पर स्वतंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना

781. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने पुस्तकालयों, पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान से संबंधित सभी मामलों पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना और प्रस्तावित केंद्रीय पुस्तकालय सेवा के निर्माण की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 55.160 में विभिन्न सरकारी पुस्तकालयों से संबंधित सभी मामलों तथा साथ ही केन्द्रीय पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित मामले की देखरेख के लिए एक प्रकोष्ठ बनाने की सिफारिश की थी।

संस्कृति विभाग द्वारा 13.1.99 को एक तदर्थ प्रकोष्ठ बनाया गया है। फिलहाल इस तदर्थ प्रकोष्ठ में एक अंशकालिक निदेशक है, जो केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय का निदेशक भी है, तथा एक पूर्णकालिक सचिवालयीय स्टाफ (अवर श्रेणी लिपिक) है। इस प्रकोष्ठ के समुचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित पदों को व्यय विभाग के परामर्श से सृजित किया जाएगा।

डीजल/भाप इंजनों को बदला जाना

782. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का डीजल/भाप इंजनों के स्थान पर विद्युत इंजन लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक संभव हो पायेगा, और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवाह-विच्छेद अधिनियम में संशोधन

783. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अलग रहने वाली पत्नियों को महत्वपूर्ण राहत देने के लिए भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936 में संशोधित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) गुजारा भत्ता की वर्तमान सीमा कितनी है; और

(ङ) यह कितना बढ़ाये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों का सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन के भीतर अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदनों के निपटान का उपबंध करने के लिए भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936 का संशोधन करने का विनिश्चय किया है। इस संबंध में एक विधेयक 24 जुलाई, 2001 को राज्य सभा में पुर: स्थापित किया गया है।

(घ) उपर्युक्त अधिनियम स्थायी निर्वाह व्यय और भरण-पोषण के लिए कोई अधिनियम सीमा विहित नहीं करते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा

784. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हथकरघा संगठन को अधिकल्प नवीनता और लागत प्रभावकारिता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बुनकरों में उक्त योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना 2000-2001 में आरंभ की गई थी। स्कीम के कार्यान्वयन के निष्पादन की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है, यद्यपि इसके निष्पादन का प्रभाव को बताना अति शीघ्र होगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र की स्थापना आधुनिक डिजाइन की सूचना प्रदान करने हेतु तथा पारम्परिक तथा समसामयिक डिजाइनों के उन्नयन के लिए भी की गई थी ताकि तेजी से बदल रही बाजार की मांग के अनुरूप आपूर्ति की जा सके, हथकरघा क्षेत्र की प्रगति के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। आगे, हथकरघा एजेंसियों को सहायता देने के लिए वर्ष 1996-97 में निर्यात योग्य उत्पादों के विकास और उनके विपणन स्कीम आरंभ की गई थी।

(ङ) बुनकरों में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के प्रचार के उद्देश्य हेतु स्कीम के दिशा-निर्देशों को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित करवाया गया। राज्य सरकारों को स्कीम के विभिन्न घटकों को व्यापक प्रचार कि तथा विभिन्न प्रचार माध्यमों अर्थात स्कीम के उद्देश्यों को देशी भाषा में मुख्य बातों को पुस्तकों के वितरण हेतु निर्देश भी दिये गये हैं।

[हिन्दी]

नौवहन का विस्तार

785. श्री पी.आर. खूंटे: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवहन के विस्तार और उन्नयन तथा वाणिज्यिक संचालन का अध्ययन करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नौवहन की संभावनाओं के संबंध में कोई आकलन किया गया है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की रिपोर्ट में ऐसे दस जलमार्गों को अभिनिर्धारित किया गया जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित और विकसित किए जाने की संभावना है अर्थात्

(1) गंगा-भागीदारी नदी प्रणाली

(2) ब्रह्मपुत्र

(3) पश्चिम तटीय नहर

(4) सुन्दरबन

(5) गोदावरी

(6) कृष्णा

(7) महानदी

(8) नर्मदा

(9) गोवा में मन्डोवी, जुआरी नदियां तथा कम्बरजुआ नहर

(10) तापी

इनमें से कोई भी जलमार्ग छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं गुजरता है।

सीवान और मुम्बई के बीच सीधी रेलगाड़ी

786. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीवान से मुम्बई के लिए यात्री गाड़ी प्रारम्भ करने के लिए यात्रियों और संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां, सीवान और मुम्बई के बीच गाड़ी सेवा चलाने के लिए माननीय संसद सदस्य सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सीवान और मुम्बई के बीच एक गाड़ी सेवा चलाना परिचालनिक और संसाधनों को तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

एनटीपीसी की सिपत परियोजना को मंजूरी

787. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनटीपीसी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) की सिपत परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ख) क्या उस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को एनटीपीसी द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सिपत संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ङ) भविष्य में इस संयंत्र द्वारा की जाने वाली विद्युत आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना (एसटीपीसी) स्टेज-1, जिसे 10वीं व 11वीं योजना अवधि में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था, को सीईए ने जनवरी, 2000 में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की। एनटीपीसी द्वारा लाभार्थी राज्यों के साथ विद्युत खरीद करार हस्ताक्षरित होने के बाद ही एनटीपीसी द्वारा परियोजना को निवेश अनुमोदन की संभावना है।

(ख) और (ग) क्षेत्र के प्रभावित लोगों के लिए रोजगार का नियमन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास कार्य योजना के अनुसार किया जा रहा है बशर्ते की कुशल व अकुशल श्रेणियों में रिक्तियां उपलब्ध हो।

(घ) सीपत एसटीपीसी स्टेज-I की क्षमता 1980 मे.वा. (3×660 मे.वा.) है।

(ङ) इस परियोजना से पश्चिम क्षेत्र के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गोवा दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली को बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

[अनुवाद]

बोलाराम से उम्दानगर तक सीधी उपनगरीय रेलगाड़ी

788. श्री के. येरननायडू:
श्री बी.वी.एन. रेड्डी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बोलाराम से फलकनुमा और उम्दानगर तथा वापसी हेतु सीधी उपनगरीय रेलगाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवाएं कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) 11.6.2001 से बोलाराम-फलकनुमा-उमदानगर के बीच 8 जोड़ी सीधी उपनगरीय गाड़ियों की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में पेट्रोल पंपों का आवंटन

789. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पेट्रोल पंपों के आवंटन हेतु राजस्थान में आयोजित किए गए साक्षात्कारों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है और प्रत्येक आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख): जी हां। राजस्थान में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए डीलरों के चयन के संबंध में प्राप्त शिकायतें डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई हेतु संबंधित तेल विपणन कंपनियों को भेज दी गई है।

आमान परिवर्तन

790. श्री जे.एस. बराड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोटर गेज रेलवे लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम/योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 2001-2002 के दौरान मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन के लिए क्या योजना है और उसके लिए कितनी राशि प्रदान की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) एक आमान परियोजना के अंतर्गत बड़ी लाइन में परिवर्तन के लिए लगभग 19500 किलोमीटर मीटर लाइन/छोटी लाइन की पहचान की गयी थी। यह 8वीं और 9वीं प्रत्येक योजना में लगभग 6000 किलोमीटर की दर से और शेष अनुवर्ती योजना अवधियों के दौरान किए जाने की योजना थी। इसके अंतर्गत 8वीं योजना में 6897 किलोमीटर और 9वीं योजना में थी 2000-01 तक 1892 किलोमीटर का आमान परिवर्तन किया गया है। संसाधनों की तंगी के कारण प्रगति योजना की अपेक्षा कम रही है।

(घ) 2001-02 के दौरान 181 किलोमीटर लम्बी मी. ला./छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन का लक्ष्य है और इसके लिए 725 करोड़ रुपये (सकल) की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

जल विद्युत क्षमता हेतु ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग

791. श्री रामशेठ ठाकुर:
डॉ. अशोक पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जल विद्युत क्षमता के त्वरित विकास के लिए ऑस्ट्रिया के साथ सहयोग का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) आस्ट्रिया सरकार ने भारत में जलविद्युत शक्यता के विकास में इसकी तकनीकी विशेषज्ञता में भागीदारी करने की इच्छा प्रकट की है। 21.5.2001 को केन्द्रीय विद्युत मंत्री की आस्ट्रिया के आर्थिक कार्य मंत्री के साथ बैठक के दौरान, दोनों, पक्षों द्वारा इस पर सहमति जताई गई कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र में इंडो-आस्ट्रियन सहयोग से संबंधित मामलों से विशेष रूप से निपटने के लिए, जिसमें सहयोग के क्षेत्रों को परस्पर रूप से निर्धारित किया जाएगा, इंडो-आस्ट्रियन संयुक्त आर्थिक आयोग के ढांचे के भीतर एक संयुक्त कार्यकारी दल का गठन किया जाए।

[अनुवाद]

कृषि संबंधी फसलों के लिए खरीद केन्द्रों का कार्य निष्पादन

792. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा के विशेष संदर्भ में राज्य-वार नेफेड, भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम द्वारा चलाए जा रहे कृषि संबंधी फसलों के प्रत्येक खरीद केन्द्र का कार्य निष्पादन कैसा है; और

(ख) उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चेन्नई में मॉडर्न कंटनेर टर्मिनल का विकास

793. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चेन्नई में माडर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास हेतु आस्ट्रेलिया के पी एण्ड ओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उसके नियम शर्तें क्या हैं और उसमें कितनी निधियां लगाये जाने की संभावना है;

(ग) क्या पी एण्ड ओ देश के अन्य बंदरगाहों पर भी कुछ कंटेनर टर्मिनलों का विकास करने का इच्छुक है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) कांडला और कोचीन में कंटेनर टर्मिनल का विकास करने के लिए पी एंड ओ पोर्ट्स सफल निविदादाता है। दोनों प्रस्ताव भी मंत्रालय के विचाराधीन हैं और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

स्मारकों के संरक्षण हेतु निधियों का उपयोग

794. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्मारकों के रखरखाव हेतु आवंटित निधियों के खर्चों पर कोई रोक लगाती है;

(ख) यदि हां, तो किन सर्किलों राज्यों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष निधियों का उपयोग नहीं किया है/दुरुपयोग किया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केवल 1999-2000 के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में व्यय में कमी को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के दौरान

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सभी मंडलों को स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण के लिए आबंटित धन का संतोषजनक ढंग से उपयोग किया गया है। इस संबंध में उठाए गए प्रशासनिक कदमों के परिणामस्वरूप आबंटित धन का 2000-01 में पूर्णत: उपयोग किया गया है।

निजी/विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले रेल-पथ

795. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार निजी अथवा विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाली अथवा उनके अधीनवर्ती कितनी रेल लाइनें/रेलपथ हैं; और

(ख) इन रेल लाइनों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) निजी कंपनियों के स्वामित्व में निम्नलिखित रेलवे लाइन है: (1) (क) मुर्तिजापुर यावतमल (ख) मुर्तिजापुर-अचलापुर (ग) पुलगांव-अरवो जो कि महाराष्ट्र राज्य में संचालित है और (2) अहमदपुर कटवा जो कि पश्चिम बंगाल में संचालित है।

(ख) ये लाइनें स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ हुए करारों की शर्तों के तहत संचालित की जा रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इन लाइनों के राष्ट्रीयकरण का मामला स्वामित्व वाली कंपनी के साथ हुए करार को शर्तों के तहत विनियमित किया जाता है और इसमें प्रत्येक 10 वर्षों की अवधि के बाद समीक्षा करने का प्रावधान है। ऐसी पिछली समीक्षा सेंट्रल प्रोविंसेज रेलवे कंपनी लि. के मामले में 1996 में तथा 1998 में अहमदपुर कटवा रेलवे कंपनी लि. के मामलों में की गयी थी जिसमें यह तय किया गया था कि वित्तीय पहलू के मद्देनजर इन लाइनों को अपने अधिकार में ना लिया जाए अपितु मौजूदा व्यवस्था को कायम रखा जाए क्योंकि इन अलाभप्रद लाइनों के मुख्य भारतीय रेल प्रणाली से एकीकृत करने से इनके ग्रेडोन्नयन में भारी पूंजी लगानी पड़ेगी। अगली समीक्षा सेंट्रल प्रोविंसेज रेलवे कंपनी लि. के मामले में वर्ष 2006 में तथा अहमदपुर कटवा रेलवे कंपनी लि. के मामले में वर्ष 2008 में की जाएगी।

बायोगैस विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

796. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बायोगैस के विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना और संवर्धित चूल्हा संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए चुने गए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन गैर-सरकारी संगठनों को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी को संतोषजनक पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एनपीबीडी) के कार्यान्वयन में शामिल किया गया है। जो सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इन योजनाओं को आरंभ से ही अर्थात क्रमश: 1981-82 और 1986-87 से पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (एनपीआईसी) को चलाते हैं। तथापि, यह मंत्रालय राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों तथा अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (ए आई डब्ल्यू सी), नई दिल्ली और सतत विकास एजेंसी (एस डी ए), कंजिरापल्ली, केरल और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के लिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (ए आई डब्ल्यू सी) को भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल कर रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। इन गैर-सरकारी संगठनों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित लक्ष्यों का 78 से 129 प्रतिशत प्राप्त किया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 1999-2001 के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (एनपीबीडी) और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (एनपीआईसी) के अंतर्गत इन गैर-सरकारी

संगठनों को आबंटित लक्ष्य के साथ-साथ प्राप्त की गई उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

गैर सरकारी संगठन	1998-99 से 2000-2001 की अवधि के लिए संचयी सूचना			
	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (संयंत्रों की संख्या)		राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम (संयंत्रों की संख्या)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
ए आई डब्ल्यू सी	4, 990	4,400	87,000	85,697
एस डी ए	18,500	20,500		

(च) प्रश्न नहीं उठता।

यात्री निवास का निर्माण

797. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान तथा अगले वर्ष के दौरान देश में यात्री निवास के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके निजीकरण की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी निधियां आवंटित और जारी की गई;

(घ) क्या घरेलू और विदेशी पर्यटकों द्वारा यात्री निवास में ठहरने तथा अन्य सेवाओं के लिए कुछ प्रक्रिया तथा प्रभार तय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अलग-अलग तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अधिकतम कितने समय की अनुमति दी गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श कर प्रतिवर्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायतार्थ परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण करता है। इन परियोजनाओं में यात्री निवास भी शामिल होते हैं।

(ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ऐसी परियोजनाओं का निजीकरण नहीं करता है।

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान यात्री निवासों के लिए उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) पर्यटक अवसंरचना की परियोजनाओं के निर्माण, रखरखाव तथा संचालन की जिम्मेदारी संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्यों की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्राथमिकता प्रदत्त यात्री निवास परियोजनाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्राथमिकता प्रदत्त राशि
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	1.	रोइंग में यात्री निवास	56.00

1	2	3	4
बिहार	2.	थावे में (गोपालगंज) यात्रिका	40.00
	3.	वासुकुण्ड (मुजफ्फरपुर) में यात्रिका	40.00
गुजरात	4.	सोमनाथ में यात्री निवास	70.00
कर्नाटक	5.	उड्डपी जिले के कोल्लुर में यात्री निवासी का निर्माण	56.00
	6.	उत्तर कन्नड जिले के गोकर्ण में यात्री निवास का निर्माण	56.00
	7.	चिकोडी बेडीकहल स्थित सिद्देश्वर मंदिर स्थल पर यात्री निवास का निर्माण	56.00
	8.	बीजापुर जिले के बसवाना बागवाड़ी मंदिर में यात्री निवास का निर्माण	56.00
	9.	शिमोगा जिले कुप्पली में यात्री निवास का निर्माण	56.00
	10.	हावेरी जिले के काजील्ले में यात्री निवास का निर्माण	56.00
	11.	बीटर जिले के बासवकल्याण (अनुभवमंडप के निकट) में यात्री निवास का निर्माण	56.00
	12.	चिकमंगलूर जिले के दत्तात्रेयपीठ, बाबामुदनगिरि में यात्रा निवास का निर्माण	56.00
उड़ीसा	13.	धमारा से यात्री निवास	60.00
त्रिपुरा	14.	कंचनपुर में यात्री निवास	24.00
		योग	738.00

पूर्वोत्तर में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए चयन प्रक्रिया

798. श्री के.ए. सांगतम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर में पेट्रोलियम उत्पादों की चयन प्रक्रिया तय करने के लिए डीलर्स सलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिना कोई कारण बताये प्रस्तावित साक्षात्कार रद्द कर दिए गए, जिससे उम्मीदवारों को भारी हानि हुई,

(घ) यदि हां, तो वर्तमान बोर्ड के शुरू होने से कितनी बार साक्षात्कार तय किए गए और रद्द किए गए;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है और उसके लिए जवाबदेही तय की गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए जाने की संभावना है;

(ज) क्या बोर्ड द्वारा साक्षात्कार रद्द किए जाने की स्थिति में उम्मीदवारों को पूरी तरह से टी ए/डी ए का भुगतान किया गया था; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार

गंगवार): (क) और (ख) जी हां। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए दो डीलर चयन बोर्डों नामत: डीलर चयन बोर्ड, असम और मणिपुर और डीलर चयन बोर्ड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मेघालय का गठन किया गया है।

(ग) केवल एक स्थान नामत: लांगडिंग को छोड़कर, डीलर चयन बोर्डों द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए किसी प्रस्तावित साक्षात्कार को रद्द नहीं किया गया है। चूंकि उक्त स्थान अव्यवहार्य पाया गया था और तेल कंपनी ने विपणन योजना से इस स्थान को निकालने का अनुरोध किया था, इसलिए तेल कंपनी की सलाह के अनुसार इसे विधिवत् अधिसूचित कर दिया गया था।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए दिशानिर्देशों में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। यह तथ्य साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने वाले पत्र में स्पष्ट कर दिया जाता है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल परियोजनाओं को मंजूरी

799. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति ने दक्षिण राज्यों की कुछ रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक आरंभ और पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) चालू वर्ष में आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने गुत्ती-रेणिगुंटा खण्ड के शेष टुकडों का दोहरीकरण तथा सेलम-वृद्धालम-कुड्डालूर खंड के आमान परिवर्तन कार्य को अनुमोदित किया है। दक्षिण राज्यों में स्थित इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमश: 304.5 करोड़ रुपये तथा 198.68 करोड़ रुपये है, परियोजनाओं पर शुरुआती कार्य प्रारंभ हो गया है. संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।

कर्नाटक की पर्यटन परियोजनाएं

800. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के कोंडाज्जी, दावणगिरि जिले में जन सुविधाएं और पेयजल सुविधाएं संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने और राशि के कब तक जारी होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान 7.20 लाख रुपयों की केन्द्रीय वितीय सहायता से 9.64 लाख रुपये राशि की यह परियोजना स्वीकृति की गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) परियोजना के लिए प्रथम किश्त के रूप में 2.16 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं। शेष राशि, दिशानिर्देशों के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद दी जाएगी।

अंशधारकों को वार्षिक प्रतिवेदन भेजना

801. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर सूचीबद्ध कंपनियां समय पर अंश धारकों को वार्षिक लेखा परीक्षित प्रतिवेदन नहीं भेजती हैं और इस प्रकार कंपनी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नियामक प्राधिकरण है कि वार्षिक आम बैठक नियमित रूप से आयोजित हो और वार्षिक निष्पादन/प्रतिवेदन संबंधी विवरण पत्र अंशधारकों को परिचालित हों;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कानून की अपेक्षाओं का अनुपालन न करने पर कंपनियों को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो वे चूककर्ता कंपनियों कौन-कौन सी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) जी, नहीं। वार्षिक आम बैठकें आमतौर पर नियमित रूप से होती है और लेखा परीक्षित रिपोर्टें कंपनी अधिनियम की धारा 219 के अन्तर्गत कंपनी के सदस्यों को भेजी जाती हैं।

(घ) कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा चूक नोटिस जारी किए जाते हैं जब कभी उनके द्वारा ऐसी चूक नोटिस में आती है। कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा 2,54,565 चूक नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है कंपनियों के व्यक्तिगत नाम देने वाले आंकड़े काफी मात्रा में हैं और शामिल समय व प्रयत्नों के समानुपातिक नहीं है।

आवश्यक अभियोजन शुरू किए जा चुके हैं।

बहुविकल्पीय उपनगरीय परिवहन प्रणाली

802. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी**: क्या **रेल मंत्री** दिनांक 30 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद और सिकन्दराबाद के जुड़वा शहरों के लिए बहुविकल्पीय उपनगरीय प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना के कब तक आरंभ और पूरा होने की संभावना है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) स्थायी रेल अवसंरचना के अपग्रेडेशन के लिए परियोजना को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन हेतु भेजा गया है। रेल मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक संयुक्त कार्य बल बनाया गया है तथा मल्टी मॉडल उपनगरीय दैनिक यात्री परिवहन प्रणाली के लिए विस्तृत अध्ययन स्वीकृत किया गया है।

अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा तथा कार्य को रेल बजट में शामिल कर लिया गया है, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूरा किया जाएगा।

ऊर्जा उपयोग

803. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह**: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का केवल 5% ही उपयोग होती है और शेष विनष्ट हो जाती है;

(ख) विद्युत उत्पादन के दौरान निम्न दक्षता और पर्यावरणीय ह्रास के साथ प्रयुक्त हो सकने वाले जीवाश्म ईंधन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अतिरिक कार्मिक शक्ति के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वहन की जा रही लागत के संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं। भारत में 65% विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है जिसे ईंधन की दृष्टि से सर्वाधिक किफायती माना गया है, विद्युत उत्पादन केन्द्र पल्बराइज्ड कोल बॉयलर तकनीक का उपयोग करते हैं जो कोयले को लगभग 35% से 38% तक की थर्मल क्षमता पर कोयले को विद्युत में बदल देता है। बॉयलर तकनीक में विकास होने से रूपांतरण क्षमता में और भी दक्षता प्राप्त करना संभव है। वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन अपने कुछ नए प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों में सुपर-क्रिटिकल बॉयलर तकनीक आरंभ करने पर विचार कर रहा है, जिससे रूपांतरण क्षमता सुधर कर लगभग 40% हो जाएगी जिसके फलस्वरूप कोयले से प्राप्त ऊर्जा का पर्याप्त उपयोग हो सकेगा।

(ख) सामान्यत: अधिकांश विद्युत संयंत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय नियामक मानदण्ड की सीमा के अंदर ही कार्य करते हैं, जिससे कि पर्यावरण को न्यूनतम नकुसान हो। सी ओ. एवं एस ओ 2 (SO_2) नि: सरण को पर्यावरणीय मानकों एवं मानदण्डों के अनुरूप अनुमेय सीमा के अंदर बनाए रखने के लिए विद्युत केंद्रों में समुचित उपाय किए जा रहे हैं। विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों एवं केन्द्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा इनकी निरंतर मानीटरिंग भी की जा रही है। यूटिलिटियों के सघन प्रयासों के कारण उड़न राख के उपयोग में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) विद्युत उत्पादन केंद्रों में अतिरिक्त जनशक्ति का मूल्यांकन करने के लिए कोई भी विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

बंगलौर और नई दिल्ली के बीच एक नई रेल सेवा का आरंभ

804. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली से बंगलौर के लिए यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रेलगाड़ी के कब तक आरंभ होने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या नई दिल्ली और बंगलौर के बीच बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं। बहरहाल, 1.7.2001 से 2647/2648 निजामुद्दीन-कोयम्बटूर (साप्ताहिक) एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर बैंगलूर होकर कर दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) नई दिल्ली और बैंगलूर के बीच नई गाड़ी चलाना और बैंगलूर राजधानी एक्सप्रेस को परिचालनिक एवं संसाधन की तंगी के कारण प्रतिदिन चलाना व्यवाहारिक नहीं है।

पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के क्षेत्र में अनुसंधान

805. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर ने पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों के क्षेत्र में कोई अग्रगामी अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर्यावरण अनुकूल वर्ग का कोई कीटनाशक किसानों को उपलब्ध कराया गया था;

(ग) भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) हमारे देश के कृषि कार्यों में कीटनाशकों ने कहां तक स्थान पाया है; और

(ङ) पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों का विकास करने हेतु प्रस्तावित अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) जी हां।

(ख) से (घ) किसानों को ऐसी कई पर्यावरण अनुकूल कीटनाशकों की जानकारी दी गई है। इनकी जानकारी नीचे दी गई है:-

(1) अंगूर के मीली बग (मेकोनेल्लीकोकस हिर्सुटस) के नियंत्रण के लिए काक्सिनेलिड परपोषी किप्टोलेइमस मंत्रोजिएरी और किप्टोलेइमस मोटरुजिएरी कारगर पाया गया है।

(2) किसानों द्वारा बागवानी फसलों में मृदा से उत्पन्न होने वाले अनेक रोगों और नेमाटोडो के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा नामक प्रतिरोधी कवक का प्रयोग किया जा रहा है।

(3) फलों और सब्जियों के अनेक उत्पादक बड़े पैमाने पर निबौलियों के सत और नोम की खली का प्रयोग कर रहे हैं।

(4) पैरासिटोइड एन्कार्सिआ ग्वाडिलोप के इस्तेमाल के बाद एक साल के अन्दर सर्पिल सफेद मक्खियों की संख्या में कमी करने मे सफलता प्राप्त हुई है।

(5) जलीय खरपतवार जल हाइसिन्थ और 'टेरेस्ट्रियल वीड पार्थेमियम' को अवरुद्ध करने के लिए क्रमश: निओचिटिना एकोर्नी तथा जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा का कारगर प्रयोग किया गया।

(ङ) आई.आई.एच.आर. बंगलौर द्वारा विकसित किए जा रहे अन्य पर्यावरण-अनुकूल कीटनाशकों का विवरण इस प्रकार है:-

(1) नीम और पोंगामिआ साबुन:- इन साबुनों की आई.आई.एच.आर. बंगलौर में संस्थान-ग्राम सम्पर्क कार्यक्रम के तहत जांच की जा रही है और इन्हें एफिड, फुदका और थ्रिप्स के अलावा बंदगोभी के डायमंड बैक मोथ के प्रति काफी कारगर पाया गया।

(2) विभिन्न बागवानी फसलों की कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए नोमुरेई रिलेई कवक विकसित की जा रही है।

(3) केले के स्यूडोस्टेम छेदक के लिए अजादिरेक्टीन और अनार के एफिडों के लिए मछली के तेल के रोसिल साबुन को अपनाने की सिफारिश की जा रही है।

(4) सजावटी फसलों की कीटव्याधियों के समेकित कीट प्रबंधन के लिए नीम और पोंगामिया केको के अलावा जट्रोफा और कांटेदार पोपी के तेलों के प्रयोग के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजभाषा हिन्दी का विकास

806. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अब तक की स्थिति के अनुसार वर्ग ''क'' के विभिन्न मंडलों में किया जाने वाला सरकारी कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार राजभाषा हिन्दी के प्रयोग, प्रसार और इसके विकास के लिए उत्तरदायी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने कार्यान्वयन समितियों में पर्यवेक्षकों का नामनिर्दिष्ट किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) ''क'' क्षेत्र के विभिन्न मंडलों में किया जाने वाला अधिकांश सरकारी कार्य हिंदी में किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(1) हिंदी कार्यशालाएं (2) हिंदी में टेबल ट्रेनिंग (3) तकनीकी विषयों में हिंदी में संगोष्ठियां (4) हिंदी में टिप्पण-प्रारुप, निबंध लेखन तथा वॉक प्रतियोगिताएं (5) हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण (6) अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं (7) सहायक साहित्य उपलब्ध कराना

(ङ) क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में प्रेक्षक नामित किए गए हैं;

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना

807. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वल्लारपदम, कोचीन, केरल में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल की स्थापना किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त किया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) मंत्रालय प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और इसमें शामिल कतिपय मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कुछ विशेषज्ञों से परामर्श भी कर रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जैसाकि (ख) में उल्लेख किया गया है।

निवेशक संरक्षक कोष

808. श्री किरीट सोमैया: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** निवेशक संरक्षक कोष के बारे में दिनांक 22 फरवरी, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 315 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेशक संरक्षक कोष से संबंधित प्राप्ति/व्यय हेतु प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) निवेशक संरक्षक कोप के कब तक कार्य आरंभ करने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) जी हां। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षक कोप से संबंधित प्राप्ति/व्यय हेतु प्रक्रिया को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(घ) प्रस्तावित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षक कोष में प्रक्रियात्मक परिवर्तनों, जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सुझाया गया है, को उनके विचार एवं सुझाव हेतु विधि कार्य विभाग को अग्रेपित कर दिया गया है। नियमों के शीघ्र ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

पेट्रोल-पंप की डीलरशिप को जारी रखने से मनाही

809. श्री अनन्त नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ पेट्रोल पंपों के आवंटितियों ने डीलरशिप को जारी रखने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पेट्रोल पंप के आवंटितियों ने इसके क्या कारण दिए हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय पंजीयक द्वारा बहुराज्यीय सहकारिता संस्थाओं का निरीक्षण

810. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली स्थित बहुराज्यीय सहकारिता संस्थाओं के ऊपर केन्द्रीय पंजीयक का नियंत्रण किस हद तक है;

(ख) क्या गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय पंजीयक ने इस संस्थाओं का निरीक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन निरीक्षण क्षेत्रों को शामिल किया गया; और

(घ) गत एक वर्ष के दौरान इन संस्थाओं के विरुद्ध प्राप्त की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) दिल्ली में बहुराज्यीय सहकारी समितियां देश में अन्य ऐसी समितियों की तरह की बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा प्रशासित की जाती है। केन्द्रीय पंजीकार का कार्य इन सहकारी समितियों के संबंध में अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन उप नियमों के संशोधन का पंजीकरण, चुनावों, लेखा परीक्षा, जांच, विवाद-निपटान आदि जैसे कार्य करना है।

(ख) केन्द्रीय पंजीकार की शक्तियां सहकारी समितियों के संबंधित राज्य के पंजीकारों को प्रदान की गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान पंजीकार, भारत सरकार ने दिल्ली की छ: समितियों का निरीक्षण किया था। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सहकारी भण्डार लि., नई दिल्ली (सुपर बाजार) के कार्यों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर, केन्द्रीय पंजीकार, भारत सरकार ने सुपर बाजार के कार्यों की जांच शुरू की। अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई की गई है।

ए.एम.डी.पी. और एस.यू.बी.ए.सी.एस. का कार्यान्वयन

811. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और गन्ना आधारित फसल प्रणाली के सतत विकास को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक राज्यवार और कार्यक्रमवार कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन विकास कार्यक्रमों में से प्रत्येक के अन्तर्गत कुल कितना भू-क्षेत्र सम्मिलित किया गया; और

(घ) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां इन कार्यक्रमों को आरंभ किया जाना है और इस हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और गन्ना आधारित फसल प्रणाली का स्थायी विकास निम्नलिखित राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम

क्र.सं	राज्यों का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	छत्तीसगढ़
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू और कश्मीर
10.	झारखंड
11.	कर्नाटक
12.	मध्य प्रदेश
13.	महाराष्ट्र
14.	मणिपुर
15.	मेघालय
16.	मिजोरम
17.	नागालैंड
18.	उड़ीसा
19.	राजस्थान
20.	पंजाब
21.	सिक्किम
22.	तमिलनाडु
23.	त्रिपुरा
24.	उत्तर प्रदेश
25.	उत्तरांचल
26.	पश्चिम बंगाल

गन्ना आधारित फसल प्रणाली

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	बिहार
4.	गोवा
5.	गुजरात
6.	हरियाणा
7.	कर्नाटक
8.	केरल

1	2
9.	मध्य प्रदेश
10.	महाराष्ट्र
11.	मणिपुर
12.	मिजोरम
13.	नागालैंड
14.	उड़ीसा
15.	राजस्थान
16.	पंजाब
17.	तमिलनाडु
18.	त्रिपुरा
19.	उत्तर प्रदेश
20.	पश्चिम बंगाल
21.	पाण्डिचेरी

(ख) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम और गन्ना आधारित फसल प्रणाली का स्थायी विकास के अधीन पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक प्रदत्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता विवरण-I में दिया गया है। 4 अक्तूबर, 2000 से गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास नामक स्कीम को कृषि की वृहद प्रबंधन प्रणाली में मिला दिया गया है। जिसके अधीन एकमुश्त केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जा रही है, न कि स्कीमवार। अत: जहां तक "सुबैक्स" का संबंध है वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 (4 अक्तूबर, 2000 तक) के लिए वित्तीय ब्यौरा दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान मक्का और गन्ना फसलों के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान मक्का गन्ना फसलों के अधीन कवर किए गए क्षेत्र के ब्यौरे को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अधीन मक्का उत्पादक सभी 26 मुख्य राज्यों में मक्का की क्षमता वाले सभी जिलों को पहले ही कवर किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अधीन और राज्यों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहां तक गन्ना आधारित फसल प्रणाली के स्थायी विकास का संबंध है, इस कार्यक्रम को हाल ही में कृषि की वृहद प्रबंधन प्रणाली के अधीन हस्तांतरित कर दिया गया है ताकि राज्यों को अधिक नम्यता प्रदान की जा सके। इस मामले पर राज्य निर्णय ले सकते हैं।

विवरण-I

प्रदत्त केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम				गन्ना आधारित फसल प्रणाली		
		1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (अब तक)	1998-99	1999-2000	2000-01 (4.10.00 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.30	37.33	10.00	0.00	148.00	58.18	7.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	30.00	32.50	26.66	12.31	एन.आई	एन.आई	एन.आई
3.	असम	50.00	10.00	8.00	0.00	0.00	5.00	3.50
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.78	6.60
5.	छत्तीसगढ़	एन.आई	एन.आई	एन.आई	15.00	एन.आई	एन.आई	एन.आई

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गोवा	एन.आई	एन.आई	एन.आई	एन.आई	0.00	3.00	0.80
7.	गुजरात	0.00	10.00	2.16	0.00	105.00	49.00	7.25
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	33.00	6.15
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	27.10	31.50	12.02	एन.आई	एन.आई	एन.आई
10.	जम्मू और काश्मीर	0.00	10.00	0.00	0.00	एन.आई	एन.आई	एन.आई
11.	झारखंण्ड	एन.आई	एन.आई	एन.आई	12.00	एन.आई	एन.आई	एन.आई
12.	मध्य प्रदेश	0.00	54.20	50.42	0.00	73.00	33.00	6.70
13.	कर्नाटक	40.00	20.00	52.06	4.61	127.00	60.31	19.60
14.	केरल	एन.आई	एन.आई	एन.आई	एन.आई	38.00	18.68	2.90
15.	महाराष्ट्र	60.00	20.00	42.24	21.00	580.00	271.63	21.80
16.	मणिपुर	37.00	10.00	67.35	2.11	20.00	14.13	5.75
17.	मेघालय	0.00	6.31	10.75	0.00	एन.आई	एन.आई	एन.आई
18.	मिजोरम	11.05	7.31	44.71	0.00	21.30	13.72	5.75
19.	नागालैण्ड	10.50	5.00	15.93	8.00	23.00	15.64	5.25
20.	उड़ीसा	63.00	35.18	2.00	0.00	27.00	33.00	3.85
21.	राजस्थान	0.00	43.56	42.22	0.00	69.00	24.00	5.70
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	15.00	3.50
23.	सिक्किम	0.00	18.82	16.03	9.00	एन.आई	एन.आई	एन.आई
24.	तमिलनाडु	24.15	18.80	4.97	0.00	94.00	87.63	10.60
25.	त्रिपुरा	9.00	5.00	10.57	7.00	0.00	5.00	4.75
26.	उत्तर प्रदेश	30.00	45.00	35.43	0.00	91.00	236.30	22.50
27.	उत्तरांचल	एन.आई	एन.आई	एन.आई	5.32	एन.आई	एन.आई	एन.आई
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	18.89	2.00	0.00	24.00	9.00	2.55
29.	पाण्डिचेरी	एन.आई	एन.आई	एन.आई	एन.आई	0.00	3.00	2.00
	कुल	415.00	435.00	475.00	108.37	1554.30	1042.00	155.00

एन.आई = क्रियान्वित नहीं

विवरण II

मक्का व गन्ना फसलों के अधीन कवर किए गए क्षेत्र

(क्षेत्र 000 हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	मक्का			गन्ना		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आध्र प्रदेश	396.00	399.00	439.00	192.20	213.70	231.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	34.50	36.20	35.60	एन.आई	एन.आई	एन.आई
3.	असम	19.20	19.80	19.70	31.30	30.60	29.10
4.	बिहार	705.20	711.10	804.10	108.00	106.90	96.80
5.	गोवा	0.20	0.30	0.20	1.30	1.30	1.30
6.	गुजरात	399.80	408.30	391.00	165.00	196.30	201.00
7.	हरियाणा	24.00	21.00	21.00	142.00	125.00	133.00
8.	हिमाचल प्रदेश	311.90	305.00	299.90	3.80	3.30	300
9.	जम्मू-कश्मीर	310.90	311.40	317.30	0.20	0.20	0.10
10.	मध्य प्रदेश	860.70	852.20	854.70	42.30	40.50	50.90
11.	कर्नाटक	561.40	512.40	608.00	309.80	338.80	361.00
12.	केरल	एन.आई	एन.आई	एन.आई	5.90	5.80	5.70
13.	महाराष्ट्र	240.70	278.40	279.90	459.70	529.80	590.10
14.	मणिपुर	3.60	3.00	4.30	0.50	0.70	0.70
15.	मेघालय	17.20	17.20	16.60	0.10	0.10	0.10
16.	मिजोरम	8.20	8.70	5.30	1.30	1.00	0.70
17.	नागालैण्ड	30.00	32.00	32.00	1.00	1.20	0.60
18.	उड़ीसा	52.10	51.00	54.50	18.70	22.30	20.60
19.	राजस्थान	974.50	951.00	933.60	23.20	22.60	19.30
20.	पंजाब	165.00	154.00	162.00	126.00	103.00	108.00
21.	सिक्किम	39.40	39.40	39.40	एन.आई	एन.आई	एन.आई
22.	तमिलनाडु	58.00	55.70	117.00	282.80	306.20	332.30
23.	त्रिपुरा	2.00	2.30	2.30	1.10	1.10	1.10

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	1063.20	995.80	954.00	1985.20	1974.60	2011.00
25.	प. बंगाल	43.50	38.50	35.10	25.80	26.90	24.00
26.	अंड. व निको.	एन.आई	एन.आई	एन.आई	0.20	0.20	0.20
27.	पाण्डिचेरी	एन.आई	एन.आई	एन.आई	2.40	2.80	2.80
	कुल	6321.20	6203.70	6426.50	3929.80	4054.90	4224.90

एन.आई - क्रियान्वित नहीं

गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

812. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गेहूं और चावल, इत्यादि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के बावजूद किसानों को अपने गेहूं की फसल को वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम पर बेचने पर मजबूर होना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संकटकालीन विक्रय से बचाव और सरल खरीद सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सरकार ने फसल वर्ष 2000-01 के लिए धान (सामान्य) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 510/- रुपये प्रति क्विंटल, धान (ग्रेड क) के लिए 540/- प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए 610/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में धान के मामले में 20/- रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के मामले में 30/- रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्शाई है।

(ग) और (घ) गेहूं और धान के अधिप्राप्ति के लिए खरीद कार्य सरकार की मूल्य समर्थन स्कीम के तहत राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों से मिलकर भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए जाते हैं। किसानों की असुविधा और मजबूरी में की गई बिक्री जैसी कठिनाई से बचने के लिए प्रत्येक विपणन मौसम के शुरू होने से काफी पहले राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम द्वारा परस्पर निर्धारित स्थलों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की प्रत्याशित खरीद के आंकलन के पश्चात् पर्याप्त संख्या में खरीद केन्द्र खोले जाते हैं। तथापि, किसान यदि उन्हें लाभ हो तो, खुले बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं। पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न अनाजों की पर्याप्त मात्रा में खरीद की गई है।

विक्रय में होने वाली कठिनाईयों से संबंधित सभी शिकायतों को भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों के साथ तत्काल ही उठाया जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य स्कीम का निकट से प्रबोधन करने के निमित्त राज्य सरकारों और अन्य अधिप्राप्ति अभिकरणों से दैनिक अधिप्राप्ति के आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के उनके मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। अधिप्राप्ति मौसम के चरम समय पर ये नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्य करते हैं।

कृषकों को राजकीय सहायता

813. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दी जा रही राजकीय सहायता का ब्यौरा क्या है और इसका उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव क्या हैं;

(ख) छोटे और सीमान्त किसानों सहित अपेक्षाकृत किसानों के निर्धन वर्ग को दी गई राजकीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसा कोई अध्ययन किया गया है जिससे कि राजकीय सहायता का लाभ लक्षित जनसंख्या तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि राजकीय सहायता का लाभ वास्तव में लक्षित जनसंख्या तक पहुंचे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ङ) किसानों को दी जाने वाली प्रमुख सब्सिडियां उर्वरकों के मूल्यों में राजसहायता सिंचाई व बिजली पर कम प्रभार तथा बीज एवं कृषि मशीनरी पर राजसहायता के रूप में दी जाती है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा यथा संकलित पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को प्रदत्त राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन सब्सिडियों से किसानों को उचित मूल्य पर आदान प्राप्त करने तथा इस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता मिली है। सब्सिडियों का प्रभाव अथवा लाभ किसानों को होने के बारे में सरकार ने अब तक कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, कुछ अनुसंधान संस्थानों से इस विषय पर अध्ययन करने ने लिए कहा गया है। छोटे और सीमान्त किसानों एवं कृषक समुदाय के अपेक्षाकृत कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) को राजसहायता/प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें छिड़काव सिंचाई प्रणाली पर सब्सिडी, ड्रिप सिंचाई, छोटे किसानों में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्नत कृषि उपस्करों की आपूर्ति आदि पर राजसहायता शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सब्सिडियों का लाभ लक्षित किसानों तक पहुंचे इन स्कीमों की नियमित मानिटरिंग की जाती है।

विवरण

कृषि क्षेत्र को राजसहायता

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	मद	1997-1998 (वास्तविक)	1998-1999 (वास्तविक)	1999-2000 (संशोधित)
	आदानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को राजसहायता			
1.	उर्वरक (कुल)	9918	11596	13463
2.	बिजली**	4937	6321	उपलब्ध नहीं
3.	सिंचाई**	10318	11257	11728e
4.	बीजों, तिलहनों, दलहनों के विकास के रूप में सीमान्त किसानों तथा किसानों की सहकारी समितियों को दी जाने वाली अन्य राजसहायता	888	358	उपलब्ध नहीं

स्रोत: 1. उर्वरक: केन्द्रीय सरकार का व्यय बजट 2001-2002, खण्ड-1

2. बिजली एवं सिंचाई: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

** बिजली में सभी विद्युत बोर्डों एवं निगमों को राजसहायता शामिल है। खास तौर से कृषि क्षेत्र को दी जानी वाली विद्युत राजसहायता के अलग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

** किसानों को आपूर्ति किए जाने वाले जल की दरें, नीतिगत मामले के तौर पर कम रखी जाती हैं, परिणामत: सरकारी सिंचाई व्यवस्था को नुकसान होता है। सकल राजस्व तथा प्रचालन लागत के अतिरेक के बीच के अन्तर को परिकलित सिंचाई सब्सिडी माना जाता है।

e त्वरित अनुमान

* मद सं. 1 अनुमान वास्तविक हैं एवं मद सं. 2,4 तथा 4 के अनुमान संशोधित माने जाएं।

लेखा स्तर संबंधी सलाहकार समिति

814. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 210क के अन्तर्गत लेखा स्तर संबंधी 12-सदस्यीय सलाहकार समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति गठित किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है।

(ग) और (घ) समिति, अधिनियम, के अन्तर्गत कंपनियों या कंपनियों की श्रेणी द्वारा मान्यता दिये जाने वाली लेखा नीतियों और लेखा मानदण्डों के निर्माण करने और निर्धारित करने में केन्द्रीय सरकार को परामर्श प्रदान करेगी। समिति केन्द्रीय सरकार को उसे समय-समय पर परामर्श के लिए भेजे गए लेखा नीतियों और मानदण्डों तथा लेखा परीक्षा संबंधी मामलों पर अपनी सिफारिशें प्रदान करेगी।

पावरग्रिड कारपोरेशन को विश्व बैंक का ऋण

815. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक हाल में पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया को ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण की कुल धनराशि कितनी है और इसके नियम और शर्तें क्या हैं;

(ग) उक्त ऋण को पावरग्रिड ने किस उद्देश्य से उपयोग करने का निर्णय लिया है; और

(घ) उक्त ऋण से विभिन्न राज्यों को किस हद तक लाभ पहुंचने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) विश्व बैंक तीन किस्तों में लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्रदान करके पावरग्रिड की परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए सिद्धान्त: सहमत हो गया है। पावरग्रिड ने 450 मिलियन अमेरिकी डालर के एक ऋण (पीएसडीपी-2 एलएन 4603 आई एन) के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। समय-समय पर बकाया और निकाले गये ऋण की मूलधन राशि पर लिबोर बेस रेट प्लस लिबोर टोटल स्प्रेड की ब्याज दर के साथ इस ऋण की वसूली की अवधि 5 वर्ष के ग्रेस पीरियड को छोड़कर 15 वर्ष है।

(ग) और (घ) वे परियोजनाएं जिनका वित्तपोषण इस ऋण के माध्यम में होगा, और जिन राज्यों को लाभ प्राप्त होगा उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक ऋण के माध्यम से वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा	लाभ प्राप्त करने वाले राज्य
1	2
(1) उड़ीसा में एनटीपीसी के तलचेर-II ताप विद्युत स्टेशन (2000 मे.वा.) से विद्युत की निकासी के लिए पूर्व-दक्षिण इन्टरकनेक्टर-II परियोजना (तलचेर-II पारेषण प्रणाली)	दक्षिण क्षेत्र में सभी राज्य

1	2
(2) पूर्वी क्षेत्र में अधिशेष विद्युत का उत्तरी क्षेत्र को अंतरण करने के लिए पूर्व-उत्तर इंटरकनेक्टर-I परियोजना (सासाराम एचवीडीसी बेक टू बेक परियोजना)	उत्तरी क्षेत्र में सभी राज्य
(3) बेहतर आवर्तिता नियंत्रण और वोल्टता पैरामीटरों के जरिए विद्युत आपूर्ति सुधारने, प्रणाली सुरक्षा सुधारने, आसाधारण प्रणाली दशाओं से पैदा होने वाली ग्रिड बाधाओं और उपस्कर क्षतियों को कम करने के लिए पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों में प्रणाली समन्वय और नियंत्रण परियोजनाएं	पूर्वी और पश्चिम क्षेत्रों में सभी राज्य
(4) एक महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना करके दूर संचार व्यापार आरंभ करने के लिए पावरग्रिड परियोजना	भारत की तीव्रगति से बढ़ती दूरसंचार आवश्यकताओं को पूरा करने में परियोजना सहायता प्रदान करेगी।
(5) शेष परियोजनाएं पूर्व विश्व बैंक ऋण (स. 3577-आईएल और सं. 3237-आईएन) के अंतर्गत है।	उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के सभी राज्य

हरित डीजल

816. श्री साहिब सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "हरित डीजल" की बिक्री शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की समस्त मांग की पूर्ति हो सकेगी;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यावरणीय प्रदूषण के स्तर में कमी लाने में उठाए गए कदमों के कहां तक सहायक होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी आर) दिल्ली में 1.7.2001 से 0.05 प्रतिशत (अधिकतम) मात्रा वाले गंधक युक्त डीजल की बिक्री आरंभ हो चुकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेचे जा रहे डीजल में गंधक की मात्रा पिछले 5 वर्ष के समय के दौरान बीस गुणा (1 प्रतिशत अधिकतम से 0.05 प्रतिशत अधिकतम) कम कर दी गई है। इसका परिणाम यह होगा कि वातावरण में गंधक का उत्सर्जन कम होगा और इस प्रकार पर्यावरणीय प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी।

गुजरात में आमान परिवर्तन

817. श्री जी.जे. जावीया:
श्री शंकर सिंह वाघेला:
श्री प्रवीण राष्टूपाल:
श्री दिनशा पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने वाली कौन-कौन सी मीटर/छोटी लाइनें हैं;

(ख) शेष मीटर/छोटी लाइनों को कब तक बडी लाइन में परिवर्तित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने मीटर/छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) गुजरात में चल रहे आमान परिवर्तन कार्यों की स्थिति क्या है और इन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(च) क्या सरकार के पास निजी कोष के माध्यम से गुजरात में कोई आमान परिवर्तन परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या धरंगधरा-कुडा का आमान परिवर्तन लागत सहभागिता आधार पर किया जाएगा; और

(झ) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) चालू स्वीकृत आमान परिवर्तन परियोजनाओं का पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है

(ङ) ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(च) जी हां।

(छ) पिपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-रजौला सिटी की आमान परिवर्तन परियोजना में निजी भागीदारी प्राप्त करने के लिए योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है गांधीधाम-पालनपुर और मेहसाणा-वीरमगाम खंडों के आमान परिवर्ततन के लिए निजी वित्त पोषण प्राप्त करने का प्रस्ताव है

(ज) जी हां।

(झ) ध्रांग्धा-कुड़ा का आमान परिवर्तन 2001-02 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण-I

क्र.सं.	खंड	किलोमीटर
1	2	3
1.	जोधपुर-मारवाड़	102
2.	होटगी-बीजापुर	97
3.	नागबीर-चांदाफोर्ट	111
4.	मेहबूबनगर-द्रोणाचेल्लम	185
5.	मैसूर होलेनरसीपुर	87
6.	जोरहाट-फरकटिंग लूप	67
7.	बछवाड़ा-हाजीपुर	72
8.	त्रिची-तंजावूर	50
9.	हसन-सकलेशपुर	42
10.	सिमलगुड़ी-शिवसागर	16
11.	कोलार-बंगारपेट	18
12.	नरकटियागंज-गोरखपुर	159
13.	ताबरम-तिरूचिरापल्ली	303
14.	तिरुचिरापल्ली-दिंडीगुल	93
15.	बाबूपेट-बल्लारशाह	11
16.	सोलापुर-होटगी	15
17.	शिवसागर-मोरेनहाट	39
18.	मरियानी-जोरहाट	18
19.	इंदारा-फेफना	55
20.	पधारपुर-कुर्डवाडी	52
21.	काशीपुर-लालकुआं	60
22.	अरक्कोणम-चेंगलपट्टू	63
23.	यलहंका-यशवंतपुर	17
24.	मोरबी-मलिया मियाना एवं दाहीसरा-नवलाखी	68
25.	गुना-इटावा परियोजना का नोनेरा-भिंड	26
26.	रक्सौल-बीरगंज	8
27.	गांधीधाम-भुज	58
	जोड़	1892

1	2	3
	2001-2002 के दौरान पूरी की जाने वाली	
28.	सियौनी-भिंड	24
29.	अमगुडी-तुली	15
30.	माकूम-डंगारी	31
31.	लक्ष्मणतीर्थ पुल	1
32.	पेडाकल्लू-गूटी	29
33.	धांगध्रा-कुडा	33
34.	वांकानेर-मोरबी	48
	जोड़	181

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में मी.ला./छो.ला. लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुई मांगों की स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	परियोजना	की गई कार्रवाई
1	2	3
1998-99 से 2000-01	(1) गुजरात राज्य में निम्न रेल परियोजनाओं में सुधार के लिए सुझाव	
	(i) गांधीधाम-सामारव्याली-पालनपुर	(1) गांधीधाम-सामाख्याली-पालनपुर के आमान परिवर्तन का कार्य पहले से ही बजट में शामिल है और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।
	(ii) जामनगर-दाहींसारा	(2) रेलों के सामने आ रही संसाधनों की विकट तंगी के कारण जामनगर-दाहींसारा के लिए नई लाइन के निर्माण पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सका।
	(iii) भरूच-सामनी-दहेज	(3) भरूच-सामनी-दहेज के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण अहमदाबाद और विरार के बीच प्रस्तावित तीसरी लाइन के भाग के रूप में पहले ही पूरा किया जा चुका है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस क्षेत्र में तीसरी लाइन का कार्य आरंभ करते समय इस खंड के आमान परिवर्तन पर विचार किया जाएगा।
	(2) गांधीधाम-भुज-नलिया, अहमदाबाद-हिम्मतनगर, विंडमिल स्टेशन-बेदी पोर्ट, भरूच-दहेज, गांधीधाम-सामाख्याली-पालनपुर, जामनगर-बेदी पोर्ट-रोजीपीयर, पोरबंदर-बारहमासी पोर्ट जेट्टी, दाबोई मियागाम, छोटा उदयपुर-	गांधीधाम-भुज पर कार्य पहले ही पूरा हो गया है। भुज-नलिया के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। संसाधनों की विकट तंगी और रक्षा प्राधिकारियों द्वारा इंगित निम्नतर प्राथमिकता के कारण इस प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सका।

1	2	3
	प्रतापनगर एवं धार तक इसका विस्तार और अहमदाबाद-बीजापुर (इसमें कलोल-अद्राज मोती खंड (शामिल है) का आमान परिवर्तन	अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर इस परियोजना पर आगे विचार संभव होगा। भरूच-सामनी-दहेज के आमान परिवर्तन संबंधी स्थिति ऊपर उल्लिखित है। गांधीधाम-सामाख्याली-पालनपुर के आमान परिवर्तन संबंधी स्थिति ऊपर उल्लिखित है। रेलों के सामने आ रही संसाधनों की विकट तंगी के कारण विंडमिल-स्टेशन-बेदी पोर्ट-रोजीपीयर, पोरबंदर-पोरबंदर पोर्ट नई लाइनों और दबोई-मियागाम आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सका। धार तक विस्तार सहित छोटा उदयपुर-प्रतापनगर के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने पर परियोजना पर आगे विचार संभव होगा। अहमदाबाद-बीजापुर खंड पर कलोल-अद्राज मोती के आमान परिवर्तन का कार्य गांधीनगर-अद्राज मोती-कलोल नई लाईन परियोजना के भाग के रूप में बजट में पहले ही शामिल है इससे अहमदाबाद और अद्राज मोती के बीच ब.ला. संपर्क मुहैया हो जाएगा क्योंकि अहमदाबाद और कलोल के बीच ब.ला. पहले ही मौजूद है। लागत में भागीदारी के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव पर गांधीनगर-अद्राज मोती-कलोल नई लाइन एवं आमान परिवर्तन परियोजना 2000-01 के बजट में शामिल की गयी है।

विवरण-III

गुजरात में चालू आमान परिवर्तन परियोजनाएं निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	2001-2002 के लिए परिव्यय	स्थिति
1	2	3	4	5
आमान परिवर्तन		**(करोड़ रुपये में)**		
1.	भिलडी (मेहसाणा-पाटन)-वीरमगाम	234.75	15.00	वीरमगाम-मेहसाणा-पाटन का आमान परिवर्तन प्रगति पर है और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

1	2	3	4	5
2.	फुलेरा-मारवाड़ा-अहमदाबाद	632.35	13.50	खंड वर्ष 1997 में खोल दिया गया था। अहमदाबाद यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और साबरमती-खोड़ियार के आमान परिवर्तन जैसे अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं और 2002-03 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।
3.	वांसजलिया से जेतलसर तक वस्तुपरक आशोधन सहित राजकोट-वैरावल	291.61	20.00	राजकोट-वेरावल का आमान परिवर्तन प्रगति पर है और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा, वांसजलिया जेतलसर का नया कार्य वस्तुपरक आशोधन के रूप में 2001-02 के बजट में शामिल किया गया है।
4.	गांधीधाम-भूज	50.75	1.00	यह कार्य पूरा हो गया है।
5.	बांकानेर-दाहीसरा और नवलाखी दाहीसरा-मलिया मियाना	100.85	5.5	यह कार्य पूरा हो गया है
6.	सुरेन्द्रनगर-भावनगर-ढोला महुआ, पिपावाव तक विस्तार	441.63	34.4	यह कार्य प्रगति पर है और पिपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-ढासा-राजौला मुख्य लाइन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर 2002-03 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। सुरेन्द्रनगर-ध्रांगध्रा आमान परिवर्तन भी वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया है।
7.	ध्रांगध्रा-कुड़ा साइडिंग	10.17	2.00	यह कार्य प्रगति पर है। 2001-02 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।
8.	गांधीधाम-सामाख्याली-पालनपुर	370.74	15.00	आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। नक्शे और अनुमान की तैयारी आरंभ की गई है।

आंध्र प्रदेश में आई.सी.ए.आर. के अन्तर्गत अनुसंधान केन्द्र

818. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत स्थान-वार कौन-कौन मे अनुसंधान केन्द्र और परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनमें से प्रत्येक को सरकार द्वारा आवंटित और उन पर खर्च धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उनसे मिली उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में कृषि उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत अनुसंधान केन्द्रों तथा परियोजनाओं के नाम तथा आवंटित

की गई निधि और सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न फसलों की कई किस्मों/संकरों की पहचान की गई है/विकसित की गई है/जारी की गई है। इन फसलों में उल्लेखनीय हैं, खाद्यान्न फसलें (72) तिलहन (7) दलहन (4) व्यावसायिक फसलें (8) तथा बागवानी फसलें (33) इनके अतिरिक्त, कई आशाजनक प्रौद्योगिकियां भी विकसित की गई हैं तथा राज्य में कृषि उत्पाद पर प्रौद्योगिकियों के प्रभाव के साथ-साथ कई उल्लेखनीय प्रौद्योगिकियों का भी ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में अनुसंधान संस्थान/केन्द्र/परियोजनाएं

(योजना)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान/योजना का नाम	स्थान	1998-99		1999-2000		2000-2001	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा. ज्वार अनु. केन्द्र	हैदराबाद	82.00	81.99	140.00	138.93	99.00	98.85
2.	अ.भा.स.अ.प.-ज्वार	हैदराबाद	266.00	256.34	200.00	199.87	199.00	214.83
3.	परियोजना निदेशालय-चावल अनुसंधान	हैदराबाद	337.00	302.27	340.00	270.14	245.19	241.04
4.	अ.भा.स.अ.प.-चावल	हैदराबाद	296.00	330.72	300.00	369.85	400.81	400.71
5.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	राजामुन्द्री	69.00	68.99	90.00	89.99	85.00	85.00
6.	परियोजना निदेशालय-तेलताड़ अनुसंधान	हैदराबाद	153.00	104.87	119.63	119.63	208.25	168.22
7.	अ.भा.स.अ.प.-तिलहन	हैदराबाद	431.00	503.10	460.37	460.37	201.75	221.75
8.	अ.भा.स.अ.प.-अलसी	हैदराबाद	-	-	-	-	100.00	110.00
9.	अ.भा.स.अ.प.-तिल एवं रामतिल	हैदराबाद	-	-	-	-	116.00	126.00
10.	इकोनोमिक ओर्नेथेलोजी नेटवर्क	हैदराबाद	38.08	38.13	35.00	34.97	66.00	66.00
11.	रा.अ.के.-तिलताड़	पेडावेगी	140.00	139.99	105.00	104.21	80.00	79.74
12.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद	110.00	154.99	121.00	121.00	126.00	125.99
13.	अ.भा.स.अ.प.-कृषि मौसम	हैदराबाद	155.00	110.00	115.00	115.00	150.00	150.00
14.	अ.भा.स.अ.प.-बारानी कृषि	हैदराबाद	340.00	339.99	339.00	339.00	410.00	410.00
15.	प्रायोजना निदेशालय-मुर्गीपालन अनुसंधान	हैदराबाद	140.00	139.58	200.00	177.55	150.00	146.42
16.	अ.भा.स.अ.प.-मुर्गीपालन अनुसंधान	हैदराबाद	134.00	124.98	130.00	130.00	150.00	150.06
17.	रा.कृ.अ.प्र.अ.	हैदराबाद	77.00	71.52	160.00	137.69	133.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	राष्ट्रीय मास अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद	-	-	15.00	3.20	30.00	
19.	क्षे.स.यूनिट-जोन-5	हैदराबाद	50.10	38.74	40.90	34.08	41.20	
20.	एन.बी.पी.जी.आर.-क्षेत्रीय केन्द्र	हैदराबाद	53.25	51.94	58.20	56.90	54.90	51.99
21.	अ.भा.स.अ.प.-फसल अनुसंधान योजना	हैदराबाद	23.06	23.30	20.07	18.10	21.06	29.15
22.	अ.भा.स.अ.प.- खरपतवार नियंत्रण	हैदराबाद	6.83	7.08	5.37	2.00	6.23	6.24
23.	अ.भा.स.अ.प.- बारानी कृषि	हैदराबाद	19.91	12.61	19.49	12.04	15.03	15.03
24.	अ.भा.स.अ.प.- लवणीय मृदा	हैदराबाद	13.67	23.30	12.85	14.64	12.24	17.90
25.	अ.भा.स.अ.प.- दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	हैदराबाद	-	-	3.00	3.00	2.80	2.80
26.	अ.भा.स.अ.प.- मृदा संबंधी भौतिक बाधा	हैदराबाद	13.64	13.64	14.96	14.96	10.39	10.39
27.	अ.भा.स.अ.प.- फसल मृदा परीक्षण अनुक्रिया	हैदराबाद	8.10	8.10	9.64	9.64	9.64	9.64
28.	अ.भा.स.अ.प.- मैक्रोसैकेण्डरी पोषकतत्व	हैदराबाद	9.90	9.90	8.48	8.48	12.25	12.25
29.	अ.भा.स.अ.प.- जैविक नाइट्रोजन निर्धारण	हैदराबाद	3.87	3.87	2.33	2.33	1.88	1.88
	कृषि विज्ञान केन्द्र							
30.	सी.टी.आर.आई.	कलावचेरिया	25.07	25.07	34.20	34.20	31.37	31.37
31.	क्रीड़ा	रंगारेड्डी	17.50	17.50	34.60	34.60	29.55	29.55
32.	मलयाल	वारंगल	7.32	7.32	7.00	7.00	15.17	15.17
33.	नांदयाल	कुरनूल	5.75	5.75	8.23	8.23	16.77	16.77
34.	यू.एम.डी.आई.	पश्चिम गोदावरी	5.20	5.20	11.20	11.20	24.39	24.39
35.	कृषि विज्ञान केन्द्र	रास्ताकुंटबी	8.03	8.03	8.20	8.20	11.96	11.96
36.	कृषि विज्ञान केन्द्र	अमदाबलवाल्सा	4.72	4.72	8.65	8.65	12.42	12.12
37.	कृषि विज्ञान केन्द्र	अनंतपुर	7.10	7.10	7.10	7.10	13.03	13.03
38.	कृषि विज्ञान केन्द्र	गाडीपल्ली	24.12	24.12	30.40	30.40	34.05	34.05
39.	कृषि विज्ञान केन्द्र	विशाखापट्टनम	5.90	5.90	-	-	12.34	12.34
40.	कृषि विज्ञान केन्द्र	जमीकुन्डा	15.68	15.68	15.10	15.10	19.15	19.15
41.	कृषि विज्ञान केन्द्र	गुन्टूर	16.09	16.09	18.33	18.33	24.45	24.45
42.	कृषि विज्ञान केन्द्र	कुरनूल	12.90	12.90	17.60	17.60	27.79	27.79
43.	कृषि विज्ञान केन्द्र	महबूबनगर	10.35	10.35	8.60	8.60	5.67	5.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	कृषि विज्ञान केन्द्र	मेडक	11.32	11.32	10.50	10.50	11.55	11.55
45.	कृषि विज्ञान केन्द्र	तिरुपति	18.35	18.35	14.30	14.30	11.82	11.82
46.	प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, क्रीडा	हैदराबाद	18.75	18.75	16.05	16.05	23.70	23.70
47.	सूअर पर अ.भा.स.अ.प.	तिरुपति	19.39	19.39	19.39	17.04	18.03	14.41
48.	पशुओं के जर्मप्लाज्म एवं डाटा रिकार्डिंग यूनिट	गुन्टूर	44.13	45.31	36.54	40.89	47.32	47.32
49.	भेड़ सुधार नेटवर्क परियोजना	पाल्मनेर	15.07	12.64	16.76	13.96	16.04	15.98
50.	पशु आनुवंशिक संसाधन नेटवर्क परियोजना	हैदराबाद	8.00	6.80	8.25	6.65	-	-
51.	कृषि जैवउत्पाद पर नेटवर्क परियोजना	हैदराबाद	8.25	8.25	9.00	8.66	9.50	8.55
52.	अ.भा.स.अ.प- खूरपका और मूंहपका	हैदराबाद	4.00	4.00	5.60	5.60	7.60	7.60
53.	अ.भा.स.अ.प.- पशु रोग निगरानी	हैदराबाद	8.50	8.50	8.62	8.62	4.48	4.48
54.	अ.भा.स.अ.प.- कृषि जलनिकासी	हैदराबाद	10.17	-	11.88	-	12.00	-
55.	अ.भा.स.अ.प.- फार्म उपकरण एवं मशीनरी	हैदराबाद	35.43	-	32.43	-	17.60	-
56.	अ.भा.स.अ.प.- गुड़ एवं खांडसारी	हैदराबाद	4.12	-	7.25	-	7.10	-
57.	अ.भा.स.अ.प.- कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	हैदराबाद	10.90	2.16	8.08	3.48	1.15	-
58.	अ.भा.स.अ.प.- मक्का	हैदराबाद	36.10	36.10	20.75	20.75	24.45	24.45
59.	अ.भा.स.अ.प.- मक्का	करीमनगर	8.14	8.14	6.69	6.69	7.26	7.26
60.	अ.भा.स.अ.प.- बाजरा	अनंतपुर	5.10	5.10	5.93	5.93	14.44	14.44
61.	अ.भा.स.अ.प.- छोटे-मोटे अनाज	नांदयाल	7.95	7.95	10.27	10.27	13.50	13.50
62.	अ.भा.स.अ.प.- सोयाबीन	लाम	4.47	4.47	4.89	4.89	4.94	4.94
63.	अ.भा.स.अ.प.- मूंगफली	जगतियाल	3.67	3.67	3.75	3.75	7.98	7.98
64.	अ.भा.स.अ.प.- मूंगफली	कादरी	11.03	11.03	12.00	12.00	19.13	19.13
65.	अ.भा.स.अ.प.- मूंगफली	पालेम	1.84	1.84	1.88	1.88	बन्द	बन्द
66.	अ.भा.स.अ.प.- मूलार्प	लाम	17.61	17.61	21.02	21.02	31.76	31.76
67.	अ.भा.स.अ.प.- अरहर	वारंगल	10.91	10.91	12.75	12.75	18.53	18.53
68.	अ.भा.स.अ.प.- तम्बाकू	नांदयाल	5.64	4.89	6.09	5.34	11.63	6.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.	अ.भा.स.अ.प.- गन्ना	अंकपल्ली	7.23	6.94	10.27	8.16	18.15	13.12
70.	अ.भा.स.अ.प.- पटसन एवं संबद्ध रेशे	अमदलवालस	11.93	11.93	13.98	13.98	39.82	23.03
71.	अ.भा.स.अ.प.- कपास	गुन्टूर	12.07	12.07	12.38	12.38	32.90	32.90
72.	अ.भा.स.अ.प.- कपास	नांदयाल	5.70	5.70	5.62	5.62	14.87	14.87
73.	राष्ट्रीय बीज परियोजना	हैदराबाद	17.92	24.09	47.75	34.96	44.15	61.10
74.	प्रजनक बीज उत्पादन	हैदराबाद	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	6.40
75.	अ.भा.स.अ.प.- अपशिष्ट नियंत्रण	हैदराबाद	3.25	3.68	3.25	3.04	17.00	6.52
76.	अ.भा.स.अ.प.- मधुमक्खी पालन	हैदराबाद	3.37	3.40	3.99	5.51	12.28	8.34
77.	अ.भा.स.अ.प.- जैव नियंत्रण	हैदराबाद	5.33	2.98	6.36	5.43	6.14	4.80
78.	अ.भा.स.अ.प.- कीटनाशी अपशिष्ट	हैदराबाद	4.63	3.63	3.63	3.67	9.37	12.12
79.	गन्ना प्रजनन संस्थान	कोव्वूरु	8.29	8.29	7.99	7.99	4.89	4.89

आंध्र प्रदेश में अनुसंधान संस्थान/केन्द्र/परियोजनाएं

(गैर-योजना)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	संस्थान/योजना का नाम	स्थान	1998-99		1999-2000		2000-2001	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा. ज्वार अनु. केन्द्र	हैदराबाद	294.97	288.72	228.10	227.95	282.46	271.80
2.	अ.भा.स.अ.प.- ज्वार	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-
3.	परियोजना निदेशालय-चावल अनुसंधान	हैदराबाद	343.00	307.99	322.00	322.00	333.00	320.60
4.	अ.भा.स.अ.प.- चावल	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-
5.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	राजामुन्द्री	750.00	749.98	760.60	765.56	805.00	807.66
6.	परियोजना निदेशालय-तेलताड़ अनुसंधान	हैदराबाद	270.50	270.49	249.00	248.99	270.00	269.61
7.	अ.भा.स.अ.प.- तिलहन	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-
8.	अ.भा.स.अ.प.- अलसी	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	अ.भा.स.अ.प.- तिल एवं रामतिल	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-
10.	इकोनोमिक ओर्नेथेलोजी नेटवर्क	हैदराबाद	39.00	38.99	121.50	104.48	137.00	136.86
11.	रा.अ.के. - तेलताड़	पेडावेगी	428.40	425.79	434.75	430.69	499.00	478.25
12.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद	-	-	-	-	10.00	10.09
13.	अ.भा.स.अ.प.- कृषि मौसम	हैदराबाद	-	-	-	-	15.00	6.57
14.	अ.भा.स.अ.प.- बारानी कृषि	हैदराबाद	91.00	87.70	119.50	115.40	143.00	136.43
15.	प्रायोजना निदेशालय-मुर्गीपालन अनुसंधान	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-
16.	अ.भा.स.अ.प.- मुर्गीपालन अनुसंधान	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-
17.	रा.कृ.अ.प्रबंध अकादमी	हैदराबाद	352.00	311.24	305.00	303.77	369.00	335.09
18.	राष्ट्रीय मास अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-
19.	क्षे.स.यूनिट-जोन-V	हैदराबाद	-	-	-	-	-	-

विवरण-II

आंध्र प्रदेश द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा कृषि उत्पादन पर इसका प्रभाव

* रस की गुणवत्ता के लिए के 19 आशाजनक क्लोन्स की पहचान की गई है।

* खूशबूदार चबाने वाले (एफ सी वी) तम्बाकू की खेती की कुल लागत का 30 प्रतिशत खर्च इसे धुंआ देकर परिरक्षित करने पर आता है। अत: बार्न की छत, रोशनदानों तथा दरवाजों को स्ट्रामिट के द्वारा उष्मारोधी बनाकर तथा सीमेन्ट तथा थर्मोकोल के मिश्रण से छत को प्लास्टर करके ईंधन बचाने के संगठित प्रयास किए गए। इस प्रौद्योगिकी से धुंआ देकर परिरक्षित करने की लागत में 25 से 30 प्रतिशत तक की कमी आई है। विभिन्न फसलों के लिए नाशीजीवों तथा रोगों के नियंत्रण सहित कई प्रयोगों के पैकेज विकसित किए गए।

* दोहरे उद्देश्य वाली मक्का के लिए फसल कटाई की तिहरी तकनीक विकसित की गई जिसमें बीच की उपज को बिना प्रभावित किए हरे चारे, अर्द्ध शुष्क चारे तथा भुट्टे की कम से कटाई की गई।

* मानसून के बाद की वर्षा का उपयोग करते हुए कुलथी बोने से नाइट्रोजन बहुल बायोमास को शामिल करके एक रणनीति बनाई गई जिससे अगली फसल को 20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन का फायदा पहुंचा।

* फास्फोरस को घोलने वाले जीवाणु स्ट्रेन ''स्यूडोमोनास फ्लोरोमेन्स'' को पृथक किया गया तथा इसके बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए प्रोटोकॉल मानकीकृत किया गया।

* ड्रिल हल तथा क्रीडा द्वारा विकसित मूंगफली बोने वाला यंत्र पेटेन्ट कराए गए।

* मूंगफली का छिलका अलग करने वाले यंत्र तथा ट्रैक्टर पर रखे जा सकने वाले तथा वायु चालित फलोद्यानों में उपयोग में लाए जाने वाले छिड़काव यंत्र के जीन प्ररूप विकसित किए गए।

* आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक से हल्दी, जामुन और शरीफा के बेहतरीन क्लोनों को अलग किया गया।

* केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में 50 से अधिक आयोजित किए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 500 प्रशिक्षणार्थियों, विषयवस्तु विशेषज्ञों और वरिष्ठ विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

* बारानी कृषि प्रौद्योगिकी में 4000 से ज्यादा किसानों, खेतिहर महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था।

* 6.40 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले लगभग 650 खेत उपकरणों को किसानों को बेचा गया था।

* चावल, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, गन्ना, मिर्च जैसी प्रमुख फसलों की उपज प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण पर आधारित उर्वरक की सिफारिशों की एक प्रौद्योगिकी तथा एक ''रेडी रेकनर'' तैयार किया गया है।

* विभिन्न दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए राइजोबिया के सूखा सहिष्णु प्रभेदों को अलग किया गया है।

* तिलहन (अरण्डी, मूंगफली और सूरजमुखी) तथा अन्य बारानी फसलों के लिए बैलों से खींचे जाने वाले उर्वरक-बीज रोपक ने परम्परागत विधि की तुलना में प्रति हैक्टर लगभग 100 रुपये की बचत की।

* 5 अश्वशक्ति की मोटर से चलने वाले एक सूरजमुखी थ्रेशर को विकसित किया गया है जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 150 कि.ग्रा./हैक्टर है और इसका व्यापारिक निर्माण किया जा रहा है।

* बिजली चालित मूंगफली का छिलका उतारने वाले यंत्र ने हाथ से छिलका उतारने वाली परम्परागत विधियों की तुलना से छिलका उतारने की लागत आधी हो गई तथा 99 प्रतिशत छिलका उतारने की क्षमता के साथ फलियों को कोई हानि नहीं पहुंची।

* जल निकास की उपज सतह प्रणाली को अपनाने के परिणामस्वरूप मृदा विद्युत चालकता में कमी आई।

* उप-सतह प्रणाली को अपनाने के कारण चावल की उपज में 14 से 30 प्रतिशत, गन्ने की उपज में 65 प्रतिशत और पान की उपज में 20 से 30 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई।

* समुद्री संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत तटवर्ती समुद्री शैवाल के ऊतक संवर्धन के अतिरिक्त मुक्ता-शुक्ति पालन तथा मोती उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों का व्यापारीकरण के लिए निर्माण किया गया। तटवर्ती मोती संवर्धन प्रौद्योगिकी पर अनेक उद्यमियों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान की गई।

* केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित मछली पकड़ने के बाद की प्रौद्योगिकियों के परिणामस्वरूप मछली के निर्यात और मात्स्यिकी उत्पादों में वृद्धि हुई।

* स्थानीय रूप से उपलब्ध फसल अवशिष्टों से विभिन्न प्रकार के पूर्ण आहार तैयार किए गए और विकसित किए गए। अनुसंधान के परिणामस्वरूप दूध, मांस और अण्डों की लागत में कमी आई और संतुलित आहार के कारण दूध और अण्डों के उत्पादन में वृद्धि भी हुई।

* खुरपका और मुंहपका रोगों के महामारी विज्ञान का निर्धारण किया गया।

* आंध्र प्रदेश में परिषद के 16 कृषि केन्द्र और एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों में 1147 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे 26556 किसान लाभान्वित हुए, इनमें खेतिहार महिलाएं, ग्रामीण युवक और विस्तार कार्यकर्त्ता शामिल हैं।

* देशी सूअरों की तुलना में संकर सूअर पीठ के मांस की मोटाई और पतली काट के श्रेष्ट पाए गए। संकरों में उच्च आहार दक्षता पाई गई तथा परम्परागत देशी नश्लों की तुलना में आयु विशेष पर अधिक भार पाया गया।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन

819. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय को गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में नई रेल लाइनें बिछाने, वर्तमान रेल लाइनों का विस्तार करने, मीटर/छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में बदलने और रेल लाइनों का दोहरीकरण करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार और अन्य संगठनों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। विगत

तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार से नई रेल लाइनें बिछाने, मौजूदा रेल लाइनों का विस्तार मीटर/छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन और रेल लाइनों के दोहरीकरण के संबंध में प्राप्त अनुरोध इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना	की गई कार्रवाई
1.	मनमाड-मालेगांव-धुले-नरदाना शिरपुर और इंदौर के बीच नई लाइन का निर्माण	मनमाड-मालेगांव-धुले-नरदाना-शिरपुर नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण 1997-98 में किया गया था। इससे पता चला है कि 159.88 कि.मी. लम्बी लाइन पर 248.5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी और प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। प्रस्ताव की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। शिवपुर से मऊ नई लाइन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा। इंदौर-मऊ रेल लाइन से पहले ही जुड़ा हुआ है।
2.	बारामती से पंढारपुर तक नई लाइन का निर्माण	बारामती से पंढारपुर नई प्रस्तावित लाइन लगभग 110 कि.मी. लम्बी होगी और इसकी लागत 330 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी। चालू नई लाइन कार्यों के भारी थ्रोफारवर्ड और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत सुझाई गई नई लाइन के निर्माण पर फिलहाल विचार करना संभव नहीं होगा।
3.	मलशेजघाट से अहमदनगर के रास्ते कल्याण-मुरनाद रेल लाइन का निर्माण	सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 204 कि.मी. लाइन की लागत 722 करोड़ रुपये होगी और प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। लाइन की समग्रत: अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
4.	पनवेल-करजात का दोहरीकरण	पनवेल और करजात के बीच नई लाइन का कार्य प्रगति पर है। इस स्तर पर दोहरीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

अन्य संगठनों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

विशालकाय पवन चक्कियों से विद्युत का उत्पादन

820. डा. राम चन्द्र डोम: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशालकाय पवन चक्कियों से नौ राज्यों में 1100 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु में इस प्रणाली से 800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रणाली से विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) 31 मार्च, 2001 तक देश के नौ राज्यों में 1340 मे.वा. की कुल पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई, जिसमें से 813 मे.वा. की क्षमता तमिलनाडु राज्य में स्थापित की गई है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा 100% त्वरित अवमूल्यन, कर छूट, उत्पादक-शुल्क से छूट और पवन टरबाइन के विशेष कलपुर्जों तथा उपकरणों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क जैसे राजकोषीय तथा संवर्धनात्मक प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। वाणिज्यिक पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) द्वारा उदार ऋण भी मुहैया कराए जाते हैं।

बागवानी संबंधी बीजों की राज्य उपसमिति का पुनर्गठन

821. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी संबंधी बीजों की राज्य उपसमिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव लम्बे समय से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लम्बे समय से इस तरह लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में कब से तेजी लाए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) केन्द्रीय स्तर पर बागवानी फसलों की किस्में जारी करने और फसल मानक अधिसूचना संबंधी केन्द्रीय उप-समिति तथा राज्य स्तर पर बागवानी फसलों की राज्य बीज उप-समिति केन्द्रीय बीज समिति की उप-समितियां हैं और इन समितियों का अस्तित्व केन्द्रीय बीज समिति के अस्तित्व में रहने तक ही है।

केन्द्रीय बीज समिति का गठन दिनांक 21 जून, 2001 से दो वर्ष की अवधि अर्थात 21.6.2001 से 20.6.2003 तक के लिए भारत सरकार के राजपत्र एस.ओ. सं. 576 (ई) द्वारा किया गया है।

बागवानी फसलों की किस्में जारी करने और फसल मानक अधिसूचना संबंधी केन्द्रीय उप-समिति (केन्द्रीय स्तर की समिति) के पुनर्गठन के आदेश दिनांक 25 जून, 2001 के आदेश सं. 17.17/2001 -एस.डी. IV द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में वर्ष 2001-2003 के लिए बागवानी फसलों के लिए राज्य बीज उप समिति का पुनर्गठन करने और केन्द्रीय उप समिति के अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है।

कोच फैक्ट्रियों के लिए आवंटन

822. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोच फैक्ट्रियों के लिए किए गए आवंटन का फैक्ट्रीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोच बनाने वाली फैक्ट्रियों में फैक्ट्रीवार कितने रेल सवारी डिब्बे बनाए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार सवारी डिब्बे बनाने के आर्डरों में कमी करने का हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन फैक्ट्रियों में सवारी डिब्बे बनाने के विदेशी आर्डरों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रेल मंत्रालय के अधीन दो सवारी डिब्बा विनिर्माण फैक्टिरियां हैं अर्थात् सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर (सडिका) तथा रेल सवारी डिब्बा कारखाना कपूरथला (रेडिका)। इन दोनों उत्पादन इकाइयों के लिए विगत तीन वर्षों का आबंटन इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

1998-1999	534.27	459.07
1999-2000	652.87	482.31
2000-2001	608.46	558.06

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन इकाइयों द्वारा निर्मित किए गए सवारी डिब्बों का संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	सडिका	रेडिका
1998-1999	1057	1087
1999-2000	1006	1182
2000.2001	1000	1190

(ग) और (घ) सवारी डिब्बों का उत्पादन अनुमानित यात्री यातायात को ढोने की आवश्यकताओं पर आधारित है। यातायात का वास्तविक निपटान, प्रत्याशित वृद्धि, उत्पन्न होने वाले बदलाव तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर सवारी डिब्बों का वार्षिक उत्पादन कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

(ङ) विदेशों में की गई आपूर्ति का ब्यौरा इस प्रकार है:-

सडिका का निर्यात ब्यौरा

(रु. लाख में)

देश	आमान	सवारी डिब्बे		मूल्य
		वर्ष	मात्रा	
1	2	3	4	5
ताइवान	1067	1971-72	113	398.96
जाम्बिया	1067	1973-74	6	14.81

1	2	3	4	5
फिलीपींस	1067	1975-76	30	224.88
तंजानिया	1000	1976-77	17	196.64
फिलीपींस	1067	1978-79	30	289.6
युगांडा	1000	1978-79	20	263.21
वियतनाम	1000	1979-80	50	548.15
नाइजीरिया	1067	1982-83	32	293.86
बांग्लादेश	1000	1984-85	9	120.60
मोजांबिक	1067	1984-85	15	148.80
बांग्लादेश	1000	1986-88	61	880.51
वियतनाम	1000	1994-95	15	783.20
तंजानिया	1000	1997-98	27	2314.30
कुल सवारी डिब्बे			425	6477.52

इस समय दोनों इकाइयों के पास विदेशों को सवारी डिब्बों के निर्यात के लिए कोई बकाया आदेश नहीं है।

अधिमान्यता प्राप्त पब्लिक लिमिटेड कंपनियां

823. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "अधिमान्यता प्राप्त पब्लिक लिमिटेड कंपनी" (डीम्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी) की अवधारणा को समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सरकारी कार्यालय इस अवधारणा को इस तरह समाप्त करने के नियमों को क्रियान्वित कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन नियमों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43क जो पब्लिक कंपनियों से संबंधित है, के उपबंध, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 जो 13.12.2000 से लागू हुआ, के परिणामस्वरूप, अब लागू नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। विचाराधीन विषय-वस्तु के लिए कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं

824. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में अभी तक लंबित पड़ी रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) आवश्यक स्वीकृति न

मिलने के कारण तमिलनाडु में तंजावूर-विलुपुरम आमान परिवर्तन परियोजना लंबित है।

(ख) स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

रेल भाड़ा में खान-पान शुल्क

825. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन रेलगाड़ियों के रेलभाड़ा में खान-पान शुल्क शामिल हैं;

(ख) रेल भाड़ा में मेनू के चयन और उस पर आने वाले खर्च के ब्यौरे को शामिल करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई जाती है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान क्रमश: रेल भाड़ा और भोजन शुल्क में कितनी वार्षिक वृद्धि की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सभी राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों तथा 241/242 कालका-शिमला शिवालिक एक्सप्रेस में खान-पान प्रभार टिकट किराए में पृथक रूप से शामिल किए जाते हैं। ऐसी गाड़ियों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा व्यंजन सूची तथा प्रत्येक सेवाओं की दर सूची बाजार में चल रही कच्चे माल की लागत तथा अन्य शिरोपरि प्रभारों को ध्यान में रख कर समय-समय पर निर्धारित की जाती है। शिवालिक एक्सप्रेस के लिए खान-पान प्रभार तथा व्यंजन सूची क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित की जाती है। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों के पास व्यंजन सूची में बारी-बारी करके विभिन्नता लाने तथा व्यंजन सूची में उपयुक्त बदलाव करके स्थानीय व्यंजनों की मदें परोसने के अनुदेश हैं।

(ग) राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियो के लिए किराए तथा खान-पान प्रभारों में वृद्धि की वार्षिक प्रतिशत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	किराए में वृद्धि का %	खान-पान प्रभारों में वृद्धि का %
1998-99	20%	10%
1999-2000	15%	25%
2000-2001	कुछ नहीं	कुछ नहीं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान 1999-2000 में शिवालिक एक्सप्रेस के मिश्रित किराए में 10% की वृद्धि की गई थी।

विवरण

(क) उन गाड़ियों के नाम जिनके टिकट किराए में खान-पान प्रभार शामिल है:-

क्र.सं	गाड़ी संख्या	गाड़ी का नाम
1	2	3
1.	2001/2002	नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
2.	2003/2004	लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस
3.	2005/2006	नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस
4.	2007/2008	चेन्नई-मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस
5.	2009/2010	अहमदाबाद-मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस
6.	2011/2012	नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस
7.	2013/2014	नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस
8.	2015/2016	नई दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस

1	2	3
9.	2017/2018	नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस
10.	2019/2020	हावड़ा-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस
11.	2021/2022	हवड़ा-राऊरकेला शताब्दी एक्सप्रेस
12.	2027/2028	मुंबई-पुणे शताब्दी एक्सप्रेस
13.	2029/2030	अमृतसर-नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी
14.	2031/2032	अमृतसर-नई दिल्ली शताब्दी (रिवर्स)
15.	2301/2302	नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस (बरास्ता गया)
16.	2305/2306	नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस (बरास्ता पटना)
17.	2309/2310	नई दिल्ली-पटना राजधानी एक्सप्रेस
18.	2313/2314	सियालदह-नई दिल्ली राजधानी
19.	2421/2422	नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस
20.	2423/2424	नई दिल्ली-डिब्रुगढ़ राजधानी एक्सप्रेस
21.	2425/2426	नई दिल्ली-जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस
22.	2429/2430	निजामुद्दीन-बैंगलूरु राजधानी एक्सप्रेस
23.	2431/2432	निजामुद्दीन-त्रिवेन्द्रम सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस
24.	2433/2434	निजामुद्दीन-चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस
25.	2435/2436	नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी (बरास्ता हाजीपुर)
26.	2951/2952	नई दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस
27.	2953/2954	निजामुद्दीन-मुंबई अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस
28.	2957/2958	अहमदाबाद-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
29.	241/242	कालका-शिमला शिवालिक एक्सप्रेस

आई. ओ. सी. एल. द्वारा आई. पी. सी. एल. के भंजक-संयंत्र की खरीद

826. श्री नरेश पुगलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) भारतीय पेट्रोरसायन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) के बडोदरा स्थित भंजक-संयंत्र को खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.पी.सी.एल. बडोदरा संयंत्र का मूल्यनिर्धारण कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आई.पी.सी.एल. की बड़ोदरा इकाई के मूल्यनिर्धारण पर आई.ओ.सी.एल. और आई.पी.सी.एल. के बीच विवाद चल रहा है:

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन दोनों प्रमुख सरकारी उपक्रमों के बीच के इस विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) दिसंबर, 2000 में विनिवेश विभाग, भारत सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई. ओ. सी. एल.) को आई. पी. सी. एल. की बडोदरा स्थित ईकाई, जिसमें नाफ्था क्रेकर इकाई तथा दूसरी डाउनस्ट्रीम इकाइयां सम्मिलित थी, के नामांकन आधार पर आई.ओ.सी. को अंतरण के बारे में सरकार के निर्णय के संबंध में सूचित किया था।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा तकनीकी, वित्तीय तथा विधिक पहलुओं के संदर्भ में यथोचित कर्मिष्ठता पूरी कर ली गई है। बैंक आफ अमरीका, जो इस अधिग्रहण के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन की वित्तीय सलाहकार है, की सहायता से बडोदरा इकाई तथा सहबद्ध सुविधाओं का मूल्यांकन भी कर लिया गया है।

(ङ) से (छ) इंडियन आयल कार्पोरेशन की राय में आई. पी. सी. एल. की बडोदरा इकाई के मूल्यनिर्धारण विषयक मतभेदों को, जहां तक कि यह इन दो कंपनियों के बीच जारी कार्यव्यापारगत लेन-देनों से संबंधित नहीं हैं, ''विवाद'' के रूप में नहीं समझा जा सकता है, बल्कि यह विवाद आई. पी. सी. एल. की बडोदरा इकाई के प्रस्तावित विक्रय के लिए हैं। कोई भी विक्रय/क्रय संबंधी लेनदेन केवल तभी हो सकता है जबकि तत्संबंधित शर्तें बिक्रेता एवं क्रेता को मान्य हों तथा ऐसी सहमति की अनुपस्थिति को विवाद के रूप में नहीं माना जा सकता है। बडोदरा परिसर के संबंध में इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा आई. पी. सी. एल. द्वारा अनुमानित मूल्यों में कुछेक भिन्नताएं थीं तथा यह मामला विनिवेश विभाग द्वारा विवाद समिति को भेजा गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 27 जुलाई, 2001 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 27 जुलाई, 2001/5 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरूवार, 26 जुलाई,2001/ 4 श्रावण,1923 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	3	1921 (शक)	1923 (शक)
(i)	8	अतरांकित	अतारांकित
116	29	(ड़) से (छ)	(ड.) से (छ)
203	12	श्री जी.मल्लिकर्जुनप्पा	श्री जी.मल्लिकार्जुनप्पा
213	19	(घ) से (ड.)	(घ) और (ड.)
242	10	अपारंपारिक ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री

पी.एल.एस.–48/17/4/2001 (एन०)

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।